

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 12 दिसम्बर, 2012 अग्रहायण 21, 1934 शक सम्वत्

> उत्तर प्रदेश सरकार विधायी अनुभाग–1

संख्या 1044/79-वि-1—12-1(क)33-06 लखनऊ, 12 दिसम्बर, 2012

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 पर दिनाक 29 नवम्बर, 2012 को अनुमित प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८ सन् 2012)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य में भू-खातेदारी और भू-राजस्व से सम्बन्धित विधियों का समेकन एवं संशोधन करने और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य क सत्तावनव चर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

- 1- (1) यह आधानयम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 कहा जाएगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

संक्षिप्त नाम, विस्तार, और प्रारम्भं

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करें और विभिन्न क्षेत्रों के लिये या इस संहिता के विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं। संहिता का लागू होना 2—इस सहिता के उपबन्ध, अध्याय आठ और नौ को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश भे लागू होंगे और अध्याय आठ और नौ ऐसे क्षेत्रों में लागू होंगे जिन पर प्रथम अनुसूची के क्रम्ब संख्या 19 और 25 पर विनिर्दिष्ट कोई अधिनियम इस संहिता द्वारा उनके निरसन के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को लागू था।

संहिता का नए क्षेत्रों में विस्तार

- 3—(1) जहाँ इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में को है क्षेत्र सम्मिलित किया जाय, वहाँ राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र में इस संहिता क सम्पूर्ण या कोई उपबन्ध विस्तारित कर सकती है।
- (2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाय, वहाँ उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अधिनियम, नियम या विनियम के उपबन्ध जो इस प्रकार लागू किये गये उपबन्धों से असंगत हो, निरसित हुए समझें जायेंगे।
- (3) राज्य सरकार किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना में संशोधन, उपान्तरण परिवर्तन कर सकती है।

परिभाषाएं

4- इस संहिता में :-

- (1) 'आबादी' या 'ग्रामीण आबादी' का तात्पर्य किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से हैं जिसका उपयोग इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों यथा, सहन व हरे वृक्षों, कुआं आदि के लिये किया जा रहा हो या जिसे एतद्पश्चात ऐसे प्रयोजन के लिए आरक्षित किया गया हो या किय जाय:
- (2) कृषि के अन्तर्गत बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन, फूलों की खेती, मधुमक्खें पालन और कुक्कुट पालन भी है;
- (3) 'कृषि श्रमिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य श्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है;
- (4) बैंक का तात्पर्य वही होगा जो उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम 1976 में उसके लिये दिया गया है;
- (5) 'भूमि प्रबन्धक समिति' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 28-क के अधीन गठित किसी भूमि प्रबन्धक समिति से है;
- (6) 'परिषद' का तात्पर्य धारा 7 के अधीन गठित या गठित समझे जाने वाले राजस्व परिषद से है :
- (7) 'पूर्व संस्था' का तात्पर्य किसी पूर्व प्रयोजन के लिये गठित किसी अधिष्ठान उपक्रम, संगठन या संघ से है और उसके अन्तर्गत कोई विनिर्दिष्ट विन्यास भी है;
- (8) 'कलेक्टर' का तात्पर्य धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वार इस रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी होंगे,—
 - (क) उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त को: अपर कलेक्टर : और
 - (ख) इस संहिता के अधीन किसी कलेक्टर के सभी या किन्हीं कृत्यों क निष्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, सशक्त प्रथम श्रेणी क असिस्टेन्ट कलेक्टर ;
 - (9) 'संचित गाँव निधि' का तात्पर्य धारा 69 के अधीन गठित संचित गाँव निधि से है;
- (10) किसी भू-खातेदार के सम्बन्ध में 'परिवार' का तात्पर्य यथास्थिति स्वयं पुरुष य स्त्री और उसकी पत्नी या उसका पति (न्यायिक रूप से पृथक पत्नी या पति से भिन्न) अवयस्य पुत्रों, और विवाहित पुत्रियों से भिन्न अवयस्क पुत्रियों से है :

परन्तु जहाँ प्रश्न किसी भूमि के अन्तरण से सम्बन्धित हो और अन्तरिर्त अवयस्क हो वहाँ पद परिवार के अन्तर्गत ऐसे अवयस्क के माता-पिता होंगे :

(11) बाग-भूमि का तात्पर्य किसी जोत में भूमि के किसी विनिर्दिष्ट भाग से है जिसां इस प्रकार वृक्ष लगे हों (जिसमें पपीता या केला के पौधे सम्मिलित नहीं हैं) कि वे भूमि को य उसके किसी समुचित भाग को किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाने से रोकतें हों या पूर्ण रूप से विकसित होने पर रोकेंगे और ऐसे भूमि पर लगे वृक्ष एक बाग का रूप धारण करेंगे।

- (12) 'जोत' का तात्पर्य एक भू-खातेदारी, एक पटटे, बचनबद्ध या अनुदान के अधीन रखे गये भूमि के किसी खण्ड से हैं;
- (13) किसी जोत के सम्बन्ध में 'सुधार' का तात्पर्य किसी ऐसे संकर्म से है जिससे जोत के मूल्य में भौतिक रूप से अभिवृद्धि होती हो और जो उसके लिए उपयुक्त हो और उस प्रयोजन के सुसंगत हो जिस हेतु उसे रखा गया हो और जो , यदि जोत पर निष्पादित न किया जाय उसके लाभ के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से सम्पादित किया जाता हो या सम्पादन के पश्चात् उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से लागप्रद बनाया जाता हो और पूर्ववर्ती उपवन्धों के अधीन उसके अन्तर्गत निम्नलिखित संकर्म भी हैं—
- (एक) कृषि प्रयोजनों के लिए जल के भण्डारण, आपूर्ति या वितरण के लिए तालाबों, कुआ, जल-प्रणालियों, तटबन्धों का निर्माण और अन्य कार्य;
- (दो) भूमि के जल-निकास हेतु या बाढ़ से या जल से भूमि के कटाव या अन्य क्षति से भूमि की रक्षा हेतु निर्माण कार्य :
- (तीन) वृक्षारोपण करना, भूमि को कृषि योग्य बनाना, घेराबन्दी करना, समतल अथवा सीढीदार बनाना;
- ्चार) आबादी या नगरीय क्षेत्र को छोड़ कर अन्यत्र जोत के आस—पास जोत के सुविधाजनक या लाभप्रद उपयोग या अध्यासन के लिए आवश्यक भवनों का निर्माण ;
- (पांच) पूर्वोक्त संकर्मों में से किसी संकर्म का नवीकरण या पुननिर्माण या उसमें परिवर्तन था उसका परिवर्धन;
- (14) "भूमि" का तात्पर्य, अध्याय सात और आठ और धारा 80, 81 और धारा 136 के सिवाय ऐसी भूमि से है जो कृषि से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए धृत या अध्यासित हो;
- (15) "भूमि धारक" का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से हैं जिसे लगान देय हो या देय होती यदि कोई स्पष्ट या विवक्षित संविदा न होती ;
- (16) "राजस्व न्यायालय " का तात्प्रयं, निम्नलिखित प्राधिकारियों में से सभी या क़िसी प्राधिकारी, (नागरवरूप) परिषद और उसके सभी सदस्य, आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, असिस्टेन्ट कलेक्टर, बन्दोबस्त अधिकारी और सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, अगिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार से है;
- (17) 'राजस्य अधिकारी ' का तात्पर्य आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, उप जिलाधिकारी, सहायक कलेक्टर, बन्दोबरत अधिकारी, सहायक वन्दोबरत अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, तहसीलदार (न्यायिक), नायब तहसीलदार, राजस्य निरीक्षक से हैं:
 - (18) 'उप जिलाधिकारी'' का तात्पर्य, तहसील के प्रभारी असिरटेन्ट कलेक्टर से हैं;
- (19) ''टौंगिया रोपवनी'' का तात्पर्य, ऐसी बन्द रोपण प्रणाली से है जिसके पहले चरण में वृक्षारोपण कृषि फसल के उगाने के साथ—साथ किया जाता है जिसमें फसल का विकास इस प्रकार रोपित वृक्षों द्वारा फैलाव बनाने पर रूक जाता है जिससे कृषि फसल की खेती असंभव हो जाती है;
- (20) "गांव" का तात्पर्य, किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है, जो चाहे घना हो या नहीं, तत्सम्बन्धी जिले के राजस्य अभिलेख में गांव के रूप में अभिलिखित हो और उसके अन्तर्गत ऐसा क्षेत्र भी है जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष अधिसूचना द्वारा गांव के रूप में घोषित करे।
- (21) "गांव शिल्पी" का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का भुख्य स्रोत कृषि या उसके आनुषिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले परम्परागत आँजारों—उपकरणों और अन्य सामानों या वस्तुओं का निर्माण या गरम्भत है और उसके अन्तर्गत बढ़ई बुनकर, कुग्हार, लोहार, रजतकार, सुनार, नाई, धोबी, मोची या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति भी है जो सामान्यतः किसी गांव में अपने परिश्रम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के परिश्रम से शिल्पकारी करके अपनी जीविका का अर्जन करता है।
- (22) शब्द और पद "गांव निधि" और "ग्राम सभा" के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 में उनके लिए दिये गये हैं।

अध्याय–दो

राजस्व मण्डल

राज्य का राजस्य क्षेत्रों में विभाजन 5— इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, राज्य को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित कि जाएगा जो मंडलों में विभक्त होगा जिसमें एक या अधिक जिले हो सकेंगे और प्रत्येक जिले में एक या अधिक तहसील हो सकेंगी और प्रत्येक तहसील में एक या अधिक परगने हैं सकेंगे और प्रत्येक परगने में दो या उससे अधिक गांव हो सकेंगे।

राजस्व क्षेत्रों का गठन

- 6— (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट कर सकती है। (एक) उन जिलों को जिनसे मिलकर कोई मण्डल बनता हो ;
 - (दो) उन तहसीलों को जिनसे मिलकर कोई जिला बनता हो (तीन) उन गांवों को जिनसे मिलकर कोई तहसील बनती हो
- (2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी राजस्व क्षेत्र के सीमाओं को समामेलित, पुनःसमायोजित, विभाजित करके या किसी अन्य रीति से, वह चाहे जो भी हो, परिवर्तित कर सकती है या किसी ऐसे राजस्व क्षेत्र को समाप्त कर सकती है और किसी ऐसे राजस्व क्षेत्र का नामकरण कर सकती है और उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है और यदि जहां किसी क्षेत्र का पुनः नामकरण कर दिया जाय, तो वहां उक्त क्षेत्र के किसी विधि या लिखत या अन्य दस्तावेज में उसके मौलिक नाम से किये गये निर्देशों को, जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न किया जाय, पुनः नामकरण किये गये क्षेत्र के निर्देश समझा जाएगा:

परन्तु किसी राजस्व क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करने के किसी प्रस्ताव पर इसे उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व राज्य सरकार आपित्तियां आमंत्रित करने के लिए ऐसे प्रस्तावों को विहित रूप से प्रकाशित करेगी और ऐसे प्रस्तावों के सम्बन्ध में की गई आपित्तियों पर विचार करेगी।

- (3) कलेक्टर विहित रूप में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा तहसील के गावों के लेखपाल हलकों में और लेखपाल हलकों को राजस्व निरीक्षक हलकों में व्यवस्थित करेगा और प्रत्येक राजस्व निरीक्षक के मुख्यालयों को भी उसके हल्के के भीतर विनिर्दिष्ट करेगा।
- (4) इस सहिता के प्रारम्भ होने के समय यथा विद्यमान मण्डल, जिले, तहसील, परगने, राजस्व निरीक्षक हलके, लेखपाल हलके और गांव, जब तक कि पूर्ववर्ती उपखण्डों में उनमें कोई परिवर्तन न कर दिया जाय, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट राजस्व क्षेत्र समझे जाएंगे।

अध्याय-तान

परिषद और राजस्व अधिकारी

राजस्व परिषद

7-(1) उत्तर प्रदेश के लिए एक राजस्व परिषद होगा जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-रागय पर निधुक्त किया जायः

परन्तु इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व गठित और कार्य कर रही परिषद् को इस धारा के अधीन गठित परिषद् समझा जायेगा।

- (2) परिषद् के कारबार का मुख्य स्थान लखनऊ में होगा और न्यायिक सदस्य अपने न्यायालय इलाहाबाद या लखनऊ में, जैसा अध्यक्ष सगय-समय पर निदेश दे, लगायेंगे।
 - (3) कोई भी व्यक्ति-
 - (क) परिषद् के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र- नहीं होगा जब तक कि उसने ऐसा पद धारण किया हो जो आयुक्त के घद से निम्न श्रेणी का न हो।

- (ख) परिषद के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होग़ा जब तक कि वह राजस्य अधिकारी न रहा हो।
- (4) राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात किसी समय किसी भी सदस्य को परिपद् के न्यायिक सदस्य के रूप में पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे सदस्य को केवल न्यायिक कारबार आवंटित किया जायेगा।
 - 8-(1)परिषद निम्नलिखित मामलों में मुख्य नियंत्रण प्राधिकारी होगा:--

परिषद की अधिकारिता

- (क) वादों व अपीलों के निस्तारण, निर्देशों या पुनरीक्षण से सम्बन्धित सभी भामलों में और
- (ख) राज्य सरकार के अधीक्षण, निदेश और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, इस संहिता में दिये गये सभी अन्य मामलों में।
- (2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का निष्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी।
- (3) राज्य सरकार परिषद के किसी सदस्य को या तो सामान्यतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र या विषय के संबंध में परिषद को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित सभी या किसी शक्ति का प्रयोग, कृत्य का निर्वहन और कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।
- 9-(1) ऐसे नियमों या आदेशों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वनाया जाय या जारी किया जाये, परिषद अपने सदस्यों के बीच अपने कार्य का वितरण, जैसा परिषद उचित समझे, कर सकती है। अध्यक्ष किसी विशिष्ट मामले या गामलों के वर्ग के निस्तारण के लिए एक से अधिक सदस्यों वाली पीठ या पीठों का गठन कर संकता है।

कार्य का वितरण् करने की शक्ति

(2) ऐरी वितरण के अनुसार राजस्व परिषद के किसी संदस्य द्वारा दिये गये सभी आदेश या डिक्री यथास्थित, राजस्व परिषद के, आदेश या डिक्री समझे जायेंगे।

10-(1) जहाँ अपील करने पर या पुनरीक्षण के तौर पर परिपंद के विचाराधीन आने वाली किसी कार्यवाही की सुनवाई दो या उससे अधिक सदस्यों से बनी पीठ द्वारा की जानी हो वहाँ गांमले का विनिश्चय ऐसे सदस्यों की राय या ऐसे सदस्यों के बहुमत, यदि कोई हो से किया जायेगा।

परिषद के विनिश्चय

- (2) जहाँ पीर्ड का गठन करने वाले परिषद के सदस्य किसी मामले के विनिश्चय के संबंध में अपनी राय में बराबर-बराबर विभाजित हो, वहाँ उसकी सुनवाई अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली एक वृहत्तर पीठ द्वारा की जायेगी और गामले का विनिश्चय ऐसी पीठ का गठन करने वाले सदस्यों की राय या ऐसे सदस्यों के बहुमत, यदि कोई हो, से किया जायेगा।
- (3) एकल रूप से आसीन किसी सदस्य द्वारा या दो सदस्यों वाली किसी मण्डल पीठ द्वारा या पूर्वोक्त रूप से गठित किसी वृहत्तर पीठ द्वारा दिये गये सभी विनिश्चय, परिषद के विनिश्चय सगझे जाएंगे ।
- 11—(1) राज्य सरकार प्रत्येक मण्डल में एक आयुक्त की नियुक्ति करेगी जो, अपने मण्डल के भीतर, इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन किसी आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

आयुक्त और अपर आयुक्त

- (2) राज्य सरकार किसी गण्डल में एक या उससे अधिक मण्डलों में एक या उससे अधिक अपर आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है।
- (3) कोई अपर आयुक्त ऐसे मामले था मागलों की श्रेणियों में आयुक्त की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी निर्देश के अभाव में, मण्डलायुक्त द्वारा निर्देशित किया जाय।
- (4) आयुक्त पर तत्समय जागू इस संहिता के उपवन्ध और प्रत्येक अन्य विधि इस धारा के अधीन शिवतयों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के रामय अपर आयुक्त पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह मण्डलायुक्त हो।

यलेक्टर और अपर कलेक्टर

- 12—(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगी जो उसार राजरव प्रशासन का प्रभारी होगा और वह इस राहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वार या उसके अधीन किसी कलेक्टर को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित सगर कर्तयों का निर्वहन करेगा।
- (2) राज्य सरकार किसी जिले में एक या उरासे अधिक अपर कलेक्टर की नियुक्ति क सकती है।
- (3) अपर कलेक्टर, राज्य सरकार या कलेक्टर के निदेश और नियन्त्रण के अधीन रहतं हुए कलेक्टर की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- (4) कलेक्टर पर तत्समय लागू इस संहिता के उपबन्ध और प्रत्येक अन्य विधि इस धार. के अधीन शिवतयों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के समय अपर कलेक्टर पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह जिले का कलेक्टर हो।

उप जिलाधिकारी और अपर उप जिलाधिकारी

- 13-(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितना वह उचित रागओं के सहायक कलेक्टर के रूप में नियुक्त कर सकती है।
- (2) राज्य सरकार किसी जिले के एक या उससे अधिक परगनों को सहायक कलेक्टर के प्रभार में रख सकती है और ऐसा अधिकारी परगने का प्रभारी सहायक कलेक्टर या उव जिलाधिकारी कहा जाएगान
- (3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी कलेक्टर के नियन्त्रण में रहते हुये इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन उनको प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
- (4) राज्य सरकार किसी जिले के लिए नियुक्त सहायक कलेक्टर को जिले के एक या अधिक तहसीलों के लिए अपर उप जिलाधिकारी पदाभिहित कर सकती है।
- (5) इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपर उप जिलाधिकारी ऐसे गामले या गामलों के ऐसे वर्ष में किसी उप जिलाधिकारी की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तयों का पालन करेगा, जैसा राज्य सरकार, या राज्य सरकार के किसी निदेश के न होने पर कलेक्टर निदेश दे।

सहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक

- 14—(1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को, जितना वह उचित रांगझे, तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक नियुक्त कर सकती है।
- (2) तहसीलदार और तहसीलदार (न्यायिक) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार या परिषद, और राज्य सरकार या परिपद का कोई निर्देश न होने पर कलेक्टर निर्देश दे।

नायब तहसीलदार

15-राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को, जितना वह उचित रामझे, नायव तहसीलदार नियुक्त कर सकती है, जो इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा था अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर आरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

राजस्य ।नराक्षक और लेखपाल

- 16—(1) कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों के समुधित प्रविक्षण, अनुरक्षण और शोधन के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जिन्हें राज्य सरकार सामान्य था विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें, एक या अधिक राजस्व निरीक्षक नियुक्त कर सकता है।
- (2) कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण और शोधन करने के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जैसा कि राज्य भरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-सगय पर विनिर्दिष्ट करें, उतने लेखपाल नियुक्त कर सकता है जितने आवश्यक हों।

पर्दों का समुख्यय

17-राज्य सरकार या. यथारिधति, नियुक्त करने के लिए सक्षग प्राधिकारी के लिए किसी एक ही ऐरो ध्यक्ति को जो विधि के अनुसार अन्यथा सक्षग हो, इस अध्याय में उपवन्धित दों या अधिक पदों पर नियुक्त करना या एक अभिधान के अधिकारी को किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों की सभी या किसी शक्ति या कर्तव्य को कतिपय स्थानीय सीमाओं के भीतर या अन्यथा जो समीचीन समझें प्रदत्त करना विधिपूर्ण होगा।

18-(1) कलेक्टर ऐसे मामलों में जिसमें किसी राजस्व अधिकारी पर या किसी ऐसे व्यक्ति पर जो पहले उनके जिले में उस रूप में सेवायोजित रहा हो, उसके प्रभार में रखे गये, लोक धन या कागज-पत्र या अन्य सम्पत्ति के संबंध में कोई दावा वकाया हो, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे निरुद्ध धन या विशिष्ट कागज-पत्र या सम्पत्ति तुरन्त उक्त आदेश के वाहक को या ऐसे व्यक्ति को ऐसे दिनांक और ऐसे रथान पर जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, आदेश द्वारा देने की अपेक्षा कर सकता है।

धन कागजं-पत्र या अन्य सरकारी सम्पत्ति की यसुली -

(2) यदि उपर्युक्त अधिकारी या अन्य व्यक्ति निदेश के अनुसार अनुपालन नहीं करता है तो कलेक्टर उसे गिरफतार करवा सकता है और उसे विहित प्रपत्र में वारन्ट के साथ भिविल कारागार में तब तक रखने के लिए भेज सकता है जब तक कि वह आदेशों का अनुपालन न करे :

परन्तु कोई व्यक्ति ऐसे वारन्ट के आधार पर तीस दिन से अधिक अदिध के लिये ानरुद्ध नहीं किया जायेगा।

19-(1) जब इस संहिता के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा कोई शक्ति या कोई कर्तव्य पालनीय हो तो किसी वरिष्ठतर अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी ऐसी प्रयोक्तव्य गरित का योग और कर्तव्य का पालन किया जा सकता है।

राजस्य अधिकारियाँ की अन्य शक्तियाँ

(2) इस राँहिता के अधीन नियुक्त राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के नियंत्रण में ऐसी शिवतयों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसा कि राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

अध्याय-चार

सीमा और सीमा चिन्ह

20-(1) राज्य में समस्त ग्रामों की और किसी ग्राम में समस्त सर्वे संख्याओं की रीगाएं सीमा चिन्हों द्वारा नियत और सीमांकित की जायेगी।

सीमा का निर्धारण और सीमांकन

- (2) सीमा चिन्ह इस अध्याय में आगे दिये गये उपवन्धों के अधीन रहते हुये ऐसे विनिर्देश के अनुसार होंगे और उसका निर्माण और अनुरक्षण ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसी विहित की जाय।
- 21-(1) प्रत्येक खातेदार अपनी जोत में या उसकी सीमा पर विधिपूर्वक निर्मित सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और उसकी मरम्मत अपने खर्च पर करने के लिये उत्तरदायी होगा।

सीमा चिन्ह का अन्रक्षण ओर मरग्मा करने का दायित्य

- (2) ग्राम सभा अपनी अधिकारिता में रिथत ग्रामों में उपधारा (1) में उल्लिखित सीमा चिन्हों से भिन्न अन्य विधिपूर्वक निर्मित सीमा चिन्हों का, अपने खर्च पर अनुरक्षण और मरम्मत के लिये उत्तरदायी होगी।
- 22-(1) यदि लेखपाल के हल्के में विधिपूर्वक निर्मित किसी सीमा चिन्ह को नष्ट सीमा चिन्ह को किया जाय, हटाया जाय या उसे क्षति पहुँचाई जाये तो संबंधित लेखपाल गांभले की रिपोर्ट 'नायब तहसीलदार को तत्काल देने के लिये बाध्य होगा।

नष्ट आदि किय।

- (2) नायब तहसीलदार ऐसी रिपोर्ट के संबंध में जाँच करेग़ा और अपनी संस्तुति उंप जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- 23-(1) उप जिलाधिकारी धारा 22 के अधीन नायव तहसीलदार की संस्तृति प्राप्त करके या अन्यथा ग्राम सभा में किशी ग्राम के संबंध में और किसी खातेदार से उसकी जोत के सबंध में, समुचित सीमा चिन्हों का ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, निर्माण या पुनःस्थापन करने या उनकी भरागत यां उन्हें प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा कर सकता है।

सीमा विन्ह का निर्माण, भरम्मत या नवीकरण करने की अपेक्षा करने की ગાંછિત

- (2) जहाँ ग्राम सभा या कोई खातेदार उपधारा (1) की अपक्षानुसार सीमा चिन्ह का निर्माण, पुनःस्थापन, मरम्भत या प्रतिस्थापन करने में विफल रहे, वहाँ उप जिलाधिकारी ऐसे सीमा चिन्हों का यथारिथति निर्माण पुनःस्थापन, मरम्मत या प्रतिस्थापन करा सकता है और ऐसी ग्राम सभा या खातेदार से उसका खर्च वसूल कर सकता है।
- 24-(1) उप जिलाधिकारी स्व-प्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस निगित्त आवेदन दिये जाने पर सीमा संबंधी समस्त विवाद का विनिश्चय वर्तमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर या जहाँ उत्तर प्रदेश जोत चक्क्बन्दी अधिनियम, 1953 के उपयन्धों के अनुसार उनका पुनरीक्षण करा दिया गया हो वहाँ उन नक्शों के आधार पर किन्तु यदि ऐसा सम्भव न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सरसरी जाँच द्वारा विनिश्चय कर सकता है।

सीमा संबंधी विवाद

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी विवाद में जाँच के दौरान उप जिलाधिक अपना यह समाधान न कर राके कि किस पक्ष का कब्जा है या यदि यह दिखाया गया हो विधिपूर्ण अध्यासी को सदोप बेदखल करके कब्जा प्राप्त किया गया है, तो उप जिलाधिकारी

(क) प्रथम रिथति में, संक्षिप्त जाँच द्वारा यह अभिनिश्चित करेगा कि सम्प का सर्वाधिक हकदार व्यक्ति कौन है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा देगा;

- (ख) द्वितीय स्थिति में इस प्रकार बेदखल किये गये व्यक्ति को कर दिलायेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकेगा जै आवश्यकता हो और तत्पश्चात सीगा का निर्धारण तदनसार करेगा।
- (3) इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही उप जिलाधिकारी द्वारा आवेदन के दिना से, यथासम्भव, छः माह के भीतर समाप्त कर ली जायगी।
- (4) उप जिलाधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे ओदश के दिनांक 30 दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। आयुक्त का आदेश अनि होगा।

मार्गाधिकार और अन्य सुखावार 25-ऐसे मार्ग के राबंध में (सार्वजनिक सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि से भिन्निका कोई खातेदार या कृषि श्रमिक अपनी भूमि पर या गाँव की यंजर या चारागाह गूमि ए पहुँच राके, या ऐसे स्रोत या ऐसे जल मार्ग के संबंध में जहाँ से या जिससे वह सिंचाई संबंध सुविधाओं का लाग उठा राके, कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में, तहरीलदार ऐए स्थानीय जाँच के पश्चात जो आवश्यक रामशी जाय, विद्यमान प्रथा के निर्देश में और रामर सम्बद्ध पक्षों की सुविधा का राम्यक् ध्यान रखते हुए, मागले का विनिश्चय कर सकता है।

वह ऐसे अवरोधों के निराकरण के लिए निदेश दे सकता है और उसत प्रयोजन व लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकता है जैसा आवश्यक हो और संबंधित व्यक्ति व विहित रूप में ऐसे निराकरण की लागत की वसूली कर सकता है।

अवरोध का हटाया जान।

26—यदि तहसीलदार को यह पता चले कि किसी अवरोध से ग्राम सभा की किस सार्वजनिक सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि के अवाध उपयोग में रुकावट पड़ती है तो ऐस सड़क या जल मार्ग या जल के रोध को हटाने का निदेश दे सकता है और उस प्रयोजन व लिए ऐसे बल का उपयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो, और सम्बद्ध व्यक्ति से उक्त अवरोध की हटाने का खर्च विहित रीति से वसल कर सकता है।

27— उप जिलाधिकारी धारा 25 था घारा 26 के अधीन तहरीलियार द्वारा विनिश्चर किये गये किसी मामले के अभिलेख को ऐसे विनिश्चय की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध रं अपना समाधान करने के प्रयोजन से मॉग सकता है और सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई क अवसर देने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

28-इस अध्याय के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी व्यक्ति को सुखाचार के ऐसे अधिकार या रूढ़िगत अधिकार स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा जिसका दावा वह सिविल वाद द्वारा कर सकता है।

उप जिलाधिकारी की पुनरीक्षण सम्बन्धी शक्ति

आदेश द्वारा सुखाचार आदि के किसी अधिकार को स्थापित किये जाने से विवर्जित न किया जाना

अध्याय-पाँच ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण

गागों की राधी

29-(1) कलेक्टर विहित प्रपत्र में एक रजिस्टर तैयार करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा जिसमें उसके जिले के समस्त ग्रामों की सूची होगी और उसमें निम्नलिखित दिखाया जायगा:--

- (क) ऐसे क्षेत्र जो नदी के बहाव से प्रभावित हों;
- (ख) ऐसे क्षेत्र जिनमें अनिश्चित खेती होती हों, और
- (ग) ऐसे अन्य विवरण जो बिहित किये जायं।

(2) रजिरटर का, प्रत्येक पांच वर्ष में या ऐसे दीर्घतर अन्तराल पर जिसे विहित किया जाय, पुनरीक्षण किया जायंगा।

मानचित्र और खराँच का अनुरक्षण 30-कलेक्टर प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिये विहित रीति से मानचित्र और खरारा रखेगा. ऑर उसमें प्रतिवर्ध या ऐसे दीर्घंतर अन्तराल पर जैसा विहित किया जाय, गांव की सीमा में या सर्वेक्षण राख्याओं में हुए समस्त परिवर्तनों को अभिलिखित करायेगा और, किन्हीं मलितयाँ और लोप को जो रामय-समय पर पाई जाय भी ठीक करायेगा।

31-कलेक्टर विहित प्रपत्र में और विहित रीति से प्रत्येक ग्राम के लिये अधिकार अभिलेख (खतीनी) रखेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया जायगा, अर्थात :--

अधिकार अगिलेख

- (क) समस्त खातेदारों के नाम और उनके द्वारा घृत सर्वेक्षण संख्या या गाटा संख्या तथा उनका क्षेत्रफल :
- (ख) ऐसे व्यक्तियों के अपने-अपने हितों का प्रकार या विस्तार और उससे सम्बद्ध दायित्वों या शर्ते, यदि कोई हों:
- (ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसको देय राजस्व या लगान, यदि कोई हो:
- (घ) राज्य सरकार, ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धत या उराग निहित (जोत से भिन्न) समस्त भूमि का विवरण:
 - (ड.) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जायं।

32-(1) कलेक्टर के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार या राजस्य निरीक्षक इस अध्याय में आगे उपबन्धित रीति से अधिकार अभिलेख (खतौनी), क्षेत्र पंजी (खसरा) और मानचित्र में समस्त परिवर्तनों को जो घटित हों और ऐसे अन्य समस्त संव्यवहार को जिनका किन्हीं अभिलिखित अधिकारों या हितों पर प्रभाव पड़े. अभिलिखित करेगा और उनमें किन्हीं ऐसी गलतियों को ठीक करेगा जिनके बारे में यह साबित हो जाय कि वह पहले तैयार किए गये अभिलेख में की गयी थी।

अभिलेखों को ठीक करना

- (2) उपधारा (1) के अधीन गलतियों को ठीक करने के लिए कोई आवेदन, जहां दावां एक मात्र कब्जे पर आधारित हो और उसमें हक का जटिल प्रश्ने अन्तर्ग्रस्त हो, रखे जाने थोग्य नहीं होगा।
- 33-(1)उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जस हलके के जिसमें भूमि रिथत है, राजस्व निरीक्षक को ऐसे जत्तराधिकार के संबंध में यथाविहित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तत करेगा।

उत्तराधिकार के गागलों में नाभान्तरण

- (2) उपधारा(1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त करने पर या उसके संज्ञान में अन्यथा तथ्य आने पर राजरव निरीक्षक-
 - (क) यदि मागला विवादग्रस्त नहीं है तो ऐसे उत्तराधिकार को अधिकार अभिलेख (खतौनी) में अभिलिखित करेगा :
 - (ख) किसी अन्य भामले में ऐसी जांच करेगा जैसी उसे आवश्यक प्रतीत हो और वह अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा
 - (ग) कोई व्यक्ति जिसेका नाग राजस्य निरीक्षक द्वारा अभिलिखित न किया गया हो या जो खण्ड (क) या (ख) के अधीन राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित किये गये आदेश द्वारा व्यथित हो, यह तहसीलदार के सगक्ष आवेदन प्रस्तृत कर सकता है।
- (3) इस धारा के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे प्रत्येक व्यंक्ति पर लाग् होंगे ज़िरो इस संहिता के उपबन्धों या इसके द्वारा निररिात किशी अधिनियमन के अनुसार भूगि प्रबन्धक रागिति द्वारा असंक्रमणीय अधिकारयुक्त था असागी स्वीकार किया गया हो।

34-धारा 33 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी अन्तरण से भिन्न अन्तरण द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐरो अन्तरण की रिपोर्ट उस तहसील के तहसीलदार को विहित रीति से देगा जिसमें भूमि स्थित है।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द अन्तरण के अन्तगत कोई परिवार बन्दोबस्त या जोत या उसके भाग का विनिमय भी है।

35-(1) धारा 33 या धारा 34 के अधीन किसी रिपोर्ट या तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार एक उदधोषणा जारी करेगा और ऐसी जांच करेगा जैसी आवश्यक प्रतीत हो और--

- गागलों मे नागातरण
- (क) यदि मामला विवादित नहीं है तो यह अधिकार अभिलेख (खतौनी) को तदनुसार संशोधित करने का निदेश देगा;
- (ख) यदि मामला विवादित है तो वह पक्षकारों के मध्य सुलह कराकर इसे यथा संभव निपटा देगा, और तदनुसार आदेश पारित करेगा; और

उन्तरण के गामले में रिपोर्ट करने था. कर्तथा

अंतरण के

- (ग) यदि सुलह द्वारा गामला नहीं निषटाया जाता है तो वह विवाद का निष्य करेगा और अधिकार अभिलेख (खतौनी) को तदनुसार राशोधित करने का निदेश देगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन तहरीलिंदार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, की आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर परगना अधिकारी को अपील कर सकता है जी जिलाधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर दितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है और आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा

अन्तरण की सूचना और भू-राजस्व जंम। करना

- 36—(1) धारा 34 में किसी बात के होते हुए भी, जहां भूमि पर किसी हक या भीर को बनाने, समनुदेशित करने या निर्वापित करने के लिए या जिसके संबंध में अधिकार अभिलेख (खतौनी) बनाने के लिए तात्पर्यित कोई दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराया गया है या कराया गया समझा गया है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस तहसीलदार को, जिसकी अधिकारिता में वह भूमि स्थित है, ऐसे प्रपन्न में और ऐसी समय सीमा में, जैसी विहित की जाये, सूचना भेजेगा।
- (2) इस अध्याय में किशी बात के होते हुए भी, धारा 32 के अधीन अभिलेखों के सुधार के लिए कोई आदेश और धारा 33 के अधीन उत्तराधिकार अभिलिखित करने के लिए कोई आदेश और धारा 35 के अधीन अधिकार अभिलेख (खतौनी) में कोई संशोधन और धारा 38 के अधीन कोई सुधार तब तक अभिलिखित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे भूगि, जिससे ऐसा आदेश संबंधित है, के संबंध में अद्यतन देय भू-राजस्व की धनराशि जमा न कर दी जाये।

कतिपय चार्दो का विवर्जन 37—उत्तराधिकार या अन्तरण द्वारा किसी भूगि का कब्जा प्राप्त करने के किसी व्यक्ति के आवेदन पर किसी राजस्व न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक कि उसने यथारिथति घारा 33 या धारा 34 के अधीन रिपोर्ट न की हो।

गलती और लोप का सुधार

- 38—(1) नक्शा, खसरा या अधिकार अभिलेख (खतौनी) में किसी गलती और लोप के सुधार के लिए प्रार्थना-पत्र तहसीलदार को विहित रीति से दिया जायगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर या अन्यथा रूप से उसकी जानकारी में प्राप्त किसी गलती या लोग पर, तहरीलिंदार ऐसी जाँच करेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ उप जिलाधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।
- (3) उप जिलाधिकारी द्वारा अपने समक्ष दाखिल या तहसीलदार के समक्ष दाखिल किसी आपर्तित पर विचार करने के पश्चात् मागले का निर्णय किया जायगा।
- (4) उपधारा (3) के अधीन उप जिलाधिकारी के किसी आदेश द्वार। व्यथित कोई व्यक्ति, आयुक्त को ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है और आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन किसी गलती या लोग को सुधार करने की शिवत का यह अर्थ नहीं लगाया जाय कि इसमें हक के प्रश्न से संबंधित किसी विवाद के निर्णय की शिवत सिमालत है।

रा तस्य अधिकारियों के कतिषय आदेश वाद करने से विद्यर्जित नहीं कस्ते 39—धारा 33 के अधीन राजस्य निरीक्षक या धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन तहसीलवार द्वारा या धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन उप जिलाधिकारी द्वारा, या धारा 35 की उपधारा (2) या धारा 38 की उपधारा (4) के अधीन आयुक्त द्वारा पारित कोई आदेश किसी व्यक्ति को धारा 144 के अधीन वाद के माध्यम से भूमि का अपना अधिकार स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा।

प्रविद्धियों के सम्बन्ध में उपधारणा

40—इस संहिता के उपवन्धों के अनुसार तैयार किये गये ग्राम के नक्शे, खसरा और अधिकार अभिलेख(खतौनी) में रामी प्रविध्दियां सत्य उपधारित की जायेंगी जब तक कि इसके विरुद्ध साबित न हो जाय।

किसानबंधी

- 41—(1) हर बार जब इस अध्याय के अधीन अधिकार अभिलेख (खताँनी) तैयार की जाय कलेक्टर यथाशीघ्र प्रत्येक खातैदार को किसान बही देंगा जिसमें ऐसा विवरण होगा जो विहित किया जाय।
- (2) किसान बही जिले में किसी खातेदार द्वारा धृत समस्त जीत के संबंध में समेकित जीत-बही होगी।

- (3) संयुक्त जोत की रिश्वित में, इस घारा के प्रयोजन के लिए यह पर्याप्त होगा कि किसानवहीं केवल ऐसे एक या अधिक अभिलिखित सह खातेदारों को दी जाय।
- (4) जो खातेदार किसानवहीं के लिए आवेदन करें वह ऐसा मूल्य ऐसी रीति से भूगतान करने का उत्लरदायी होगा, जैशी विहित की जाय।
- (5) किसानवही रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अतिरिक्त भुगतान किये विना सगय-सगय पर अधिकार अभिलेख में किये गये संशोधनों को अपनी किसानबही में सगाविष्ट कराने का हकदार होगा।
- (6) जब भी कोई बैंक या अन्य वित्तीय संस्था किसी खातेदार की खातेदार के ऐसे पत्यावेदन के आधार पर त्ररण प्रदान करता है कि तह किसानवहीं में अभिलिखित जोत का धारक है तो यह इस प्रकार दिये गये ऋण के ब्यौरे को किसानवहीं में पृथ्विकत करेगा। ऐसे प्रयोजनों के लिए खातेदार द्वारा ऐसी संस्था को केवल गृत किसानवही न कि अनुलिपि, प्रसंतत की जायेगी।
- (7) खातेदार ऐरो वैंक या अन्य वित्तीय संस्था को यह घोषित करते हुए एक शपथ-पत्र प्रस्तृत करेगा कि उसने किसान वहीं में संभाविष्ट जोत की प्रतिभृति पर कोई अन्य त्राण (जो पूर्णतः या अंशतः असंदत्त है) नहीं प्राप्त किया है और न ही उसने जोत या उसमें किसी अंश को किसी व्यक्ति को किसी अन्य रीति चाहे जो भी हो, अन्तरित किया है।
- (8) कोई खातेदार जो किसी ऐसे शपथ-पत्र में कोई ऐसा कथन करता है जो असत्य है और वह उसकी जानकारी या विश्वारा के अनुसार असत्य है या उसके सत्य होने के विषय में उसका विश्वास नहीं है, तो वह किसी प्रकार के कारावास से, ऐसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष तक हो सकती है, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी भागी होगा।
- (9) ऐसा वैंक या अन्य वित्तीय संस्था ऋण के अन्तिम पुनर्भगतान को किसानबही पर पृष्टांकित करेगी।

42-प्रत्येक व्यक्ति, जिसके अधिकार, हित या बाध्यता का इस अध्याय के अधीन रखे . सूघना या दस्तावेज गये किसी अभिलेख या रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अपेक्षित हो या उनकी प्रविष्टि कर ली गई हो, ऐसे अगिलेख या रजिस्टर के संकलन या पुनरीक्षण कार्य में लगे हुए किसी राजस्व अधिकारी के अधियाचन पर, उसके निरीक्षण के लिए, सही संकलन या पुनरीक्षण के लिए आवश्यक ऐसी सगरत सूचना या दरतावेज, जो उसकी जानकारी, कब्जे गा शक्ति में हो, ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाय, देने या प्रस्तुत करने के लिए याध्य होगा।

प्रस्तुत करने का

अध्याय-छः ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण

43-(1) जब कभी राज्य सरकार की राय हो कि किसी जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्रं में अगिलेखों का पुनरीक्षण या पुनः सर्वेक्षण या दोनों आवश्यक हैं तो वह इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित करेगी और तद्परांत ऐसा जिला या क्षेत्र, यथारिथति, अगिलेख क्रियाओं या सर्वेक्षण क्रियाओं या दोनों के अधीन समझा जायगा।

अगिलेख और रावेक्षण क्रिया की अधिसूचना

- (2) राज्य सरकार अनुवर्ती सूचना द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना को संशोधित या निरस्त कर सकती है या उस क्रिया को सगाप्त घोषित कर सकती है।
- 44-(1) राज्य सरकार एक अभिलेख अधिकारी नियुक्त। कर सकती है जो अभिलेख क्रियाओं या सर्वेक्षण या दोनों का प्रभारी होगा और उतने सहायक अभिलेख अधिकारी भी नियुक्ति कर सकती है जितनी यह उचित सगझें।

(2) सहायक अभिलेख अधिकारी, जब तक धारा 43, की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना प्रवृत्त रहे, इस संहिता द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो अभिलेख अधिकारी द्वारा सौंपे जायं।

अभिक्षेख अधिकारी और सहायक अभिलेख अधिकारी -

अभिलेख सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख अधिकारी की शक्ति अभिलेख क्रिया के दौरान अभिलेख का प्नरीक्षण

सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण

सीमा विष्ठ के निर्माण के संबंध में अभिलेख अधिकारी की शक्ति

मानचित्र और अभिरोख के पुनरीक्षण की प्रक्रिया 45-जहाँ कोई जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो, वहाँ धारा 23 से 26 द्वारा प्रदत्ता शक्तियों का प्रयोग अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

46—जब कोई जिला या रथानीय क्षेत्र अभिलेख क्रिया के अधीन हो तब अभिलेख अधिकारी उसमें सम्मिलित प्रत्येक ग्राम की क्षेत्र पंजी (खसरा) और अधिकार अभिलेखें (खतौनी) का पुनरीक्षण करायेगा।

47—जब कोई जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो, तब अभिलेख अधिकारी उसमें सम्मिलित प्रत्येक ग्राम का एक मानचित्र तैयार करायेगा और तत्पश्चात् क्षेत्र पंजी (खसरा) अधिकार अभिलेख (खतीनी) के पुनरीक्षण की कार्यवाही करेगा।

48—जब कोई रथानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो तो अभिलेख अधिकारी संभी ग्राम सभा और भूमिधरों को निदेश देते हुए यह उद्घोषणा जारी करेगा कि वे गांवों और क्षेत्री की रक्षा करने के लिए पन्द्रह दिन के भीतर ऐसी सीमा चिन्ह का निर्माण करें जैसा वह आवश्यक समझे और व्यतिक्रम होने पर, यह ऐसे सीमा चिन्ह का निर्माण करवा सकता है और कलेक्टर संबंधित ग्राम सभाओं या भूमिधरों से उनके निर्माण के लागत की वसूली करेगा।

- 49-(1) धारा 46 और 47 के अधीन मानचित्र और अभिलेख का पुनरीक्षण करने के लिए अभिलेख अधिकारी उपधारा (2) से (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विहित प्रक्रिया के अनुसार सर्वेक्षण, मानचित्र में सुधार, खेतवार पड़ताल और चालू अधिकार अभिलेख (खतौनी) का परीक्षण और सत्यापन करायेगा।
- (2) चालू अधिकार अभिलेख का परीक्षण और सत्यापन हो जाने के पश्चात नायब तहसीलदार ऐसे अभिलेख में लेखन संबंधी भूलों और मित्त्यों को, यदि कोई हो, शुद्ध करेगा और संबद्ध खातेदारों और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस जारी करायेगा जिसमें चालू अधिकार अभिलेख और ऐसे अन्य अभिलेख से, जो विहित किया जाय, सुसंगत उद्धरण दिये जायेंगे, जिसमें भूमि के संबंध में उनके अधिकार और दायित्य और उपधारा (1) में उल्लिखत क्रियाओं के दौरान उनमें पायी गयी भूलों और विवाद का उल्लेख किया जायेगा।
- (3) कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी की गयी हो, नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से इक्कीस दिन के भीतर नायब तहसीलदार के समक्ष उसके संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें ऐसे अभिलेख या उद्धरण की प्रविष्टियों की शुद्धता या उसके प्रकार पर विवाद प्रकट किया गया हो।
- (4) भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उपधारा (5) के अनुसार विवाद के तय किये जाने के पूर्व किसी समय नायब तहसीलदार के समक्ष या उपधारा (6) के अनुसार आपितायों का विनिश्चय किये जाने के पूर्व किसी समय सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष आपिता प्रस्तुत कर सकता है।
 - (5) नायब तहसीलदार -
 - (क) जहाँ उपधारा (3) और उपधारा (4) के अनुसार आपित्तियां प्रस्तुत की जार्य वहाँ सम्बद्ध पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात, और
 - (ख) किसी अन्य स्थिति में, ऐसी जाँच करने के पश्चात, जिसे वह आवश्यक समझे, भूल का सुधार करेगा और अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा विवाद का निपटारा करेगा और ऐसे समझौते के आधार पर आदेश देगा।
- (6) ऐसे समरत गामलों का अभिलेख, जिनका निस्तारण, नायब तहसीलदार द्वारा उपधारा (5) की अपेक्षानुसार, समझौता द्वारा नहीं किया जा सकता, राहायक अभिलेख अधिकारी को मेज दिया जायेगा जो उनका निस्तारण धारा 24 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करेगा, और जहाँ विवाद में हक का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो वहाँ वह उसका विनिश्चय सरसरी तीर पर जाँच करने के प्रश्चात करेगा।

- (7) जहाँ उपधारा (6) के अधीन सरसरी तौर पर जाँच करने के पश्चात सहायक अभिलेख अधिकारी का समाधान हो जाये कि विवादग्रस्त भूमि राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की है. वहाँ ऐसी भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन रखने वाले व्यवित को वेदखल करायेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।
- (a) उपधारा (b) या उपधारा (7) के अधीन सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति विहित रीति से अभिलेख अधिकारी को अपील कर सकता है. और अभिलेख अधिकारी का ऐसी अपील पर प्रत्येक आदेश, धारा—210 के उपवन्धों के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।

50— धारा 49 के अनुसार मानचित्र या अभिलेख का पुनरीक्षण करने के परवात् सहायक अभिलेख अधिकारी अपने दिनांक युक्त हस्ताक्षर से अधिकार अभिलेख (खतौनी) की पृष्टि करेगा या उसमें संशोधन करेगा। ' अधिकार अभिलेख को अन्तिम रूप चेना

51-तत्पश्चात् सहायंक अभिलेख अधिकारी अभिलेख या रार्वेक्षण क्रिया के अधीन क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम के लिये धारा-50 में निर्दिष्ट अधिकार अभिलेख (खतौनी) के आधार पर धारा-30 और 31 में विनिर्दिष्ट अभिलेख तैयार करेगा और कलेक्टर द्वारां, पहले से विद्यमान अभिलेख के स्थान पर इस प्रकार तैयार किया गया अभिलेख रखा जायेगा। नया अधिकार अभिलेख तैयार करना

52—इस अध्याय के उपयन्ध प्रत्येक ऐसे ग्राम या उसके भाग के संबंध में, जहाँ धारा 46 या धारा 47 में निर्दिष्ट कोई मानचित्र या अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं है, यथावश्यक परिवर्तन सहित अभिलेख क्रिया या सर्वेक्षण क्रिया पर लागू होगें और इस प्रयोजन के लिये अभिलेख अधिकारी ऐसी प्रक्रिया अपनाएगा जैसी विहित की जाय। ऐसे ग्रामी के लिये प्रक्रिया जहीं कोई अभिलेख संपलका १ हा

53—इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये गये अधिकार अभिलेख (खतौनी) में समस्त प्रविष्टियां सत्य उपधारित की जायेगी, जब तक कि इसके विरूद्ध सावित -न हो जाय।

प्रविद्धितमें के सर्वता में रापधारणा

अध्याय-सात

. भूमि और अन्य सम्पत्तियों का स्वामित्व

54—समस्त सार्वजिनक मार्गों, गिलयों, पथों, सेतुओं, खाइयों, उन पर या उनके बगल में तटबन्धों और भाड़ों, नदीतल, झरनों, नालों, झीलों, तालावों और पोखरों और समस्त नहरों और जल मार्गों और समस्त स्थिर और प्रवाहमान जल और समस्त, भूमि जहाँ कही स्थित हो, जो किसी व्यक्ति के स्थामित्व में न हो, को, और जहाँ तक किन्हीं व्यक्तियों के किन्हीं अधिकारों को उनके अन्तर्गत या उन पर स्थापित किये जाने का संबंध हो, उसके सिवाय और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में यथा शक्य उपबंध किये जाने के सिवाय, एतदृद्वारा उनमें या उन पर या उनसे सम्यन्धित समस्त अधिकारों सहित राज्य सरकार की सायित होपित की जाती है रागरत भूमि आदि में राज्य का हक

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्टं किसी बात से किसी ऐसी सम्पत्ति पर-निर्भर रहने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार इस संहिता के प्रारम्भ होने के विनाक से तत्काल पूर्व प्रभावित नहीं समझे जायेंगे।

55—(1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी किसी खान को संघालित करने था उसमें काम करने था उनमें से किन्हीं खनिज पंदार्थों का उत्खनन करने का अधिकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम,1957 द्वारा शासित होगा। खान और खनिज

(2) किन्हीं खानों या खनिजों की कार्यप्रणाली या उनके उत्खनन, और इस संहिता के प्रारम्म होने के दिनांक से संवालित होने, से सम्वन्धित प्रयोजनों के लिए इस संहिता द्वारा निर्रिशत किये गये किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा पट्टाधृत या पट्टाधृत समझे गये भवन या भूमि के प्रत्येक पट्टेदार के पास कब्जा ऐसे किराये के संवाय पर, जैसा कि ऐसे प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रवृत्त था। निरन्तर बना रहेगा।

वृक्षों पर अधिकार

- 56-(1) किसी जोत या वाग में विद्यमान समस्त वृक्षों को इस संहिता के उपवंधों था तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित समझा जाएगा जो ऐसा जोत या वाग धारण करता हो।
- (2) किन्हीं जोतों की सीमा पर विद्यमान समस्त वृक्षों को ऐसे व्यक्तिया स संयुक्त रूप से संबंधित समझा जायगा जो ऐसी सीमा के प्रत्येक ओर जोतों को धारण करते हों।
- (3) किसी व्यक्ति से सम्बन्धित या उसके द्वारा धारित आयादी में या किसी दखल न की हुई भूगि में स्थित समस्त वृक्ष इस संहिता के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व ऐसे व्यक्ति से निरंतर सम्बन्धित रहेंगे या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और इस संहिता के अधीन बनायी गयी किसी नियमायली के अध्यधीन धृदा रहेंगे।
- (4) धारा 57 के उपवन्धों के अध्यधीन उपधारा (1) से(3) में निर्दिष्ट वृक्षों से भिन्न समस्त वृक्षों झाड़ जंगल, जंगल या अन्य प्राकृतिक उत्पाद, जहां कहीं उमे हों या आरोधित हो, को इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से राज्य सरकार की सम्पत्ति समझा जाएगा।

रपष्टीकरण—इस धारा और धारा 59 के प्रयोजनों के लिए पद 'दखल न की हुई भूगि' का तात्पर्य भू-धारकों द्वारा धारित भूगि से भिन्न ग्राम में रिथल भूमि से है।

भारतचार वृक्ष र

- 57—(1) इस संहिता के प्रारण होने के पूर्व राज्य रास्कार के किसी राजस्व अधिकारी या वन या लोक निर्माण कियाग या सिंवाई विभाग के अधिकारी जो यथारिथित किसी तहरीलदार या किसी सहायक वन संरक्षक या किसी सहायक अभिवंदा की श्रेणी के नीचे का न हो, की लिखित अनुझा से जब कोई फलदार वृक्ष किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक मार्ग या पथ या नहर के प्रत्येक और रोपित किया गया हो, तो ऐसा होते हुए भी ऐसी भूगि राज्य सरकार में निहित होगी और ऐसा व्यक्ति और उसके विधिक प्रतिनिधि किसी प्रमार, जो भी हो, के संदाय के बिगा ऐसे वृक्षों के फलों के हकदार होंगे।
- (2) इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सार्वजिनक मार्ग था पथ था नहर के प्रत्येक और फलदार वृक्ष रोपित करने के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति या कलेक्टर या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से ऐसा कर संकता है और उपधारा(1) के उपबंध इस प्रकार रोपित किये गये वृक्षों के निगित्त लागू होगें।
- (3) इस धारा के अधीन प्रदत्त अधिकार वंशानुगत होंगे किन्तु फलदार वृक्ष रोपित करने वाले व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों के पास ऐसे सगग्र वृक्ष के प्रति या ऐसी भूगि पर जिस पर वह स्थित हो, कोई अधिकार नहीं होगा।

विवाद, जिनका विनिश्चयं कलेक्टर द्वारा किया जाएगा

- 58-(1) जहां धारा 54 या धारा 56 या धारा 57 में निर्दिष्ट किसी राम्पत्ति के सम्बन्ध में या ऐसी सम्पत्ति के किसी अधिकार के सम्बन्ध में कोई विवाद उठता है तो ऐसे विवाद का विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से दो माह के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।

अध्याय-आट

ग्राम समा या अन्य स्थानाय प्रााधकरणों द्वारा भृगि और अन्य सम्पत्तियों का प्रबंधन

ग्राम समाआ आर अन्य स्थानीय प्राधिकरणों की भूमि आदि का साँगा जाना

- 59—(1) राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संहिता के उपवन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रवंधन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए ग्राम सभा या किसी अन्य रथानीय प्राधिकरण को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ऐसी समस्त या कोई चीजें सींप राकती है जो राज्य रारकार में निहित हों।
- (2) निम्नलिखित चीजें उपधारा (1) के अधीन किसी ग्राम सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी जा सकती हैं अर्थात :--
 - (एक) किसी जोत या बाग में तत्समय संगाविष्ट भूगि के सिवाय भूगि, जो खेती योग्य हों या अन्यथा हों

- (दो) ग्राम सभा की भूमि पर लगा बाग, चरागाह, कब्रिस्तान, श्मशान घाट, उर्वरक गर्ते, खलिहान, चकरोड, सम्प्रक मार्ग, सेक्टर भागों, नदी तल भूमि, सड़क, सडक की खन्ती, मलिन जल क्षेत्र;
 - (तीन) वन और गत्स्य क्षेत्र :
- (बार) किसी जोत में या किसी जोत की सीमा पर या किसी वाग या आबादी में रिथत वृक्षों रो मिन वृक्ष या दखल न की हुई भूमि पर रिथत कोई वृक्ष
- ्र (पाय) हाट, बाजार, मेला, तालाय, सरोवर, जल मार्ग, निजी नीघाट, पगडन्डी और आयादी रथल :
- (छः) निरवात निधि अधिनियम, 1878 के उपबन्धों के अध्यधीन धारा 55 में विनिर्धिष्ट और राज्य सरकार से सम्बन्धित कोई सम्पत्ति।
- (3) ऐसी प्रत्येक भूमि या अन्य चीज, जो
- (क) उत्तर प्रदेश जोत चकवन्दी अधिनियम 1953 या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अधीन किसी ग्राम समा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो,
- (ख) इस राहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन किसी ग्राम रागा या किसी अन्य रथानीय प्राधिकरण के प्रभार के अधीन रखी गयी हो,
- (ग) इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चांत किसी ग्राम संगा था अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में अन्यथा, आगी हो :

उसे इस संहिता के उपवंधों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से या उसके इस प्रकार कब्जे में आने के दिनांक रो. यथास्थिति ऐसी ग्राम सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सींपा हुआ समझा जायेगा।

- (4) राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले अनुवर्ती आदेश द्वारा,
- (क) उपधारा(1) के अधीन जारी किये गये किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्द्धन कर सकती है, संशोधन कर सकती हैं, परिवर्तन कर सकती है या उसे निरस्त कर सकती है.
- (ख) अधीक्षण, रांरक्षण, प्रवन्धन और नियंत्रण के लिए उपधारा(1) या उपधारा(3) के अधीन रााँपी गयी या साँपी हुई समझी गयी किसी भूगि या अन्य चीज रथानीय प्राधिकरण को अन्तरित कर सकती है
- (ग) किसी ग्राम् सभा या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी भरी था अन्तरित की गई किसी भूमि था अन्य चीज को ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर जीसी कि विहित्त की जाय वापस ले सकती है,
- (घ) ऐसी शर्ते और निवंधन अधिरोपित कर सकती है, जिनके अध्यधीन इस धारा के अधीन अधीक्षण, संरक्षण, प्रवन्धन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा।
- (5) जहां उपधास (2) में निर्द्रिप्ट कोई चीज किसी ग्राम समा को सौंपी गई हो था सौंपी हुई समझी गई हो और ग्राम या उसका ऐसा कोई भाग जिसमें ऐसी चीजें रिधत हो, ग्राम समा के होत्र के बाहर हो वहां ऐसी ग्राम समा या उसकी भूमि प्रवन्धक समिति इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्यधीन इस संहिता या उत्तार प्रदेश पंचायत. राज अधिनियम, 1947 द्वारा या उसके अधीन ग्राम समा या किसी भूमि प्रवन्धक समिति पर समनुदेशित, अधिरोपित या प्रदत्त कृत्यों, कर्तव्यों और शकितयों का निष्वादन, निर्वहन और प्रयोग करेगी मानो वह ग्राम या उसका भाग भी उसके होत्र में आता हो।
- (6) जहां उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई चीज, ग्राम रामा रो मिन्न किसी त्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई हो या सौंपी हुई समझी गई हो वहां इस अध्याय के उपयंध प्रधावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे स्थानीय प्राधिकरण पर लाग होंगे।

भूमि प्रबन्धक संगिति द्वारा अधीक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण

- 60—(1) इस संहिता के उपबंधों के अधीन प्रत्येक भूमि प्रबन्धक समिति को ग्राम सङ्गा के निमित्त और उसकी ओर से धारा 59 के अधीन उस ग्राम सभा को सौंपी गयी या सौंपी हुई समझी गई समस्त भूमि और अन्य चींजों, जिन पर ऐसी ग्राम सभा को इस संहिता या तत्सङ्गक प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कब्जा करने का हक हो, के अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण का कार्य प्रभारित किया जायेगा।
- (2) पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भूमि प्रबन्धक सिम्नी के कृत्यों और कर्तव्यों में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित होंगे—
 - (क) भूमि का बन्दोबस्त और प्रबंधन
 - (ख) वनों और वृक्षों का संरक्षण, अनुरक्षण और विकास,
 - (ग) आबादी स्थलों और ग्रामीण संचार व्यवस्था का अनुरक्षण और विकास,
 - (घ) हाटों, बाजारों और मेलों का प्रबंधन,
 - (ङ) मत्स्य क्षेत्र और तालाबों का अनुरक्षण और विकास,
 - (च) कुटीर उद्योगों का विकास,
 - (छ) कृषि का विकास और उसमें सुधार,
 - (ज) ग्राम सभा द्वारा या उसके विरूद्ध वादों और कार्यवाहियों का संचालन और अभियोजन, और
 - (झ) ऐसे अन्य मामले जो विहित किये जायं।

ग्राम तालावी का प्रबन्धन

- 61—जहां किसी ग्राम में किसी तालाब को धारा 59 के अधीन किसी ग्राम सभा को सौंपा जाता है या सौंपा गया समझा जाता है वहां किसी संविदा या अनुदान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तिबिष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी ग्राम सभा द्वारा उसके प्रबन्ध का विनियमन निम्नलिखित शर्तों द्वारा किया जायेगा, अर्थात:—
 - (क) जहां तालाब के क्षेत्रफल की माप 0.5 एकड़ या उससे कम हो वहां उसे ग्राम के निवासियों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित रखा जाएगा;
 - (ख) जहां तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से अधिक हो वहां भूगि प्रबन्धक समिति उप जिलाधिकारी कें पूर्व अनुमोदन से इसे विहित रीति से किराये पर देगी ;

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए यद "तालाब" में पानी से आच्छादित तालाब, पोखर, तड़ाग और अन्य भूमि भी है।

यादाँ और विधिक कार्यवाहियों का संचालन

- 62—(1) उपधारा (2) के उपबंधों और ऐसी अन्य शर्तों, जो विहित की जायं के अध्यधीन भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष या उसके ऐसे सदस्य, जिन्हें इस निमित्त ऐसी समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाय, ग्राम सभा के निमित्त और उसकी ओर से वादों और अन्य कार्यवाहियों के समुचित संचालन और अभियोजन के लिए किसी दस्तावेज पर हरताक्षर कर सकते हैं और अन्य समस्त कार्य कर सकते हैं।
- (2) किसी ऐसे वाद या अन्य कार्यवाहियों, जिनके लिए कोई ग्राम सभा एक पक्षकार हो, पर ऐसी ग्राम सभा की ओर से समझौता या प्रत्याहरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे समझौते या प्रत्याहरण का अनुमोदन भूमि प्रबन्धक समिति के किसी संकल्प द्वारा नहीं किया जाता है और उप जिलाधिकारी का पूर्व अनुमोदन नहीं प्राप्त कर लिया जाता है.

ऐसी गूंगि जिसे आबादी स्थलों के लिए आवंटित किया जा सकता है

- 63—(1) उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या भूगि प्रबन्धक समिति के संकल्प के आधार पर धारा 64 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को आवंटन के लिए आबादी स्थलों की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित श्रेणी की भूमि चिन्हित कर सकता है:—
 - (क) धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के अधीन किसी ग्राम सभा को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई समस्त भूमि;
 - (ख) इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन ग्राम राभा के कब्जे में आने वाली समस्त भूमि ;
 - (2) इस संहिता के किसी अन्य उपबंध में या उत्तर प्रदेश पंचायत राज

अधिनियम. 1947 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि प्रवस्थक समिति, उप जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित श्रेणी की भूमि को भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए आवंटित कर सकती है:-

- (क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई भूमि;
- (ख) उतार प्रवेश जोत चकवन्दी अधिनियम, 1953 के अधीन आवादी स्थलों के लिए चिन्हित कोई भूगि :
- (ग) भूगि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) के उपवंधों के अधीन आवादी के लिए अर्जित कोई भूगि।
- 64-(1) धारा 63 में निर्दिष्ट भूमि का आचंदन करने में निम्नलिखित वरीयता क्रम का अनुपालन किया जायेगा :-

आबादी रथली का आबरन

- (क) गाम रागा में रहने वाले और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति या अन्य पिछड़े वर्गों या राज्य सरकार द्वारा यथां अवधारित गरीवी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित कोई कृपि श्रमिक या कोई ग्रामीण कारीगर,
 - (ख) ग्राम रागा में रहने वाला कोई अन्य कृषि श्रमिक या कोई ग्रामीण कारीमर;
- (ग) ग्राम समा में रहने वाले और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति या अन्य मिछडे वर्गों या राज्य रारकार द्वारा यथा निर्धारित गरीवी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति:

परन्तु उसी श्रेणी के अन्तर्गत विधवा और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अधिमान दिया जायेगा।

रपष्टीकरण :- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,-

- (एक) "अन्य पिछड़ा वर्ग" का तारपर्य उत्तर प्रदेश लोक रोवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है।
- (दो) गरीवी रेखा के नीच रहने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति' का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सागय-सगय पर अवधारित किया जाय।
- (2) इस धारा के अधीन आवंटन करने में ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा जिसके पारा उसके परिवार की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए या तो कोई भवन न हो या आवास अपूर्यप्त हो:
- (3) इस धारा के अधीन आवंटित प्रत्येक भूमि को आयंटी द्वारा ऐसी निबन्धन और शर्तों पर धारित किया जाएमा जैसा कि विहित किया जाए।
- 65-(1) जहां घारा 64 के अधीन किसी भवन के निर्माण के लिए घारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूगि का आवंटन किया गया हो और इस संहिता के उपवन्धों के उस्लिधन में किसी आवंटी से भिन्न किसी व्यक्ति के अधियोग में ऐसी भूगि हो वहां उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से आवंटी को ऐसी भूगि का कब्जा दिला सकता है और आवंटी के आवंदन करने पर ऐसी भूगि का कब्जा आवंटी को दिलायेगा और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे वल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जैसा कि वह उचित समझे।
- (2) जहां कोई व्यवित इस घारा के अधीन खाली कराये जाने के पश्चात् भूमि व उसके किसी भाग को किसी विधि पूर्ण प्राधिकार के बिना पुन अधिभोग में लेता है वहां वह ऐसी अवधि के कारावारा से दण्डिन किया जायगा जो दो वर्ष तक हो सकती है किन्तु तीन गंह से कम नहीं होगा और ऐसे जुमनि के साथ भी दण्डित किया जायगा जो तीन हजार रूपये तक हो सकता है:

परन्तु न्यांसालय दण्ड पारित करते समुख दांधी को दांध सिद्धा करते हुए यह निदेश है अकता है कि ऐसे जुनीने जिसे बयूल किया जाय का सम्मूर्ण या ऐसा भाग आवटी को उपयोग और अधियोग के लिए डाति स्वरूप दिया जाए जैसा कि न्यायालय उचित समझै । आवटी को कब्जा प्रदान किया जाम

- (3) जहां उवत उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में मामले का संज्ञान लिए जाने के पश्चात् स्थायालय का किसी भी स्तर पर शपथ-पत्र या अन्यथा द्वारा समाधान कर्विया जाता है कि:—
 - (क) इस संहिता के उपबंधों के उल्लंधन में दोषी व्यक्ति का ऐसी भूमि पर्रे अधिभोग है जिसरो ऐसी कार्यवाही सम्बन्धित हो, और
 - (ख) आवंटी ऐसी भूगि पर कब्जे के लिए हकदार हो, तो न्यायालय रांक्षिपतः गामलें के अन्तिम अवधारण को लिम्बत रखते हुए ऐसी भूगि को दोधी व्यक्ति से खाली करा सकता है और आवंटी को ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है।
- (4) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाधी में किसी दोपी व्यक्ति को दोधी उहराया जाता है वहां उपधारा (2) के अधीन पारित अन्तरिम आदेश की पुष्टि न्यायालय छारा की जाएगी।
- (5) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में दोषी व्यक्ति को दोप मुक्त किया जाता है या मुक्त किया जाता है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि इस प्रकार दोष मुक्त या गुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार है वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के आंवेदन करने पर यह निदेश देगां कि उसे कब्जा प्रदान किया जाय।
- (6) दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी वात के होते हुए भी उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध पर संक्षिप्तः विचारण किया जा सकता है।
- (7) इस धारा के अधीन अपराधों के त्यिरित विवारण के प्रयोजन से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के प्रशाश से अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन कर राकती है, जिसमें प्रत्येक न्यायालय में एक ऐसा अधिकारी होगा जो ऐसे प्रशास गिजरट्रेट की श्रेणी से नीचे का न हो जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपवंधों के अधीन ऐसे अपराध के संबंध में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा।
- (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा।

आबादी स्थलां के अनियमित आवंटन की जाय

- 66—(1) कलंक्टर स्वप्नेरणा रो और धारा 64 के अधीन किसे गये भूमि के किसी आवटन द्वारा धुटा किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आवंटन की विहित रीति से जांच कर सकता हैं और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवंटन अनियमित है तो वह आवंटन को रद्द कर सकता है और उस पर आवंटी, तथा आवंटित भूमि पर उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति का अधिकार, हक और हित समाध्य हो जाएगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा यदि आवेदन आवंदन के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि की रामाप्ति के पश्चात किया जाता है।
 - (3) इस धारों के अधीन किया गया कलेक्टर का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।
- 67- (1) जहां किसी ग्राम समा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को इस संहिता के उपवधां के अधीन सौंपी गयी या सौंपी गयी समझी हुई कोई सम्पतित धंतिएएए हो जाती है या उसका दुरूपयोंग होता है, या जहां कोई ग्राम समा या अन्य प्राधिकरण इस संहिता के उपवधों के अधीन किसी भूमि पर कब्ज़ा प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसी भूमि उक्त उपवधों के सिताय अन्यथा रूप से अधिमोग में हो वहां यधारिथति भूमि प्रवन्धक समिति या अन्य प्राधिकरण या सम्बन्धित लेखवाल विहित सीति से संबंधित उप जिलाधिकारी को सूचित करेगा।
- (2) जहां उपधारा (1) या अन्यथा के अधीन प्राप्त सूचना से उप जिलाधिकारी का समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई सम्पत्ति क्षतिग्रस्त कर दी गरी है या उसका दुरुपयोग किया गया है या किसी व्यक्ति का इस संकित के उपपधों के उल्लंघन में उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी भूमि पर अधिभोग हो वहा वह संबंधित व्यक्ति को कारण बताओं नोटिस जारी करेगा कि व्यास्थिति क्यों न उससे क्षति, दुरुपयाग या गलत अधिभोग के लिए प्रतिकर, जो नोटिस में विनिर्दिध धंनराशि से अधिक है हो, की तस्क्षी की जाय या क्यों न उसे ऐसा भूमि से बेदखल कर दिया जाय।

ग्राम रामा का राम्मदित की क्षति उसका दुश्ययोग और मलत अधिभोग को रोकने की शक्ति

- (3) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसे उपधारा(2) के अधीन नोटिस जारी की गयी हो, नोटिस के विनिर्दिग्ट समय के शीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के शीतर जैसा कि उप जिलाधिकारी इरा निमत्त अनुजा प्रदान करे, कारण बताने में विफल रहता है या दर्शाया गया कारण अपर्यापा पाया जाता है तो उप जिलाधिकारी यह निदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूगि से वेदखल कर दिया जाए और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का उपयोग कर या करता सकता है जैसा कि आवश्यक हो और यह निदेश दे सकता है कि यथारिधित सम्पत्ति की क्षिति या उसके दुरुपयोग के लिए या गलत अधिमोग के लिए प्रतिकर की, धनराशि की वसूली ऐसे व्यक्ति से भू-राजरव के बकाये के रूप में की जा सकती है।
- (4) यदि उप जिलाधिकारी की यह राय हो कि कारण वताने वाला व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन मोटिस में निर्दिष्ट क्षति या दुरुपयोग् या गलत अधिगोग करने का दोषी नहीं है तो वह नोटिरा को खारिज कर देगा।
- (5) उपधारा (3)या उपधारा (4) के अधीन उप जिलाधिकारी के किसी आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस-दिन के भीतर कलंक्टर को अधील करेगा।
- (6) इस संहिता के किसी अन्य उपवंध में अन्तर्विष्ट किसी वात के होते हुए भी और इस धाः के उपवंधी के अध्यधीन उप जिलाधिकारी का इस धारा के अधीन प्रत्येक आदेश उपधारा (5) के अध्यधीन अन्तिम होगा, और
- (7) इस धारा के अधीन की गयी किसी कार्यवाही में अपनाथी जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जैसी विहित्त की जाय।

स्थाप्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द "भूगि" में उस पर स्थित वृक्ष और भवन भी

68- (1) इस संहिता के अधीन किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या किसी भृगि प्रयन्धक समिति द्वारा प्राप्त समस्त धनसारी ग्राम निधि में जमा की ज़ाएगी

ग्राम निधि

परन्तु धारा 67 के अधीन प्राप्त क्षतियों या प्रतिकर की धनराशि को रामेकिल ग्राम निधि में जमा किया जाएगा।

- (2) इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन गठित और ऐसी संहिता के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व बनी रहने वाली ग्राम निधि इस धारा के अधीन गठित की हुई समझी जाएगी।
- (3) ग्राम निधि का संचालन इस रीति से किया जाएगा और ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।
- 69--(1) प्रत्येक जिले के लिए एक समेकित गाम निधि की रथापना की जाएगी जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी, अर्थात:--

समेकित आर. निवि

- (क) धारा 68 की उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिध्ट धनराशि.
- (ख) उपधार। (2) के अधीन कलेक्टर द्वारा प्राप्त समस्त अंशवान,
- (ग) ऐसी अन्य धनराशि जैसी विहित किया जाए।
- (2) किसी जिले में प्रत्येक ग्राम सभा कलेक्टर की वार्षिक रूप में धारा 67 के अधीन ग्राम निधि में जमा की गई कुल धनराशि के ऐसे प्रतिशत में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसृचित किया जाय विहित रूप में भुगतान करेगा जो पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो।
- (3) समेकित ग्रामं निधि का संचालन कलेक्ट्र द्वारा किया जाएगा और उसे निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जा सकता है, अर्थात:--
 - (क) धारां 72 के अधीन नियुक्ति अधिचक्ताओं की फींस और उनके गत्तों, यदि कोई हों, का भुगतान ;
 - (ख) इस संहिता के अधीन ग्राम समा या भूमि प्रवन्धक समिति द्वारा या उसके विरुद्ध वादों के संचालन और अभियोजन आवंदनों या अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में उपमत व्ययों का भूगतान
 - (ग) समान उपयोगिता की भूमि के विकास पर उपगत वाय का भुगतान, और
 - (ध) किसी ऐसी अन्य धनसंशि का भुगतान जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आवेश द्वारा ऐसी निधि पर समुक्ति प्रभार के राग में घोषित करे।

(4) इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन गठित और इसके प्रारम्म होने के तत्काल पूर्व समेकित ग्राम निधियों को इस धारा के अधीन गठित किया गया समझा जायगा।

राज्य सरकार और कलेक्टर के आदेश और निदेश

- 70—(1) राज्य सरकार और उसके नियंत्रण के अध्यधीन कलेक्टर, भूमि प्रवन्धक समिति को ऐसे आदेश या निदेश जारी कर सकता है जो इस संहिता के प्रयोजनों के लिये आवश्यक प्रतीत हों।
- (2) भूमि प्रबन्धक समिति और उसके पदाधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे तत्काल आदेशों को कार्यान्वित करें और उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन करें।

वैकल्पिकं व्यवस्था

- 71- यदि किसी समय कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि:-
- (क) भूगि प्रबन्धक समिति इस संहिता द्वारा या उसके अधीन अपने लिये अधिरोपित या रागनुदेशित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या कृत्यों का निष्पादन करने के लिये युक्त युक्त कारण या क्षगा याचना के बिना विफल हो गयी है, या
- (ख) परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गयी है कि भूमि प्रबन्धक समिति इस संहिता द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित या समनुदेशित कर्तव्यों का निर्वहन करने या कृत्यों का निष्पादन करने के योग्य नहीं हैं या उसे अयोग्य महराया जा सकता है, या
- (ग) यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन या आवश्यक हो तो वह यह निवेश दे सकता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुंगे भी इस संहिता के अधीन ऐसे भूमि प्रबन्धक समिति के कर्तव्यों, शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन, प्रयोग और निष्पादन ऐसे किसी अधिकारी जो नायब तहसीलदार की श्रेणी से नीचे का न हो, हास ऐसी अवधि के लिये और ऐसे निर्वधनों के अध्यधीन किया जायेग जैसा कि विहित किया जाया

रथायी अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता

- 72-(1) राज्य सरकार ऐसी निर्बंधन और शर्ती पर और ऐसी रीति से, जैसी विहित् की जाय, निम्नलिखित की नियुक्ति कर सकती है :-
 - (क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसके लखन्छ खण्डपीठ प्रत्येक में एक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व);
 - (ख) इलाहायाद और लखनऊ प्रत्येक राजस्व परिषद के लिये एक रथायी अधिवक्ता (राजस्व) ;
 - (ग) मण्डलीय मुख्यालय के लिये एक मण्डलीय शाराकीय अधिवक्ता (राजस्व) और ;
 - (घ) जिला गुख्यालय के तिये एक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजरव)।
- (2) कलेक्टर ऐसी निर्वधन और शर्तों पर और ऐसी रीति से जैसा विहित की जाय प्रत्येक तहसील के लिये दो से अनिधक पैनल अधिवक्ताओं (राजस्व) की नियुक्ति कर सकता है।
- (3) धारा 62 की उपधारा (2) के उपवन्तों के अध्यक्षीन उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन नियुक्त विधि व्यवसायी किसी लिखित प्राधिकार के बिना किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति की और से किसी न्यायालय या प्राधिकरण, जिसके लिये वह इस प्रकार नियुक्त किया गया हो, में अभिवनन या कार्यवाही कर सकते हैं।
- (4) कोई ग्राम सभा, पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति इस धारा के अधीन नियुक्त किसी व्यवित से भिन्न किसी विधि व्यवसाथी को कलेक्टर की पूर्व अनुङ्गा के विना नहीं रखेगी।
- (5) न्यायालय फीरा अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या 7 सन् 1870) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी इस धारा के अधीन नियुक्त किसी विधि व्यवसायी द्वारा किसी वकालतनामा या हाजिशी के ज्ञापन पर कोई न्यायालय फीरा संदेश नहीं होगी।
- (6) इस धारा के अधीन नियुक्त विधि व्यवसायी किसी ग्राम संभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रवन्धक समिति के विरूद्ध ऐसे किसी न्यायालय जिसमें वह नियुक्त किया गया हो के समक्ष अभिवचन या कार्यवाही करने के लिये राक्षम नहीं होंगे।

73-(1) इस संहिता के अधीन किसी वाद या अन्य कार्यवाहियों में ग्राम समा का ग्राम समा का पतिनिधित्व निम्नलिखित द्वारा किया जायेगा -

प्रतिगिधित्व

- (क) सिविल न्यायालय में या कलेक्टर के समक्ष कार्यवाहियों में, जिला सरकारी अधिवक्ता (राजस्व) ;
- (ख) आयुक्त के समक्ष कार्यवाहियों में मण्डलीय सरकारी अधिवक्ता (राजस्य) और -
- (ग) राजस्व परिषद या उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में, यथारिथिति, लखनऊ या इलाहाबाद के अलग-अलग स्थायी अधिवक्ता (राजरव)
- (2) इस अध्याय में कोई बात राज्य सरकार या कलेक्टर को ऐसे वाद या कार्यवाही के संचालन के लिये जिसमें ग्राम सभा पक्षकार हो, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जो विहित की जाय, विशेष अधिवक्ता नियुक्त करने से प्रवारित नहीं करेगी।

अध्याय- नौ

खाता

. 74- निम्नलिखित वर्ग के खातेदार होंगे, अर्थात् -

खातेदारी का वर्ग

- (क) संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर ;
- (ख) असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिघर
- (ग) असामी ; और
- (घ) सरकारी पट्टेदार । 🖰

75- ।नेम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधेर कहा जायेगा और उसको वे सब अधिकार होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस संहिता के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किये गये हों या उन पर आरोपित किये गये हों, अर्थात्—

संक्रमणीय अधिकार वाला . भूमिधर

- (क़) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के दिनाक के ठीक पूर्व संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था ;
- (ख) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य रीति से उक्त दिनाक को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर लें ।
- 76--(1) निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जायेगा और उसको वें सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा-जो इस सहिता के द्वारा या अधीन ऐसे भूगिधरों को प्रदत्त किये गये हों या उन पर आरोपित किये गये हों , अर्थात्—

अराक्रमणीय अधिकार वाला भुमिधर

- (क) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के दिनाक के ठीक पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था ;
- (ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसे भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा उक्त दिनाक को या उसके पश्चात इस शंहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी भूमि पर असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में स्वीकार किया गया हो।
- ् (ग) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश में भूदान योजना अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अधीन कोई भूगि आवंटित है या की गयी हो ;
- (घ) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश अधिकतम जीत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबंधों के अधीन कोई भूमि आवंटित हो या की गयी हो
- (ङ) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपवन्धों के अधीन या अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य रीति से उयत दिनाक को या उसके पश्चात ऐसे भूगिधर का अधिकार प्राप्त कर लें ।
- (2) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के ठींक पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिघर हो और दस वर्ष या अधिक अवधि कें लिये ऐसा भूमिघर रहा हो, ऐसे प्रारम्भ पर संक्रेमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायेगा।

- (3) प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारां (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रारम्भ पर असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है. असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होने से दस वर्ष की अविध की समाप्ति पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होने से दस वर्ष की अविध की समाप्ति पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायेगा।
- (4) इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी बात के होते हुए. भी. यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाने के पश्चात् बिक्री द्वारा भूमि का अन्तरण करता है तो वह ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतंग जोत आरोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिगाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिये पात्र नहीं रह जायेगा।

कतिपय भूगि पर भूगिधरी_अधिकार प्राप्त नही होंगे 77— इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति निम्नलिखित भूमि में भूमिधर के अधिकार अर्जित नहीं करेगा :--

(क) खलिहान, खांद के गड़ढ़ों, चरागाह, या सामान्यतः कब्रिस्तान या श्मशान

के लिये प्रयुक्त भूमि ;

(ख) भूमि जिस पर पानी हो और जिसका उपयोग सिंघाड़ा या अन्य उपज उगाने के लिए किया जाता हो :

- (ग) भूमि जो नदी के तल में स्थित हो और जिसका उपयोग आकरिंगक गा यदा-कदा खेती के लिए किया जाता हो :
- (घ) स्थान परिवर्ती या अस्थायी खेती के ऐसे भू-भाग जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;
- (ङ) भूमि जिसे राज्य सरकार ने टौगिया वागान के लिए आशयित घोषित या पृथक रक्षित किया हो और ऐसा अधिसूचित किया हो

् (च) बाग भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम सभा या किसी अन्य

प्राधिकारी को सौंपी गई या सौंपी गयी समझी गई हो

- (छ) सलेज फार्म या मलगत भूमि में सिमलित भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम सभा या किसी अन्य प्राधिकारी को सौंपी गई या सौंपी समझी गई हो
- (ज) भूमि जो सार्वजनिक प्रयोजन या लोकोपयोगी कार्य के लिये अर्जित या धृत हो ;
- ें (झ) भूमिं जिस पर पोखर, तालाब, या झील हो, या जी तटबंध बांध या भीटा का भाग हो,; और
- (ञ) कोई अन्य भाग जिस राज्य सरकार अधिसद्यना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे । स्पष्टीकरण—स्वण्ड (ज) में पद " सार्वजनिक प्रयोजन " में निम्नतिखित सम्मिलित

होंगे :~

(एक) भूमि जो रौन्य शिविर भूमि के लिए पृथग्रक्षित हो :

(दो) भूमि जो रेलवे या नहर की शीमा में सम्मिलित हो ;

(तीन) भूमि जो किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वयं अपने प्रयोजनों के लिए अर्जित और धृत हो;

(चार) भूमि जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 29-म में निर्दिष्ट हो , या

(पांच) भूगि जो किसी ग्राम सभा द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता के प्रयोजनों के लिए आरक्षित हो:

परन्तु तालाब, कब्रिस्तान, श्मशान भूगि, ईदगाह, वनाच्छादित भूगि, धार्मिक स्थलों या होली स्थल को छोडकर सार्वजनिक उपयोग की भृगि के भू—उपयोग में परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा लोकहित में यथा विहित रीति से किया जा सकता है । 78— निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति असामी कहा जायगा, और उसको वें सब अधिकार होंगे और वह उन सब दायित्तों के अधीन होगा जो इस संहितां

के द्वारा या अधीन ऐसे असागी को प्रदत्त या उस पर आरोपित किये गये हों, अर्थात् —

- (क) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के विनाक के ठीक पूर्व असामी था ; (ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसे भूमि प्रयन्धक रामिति द्वारां उक्त दिनाक को या उसके पश्चात इस संहिता के उपवन्धों के अधीन या अनुसार किसी भूमि पर असामी के रूप में कीई भूमि स्वीकार की गयी हो ;
- ् (ग) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपवन्धों के अधीन या अनुशार किसी भूगि के भूमिधर द्वारा उक्त दिनाक को या उसके पश्वात् पट्टेदार के रूप में स्वीकार किया गया हो

असामी

(घ) प्रत्येक व्यक्ति जो इस राहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपवन्धों के अधीन या अनुसार किसी अन्य रीति से असामी का अधिकार प्राप्त कर लें।

79—(1) संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उस समस्त भूमि पर जिसका वह ऐसा भूमिधर है अनन्य कब्जा का और किसी भी प्रयोजन के लिये उसका उपयोग करने का अधिकार होगा।

अनन्य कब्जा के ' लिये भूमिघरों को अधिकार

- (2) असंक्रमणीय अधिकार वाले किसी भूमिधर को इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उस समस्त भूमि पर जिसका वह ऐसा भूमिधर है अनन्य कब्जा का और कृषि से संबंधित किसी प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि का उपयोग करने का अधिकार होगा।
- 80—(1) जहाँ संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिघर किसी जोत या उसके भाग का कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग करता है वहाँ उप जिलाधिकारी स्व प्रेरणा से या ऐसे भूमिघर द्वारा आवेदन किये जाने पर यथ।विहित जाँच करने के पश्चात् उस आशय की घोषणा कर सकता है।

-- अकृष्य प्रयोजन के लियें भूमिघरी भूमि का उपयोग

- (2) उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने के आवेदन में ऐसे विवरण होंगे और उसे ऐसी रीति से दिया जायेगा जैसी विहित की जाय।
- (3) जहाँ उपधारा (1) के अधीन आवेदन-पत्र जोत के किसी भाग के संबंध में दिया जाय, व उप जिलाधिकारी विहित रीति से ऐसे भाग का सीमांकन ऐसी घोषणा के प्रयोजन के लिये कर सकता है।
- (4) इस धारा के अधीन उप जिलाधिकारी द्वारा कोई घोषणा जारी नहीं की जायेगी यदि उसका यह समाधान हो जाय कि भूमि का उपयोग उस प्रयोजन के लिये किया जाना हो जिससे सार्वजिनक उत्पात होने की सम्भावना है या सार्वजिनक व्यवस्था, सार्वजिनक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संगावना है या महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरुद्ध हो ।

81— जहाँ धारा 80 के अधीन घोषणा की जाय वहाँ ऐसे जीत या उससे संबंधित भाग के संबंध में निम्नलिखित परिणाम सुनिश्चित किये जायेंगे।

धोषणा का परिणार

- (क) भूमि के अन्तरण के संबंध में इस अध्याय के द्वारा या अधीन आरोपित सभी नियन्धन संक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर के लिये लागू नहीं रह जायेगें।
- (ख) अध्याय नौ में किसी बात के होते हुये भी उक्त घोषणा के दिनाक के अनुगाभी कृषि वर्ग के प्रारम्भ के दिनाक से ऐशी भूगि भू–राजस्व के भुगतान से भुक्त होगी :
- (ग) भूमिधर, न्यागमन के विषय में उस वैयक्तिक विधि से नियंत्रित होगा जिसके वह अधीन है ।
- 82 (1) जब कभी किसी ऐसी जोत या उसके भाग, जिसके संबंध में धारा 80 के अधीन घोषणा की गयी है, कृषि प्रयोजन से सम्बद्ध किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग किया जाता है तब उप जिलाधिकारी स्व-प्रेरणा से या इस निमित आवेदन दिये जाने पर ऐसी जॉच करने के प्रचात जैसी विहित की जाय, ऐसी घोषणा को रद्द कर सकता है।

घाषणा का रद्द किया जाना

- (2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा रदद की जाय वहाँ जीत या उससे संबंधित भाग के संबंध में निम्नलिखित परिणाम सुनिश्चित किये जायेंगे अर्थात :-
 - (क) जोत या उसका भाग अन्तरण और न्यागगन के विषय में इस अध्याय के द्वारा या अधीन आरोपित सभी निवन्धनों के अधीन हो जायेगा ;
 - (ख) जोत या उसके भाग का उस कृषि वर्ष के जिसमें घोषणा को रदद करने का आदेश दिया जाय, प्रारम्भ के दिनांक से भू-राजस्य का भुगतान किया जायेगा :

परन्तु जब तक इस संहिता के उपवन्धों के अनुसार ऐसी जीत या भाग का कोई भू—राजरव पुनर्निधारित न किया जाय तब तक धारा 80 के अधीन घोषणा किये जाने के पूर्व ऐसी जीत या उसके भाग के संबंध में देय या देय समझे गये भ—राजस्व को ऐसी जीत या भाग के संबंध में देय भू—राजस्व समझा जायेगा :

(ग) जहाँ भूमि किसी संविदा या पट्टा के आधार पर उसके भूमिधर से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे में हो और ऐसी संविदा या पट्टा के निबन्धन इस संविदा के उपबन्धों से असंगत हो, वहाँ ऐसी संविदा या पट्टा ऐसी असंगति की सीमा तक भून्य हो जागेगा और कब्जाधारी व्यक्ति को भूमिधर के वाद पर बेदखल किया जा सकेगा:

गरन्तु घोषणा के रद्द किये जाने के दिनांक को विद्यमान भूमि—यन्धक को ऐसी भूमि पर प्रतिभूति देय धनराशि के लिए दृष्टि बन्धक द्वारा प्रतिस्थापित समझा जायेगा जिसकी व्याज की दर ऐसी होगी जैसी विहित की जाय :* घोषणा या सद्दक्षरण को अभितिखित किया जाना

जाना असामी का अपनी जोत पर अनन्य कब्जा का अधिकार 83-धारा 80 के अधीन प्रत्येक घोषणा को या धारा 82 के अधीन रददकरण हैं अधिकार अभिलेखों में यथाविहित रीति से अभिलिखित किया जायेगा।

84-किसी असामी का इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अपनी जोत म समाविष्ट समस्त भूमि पर अनन्य कब्जा और ऐसी भूमि का उपयोग कृषि से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिए करने का अधिकार होगा:

परन्तु कोई असामी किसी ऐसी भूमि का, जो राज्य सरकार द्वारा आधसूचना हारा टौगिया बागान के लिए आशयित या पृथक रक्षित घोषित है, कृषि उपज की खेती और उत्पादन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने का हकदार नहीं होगा।

इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में भूमि का उपयोग करने के परिणाम

- 85— (1) जहाँ असंक्रमणीय अधिकारों वाला, कोई भूमिधर घारा 79 के उपबन्धों के उल्लंधन में अपनी ज़ोत या उसके भाग का उपयोग करता है, वहाँ वह इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तिर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ग्राम सभा के वाद के आधार पर ऐसी जोत या उसके भाग से बेदखल किये जाने का भागी होगा।
- (2) जहाँ कोई असामी धारा 84 द्वारा अननुजात किसी प्रयाजन के लिए अपनी जोत या उसके भाग का उपभोग करता है वहाँ वह इस संहिता किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि धारक के बाद के आधार पर ऐसी जोत या उसके भाग से बेदखल किये जाने का भागी होगा।
- (3) इस घारा के अधीन बेदखला का लए पारित । डका म एस कार्य के लागत जो भूमि को अपने मूल रूप में बहाल करने के लिये अपेक्षित हो के बराबर क्षतियों के भुगतान का निदेश दिया जा सकता है।

असंक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर का या असामी के हित का समाप्त हो जाना सुधार जिसे न स्ट हटाया जाय 86—जहाँ असंक्रमणीय अधिकारों वाले किसी भूगिधर या किसी असागी को धारा 85 के अनुसार किसी जोत या उसके भाग से बेदखल कर दिया गया हो वहाँ ऐसे भूगिधर या असामी के ऐसी जोत या उसके भाग में समस्त अधिकार और हित उनमें किये गये किन्हीं सुधारों सहित समाप्त हो जायेंगे।

- 87-(1) भूमिघर के लिए उस भूमि पर जिसका वह भूमिधर है ऐसी भूमि पर खेती के लिए या उसका अधिक सुगम उपयोग करने के लिए उस भूमि पर कोई सुधार करना विधिपूर्ण होगा।
- (2) जहाँ किसी खातेदार का किसी जोत या उसके भाग में अधिकार, हक या हित् इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार समाप्त हो जाय, वहाँ वह उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा किये गये किसी सुधार कार्य को हटाने, या प्रयोग में लाने का हकदार न होगा।

अन्तरण

भूमिधरों के हिताँ की संक्रमणीयता

- 88-(1) संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का हित इस संहिता के उपवन्धों के अधीन रहते हथे संक्रमणीय होगा।
- (2) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित दशा के सिवाय किसी जोत में असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर या असागी का हित संक्रमणीय नहीं होगा।

मूमिधर द्वारा अंतरण पुर प्रतिबन्ध

- 89—(1) किसी भूमिघर को, किसी जोत या उसके भाग का ऐसा अंतरण का अधिकार न होगा जहां ऐसा अंतरण उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबन्धों का उल्लंघन हो या उल्लंघन होने की सम्भावना हो।
- (2) उप नियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी व्यक्ति को किसी भूमिधर से संक्रमणीय अधिकार वाले क्य या दान के द्वारा किसी जोत या उसके भाग को अर्जित करने का अधिकार न होगा जहां अर्जन के परिणाम स्वरूप अंतरिती भूमि का हकदार बन जाता है जो कि उसके और उसके परिवार द्वारा धारित, यदि कोई हो, भूमि को मिलाकर उत्तर प्रदेश में 5.04 हेक्टयर से अधिक हो जाती है।

(3) राज्य रास्कार सामान्य या तिशेष जीवेश द्वारा उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक किसी अर्जन को प्राधिकृत कर सकती है, यदि ऐसा अर्जन पूर्त या औद्योगिक प्रयोजनों के लिये हों और किसी पंजीकृत सोसाइटी या किसी कम्पनी या अन्य निगम, शिक्षण संख्या या किसी पूर्त संस्था के पक्ष में हो और यदि उसकी सय हों कि ऐसा अर्जन लोकहित में होगा, और ऐसे किसी मामले में उत्तर प्रवेश अधिकतम जोल सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपवन्त ऐसे अर्जन पर लागू नहीं होंगे।

90-इस संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गयी किसी वात के होते हुये भी भारतीय नागरिक से मिन्न किसी व्यक्ति को विकय या दान द्वारा था किसी अन्य रीति में जिसमें उसके पक्ष में कब्जे का अन्तरण समिमलित है, राज्य सरकार की लिखित मूर्वानुमति के विना किसी भूगि को अजित करने का अधिकार न होगा।

भारतीय आगरिको से भिन्न व्यक्तियो द्वारा भूमि का अर्जन २ किया जाना

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "भारतीय नागरिक" में कोई कंग्पनी या सागा या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हों या नहीं और जो पूर्णतया या मौलिक रूप से भारतीय नागरिकों के स्वामित्वाधीन था नियत्रणाधीन है, सम्भितित होंगी।

91 किसी भूगिघर को किसी जोत या उसके किसी भाग को बंधक रखने का अधिकार न होगा जाहां बंधक सम्पत्ति का कब्जा अग्निम दी गयी या अग्निम दी जाने वाली या उस पर व्याज के लिये बंधक की धनराशि के लिये प्रतिभृति के रूप में बंधक ग्रहीता को अंतरित किया गया हो या अतरित किये जाने हेतु करार किया गया हो। बनक द्वारा असंरण पर प्रतिबन्ध

92-इस संहिता के उपवन्धों क अधीन, किसी जोत या उसके किसी भाग में अराक्रमणीय अधिकारों वाले किसी भूमिधर का हित .

असक्रमणीय अधिकारी वाले भृक्तिर द्वारा भृगि की काक रखना या भृष्टिको दान देवा

- (क) 'राज्य सरकार या किशी वैंक या किशी सहकारी रागिति या' गृ०पी० रटेट एमो इण्डिरिट्रयल कारपोरेशन लिगिटेड, या ऐसी सरकार द्वारा स्वागित्वाधीन एवं नियंत्रित किशी अन्य वित्तीय संस्था से लिये गये या लिये जाने वाले ऋण के लिये प्रतिभृति के रूप में विना कब्जा के वधक द्वारा अंतरित किया जा सकता है;
- (ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट मामले के संबंध में किसी न्यायालय की डिकी के निष्पादन में या अध्याय बारह के अधीन मू—राजरव के संग्रह की कार्यवाही में विकय किया जा सकता।

93ं-यदि कोई भूगिघर श्रहण के रूप में या ऐसे श्रहण पर व्याज के बदलें में अग्निम ली गयी किसी घनसाँच को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये किसी जोत या उसके किसी भाग का कबा। अलिंस करता है तो किसी विधि या संविदा या अन्तरण के अभिलेख में किसी वाल के होते हुये भी यह संव्यवहार, सदैव और इस संहिता के प्रयोजनों के लिये, अंतरिती की विकय माना जायेगा और ऐसे प्रत्येक विकय पर धारा 89 के उपयंघ लागू होंगे।

धनसंभि प्राप्त करने के लिये कहता का अतरण विकय माना जायेगा

94-कोई पृथिधर या असामी अपनी जोत या इसके किसी भाग को पट्टे पर नहीं देगा सिवाय,

पटने पर प्रतिका

- (क) धारा 95 मा धारा 96 में उपवंधित मामलों में या :
- (ख) कृषि में प्रशिक्षण देने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संरथा को।

95 -(1) किसी ग्राम समा से प्राप्त भूमि धारण करने वाला कोई भूमिधर या असामी एक वार में तीन वर्ष की सीमा से असधिक अवधि के लिये अपने पूरे जीत या भाग को पट्टे. पर दे सकता है यदि वह नि:शवत त्यक्ति है अर्थात वह नीचे उल्लिखित वर्गों में से किसी एक बर्ग का है

किसी विज्ञान्त व्यक्ति द्वारा पट्टा करना

- (क) मान्त्रिक रूप से बीमार या मन्दधुदि व्यक्ति ऐसे मामलें में उसके अभिभावक द्वारा या रासके सम्पत्ति के प्रवनाक द्वारा पट्टा किया जाता है,
 - (ख) किसी शारीरिक अध्यक्ताता के कारण खेती करने के लिये असमर्थ कोई व्यक्ति
 - (१) कोई देवला या कोई चक्फ:
 - (ध) कोई विधवा या कोई अविवाहित रत्री;

- ्(ङ) विवाहित महिला परन्तु वह तलाकशुदा हो या उसे पति द्वारा छोड़ दिया गया हो या अपने पति से न्यायिक रूप से पृथक है या अपने पति के सम्बन्धियों की कृतता के कारण पृथक से रह रही हो या उसका पति वर्ग (क). (ख) वर्ग (छ) या वर्ग (ज) का हो
- (च) कोई अवयस्क जिसका पिता या तो मृत है या: वर्ग (क), वर्ग (ख), वर्ग (छ), वर्ग (ज) या वर्ग (ज) या वर्ग (ज) या वर्ग (ज) का हो, ऐसे मागलें में उसकी सम्पत्ति के अभिभावक होत्। पट्टा किया जाता है :
- (छ) पच्चीरा वर्ष की आयु से भीचे का ऐसा व्यक्ति जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संर्था में अध्ययन कर रहा है और जिसका मिता या तो पृत है या वर्ष (क), वर्ग (ख), वर्ग (ज), वर्ग (झ) या वर्ग (ज) का है
- , (ज) भारत सरकार के थल, जल या वायु रोवा में रोवारत कोई व्यक्ति या उसकी पत्नी या उसके साथ रह रही या रह रहा उसकी पत्नी या उसका पति:
- (ज्ञ) कोई अन्य लोक सेवक या उगके साथ रह रही या रह रहा उसकी पत्नी या उसका पति;
 - (স) निरोध के अधीन या कारावास भीग रहा कोई व्यक्ति।
- (2) जहां जुतार प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 के अधीन कार्यवाहियों में कोई वैंक किसी भूमि को अधिग्रहीत करता है, यह एक नार में एक वर्ष से अमिक अधिक के लिए ऐसी सम्पूर्ण भूमि या उसके भाग को पट्टे पर दे सकता है और उक्त अवधि की समादि। इक पश्चात पट्टा धारक का, इस प्रकार गट्टे पर पर दी गयी भूमि में, कोई अधिकार, एक या, हित समाप्त हो जायेगा।

स्पृष्टीकरणः—पद 'मानसिक रूप से बीमार' और 'मन्दयुद्धि' के वही अर्थ होगे जो मानसिक स्वारच्य अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 14 सन् 1987) में उनके लिये दिसे गर्म है।

नि:शक्त सहअश धारको द्वारा गट्टा करना

- ु96—(1) जहाँ कोई जोत एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियाँ द्वारा संयुक्त रूप से घृत की जाती है और उनमें से सभी धारा 95 की उपधारा (1) में उल्लिखिन निःशवताओं के अधीन नहीं हैं तो निःशक्त सहअंशधारक जोत में अपने अंश का अकेले पट्टा कर सकता है।
- ं (2) जहां उपधारां (1) के अनुसरण में किसी सहअशंधारक द्वारा किसी जोत में किसी अंश का पट्टा कर दिया गया है तो ऐसा अशंधारक ऐसे अंश के बंटवारे के लिये बाद कर राकता है।
- (3) उपधारा (2) के अधीन विभाजन के लिये किसी वाद में किसी अन्य अनुतोप को. सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

पट्टा कैसे किया आयेगा। , 97—सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1882) या रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) में किसी वाल के होते हुये भी धारा 95 में निर्दिष्ट एक वर्ष की सीमा से अधिक के लिए कोई पट्टा या के रिजस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या विहित रीति से किया जायेगा।

स्पष्टीकरण:-कोई पद्टा जो इस धारा के उपयन्धों का अनुपालन नहीं करता है इस अध्याय के उपयन्धों के उल्लंधन में इस कारण से किया गया अंतरण नहीं समझा आयेगा।

- 98—(1) इस अध्याय के उपवन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना अनुसूचित जाति के किसी भूमिध्र को उत्तार प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन गठित विकास प्राधिकरणों की सीमाओं के बाहर रिध्रत किसी भूगि को विकास दान , बन्धक या पट्टेदारी के द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न किसी व्यक्ति को सिवाय कलेक्टर के लिखित पूर्वानुमित के, अन्तरण करने का अधिकार न होगा ;
- परन्तु कलेक्टर द्वारा कोई ऐसी अनुमति नहीं दी जायेगी यदि ऐसे अन्तरण के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में 1.265 हैं0 से कम भूमि अन्तरण के अधीन धारित की जा रही हैं।
- (2) इस धारा के अधीन अनुमति प्रदान करने के प्रयोजनार्थ कलेक्टर द्वारा ऐसी जॉच की जा सकती है जैसी कि विहित की जाय।

99-इस अध्याय के उपयन्तों पर प्रतिकृत प्रभाव डालं विना अनुसृचितं जनजाति के किसी भूमित्र को छिए ए यान या पट्टेवारी के द्वारा किसी भूमि को अनुसृचित जनजाति से मिन्न किसी व्यक्ति को अनुस्र्वित जनजाति से

अनुसृतित जाति के भृभिपरी द्वारा अन्तरण पर प्रतिकत्ता

अनुसूर्यित जन-जाति के भूगिधरों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध 100-इस संहिता के किन्ही अन्य उपबन्धों में दी गयी किसी यात के होते हुने भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन—जाति का कोई भूगिधर या कोई असागी राज्य सरकार से या धारा 92 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी संस्था से लिया गया या लिये जाने, वाले किसी ऋण के लिए प्रतिभृति के रूप में विना कच्जे के बन्धक द्वारा किसी जीत या उसके किसी भाग में अपने हित का अन्तरण कर सकता है।

अनुशृचित जातियो और अनुशृचित जन-जातियों के सदस्यों हास : काक रखना

101--(1) उप जिलाधिकारी की लिखित में पूर्वानुमित के बिना कोई भूमिधर अपनी भूमि का विनिमय:- विनिमय

- (क) अन्य भूमिधर द्वारा धारित भूमि सं, या
- (ख) भारा 59 के अधीन किसी ग्राम सभा था रथानीय प्राधिकरण को सीमी गयी था न्यस्त रामझी गयी भूगि से नहीं कर सकता है।
- (2) নদ जिलाधिकारी उपधार। (1) के अधीन निमालिखित भागलों में अनुझा रो इन्कार कर सकता है, अर्थाण् :--
 - ्र (फ) यदि ऐसा विनिगय जोतों की चक्क्यन्दी या कृषि कार्य में सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नहीं है.
 - (ख) यदि विनिमय में दी गयी और प्राप्त भूमि का विहित रीति में अवधारित मृत्यांकमों के मध्य का अनंतर निमात्तर मृत्यांकमा के दस प्रतिशत से अधिक हो जाता है,
 - (4) यदि विनिमय में दी गयी और प्राप्त भूमि के क्षेत्रफलों के मध्य का अन्तर निम्नतर क्षेत्रफल के पच्चीस प्रतिशत से अधिक की जाता है,
 - (घ) उपधारा (1) के खंग्ड (ख) में निर्दिष्ट भूमि के मामले में यदि वह नियोजित उपयोग के लिये आरक्षित है या ऐसी भूमि है जिसमें भूमिघरी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं।
 - (ङ) यदि भूगि एक ही तहसील के एक ही गांव या उससे लंगे हुए गांव में स्थित न हो।
- (3) इस घारा में दी गयी कोई बात किसी व्यवित को किसी जोत मे उसके अविभाजित हित को विनिमय करने हेतु सशक्त करती हुनी नहीं समझी जायेगी सिवाय वहा जहां ऐसा विनिमय दो या अधिक सह हिस्सेंदारों के बीच हो।
- (4) रिजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) में दी मधी कोई बोटा इश धारा के अनुसंस्थ में किसी विनिमय पर लागू नहीं होगी।

102-लहां धारा 101 के अनुसरण में कोई विनिगय किया जाला है-

विनिधस के परिणाय

- (क) तो विनिभय के पक्षकारों को विनिधय में प्राप्त सूमि में वही अधिकार होंगे जैसा कि दी भयी भूमि में जनके पास थे.
- (ख) उप जिलाधिकारी, तदनुसार अधिकारों के अभिलेखों (खतीनी) में संशोधन किये जाने का आदेश देगा, और
- (ग) इस प्रकार विनिगय की गयी भूगि के लिए निर्धारित देव या देव समझी जाने वाली भू–राजस्व की धनराशि एतदृद्वारा प्रभावित नहीं होगी।

103—जहाँ तक घारा 94, घारा 95, घारा 96, या घारा 99 के उल्लंघन में किसी भूमिघर ने अपनी किसी जोत या उसके किसी भाग को पद्टे पर दे दिया हो तो वहाँ किसी विधि या संविदा या पट्टाविलेख में दी गयी किसी वात के होते हुये भी,--

इस सहिता के उहलच्च में पट्टे का प्रभाव

- (क) जहाँ अपने परिवार द्वारा धृत भूगि के साथ पट्टेंदार हारा धृत भूगि जिसमें कि उसको और उसके परिवार के किसी सदस्य को पट्टें पर दी गती भूगि सिगिलिल है, का कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में 504 हेक्टेंबर से अधिक न हो ती नहीं पट्टेंदार उस पर असंक्रमणीय अधिकारों सहित भूगिधर हो जायेगा और समझा जायेगा, और
- (ख) जहाँ कुल क्षेत्रफल, जैसा ऊपर विभिन्न है 5.04 हेक्ट्रेयर से अधिक है वहाँ पद्टे<mark>यार उराका केला हो जाएमा और समझा जाएमा और उस पर धारा 89 के</mark> उपवन्य लागू होंगे।

इंस संहिता के उत्लाधन में अंतरण शुन्य होगा

पाष्टिता के उल्लंघन में भूमिशर द्वारा अंतरण का गरिणाम 164-धारा 163 में यथा उपबंधित के सिवाम किसी भूमिकर या किसी असामी द्वार किसी जीत में किमा गया प्रत्येक अंतरण या उसका भाग शून्य होगा जो इस सीहता है उपवन्तों के उल्लंधन में किया गया है।

- 105—(1) जहाँ बिज्यो भृतिधर द्वारा कियी जोत या उसके भाग में किस का अंतर्यक्ष धारा 104 के अधीन शून्य हो जाय वहाँ ऐसे अन्तरण के दिनाक से निम्नाहाखित परिणामां सूँ यह सुनिश्चित किया जायेगा अर्थात .—
 - (क) ऐसे अंतरण की विषयां वस्तु को सभी भार से मुक्त राज्य सरकार में सिहित समझा जायेगाः
 - (ख) उस जोत या उसके भाग में विद्यमान वृक्ष, परसल, बहुँआ और अन्ध् सुधारों को, सभी भार से मुयत, राज्य रास्कार में विद्वित समझा जायेगा
 - ं (ग) खण्ड (क) और खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट सम्पत्तिया में अवस्क और अंतरिती का हित समाप्त हो जायेगा :
 - (घ) खण्ड (म) कं अधीन अंतरिती के हित के निर्दापन से किसी अर्रामी का उसके अधीन धारण करने वाला हित समाध्य हो जायेगा :
- (2) जहाँ कोई भूमि या अन्य सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन राज्य रारकार में निहित हो गयी है ऐसी भूमि और राम्पत्ति का कब्जा लेला विधि राम्पत होगा और यह किसी ऐसे त्यित को, जिसका उस पर अध्यासन हो, बैदखल होने वाली ऐसी भूमि या सम्पत्ति के कब्जे का निदेश हैं सकता है और इस प्रयोजन के लिए कलेक्टर ऐसे बल का प्रयोग कर एकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो और धारा 59 के उपवन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसी सम्पत्ति पर लागु होंगे।

इस संहिता व : उल्लंधन में असामी हास किये पथे जंबरण का परिणाम 106--जहीं किसी जीत मा प्रसके भाग में किसी असामी द्वारा किया गया हित का कोई अन्तरण धारा 104 के अधीन शृत्य हो जाये वहीं ऐसे असामी को इस सहिता के उपबंधों के अनुसार संथारिष्यति, मांभ सभा या अन्य भूमिधारक के चाद के आधार पर वैदेखल कर दिया जायगा।

भृतिहार या उत्साधी जारा चरीव्या

- 107-(1) उपधारा (१) के उपवन्धों के अधीन रहते हुए सुब्रमणीय अधिकार वाला भृषिधर किसी जोट में अपने हित का इच्छा पत्र द्वारा वसीयत कर सकता है।
- (2) त्यानुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति से संबंधित संक्रमणीय अधिकारों वाले किसी भूमिधर के संबंध में धास 98 और 99 के तपथंब बसीयत किये जाने के निर्मिता उसी प्रकार लागू होंगे वीसा कि व जीधनकाल में अंतरण के लिए लागू होते हैं।
- (3) इस धारः के अधीन प्रत्येक इच्छ्य-पद्म किसी विधि, रुढ़ि या प्रथा में किसी बात के होते हुए भी शिखित रूप में और तो साक्षियों क्षण अनुप्रमाणित भीमा और रिजर्ट्रीकृत किया आयेगा।
- (4) असंक्रमणीय अधिकार वाले किसी भूमिधर या असामी को किसी जात में अपने हित को इंद्रब्र-पत्र हारा क्सीयत करने का अधिकार न होगा।
 - (5) इस धारा के उपवन्धों के अल्लंधन में की गरी कोई वसीयत शूच होगी।
- 108- (1) धारा 107 के उपन्धों के अधीन रहते हुए किसी पुरुष भृमिधर या असामी की भृत्यु हो जाने पर उसके जोत में उसके हित का न्यागमन उपधारा (2) में विनिर्दिग्ट उसके उत्तराधिकारियों को नातेबार होने पर नीचे दिये गये विद्यान्त के अनुसार होगा:-
 - ं (एक) उपधास (2) के किसी एक खण्ड में विनिदिग्ट सत्तराधिकारी एक साथ संभान और। प्राप्त करेंगे,
 - (दो) उपधारा (2) के किसी पूर्ववर्ती खण्ड में विनिर्देष्ट उत्तराधिकारी उत्तरवर्ती छण्डों में विनिर्देष्ट से समस्त उत्तराधिकारी अपवर्जित होंगे, अथीत खण्ड (क) में स्थित उत्तराधिकारी खण्ड (क) में स्थित उत्तराधिकारी खण्ड (क) में स्थित उत्तराधिकारियों से अधिमानता प्रान्त करेंगे और खण्ड (ख) में स्थित उत्तराधिकारियों से उत्तराधिकार में अधिमानता प्रान्त करेंगे, आदि ,
 - ं (तीन) भूमिधर या अरमणी या किसी मृतपूर्व पुरुष वशानुगत उत्तराधिकारी, जी यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, के यदि एक से अधिक विधवार्थ हो तो ऐसी सगरत निधवारों एक साथ समान अंश प्राप्त करेंगी

पुरत्व भृक्तिः, या असामी को जलाराधिकार का सामान्य कम

- (चार) विधवा या विघुर माता या पिता की विधुर माता या किसी गृत्युपूर्व पुरुष वंशानुगत उत्तराधिकारी, जो यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, की विधवां को केवल तभी उत्तराधिकार प्राप्त होगा यदि उसने पुनर्विवाह न किया हो।
- (2) उपधारा (1) के उपबन्ध के अध्यधीन पुरुष भूगिधर या असाभी के निग्नलिखित रिश्तेदार उत्तराधिकारी हैं अर्थात् :—
 - (क) विधवा और पुत्र-पौत्रादिक कम में पुंजातीय वंशज, प्रति शाखा कें अनुसार :

परन्तु किसी पूर्वमृत पुत्र के पुत्र और विधवा, चाहे वे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो को विरासत में वह अंश मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को यदि वह जीवित होता, न्यागत होता।

- (ख) माता और पिता ;
- (ग) अविवाहित पुत्री,
- (घ) विवाहित पुत्री,
- (ङ) भाई और अविवाहित बहिन जो कमशः उसी मृत पिता के पुत्र और पुत्री हों : और पूर्व मृत भाई का पुत्र, जब पूर्व मृत भाई उसी मृत पिता का पुत्र हो;
- (च) पुत्र की पुत्री ;
- (छ) पिता की माता और पिता के पिता
- (ज) पुत्री का पुत्र;
- (झ) विवाहित बहिन ;
- (ञ) सौतेली बहिन, जो उसी मृत पिता की ही पुत्री हो
- (ट) बहिन का पुत्र;
- (ठ) सौतेली बहिन का पुत्र, जहाँ बहिन उसी मृत पिता की ही पुत्री हो
- (ड) भाई के पुत्र का पुत्र ;
- (ढ) माता की माता का पुत्र :
- (ण) पिता के पिता के पुत्र का पुत्र।

109—ज़हाँ इस सहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् कोई स्त्री किसी पुरुष भूमिधर, असामी या किसी जोत में सरकारी पट्टेदार का हित विरासत में प्राप्त करे और ऐसी स्त्री की ऐसे प्रारम्भ होने के पूर्व भृत्यु हो ज़ाय, वह विवाह कर ले या पुर्नविवाह कर ले वहाँ जोत में उसका हित धारा 107 और 112 के उपवंधों के अध्यधीन यथारिथित अन्तिम पुरुष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के निकटतम जीवित वारिस को न्यागत होता ।

स्त्री वारिश के नाते विशंशत में हित प्राप्त करने वाली स्त्री का उत्तराधिकार

स्पन्टीकरणः—इस धारा में पदं "निकटतम जीवित वारिस " का तात्पर्य धारा 108 के अनुसार अभिनिश्चित वारिस से है।

110—जहाँ इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी रत्ना भूगिधर, असामा या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाय, वहाँ किसी जोत था उसके भाग में उसका हित धारा 107 से 109 के उपबंधों के अधीन उहते हुए, नीचे दिये गये उत्तराधिकार कग के अनुसार न्यागत हो जायगा:—

रत्री वारिस से । भिन्न रत्री भू–धारक का उत्तराधिकारी

(क) पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा, प्रति शाखा के अनुसार समान अंशों में:

परन्तु प्रथमतः उसी शाखा का निकटतर दूरतर को अपवर्जित कर देग। परन्तु द्वितीयतः कोई विधवा जिसने विवाह कर लिया हो, उपवर्जित हो जाएगी।

- (ख) पति;
- (ग) अविवाहित पुत्री
- (घ) विवाहित पुत्री ;
- (ङ) पुत्री का पुत्र

- (च) पिता
- (छ) विधवा माताः
- (ज) भाई जो उसी मृत पिता का पुत्र हो और प्रंति शाखा अनुसार गाई का पुत्र:
- (झ) अविवाहित वहिन;
- (ञ) विवाहित बहिन :
- (ट) बहिन का पुत्र :

धार्मिक विन्यासी आदि के प्रति व्यावृत्तियां

111—इस अध्याय में दी गयी किसी वात का अर्थ किसी हिन्दू देवस्थान, भठ, या डिबटर सम्पत्ति या किसी मुस्लिग वक्फ, जिसमें कोई जोत भी शागिल है के प्रथम्भन के न्यागमन पर लागू नहीं सगझा जायेगा और जो ऐसे वैयगितक या अन्य विधियों द्वारा शासित होता रहेगा, जो उस पर लागू होते हों।

उत्तरजीविता द्वारा सह—खातेदारों के हित का संक्रमण

- 112—(1) जहाँ दो या उससे अधिक राह—विधवायें किसी पुरुष खातेदार का हित इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् उत्तराधिकार में प्राप्त करें और उनमें से कोई एक, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् धारा 108 के अनुसार उत्तराधिकार के लिए हकदार कोई वारिस छोड़े विना मर जाय या पुनर्विवाह कर ले. वहाँ ऐसी सह—विधवा का हित उत्तरजीवित। द्वारा उत्तरजीवी विधवा को और जहाँ दो या अधिक ऐसी उत्तरजीवी सह—विधवायें हों, वहाँ उत्तरजीवी सह—विधवायें को समान अंश में, रांकमित हो जायेगा;
- (2) जहाँ कोई भूमि दो या अधिक सह खातेदारों द्वारा धृत हो और इस संहिता के प्रारम्भ के पश्चात्, उनमें से किसी एक की धारा 108 से 110 तक के अधीन उत्तराधिकार के लिए हकदार कोई वारिस छोड़े विना भृत्यु हो जाय, वहाँ ऐसे सह-खातेदार का हित, उत्तरजीवी सह—खातेदारों को समान अंशों में संक्रमित हो जायेगा।

113—इस संहिता या तत्समयं प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी वात के होते हुये भी, भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, से भिन्त कोई व्यक्ति न तो इच्छापत्र द्वारा और न विरासत द्वारा किसी भूगि का अर्जन या उसमें किसी हित का हकदार होगा।

भारतीय नागरिक तथा भारतीय यूल से भिन्म प्यक्ति विराशत प्राप्त नहीं करेंगे

114—इस अध्याय के अधीन किसी जोत में हित का न्यागमन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:—

न्यागमन से सम्बन्धित सामान्य शर्ते

- (क) यदि किसी भूमिधर या असामी की वंशीयत के विना भृत्यु हो जाता है और उसकी मृत्यु के समय कोई बच्चा गर्भ में था जो उसके बाद जीवित पैदा हुआ हो. तो ऐसे बच्चे को उत्तराधिकार का उसी प्रकार अधिकार होगा मानो यह ऐसे भूमिधर या असामी की मृत्यु के पहले पैदा हुआ या हुई हो और ऐसे मामले में उत्तराधिकार ऐसे भूमिधर या असामी की मृत्यु के दिनांक से निहित समझा जायेगा;
- (ख) जहाँ दो व्यवितयों की भृत्यु ऐसी परिस्थिति में हुई हो जिससे यह निश्चित न हो पाय कि उनमें से किस की भृत्यु हुई है और यदि भृत्यु हुई हो तो कौन दूसरे के बाद जीवित बचा है, तब किसी जोत में हित के न्यागमन के प्रयोजन के लिए यह उपधारणा की जाएगी कि, जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाय छोटा बड़े के बाद जीवित बचा है;
- (ग) कोई व्यक्ति जो किसी भूमिघर या असामी की हत्या कर देता है या ऐसी हत्या किये जाने के लिए दुण्लेरित करता है वह किसी जोत में मृतक के हित् की उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाएगा।
- (र्घ) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (ग) के अधीन किसी भृमिधर या असामी के जीत में हित क्रो उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाय, तो ऐसे हित का इस प्रकार न्यायगमन हो जायंगा मानों अयोग्य व्यक्ति की मृत्यु ऐसे भूमिधर या असामी की मृत्यु के पूर्व हुई हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा में पद "हत्या" का तात्पर्य किसी ऐसे अपशध से है जो मारतीय दण्ड संहित। की धारा 302, धारा 303, धारा 304—क, धारा 304—ख, धारा 305 या धारा 306 के अधीन दण्डनीय है ।

115- (1) जहाँ किसी भूमिधर या ग्राम सभा से प्राप्त भूमि को धृत करने वाले किसीं राजगागी सम्पत्ति असामी की ज्ञात उत्तराधिकार के बिना मृत्यु हो जाय वहाँ उप जिलाधिकारी ऐसे भूमिधर या असागी द्वारा धृत भूमि का कब्जा लेगा और उसे विहित रीति से किसी एक समय में एक कृषि वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दे सकता है।

- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक पट्टे के निबन्धन ओर शर्ते ऐसी होंगी जैसी विहित की जाय।
- (3) यदि भूमि पर उपं जिलाधिकारी द्वारा कब्जा लेने के तीन वर्ष के भीतर कोई दावेदार भूमि को उसे वापस दिलाने के लिए आवेदन करे, तो उप जिलाधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, ऐसे दावे की रवीकार या अरवीकार कर सकता है।
- (4) उपधारा (3) के अधीन अपना दावा अरवीकृत होने के आदेश से क्षुटा कोई व्यक्ति उसे ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक के एक वर्ष के भीतर, अपने अधिकार की घोषणा के लिए धारा 144 के अधीन वाद प्रस्तुत कर राकता है।
- (5) उप जिलाधिकारी उपधारा (1) और (2) के अनुसार भूमि को पट्टे पर तब तक देता रहेगा जब तक कि उपधारा (4) में निर्दिष्ट वाद का अन्तिम रुप से विनिश्चय न हो
- (6) यदि उप जिलाधिकारी द्वारा भूमि का कब्जा लेने के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर कोई दावेदार उपस्थित न हो, या यदि ऐसे दावेदार का जिसका दावा उपधारा (3) के अधीन अस्वीकार कर दिया गया हो, उपधारा (4) के अनुसार वाद प्रस्तृत न करे या यदि ऐसा वाद प्रस्तुत करे और वह अन्तिम रूप से खारिज हो तो निम्नलिखित दिनांक से धारा 59 के अधीन किसी ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण में ऐसी भूमि निहित ह्यी समझी जायेगी, अर्थात:–
 - (क) उपधारा (3) में निर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि के समापन के दिनांक से जहाँ कोई दावेदार उपस्थित न हो याः
 - (ख) उपधारा (4) में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के समापन के दिनांक से जहाँ कोई दावेदार घोषणा का वाद दाखिल नहीं करता है, या
 - (ग) ऐसे अन्तिम निस्तारण के दिनांक से जहाँ उपधारा (4) के अधीन दावेदार द्वारा दाखिल किया गया वाद अन्ततः खारिज कर दिया गया है।
 - (7) जहाँ कोई दावेदार, उपधारा (3) के अधीन किसी दावे में या उपधारा (4) के अधीन किसी वाद में सफल होता है, वहाँ वह तत्समय प्रदत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसी भूमि पर अध्यासन और उसके संबंध में देय भू-राजस्व की समस्त बकाया उसके प्रबन्ध का व्यय काटने के पश्चात पट्टेदार से वसूल किये गये लगान पाने का हकदार होगा।

विभाजन

116-(1) भूमिधर ऐसी जोत के जिसका वह सह-अंशधारी है, विभाजन का वाद प्रस्तुत कर सकता है।

जोत के विभाजन के लिए वाद

- (2) ऐसे प्रत्येक वाद में न्यायालय ऐसी जोत के विधमान वृक्षों, कुँओं और अन्य स्धार का विभाजन कर सकता है।
- (3) जहाँ ग्राम सभा से भिन्न वाद के सभी पक्षकार प्रत्येक जोत में संयुक्त रूप से हित रखते हों, वहाँ एक से अधिक जोतों के विभाजन के लिए एक ही वाद संस्थित किया जा सकता है।
- (4) इस धारा के अधीन प्रत्यंक वाद के लिए संबंधित ग्राम सभा को पक्षकार बनाया जायेगा ।
- 117- (1) धारा 116 के अधीन जोत के विभाजन के प्रत्येक वाद में सहायक कलेक्टर न्यायालय-
 - ् (क) ऐसी प्रकिया का अनुश्रवण करेगा जो विहित की जाय;
 - (ख) प्रत्येक ऐसे विभाजन के संबंध में द्रेय भू—राजरव को प्रभाजित करेगा।
- (2) धारा 116 में निर्दिष्ट जोत के विभाजन से, अन्तिम डिकी के दिनांक के पूर्व देय भू-राजस्य के संबंध में उसके खातेदारों के संयुक्त दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जोस के विगाजन के लिए न्यायालय का कर्तव्य

समर्पण और परित्याग

भूमिधर द्वार। संमर्पण

- 118—(1) भूमिधर किसी जोत या उसके किसी भाग में अपने हित का समर्पण तहसीलदार को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देते हुए लिखित आवेदन देकर और उस पर अपना कब्जा छोड़कर कर सकता है, चाहें ऐसी जोत पट्टे पर दी गई हो या नह
- (2) जहाँ किसी जोत का केवल हिरसा(अंश) समर्पित किया गया हो वहाँ तहसीलदार ऐसे भूमिधर द्वारा देय भू—राजस्व को प्रभाजित करेगा ।

असामी द्वारा समर्पण

119— असामी किसी जोत में (किन्तु उसके किसी अंश मात्र में नहीं) अपने हितं क समर्पण भूमिधारक को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देते हुए लिखित नोटिस देक और उस पर अपना कब्जा छोड़कर कर सकता है।

समर्पण का प्रभाव

- 120—(1) किसी भूमिधर या असामी के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने अपने द्वारा धृत भूमि का समर्पण उस दिनांक से कर दिया है जब धारा 118 या धारा 119 के अनुसार ऐसी भूमि का कब्जा छोड़ दिया गया हो।
 - (2) जहाँ कोई भूमि-
 - (क) किसी असामी द्वार। समर्पित कर दी जाय, वहाँ ऐसी भूमि में उसका अधिकार, हक या हित ऐसे समर्पण दिनांक से समाप्त समझा जायेगा,
 - (ख) किसी भूमिधर द्वारा समर्पित कर दी जाय, वहां ऐसी जोत में या उसके भाग में ऐसे भूमिधर का और उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति का अधिकार, हक और हित उक्त दिनांक से संगाप्त समझा जायगा।

समर्पण की रिधति में लगान या राजस्य का दायित्व 121—धारा 118 से 120 के उपबन्धों के होते हुए भी, भूमिधर या असामी समर्पण के दिनांक के अनुगामी कृषि वर्ष के संबंध में जोत का, यथारिथति, भू—राजस्व या लगान का देनदार बना रहेगा, जब तक कि समर्पण का गोटिस अप्रैल के प्रथम दिनांक के पूर्व न दे दिया गया हो।

भूमिधर द्वारा परित्याग

- 122—(1) यदि कोई भूमिधर लगातार तीन कृषि वर्ष की अवधि तक भू—राजस्य का भुगतान न करें और इसका कृषि के लिए प्रयोग न करें और वह उस ग्राम की छोड़ दें जिसमें वह साधारणतः निवास करता है और जिसका पता न हो तो कलेक्टर ऐसी जॉच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, ऐसे भूमिधर द्वारा धृत भूमि का कब्जा ले सकता है।
- (2) जहाँ कलेक्टर ने उप धारा (1) के अधीन किसी भूमि का कब्जा ले लिया हो वहाँ वह उसे भूमिधर की ओर से एक बार में एक कृषि वर्ष की अवधि के लिए विहित रीति से, पट्टे पर दे सकता है।
- (3) यदि भूमिधर या कोई अन्य व्यक्ति जो विधि पूर्वक भूमि का हकदार हो, उस दिनांक को जब कलेक्टर ने उसका कब्जा लिया हो. अनुगामी कृषि वर्ष के प्रारम्भ होने से 3 वर्ष की अविध के भीतर उसका दावा करें तो वह उसे देशों का, यदि कोई हो, भुगतान करने पर और ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें कलेक्टर उचित समझे, वापस कर दी जायेगी।
- (4) ज्या उपधारा (3) के अधीन कोई दावा न किया जाय या यदि कोई दावा किया जाय किन्तु अस्वीकृत कर दिया जाय वहां कलेक्टर जोत को परित्यक्त घोषित करते हुए आदेश देगा।
- (5) उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर का प्रत्येक आदेश विहित रीति से प्रकाशित किया जायेगा, और धारा 144 के अधीन किसी वाद के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।
- (6) इस धारा की कोई बात ऐसे भूमिधर, द्वारा धृत किसी जोत पर लागू नहीं होगी जिसके पक्ष में धारा 80 के अधीन घोषणा की गई हो, जहाँ ऐसी घोषणा निरन्तर प्रवृत्त रही हों।

परित्याग का वरिणाम 123—जहाँ धारा 122 के अधीन कोई जोत परित्यवत हों, वहाँ निम्नलिखित परिणाम होगें, अर्थात :-

- (क) जोत सगरत भारों से मुक्त राज्य सरकार में पूर्णता निहित हो जायगी ;
- (ख) राग्वद्व भूमिधर का ऐसी जोत में कोई अंधिकार, हक या हित नहीं रह जायगाः;
- (ग) सम्बद्ध भूगिधर ऐसे कृषि वर्ष के लिए जिसके दौरान उवल धारा की उप धारा (4) में निर्दिष्ट आदेश दिया गया हों, ऐसी जोत के सम्बद्द, में देय भू-राजस्व का देनदार बना रहेगा
- 124 (1) जब इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपवन्धों कें अधीन किसी भूमि में भूगिधर का हित संगाप्त हो जाय तब उन जिलाधिकारी संग्वद्व ग्राम--रागा क्रे आवेदन देने पर ऐसी भूभि का अधाधिकृत अध्यासन रखने वाले किसी व्यक्ति को बेदखल कर सकता है और उराका कब्जा ग्राम-सभा को ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, वे सकता है।

गाम रामा को कब्जा देश

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे असामी को जिसके पास किसी ग्राम समा से. या धारा-95 की उपधारा-(2) किसी वैंक से प्राप्त भूमि हो. वेदखल करने पर लागू होगें।

125-गृमि प्रथन्धक समिति, ग्राम-सभा द्वारा भूमि का पट्टा उप जिलाधिकारी के पूर्व अनुगोदन से किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के रूप में स्वीकार कर सकती है:-

ग्राम-सभा को सीधी गई भूमि मे भूगि प्रयन्धक सनिति दास प्रयेश

- ं (क) धारां–59 के अधीन ग्राम-समा को सींपी गई या सीपी हुई समझी गई, धारा-77 में विभिद्धिंध्ट भूमि से भिन्न किसी भूमि के निमित्त असंक्रमणीय अधिकारों गाला गुगिधर ।
- (ख) खण्ड (क) या खण्ड (ज) या (झ) में स्थित भूमि को छोड़कर धारा-77 में विनिर्दिष्ट किसी भूमि का असागी, जहाँ ऐसी भूगि धारा-61 के खंण्ड (क) विनिर्दिष्ट किसी तालाब से भिन्न धारा--59 के अधीन ग्राग--रामा को ऐसी भूमि सौंपी जाय या सौंपी हुई समझी जाय।
- 126--(1) किसी व्यक्तिं को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिघर के रूप में या ् भूभि प्रवस धारा—125 के अधीन असामी के रूप में भूमि जठात समय, जिसे आगे इस अध्याय में भूमि का सामान द्वारा मूम आवंटन कहा गया है, भूमि प्रयन्धक समिति, निग्नलिखित वरीयता क्य का पालन करेगी:--

- (क) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसकी संघ के सशस्त्र बल में सिक्य रोवा में रहते हुए शत्रु की कार्यवाही से मृत्यु हुई हो, विधवा, पुत्र अविवहित पुत्रिया या भाता-पिता, जो ग्राभ-सभा में निवास करते हों और भूगिहीन हो;
- ं (ख) ग्राम-सभा में निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिहीन जो संघ के सशस्त्र यल में सिक्किय सेवा में रहते हुए शत्रु की कार्यवाही से पूर्णतथा विकलांग हो गया हो;
- -(ग) ग्राम-सभा में निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिहीन कृषि श्रमिक जी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति या अन्य पिछडा वर्ग या राज्य सरकार द्वारा थथा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी का
 - ं (घ) ग्राम-सभा में निवास करने वाला कोई अन्य भूमिहीन कृषि अभिक,
- (ङ) ग्राम सभा में निवास करने वाला किसी अधिकारी से मिन्न कोई ऐसा भृभिद्दीन व्यवित जो संघ के सशस्त्र बत्न से रोवानिवृत्त हो गया हो या सेवा से निर्मुक्त कर दिया गया हो या रोवा से उन्मोचित कर दिया गया हो;
- (घ) गाम राभा में निवास करने वाला कोई भूगिहीन स्वतंत्रता सेनानी जिसे राजनीतिक पेंशन स्वीकृत न की गयी हो;
- (छ) कोई भूमिधर या आसामी जो प्राम सभा के सकिल में निवास करता हो. और जिसके पास 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि हो;

(ज) अनुसूचित जाित या अनुसूचित जन-जाित या अन्य गिछड़। तर्ग या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी का कोई अन्य भूमिहीन कृषि श्रमिक जो ग्राम-सभा में निवास न करता हो, किन्तु संयुक्त प्रांत पंचायत राज्य अधिनियम, 1947 की धारा-42 में निर्दिष्ट न्याय पंचायत सर्किल में निवास करता हो।

स्पष्टीकरण:- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए:-

- (एक) "आवटन" में इस संहिता द्वारा किसी निरसित अधिनियमन के तत्त्रथानी उपबन्धों के अधीन किया गया कोई आवटन, सम्मिलित है।
- (दो) ''ग्राम-सभा'' का तत्पर्य ऐसे ग्राम-सभाओं से है जो संयुक्त प्रांत पंचायत राज्य अधिनियम, 1947 के अधीन परिभाषित हो।
- (तीन) किसी व्यक्ति को "भूगिहीन" समझा जायेगा, यदि उसके या उसक पात या उसकी पत्नी या उसके अवयस्क बच्चों, और जहाँ आवंटिती स्वयं अवयस्क हो, वहाँ उसके माता-पिता के पास आवंटन के दिनांक की या उक्त दिनांक को ठीक पूर्ववर्ती दों वर्ष की अवधि में कोई भूमि न रही हो ।
- (चार) पद "स्वतन्त्रता सेनानी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है- जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 में यथा परिभाषित हो ।
- (पांच) अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित: जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनयम, 1994 की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से हैं।
- (छः) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित व्यक्तियों से हैं।
- (2) उपधारा—(1) के अधीन जितनी भूगि का आवंटन किया जाय, वह ऐसी भूग को मिला कर, जो आवंटन के ठीक पूर्व भूमिधर या असागी के रूप में उसके द्वारा धृत हो, क्षेत्रफल में 1.26 हेक्टेयर से कम हो ।

आवंटनः का परिणाम

- 127—(1) जहाँ कोई भूमि किसी व्यक्ति को धारा 125 और 126 के अनुसार आवंदित की जाय, और ऐसी भूमि पर कोई वृक्ष या सुधार विद्यमान हो, वहाँ, जब तक कि प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, ऐसे वृक्ष या सुधार की भूगि सिहत सम्बद्ध व्यक्ति को आवंदित किया गया समझा जायगा।
- (2) आवंटी ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी विहित की जाय, इस प्रकार से आवंटित भूमि को धारण करेगा।

आंवंटन और पट्टा रदद किया जाना

- 128—(1) कलेक्टर, किसी आवंटन के सम्बन्ध में, विहित रीति से, स्वतः जॉच कर सकता है और किसी व्यथित व्यथित के आवंदन पर जॉच करेगा, और यदि उसका समाधान है जाय कि आवंटन इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों या इस संहिता द्वारा निरसित अधिनियमितियों में से किसी एक के उल्लंधन में है तो वह, आवंटन और पट्टा को, यदि कोई हो :—
 - (क) इस सिहता के प्रारम्भ के पूर्व किये गये आवंटन की स्थिति में , ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर
 - (ख) ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् किये गये आवंटन की स्थिति में, ऐसे आवंटन या पट्टा के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर, निरसित कर सकता है।
- (2) जहाँ किसी भूमि को आवंटन या पट्टा उपधारा (1) के अधीन निरसित किया जाय, वहाँ निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात:--
 - (क) ऐसी भूमि में और उसके विद्यमान प्रत्येक वृक्ष या अन्य सुधार में आवंदिते या पट्टेदार या उसके मध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति का अधिकार, हवं और हित समाप्त हो जायगा, और वे भाग सभा को प्रतिवर्तित हो जायेगे।

- (ख) कलेक्टर ऐसी भूगि, वृक्ष या सुधार को धृत करने या उस पर कब्जा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वेदखल करने के पश्चात् ग्राग सभा को तुरन्त उन पर कब्जा देने का निदेश कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।
- (3) जहाँ उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट आवंटन या पट्टा को निरस्त करने की कार्यवाही में, कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि धारा 77 में निर्दिष्ट कोई भूमि उसके खण्ड (क) या खण्ड (ज) या (झ) के सिवाय किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में आवंटित की गयी है, वहाँ वह आवंटन या पट्टा निरस्त करने के बजाए, यह निदेश दे सकता है कि आवंटिती या पट्टेदार को धारा 125 के खण्ड (ख) के अधीन असामी माना जायगा।
- (4) इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, धारा 210 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।
- (5) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 5 और 49 के उपबन्ध इस धारा के अधीन कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगें।

129—(1) जहाँ धारा 125 के अनुसरण में कोई भूमि किसी व्यक्ति को स्वीकृत की जाती है या जहाँ राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को कोई भूमि उठाई जाती है और आवंटिती या पट्टेदार से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति इस सहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में ऐसी भूमि पर काबिज हो तो सहायक कलेक्टर, यथा स्थिति, स्वप्रेरणा से और आवंटिती था पट्टेदार के आवंदन पर उसे ऐसी भूमि पर काबिज करेगा और इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग, जैसा वह आवश्यक समझे, कर सकता है या करा सकता है।

आयंटिती था सरकारी पट्टेदार को कन्जा देने की यहाली।

- (2) उपधारा (1) के अधीन कब्जा दे दिये जाने के पश्चात् किसी भूमि या उसके भाग के पुनः अधिभोग के सम्बन्ध में धारा 65 की उपधारा (2) से (8) के उपबन्ध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
- 130-इस संहिता के द्वारा या अधीन यथा उपवंधित के सिवाय कोई भूमिधर उसके द्वारा धारित भूमि से वेदखल नहीं किया जाएगा।
- 131—(1) कोई असाभी उसके द्वारा धारित भूमि से ग्राम सभा या भूमिधारक के वाद के सिवाय, जैसी भी स्थिति हो, जो कि निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर दाखिल किया जा सकता है, बेदखल नहीं किया जाएगा, अर्थात :—
 - (क) यह कि इस संहिता के उपबन्धों के अधीन असामी का हित उसके द्वारा धारित भूमि में समाप्त हो गया है:
 - (ख) यह कि असामी वर्षानुवर्ष या किसी एक अवधि के लिये भूमि धारण कर रहा था जो कि पहले ही रामाप्त हो चुकी है या चालू कृषि वर्ष की रामाप्ति के पूर्व रामाप्त हो जायगी;
 - (ग) यह कि असामी किसी ऐसे प्रयोजन हेतु भूमि का प्रयोग कर रहा है जो धारा 84 के द्वारा अनुज्ञेय नहीं है:
 - (घ) यह कि भूमि धारक धारा 95 की उपधारा (1) में निर्देश्ट किसी नि:शक्तता से प्रस्त था और या तो उसकी नि:शक्तता समाप्त हो गई है या वह भूमि को अपने निजी कृषि उपयोग में लाना चाहता है;
 - (ङ) यह कि असामी तीन माह से अधिक की अवधि के लिये लगान का बकायेदार था और वह मांग की सूचना की तामील के बावजूद तीरा दिनों की अवधि के भीतर भृगिधारक को उसका भुगतान करने में विफल रहा हो;
 - (च) यह कि असामी ने उसके द्वारा धारित सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग को इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में अंतरित कर दिया है;
- (2) इस धारा के अधीन वाद दाखिल करने के पूर्व असामी को निकल जाने की कोई राूचना देना आवश्यक न होगी।

भूग्वियों को बेदखल न किया जाना। असागी के विरूद्ध बेदखली आदि के लिए बाद

- (3) भूमिधारक, वेदखली के किसी बाद में लगान के बकाये का भी दावा कर सकता
- (4) भूमिधारक, असामी को वेदखली के लिये वाद दाखिल किथे विना भी लगान के वकाये का वाद दाखिल कर सकता है।

फसलॉ और पेडों · पर अधिकार। है।

- 132— (1) जहाँ धारा 131 के अधीन किसी वाद में पारित डिकी के निष्पादन में कोई असामी वेदखल किया जाता है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि न्यायनिर्णात ऋणी की असंग्रहीत कोई फराल या पेड़ भूमि पर विद्यमान है. तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में दी गई किसी बात के होते हुए भी न्यायालय निभ्नालिखित रीति में कार्ययाही करेगा:—
 - (क) यदि न्यायनिर्णीत ऋणी पर देय धनराशि ऐसी फसलों या पेड़ों के मूल्य के बराबर या अधिक है तो न्यायालयं ऐसी फसलों और पेड़ों के साथ भूगि का कब्जा डिकी धारक को परिदत्त करेगा और ऐसी फसलों और पेड़ों में न्यायनिर्णीत ऋणी के सभी अधिकार डिकी धारक को चले जाएंगे;
 - (ख) यदि न्यायनिर्णीतं ऋणी पर देय धनराशि ऐसी फसलों और पेड़ों के मूल्य से कम है और-
 - (एक) डिकी धारक एरा। धनशाश ओर भूल्य के योच के अन्तर का भुगतान न्यायनिर्णीत ऋणी को कर देता है तो न्यायालय भूगि का कब्जा डिकी धारक को सौंप देगा और ऐसी फसलों या पेड़ों में या पर न्यायनिर्णीत ऋणी के सभी अधिकार डिकी धारक को चले जाएगें;
 - (वो) डिकी धारक ऐसे अन्तर का भुगतान नहीं करता है तो न्यायनिणीत ऋणी को भूमि के उपयोग और अध्यासन हेतु न्यायालय द्वारा यथा नियत प्रतिपूर्ति का-भुगतान करने पर ऐसी फरालों, पेड़ों या ऐसे पेड़ों के फलों को देखभाल करने, एकत्रित करने या हटाने का अधिकार होगा जब तक कि ऐसी फसल या पेड़ यथारिशति, एकत्रित या हटाये या मृत या काटे नहीं जाते।
- (2) डिकी निष्पादनकर्ता न्यायालय, किसी पक्षकार के आवेदन पर फसलों या पेड़ों के मूल्य का और उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन न्यायनिर्णीत ऋणी द्वारा देय प्रतिपूर्ति का अवधारण कर सकता है।

ध्यादेश, क्षतिपूर्ति आदि यो लिये वाद।

- 133-ग्राम-सभा या भूभिघारक, धारा 131 के अधीन किसी असामी की बेदखली हेतु वाद चलाने के बदले में उप जिलाधिकारी के न्यायालय में निम्नलिखित के लिये वाद दाखिल कर सकता है:--
 - (क) भूमि के किसी अप्राधिकृत उपयोग या उसे किसी रूप में बेकार करने या नुकसान पहुंचाने से उसको रोकने के लिए व्यादेश
 - (ख) ऐसे उपयोग में लाने या वेकार करने गा नुकसान पहुँचाने के लिए क्षतिपूर्ति हेतु ; या
 - (ग) भूगि को वेकार करने या हुए नुकशान की मरम्मत हेतु।

विना हक के भृगि के अध्यासी ध्यवितयों भी बेदखली

- 134—(1) जहाँ कोई व्यक्ति, तत्रामय प्रवृत्ति विधि के उपवर्षों की अनुरूपता से अन्यथा या ऐसे भूमिधर या असामी की सहमति के बिना किसी भूमिधर या असामी के जोत (धृत) के अंशभूत किसी भूमि का कब्जा लेता है या रखता है तो ऐसा व्यक्ति संबंधित भूमिधर या असामी के वाद पर वेदखली या दायी होगा और विहित दरों पर नुकसानी का भुगतान करने का भी दायी होगा।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भूमि से राम्यन्धित प्रत्येक वाद हेतु राज्य सरकार और ग्राम समा को आवश्यक पक्षकार के रूप में अभियोजित किया जायेगा।

धारा 134 के आधीन याद दारिबल करने में विफलता के परिणाम 135—यदि किसी भूभिघर या असामी द्वारा धारा—134 की उपघारा (1) के अधीन यथास्थिति किसी भूमि से वेदखली का वाद नहीं संस्थित किया जाता है या ऐसे किसी वाद में प्राप्त डिक्री का निष्पादन, ऐसे वाद के संस्थित किये जाने या ऐसी डिक्री के निष्पादनार्थ

उपबन्धित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसी अवधि की समाप्ति के दिनांक से निम्नलिखित परिणाम प्रभावी होंगे: अर्थात :--

- (क) जहाँ भूमि संक्रमणीय अधिकारों वाले किसी भूमिधर की जांत का हिस्सा हो, तो वहाँ कब्जेदार व्यक्ति असंक्रमणीय अधिकारों के साथ भूमिधर हो जाएगा और उसके लिये पूर्व प्रचलित दरों की दोगुनी से भू-राजस्व अदा करने का दायी होगा:
- (ख) जहाँ भूमि असंक्रमणीय अधिकारों वाले किसी भूगिधर की जीत का हिस्सा हो तो वहाँ कब्जा करने या रखने वाला व्यक्ति असंक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर हो जायगा और उसके लिए पूर्व प्रचलित दरों की दोगुनी दर से भू-राजस्व अदा करने का दायी होगा:
- 136— (1) उप जिला अधिकारी स्व-प्रेरणा पर या ग्राम सभा या अन्य स्थानीय ग्राम सभा की प्राधिकरण के आवेदन पर उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी भूमि का कवा। लेने या रखने वाले व्यक्ति को बेदखल कर सकता है यदि ऐसा कब्जा इस संहिता के उपवंधों के उल्लंघन में हो या ऐसी ग्राम सभा या रथानीय प्राधिकरण की राहमति के विना हो और विहित दरों पर नुकसान का भुगतान करने का दायी होगा।

ंभूमि से अतिचारी

- (2) उपधारा (1) के उपबंध भूमि की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होंगे, अर्थात— .
- (फ) इस संहिता या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपवंधों के अधीन किसी ग्राम सभा या रथानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या न्यस्त समझी गई कोई भूमि ,
- (ख) कोई भूमिं जिस पर ग्राम राभा या रथानीय प्राधिकरण इस संहिता के उपवंधों के अधीन कब्जा लेने का हकदार हो ;
- (ग) कोई भूमि जो ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण की हो या के रवामित्व में हो या द्वारा धारित की गयी हो।
- (घ) असामी घारा 77 के खंड (घ) या (ङ) में विनिर्दिध्ट भूमिधारण कर रहा था और ऐसी भूगि में फरालों की पैदावार असंगव हो गयी है :
- (ङ) असाभी को धारा 125 के खंड (ख) के अधीन भूमि दी गयी थी और ग्राम सभा उसे लोक प्रयोजन के तिये उपयोग करना चाहती है।
- (3) इस धारा के अधीन कोई व्यक्ति किसी भूमि से तब तक वेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे कारण बताने का पर्याप्त अवसर न दिया गया हो।
- (4) इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को वेदखल करते समय, उप जिला अधिकारी यथा आवश्यक वल का प्रयोग कर सकता है या करवा सकता है।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द "गुमि " में ऐसी भूगि पर विद्यागन पड और सुधार भी है।

137-(1) तत्समय प्रवृत किसी विधि के उपयंधों के अनुसार से मिन्न विस्ती भूमि से. यलव बेवलली के वेदखल कियां गया या वेदखली की प्रत्याशा के भय से या कव्या लेने से निवारित किया गया कोई असामी इस प्रकार निकालने वाले, निकालने का प्रयास करने वाले या कब्ज से बाहर रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध -

- (एक) भूमिं के कब्जे के लिए 🚁
- (दो) गलत रूप से बेदखली हेत् क्षतिपूर्ति के लिये ; वाद दायर कर सकता है।
- (2) जब किसी गुलत विस्थापन के लिये न कि कच्छोदारी के लिये शतिपूर्वि हेतु कोई िकी पारित की जाती है तो प्रदान की गुड़े क्षतिपूर्ति उस सम्पूर्ण अवधि के लिए होगी जिसके यौरान असांभी कच्छा रखने के लिए हकदार था।

लगान

138--ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी विहित की जाय, विज्ञी भूगि अवानी जन्म देख के अध्यारान हेत् अनुभति पाने पर कोई असामी ऐसे लगान के भूगतान का दायी होगा जैसा कि यक्षारिक्षति, उसके भूमिधारक या ग्राम रामा और उसके वीच अनुवंधित निधा एया हो।

लगान निर्धारण के लिए वाद

- 139—(1) जहां कोई व्यक्ति लगान पर सहमत हुए बिना किसी भूमि पर असामी के रूप में कब्जेदार हो, तो असामी या उसका भूमिधारक किराये के निर्धारण हेतु तहसीलदार के आवेदन कर सकता है।
- (2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, तहसीलदार यथाविहित् रीति में जांच करायेगा और इस संहिता के अधीन बनाई गई नियमावली के अनुसार लगान नियंत करेगा।
- (3) उपधारा (2) में नियत किया गया लगान किसी असामी द्वारा इस रूप में भूमि वे अध्यासन के दिनांक से संदेय हो जाएगा।
- (4) उपधारा (2) के अधीन तहसीलदार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उप जिल अधिकारी को अपील दायर कर सकता है, और इस संहिता के अन्य उपबंधों में दी गई किसी बात के होते हुए भी उप जिला अधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

बकाया हेतु दावा की डिकी देने वाले न्यायालय द्वारा आपदा के लिये प्रदूट 140—(1) जहाँ लगान की बकाया की वसूली के लिये वाद की सुनवाई करने वाले न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि उस अवधि में जिसके लिये बकाया का वावा किया गया है, जोत का क्षेत्र जलप्लावन या अन्य प्रकार से सारवान रूप से घट गया था या उसकी उपज सूखा, ओला, बालू जमा हो जाने या अन्य विपत्ति के कारण सारवान रूप से कम हो गयी थी, वहाँ वह लगान में ऐसी घट दे सकता है जैसी उसे न्याय संगत प्रतीत हो ;

परन्तु ऐसी किसी छूट से यह नहीं समझा जायेगा कि जिस अवधि के लिये वह दी गयी है उसके अतिरिक्त किसी और अवधि के लिये भी असामी द्वारा देय लगान में कोई परिवर्तन हो गया है।

(2) जहाँ न्यायालय उपधारा (1) के अधीन छूट दे, वहाँ राज्य सरकार या उसकें द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई प्राधिकारी ऐसे सिद्धांतों के अनुसार जो विहित किये जाय. भू-राजस्व में पारिणामिक छूट का आदेश देगा।

लगान की गणना

- 141—(1) जहाँ किसी जोत के संबंध में नकद से भिन्न रूप में लगान देय हो तो सहायक कलेक्टर स्वप्रेरणा से या ग्राम सभा या ऐसे व्यक्ति, जिसके द्वारा या जिसको लगान देय हो के आवेदन पर विहित रीति से लगान की गणना कर सकता है।
- (2) उपधारा (1) के अधीन संगणित किराया, संगणना के आदेश के दिनाक के पश्चातवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन से देय होगा जब तक कि आदेश में कोई अन्य दिनाक की व्यवस्था न हो।

ग्राम समा आदि के असामी से बकाया लगान की वसूली

142—ग्राम सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त भूमि को धारण करने वाल असामी से बकाया लगान चाहे वह इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् देय हो। भू—राजस्व की बकाया की तरह वसूल किया जा सकेगा।

बकाया लगान को बट्टे खाते डालने की शक्ति 143 इस संहिता के उपबन्धों के अधीन ग्राम सभा या किसी स्थानीय प्राधिकारी को सोंपी गई या सौंपी समझी गई किसी भूमि या अन्य सम्पत्ति के संबंध में लगान का सम्पूर्ण बकाया या उसके किसी भाग को ऐसी परिस्थितियों में, जैसी विहित की जाय, यथास्थिति भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा अवसूलनीय मानकर बट्टे खाते में डाला जा सकता है

परन्तु ऐसा संकल्प तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि उप जिलाधिकारी उसकी पृष्टि न कर दें।

खातेदार द्वारा घोषणात्मक दृष्ट

- 144—(1) कोई व्यक्ति, जो कि किसी जोत या उसके भाग का, चाहे अनन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ रायुक्त रूप से भूमिधर या असाभी होने का दावा करे, ऐसी जोत या उसके भाग में अपने अधिकार की धोषणा के लिये दाद ला सकता है।
 - (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक वाद में, जो---
 - (क) किसी भूमिधर द्वारा या उसकी ओर से संस्थित किया गया हो, राज्य और ग्राम राभा आवश्यक पक्षकार होंगे :
 - (ख) किसी असागी द्वारा या उसकी ओर से संस्थित किया गया है। भूमिधारक आवश्यक पक्षकार होंगे ।

145— विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी ग्राम सभा किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो ऐसी भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिये किसी भूमि में किसी अधिकार के हक का दावा करता है, वाद संस्थित कर सकती है और न्यायालय अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा कर सकता है और ग्राम सभा ऐसे वाद में किसी अन्य राहत के लिये नहीं कहेगी।

ग्राम सभा दारा घोषणात्भक वाद

146- यदि धारा 144 या 145 के अधीन किसी वाद के दौरान शपथ-पत्र या व्यादेश का उपबंध अन्यथा यह सिद्ध हो जाता है :-

- (क) कि विवादित भूमि पर कोई सम्पत्ति, पेड़ या खड़ी फसल को वाद के किसी पक्षकार द्वारा बेकार करने, क्षति पहुँचाने या अन्यथा संकामित किये जाने का
- (ख) कि बाद का कोई बंधकार न्याय के उददेश्य को समाप्त करने के उद्देश्य से उक्त सम्पत्ति, पेड या फसल को हटाने बैच देने की धमकी देता है या इरादा रखता है-

तो न्यायालय अस्थायी आदेश दे सकता है और जहाँ आवश्यक हो, रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है।

147- प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पासं राज्य सरकार से प्राप्त पट्टे पर कोई भूमि हो, चाहे. ऐसा पट्टा इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात दिया गया हो, ऐसी भूमि के संबंध में सरकारी पट्टेदार कहा जायेगा।

सरकारी प्रद्देदार की परिभाषा

148- इस संहिता में किसी बात के होते हुये भी, प्रत्येक सरकारी पट्टेंदार को पटटे सरकारी पट्टेदार के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार ऐसी भूति धारण करने का हक होगा।

का भूषि धारण. करने का हका सरकारी पटटेदार की बेदबाली

149- किसी सरकारी पट्टेदार को उसके द्वारा धृत भूगि से निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधार पर बेदंखल किया जा सकता है, अर्थात् :--

- ं (क) वह लगान, या पट्टे के अवीन देय किसी अन्य धनराशि, का उस दिनाक से जब वह देय हुआ हो, छः मास के नीतर भुगतान करने में विफल रहा है ;
- (ख) उसने ऐसी भूमि का उपयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिये वह दी गयी थी, भिन्न प्रयोजन के लिये किया है ;
- (ग) उसके पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी है या पट्टा निरस्त कर दिया गया है ;
 - ्र (घ) उसने पट्टे के किसी निबन्धन या शर्त का उल्लंधन किया है ।

150- उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1972 के उपबन्ध किसी सरकारी पट्टेदार की बेदखली पर यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम के अधीन अप्राधिकृत अध्यासियों पर लागू होते है, और उप जिला अधिकारी को उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विहित प्राधिकारी समझा जायेगा !.

अधिनियमं संख्या . 22. 1972 के उपबन्ध लागू होंगे

151-(1) यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पट्टेदार को पट्टे पर उठाई गयी किसी भूमि पर, पट्टे के निबन्धन और शर्तों से भिन्न प्रकार से और ऐसे पट्टेंदार की सहमति के विना कब्जा कर लेला है या उसे बनाये संखता है तो ऐसा व्यक्ति सम्बद्ध सरकारी पटटेदार के वाद पर बेदखल किया जा सकेगा और विहित दरों पर क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा।

सरकारी पटटेदार हारा धृत भूगि पर अतिचार

- (2) उपधारा (1) के अधीन संस्थित किसी वाद में राज्य सरकार को पक्षकार बनाया जायेगा किन्तु ग्राम सभा पक्षकार नहीं होंगी।
- (3) यदि किसी सरकारी पट्टेदार द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट बेदखली के लिये वाद का संस्थापन या किसी ऐसे वाद में प्राप्त बेदखली की डिकी का निष्पादन, उसके लिये उपयन्धित परिसीमा काल के भीतर न किया जाय तो ऐसी अवधि की समाप्ति से उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्-
 - (क) सरकारी पट्टेदार को पट्टे पर उठाई गयी भूमि पर कब्जा करने या कब्जा बनाये रखने वाले व्यक्ति को धारा 150 के अनुसार बेदखल किया जा सकेगा ;
 - (ख) ऐसी भूमि पर सरकारी पट्टेदार का अधिकार, हक और हित समाप्त हो जायेगा और उसके प्रट्टे की अवधि समाप्त समझी जायेगी ।

मू-राजस्य के देयों की तरह

152— किसी सरकारी पट्टेदार द्वारा देय लगान या किसी अन्य धनराशि की वकाया भकायां की वसूली को भू-राजस्व की बकायां की तरह वसूल किया जा सकता है।

अध्याय-ग्यारह भू-राजस्व का निर्घारण

भूमिधर धृत भूमि . पर भू-राजस्व के गुगतान का दायित्व

153-(1) किसी भूमिधर द्वारा धृत समस्त भूमि का, चाहे यह कहीं पर रिधत हो और उसका उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिये किया जा रहा हो। भू-राजस्व निर्धारित किया जायेगा (ऐसे प्राधिकरण द्वारा और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाय) और उसका भुगतान राज्य सरकार को किया जायेगा:

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भूमि को ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर जिन्हें वह उचित समझें, ऐसे दायित्व से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है।

- . (2) भूमि का भू-राजस्व, इस बात के होते हुये भी कि उसे उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन छूट दी गयी है, निर्धारित किया जा सकता है।
- (3) किसी भूमि पर अध्यासन की दीर्घकालीनता से वह भूमि भू-राजस्व कें, भुगतान के दायित्व से निर्मुक्त न होगी।
- (4) उपधारा (1) . (2) और (3) में किसी बात के होते हुये भी, निम्नलिखित भूगि को भू-राजस्व के भुगतान से छूट रहेगी, अर्थात्-
 - (क) सुधार से भिन्न भवन द्वारा कब्जे की भूमि
 - . (ख) कब्रिस्तान और श्मशान ।

भूमिधरों द्वारा देय भू-राजस्य

- 154-(1) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के दिनाक के पूर्व से भूमिधर के रुप में कोई भूमि धारण कर रहा हो, राज्य सरकार को भ-ूराजस्व की वही धनराशि का भूगतान करेगा और करता रहेगा जो वह इस संहिता के प्रवर्तन में आने के वर्ष के पूर्ववर्ती क्षि वर्ष में ऐसी भूमि के लिये करने का दायी था।
- (2) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रारंभ के पश्चात किसी भूमि में भूमिधरी अधिकार धारण करता है, इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को भू-राजस्य की वही धनराशि का भुगतान करेगा जो ऐसे अधिग्रहण के दिनांक के ठीक पूर्व ऐसी भूमि के लिये देय थी ।
- (3) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी भूमि में भूगिधरी अधिकार धारण करता है जिसके संबंध में ऐसे अधिग्रहण के ठीक पूर्व कोई भू-राजस्य देय नहीं था, उप जिलाधिकारी द्वारा ऐसे सिद्धांतों के अनुसरण में, जैसी विहित की, जाय, अवधारित भू–राजस्व का भुगतान करने का दायी होगा।

भू–राजरव में परिवर्तन

155- इस अध्याय में किसी बात के होते हुये भी. भूमिधर द्वारा देय भू-राजस्व में उसकी जोत के क्षेत्रफल में या उसमें समाविष्ट भूमि की उत्पादकता में गहीं किया या अन्य प्राकृतिक कारण से वृद्धि या कभी हो जाने के आधार पर विहित रीति से परिवर्तन किया जा सकता है।

कतिपय नागनी में भू—राजस्य की पृद्धः

156- इस राहिता में किसी उपवंध के होते हुए भी, किसी परिवार के प्रत्येक सदस्य को जिसके सदस्यों द्वारा भूगिधर के रूप में धृत भूमि का कुल क्षेत्रफल 1.26 हेक्टेअर (3.125 एकड) से अधिक न हो, राज्य सरकार को भू-राजस्व का भुगतान करने से छूट दी जायंगी।

कृषि विपत्ति होने पर गू–शजरव में माफी या रधगन

- 157-(1) इस संहिता में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार, कृषि सम्बन्ही विपत्ति आने पर, जिससे किसी ग्राम यां ग्राम के भाग की फसलों पर प्रभाव पड़े ऐसी विपत्ति से प्रभावित किसी जोत के सम्पूर्ण भू-राजस्व या उसके किसी भाग को किसी भी अवधि के लिये गांफ कर सकती है या उसे स्थमित कर सकती है।
- (2) इसी प्रकार, राज्य संरकार, किसी गाम या जसके भाग में जहां ऐसी विपत्ति आयी हो, असामी द्वारा ग्राम सभा को देश लगान माम कर सकती है या उसे स्थमित कर सकती है।

158— जब कभी भू-राजस्व में घारा 155 के अधीन वृद्धि या कमी की जाय या घारा 157 के अधीन माफी दी जाय या उसे स्थिगित किया जाय, तब राज्य सरकार ग्राम सभा के असीमी से मिन्न असामी द्वारा देय सम्पूर्ण लगान या उसके किसी भाग में वृद्धि या कमी कर संकती है।

कतिपय दशाओं में लगान में परिवर्तन करने की राज्य सरकार की शवित

159-जहां किसी लगान का भुगतान घारा 157 के अधीन स्थगित कर दिया गया हो.

लगान स्थगित करने के परिणाम

- (क) उस अवधि को जिसमें ऐसा स्थमन लागू रहे, लगान की वसूली के लिये किसी बाद के लिये अनुज्ञात परिसीमा-काल की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जायगा:
- (ख) ऐसे स्थगन की अवधि में उसकी वसूली के लिये कोई वाद नहीं लाया जा सकेगा न कोई आवेदन दिया जा सकेगा।
- 160- (1) कलेक्टर भू-राजस्व के भुगतान से मुक्त समस्त भूमि के भामले की प्रति वर्ष जांच करेगा।

राजस्य मुक्त भूगि की वार्षिक जांच

(2) यदि मुक्ति किसी शत पर दी गयी हो और उसे भग किया गया हो तो वह मामले की रिपोर्ट परिषद को आदेशार्थ करेगा और उस पर परिषद का आदेश अन्तिम होगा।

161—जहां किसी भू-राजस्व के कारण देय धनराशि या उसकी किसी किस्त में रुपये का अंश शामिल हो तो उसे निकटतम रुपये तक पूर्णीकृत कर दिया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ यदि धनराशि में रुपये का ऐसा हिस्सा पचास पैसा या अधिक हो तो उसे बढ़ाकर पूरा एक रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा हिस्सा पचास पैसे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जाएगा।

भू-राजस्य का धनराशि का पूर्णीकृत किया जाना

162— इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

आदेशों का अंतिय होना

अध्याय-बारह

मू-राजस्य का संग्रह

163—(1) किसी जोत का निर्धारित भू-राजस्व ऐसी जोत पर और उस पर स्थित वृक्षों या भवनों था उसके लगान, लाभ था उपज पर भी, प्रथम प्रभार होगा।

भू-राजस्य प्रधम प्रभार होगा

- (2) भू-राजस्य के बकाये की तरह वसूली की जाने योग्य किसा अन्य धनराश क सम्बन्ध में राज्य सरकार के दावे को किसी भूगि पर उसको धारण करने वाले के विरुद्ध सगरत अप्रतिभृत दावों पर वरीयता दी जायगी।
- 164— किसी जोत के सगस्त सहभूभिधर उस पर तत्समय निर्धारित भू-राजरव के भुगतान के लिये राज्य सरकार के प्रति संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे और ऐसे भूभिधरों के हित के चाहे न्यागमन द्वारा गा अन्य प्रकार से, उत्तराधिकारी समस्त व्यक्ति, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में देय भू-राजस्त के समस्त बकायों के लिए उत्तरदायी होंगे।

165-किसी कृषि वर्ष के लिये उद्ग्रहणीय भू-राजस्व उस वर्ष के प्रथम दिनांक को देय हो जायगा और उसका ऐसे समय पर ऐसी किस्तों में, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से, जैसा विहित किया जाय, भुगतान किया जायेगा।

166— राज्य सरकार भू-राजस्व के संग्रह के लिये ऐसा प्रबन्ध कर सकती है और

167— कोई भू-राजस्व जो देय हो और जिसका भुगतान धारा 165 में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व न किया गया हो, उसी दिनांक से वकाया हो जाता है और उसके भुगतान के लिये उत्तरदायी व्यक्ति बकायेदार हो जायेंगे।

168— इस अध्याय के प्रयोजन के लिये, तहसीलदार द्वारा प्रमाणित लेखा विवरण, भूराजस्व के बकाया होने, उसकी धनराशि और ऐसे व्यक्ति का जो वाकीदार हो, निश्नायक होगा। गृगिधर संयुक्त रूप से अलगे-अलग उत्सरदागी होगे

भू-राजरच का देर होना और भुगतान किया जाना

गू-राजस्य के संग्रह के लिये प्रबन्ध बकायादार

प्रभाषित संख्य बक्तमा का साक्ष्म क्षेमा माग पन -

169-जैरो ही गू-राज़रव की बकाया देय हो जाय, वैरो ही तहसीलदार व्यक्तिकर्गी हैं विरुद्ध मांग-पत्र जारी कर सकता है जिसमें उसरो ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जायमा, उपस्थित होने यो धनराशि का गुगतान करने की अवेक्षा की जायमी।

बकाये की वसूली हेतु प्रक्रिया

- 170--(1) भू-राजस्व की बकाया निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रक्रिया से वसूत्र की जा सकती है अर्थात ;
 - (क) व्यतिक्रमी की गिरमतारी या निरुद्ध करके ;
 - (ख) उराकी जंगम रांपत्ति जिसमें कृषि उपज भी शामिल है. कुर्की और विक्रय करने ;
 - (म) व्यतिक्रमी के किसी वैंक खाते, या लाकर की मुकी करके
 - (घ) ऐसी भूगि जिसके संबंध में बकाया देश हो, कुकी करके ;
 - (ङ) ऐसी गृमि को जिसके संबंध में बकाया देश हो, पट्टे पर देकर या बिक्री करके
 - (च्र) व्यतिक्रमी की किसी अन्य स्थावर संपत्ति की थुकी करके सा विक्री करके :
- (छ) ध्यतिक्रमी किसी स्थावर ये। जंगम संपत्ति का रिसीवर नियुवित करक । र स्पष्टीकरण- शंकाओं के निराकरण के लिये एतदृद्वारा यह घोषणा की जाती है कि एतद्पूर्व उल्लिखित दो या अधिक आदेशिका साध-साथ या एक के याद एक प्रयुवित और प्रवर्तित किए जा सकते हैं।
- (2) भू-राजरव के बकाय के रूप में वसूली योग्य कोई घनराशि किन्तु जो किसी विशिष्ट भूमि के संबंध में देय न हो; इस धारा के अधीन व्यतिक्रमी की किसी स्थावर सम्पत्ति जिसमें उसकी कोई जोत्त भी शामिल है जिसका वह भूमिघर या असामी है, के अदिशिका द्वारा वसूल किया जा सकता है।

गिरपतारी और निशेतः

- 171--(1) कोई भी व्यक्ति जिसने भू-राजरव की वकाम का भुगतान करने में व्यतिक्रम किया जो गिरफ्तार किया जा राकता है और उसे तहसील की हवालात में और यदि तहसील में कोई हवालात न हो तो ऐसे अन्य स्थान पर जिसे विहित किया जाये एक वार में पढ़ह दिन से अनिधिक अविधि तक अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है जब तक कि वकाया का उससे-पहले ही भुगतान न कर दिया जाय:
- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुमें भी, भू-राजस्य के वकाये के लिये किसी व्यक्ति को गिरपतार या निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा, जहां और जब तक के लिये कि ऐसां व्यक्ति :
 - (क) रत्री या अव्यरक हो, या 65 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक हो या धारा 95-7 (1)(क) में यथा निर्दिष्ट कोई ध्यवित हो
 - (ख) रांध के राशस्त्र यल का हो .
 - (म) रिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 133, 135 या 135-क के अधीन छूट प्राप्त हो ।
- (3) इस घारा के अधीन कोई व्यक्ति अगिरक्षा के विरूद्ध नहीं किया जायेगा जब तर्क कि गिरपतारी वारन्ट जारी कर्ता अधिकारी को यह विश्वारा करने का कारण न हो कि यहाँ। की गूर्ण या सारभूत अंश के भूगतान को ऐसे निरूद्ध किया जाना बाद्य नहीं करेगा।
- (4) गिरपतारी वारंट जारी करने माला अधिकारी ऐसे वारंट का समपहरण केंग् सकता है (वापस ले सकता है) यदि व्यक्तिक्रमी व्यक्ति सम्पूर्ण बकाये या उसके सारमूत अंश का भुगतान कर देता है या भुगतान करने का वचन देता है और उसके लिये पर्याप्त प्रतिभूषि प्रस्तुत करता है।

जगम सम्मक्ति की कुर्की और बिक्री

- 172-(1) उप जिलाधिकारी व्यतिक्रमी की जंगम सम्पत्ति की जिसमें कृषि उपज भी सम्मिलित है, कुर्की और बिक्री कर सकता है।
- (2) िम्बिलिखित सम्पत्ति सम्पति (1) के अधीन कुकी और उपधास (5) के अधीन विक्री से पुक्त होती --
 - (क) व्यक्तिमंत्री उराको पत्नी और उराक वच्चों के आवश्यक परिधान रहाई के वर्तन, पलंग, और विश्तार और ऐसे व्यक्तिगत आभूषण जिनका धार्मिक प्रशा के अनुसार किशी महिला द्वारा त्याग नहीं किया जा संवता

- (ख) ग्रामीण शिल्पी के औजार और यदि बकायेदार कृषक हो, तो उसके खेती के उपकरण (यांत्रिक शक्ति द्वारा वालित उपकरण को छोड़कर) और ऐसे पशु और बीज, जो कुर्की अधिकारी की राय में उसी रूप में उसके जीविकोपार्जन कर सकने के लिये आवश्यक हों :
- (ग) धार्मिक विन्यास के उपयोग के लिये अनन्य रूप से अलग रखी गयी वस्तुएं ;

स्पष्टीकरण-1- इस सपधारा के प्रयोजनार्थ, पद "कृषक" का तात्पर्य ऐसे उस व्यक्ति से है जो स्वंग भूमि पर खेती करता है और जो अपनी जीविका के लिये मुख्यातयां कृषि भूमि रो होने वाली आय पर निर्भर रहता है।

स्पष्टीकरण -2- स्पष्टीकरण - 1 के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति के संबंध में यह संगड़ा। जायगा कि वह रवंथ भूगि पर खेती करता है यदि वह ---

- (क) स्वंध अपने अम से 🔧
- (ख) अपने कुंदुम्ब के किसी सदस्य के श्रम से, या
- (ग) नकद या वस्तुरूप में या दोनों प्रकार से देय मजदूरी पर सेवकों या श्रमिकों द्वारा,

भूगि पर खेती करता है।

(3) जहां कोई जंगम सम्पति। वारतिक अभिग्रहण द्वारा कुर्क की जाय और बाकीदार कुर्क अधिकारी को ऐसी प्रतिभृति दे जिससे उसका समाधान हो जाय, वहां इस प्रकार कुर्क की गयी सम्पत्ति बाकीदार की अभिरक्षा में छोड़ दी, जायेगी। यदि कुर्की के सभय याकीदार उपलब्ध न हो या यदि वह उपलब्ध हो किन्तु कुर्क अधिकारी की ऐसी प्रतिमृति देने में विफल हो जिसरो उसका समाधान हो जाय तो कुर्क की गयी सम्पत्ति किसी ऐसे उत्तारदायी व्यक्ति की अभिरक्षा में छोड़ी जा सकती है जो उराकी अभिरक्षा का मार लेने को इच्छुक हो :

परन्तु पशुधन की रिधति में, उसे निकंटतम कांजी हाउस में ले जाया जा सकता है यदि न तो वाकीदार ऐसी प्रतिभृति देता है और न कोई उत्तरदायी व्यक्ति उसकी अभिरक्षा का भार लेने का इच्छक हो ।

- (4) ऐसा व्यक्ति जो उपधारा (3) के अधीन किसी जंगग राम्पत्ति की अभिरक्षा का भार लेता है, विहित प्रपन्न में एक बन्ध-पन्न (सुपुर्दनामा) (जो स्टाम्प शुल्क से मुक्त होगाः) निष्पादित करेगा और ऐसी सम्पत्ति का परिरक्षण और अनुरक्षण करेगा और जबकि अपेक्षित हो उसे प्रस्तुत करेगा। सुमूर्वदार उसकी अभिरक्षा में दी गयी सम्पत्ति की समस्त क्षति या हानि के लिये दायी होगा। ऐसी क्षतियों या हानि का अवधारण उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा और वे सुपूर्वदार से भू-राजरव के बकाये के रूप में वसूल किये जा सकेंगे।
- (5) यदि इस धारा के अधीन स्थावर संपत्ति की कुर्की के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर बकाये की धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उप जिलाधिकारी विहित शिति में उसकां विक्रय कर राकता है।

173-व्यतिक्रमी के किसी बैंक खाते की कुकी, जहां तक संगव हो, सिविल प्रक्रिया राहिता 1908 की प्रथम अनुसूची में दिये गये आदेश—21 के नियम 46, 46-क तथा 46-ख में अधिकाधित रीति में संबंधित बैंक के शाखा के प्रभारी प्रबंधक को अनुऋणी आदेश को तागील करके की जाय और व्यतिक्रभी द्वारा किराये पर लिये गये लाकर की दशा में उसे ऐसे प्रबंधक की उपस्थिति में सील किया जायेगा जो कि तत्पश्चात् उसके संघटकों की सूची की तैयारी और उनके अंततः निस्तारण के संबंध में उप जिलाधिकारी के अग्रेतर आदेशों की प्रतीक्षा करेगा।

व्यतिक्रमी के बैंक खाते और लाकर की क्वी

174-(1) उप जिलाधिकारी किसी ऐसी भूमि की जिसके रावंध में मू-राजस्व की कोई जोड़ की कुर्की वकाया देव हो, कुर्की कर संकता है।

- (2) जहां बकाया की धनराशि का जिसके सम्बन्ध में उपचारा (1) के अधीन कुकी की हा भूगतान कर दिया जाय, वहां ऐसी कुकी को प्रत्याहृत समझा जायगा।
- (3) यदि बकाया की धनराशि का भुगतान ऐसी कुर्की के दिनांक से एक भास की अवधि के भीतर न किया जाय तो क्लेक्टर, यथारिश्वति , धारा 175 या धारा 176 के उपबन्धीं जे अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

जीत का पटता

175—(1) जहां कोई भूगि घारा 174 के अधीन कुर्क की जाय, वहां उप जिलाधिकारी संहिता में किसी बात के होते हुये भी किन्तु ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें विहित किया जाय, अनुगामी जुलाई के प्रथम दिनांक से दस वर्ष से अनिधक की ऐसी अविध के लिये जिसे वह उचित समझे बाकीदार से मिन्न किसी व्यक्ति को पट्टे पर दे सकता हैं।

- (2) ऐसा व्यक्ति जिसे उपघारा (1) के अधीन कोई भूमि पट्टे पर दी जाय ऐसी भूमि पर देय सम्पूर्ण बकाया का भुगतान करने और पट्टे की अवधि के दौरान भू-राजरव उस दर से, जो ऐसी भूमि के संबंध में उसकी कुर्की किये जाने के ठीक धूर्व बाकीदार द्वारा देय रही हो, भगतान करने के लिये आबद्ध होगा।
- (3) यदि पट्टे की अवधि में, पट्टादार पट्टे के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान करने में व्यतिक्रम करें और उसके बाकी अवधि तक पट्टे पर भूमि किसी अन्य व्यक्ति को न लेना हो तो उससे ऐसी धनराशि धारा 170 में उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रक्रिया से वसूल की जा सकती है और पट्टा भी अवधारित किया जा सकेगा।
- (4) पट्टे की अवधि संगाप्त होने पर, भूमि समबद्ध खातेदार को ऐसी भूमि के संबंध में राजस्व की किसी बकाया के लिये राज्य सरकार की ओर से किसी भी दावें से गुंवत. वापस कर दी जायेगी।

जोत की बिक्री

अन्य स्थावर सम्पत्तिः की कुर्की

और बिकी

- 176—(1) जहां कोई उपयुक्त व्यक्ति घारा 174 के अधीन कुर्क की गयी भूगि को पट्टे पर लेने के लिये तैयार न हो या जहां किसी ऐसी भूमि का पट्टा घारा 175 के अधीन अवधारित किया जाता है वहाँ उप जिलाधिकारी ऐसी सम्पूर्ण भूगि या उसके भाग को ऐसी रीति से बेच सकता है जैसा कि घारा 200 के अनुसार विक्रय आगम समृचित रूप में विहित किये जाय।
- (2) उप जिलाधिकारी उप धारा (1) के अधीन भूमि की प्रत्येक बिक्री की रिपोर्ट कलेक्टर को करेगा ।

177-तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, कलेक्टर भू-राजरव की किसी बकाया को ऐसे व्यतिक्रमी की किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति में व्यतिक्रमी के हित की नुर्की और बिक्री की वसूली कर सकता है।

परन्तु यह कि किसी कृषक की उससे एकदम संलग्न मकान, अन्य भवन (उराकी समग्री एवं स्थल सहित) और भूमि, जो उसके द्वारा अध्यासित हो, इस धारा के अधीन कुकी है मुक्त होगा।

स्पष्टीकरणः- इस धारा के प्रयोजनार्थ "कृषक" का वही अर्थ होगा जो उसे धारा 72 में दिया गया है।

रिसीवर की नियुषित 178—(1) जहां किसी व्यतिक्रमी से भू-राजस्व की कोई बकाया देय हो, वहां कलेक्टर आदेश द्वारा—

- (क) व्यतिक्रमी की किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का ऐसी अवधि के लिये जिसे वह उचित समझें रिसीवर नियुक्ति कर सकता है ,
- (ख) किसी व्यक्ति को सम्पत्ति के कब्जे या उसकी अभिरक्षा से हटा सकता है और उस भूमि को रिसीयर के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबन्ध में दे सकता है ;
- (ग) रिसीवर को वाद प्रस्तुत करने और उनका प्रतिवाद करने, सम्पत्ति। की वसूली, प्रबन्ध, संरक्षण, परिरक्षण और सुधार करने, उसका लगान और लाभ का संग्रह करने, ऐसे लगान और लाभ का उपयोग और निस्तारण करने और दस्तावेजों का करने की ऐसी सभी शाक्तियां प्रदान कर सकता है जो ऐसे व्यतिक्रमी के पास हो, या उनमें से ऐसी किन्हीं शक्तियों को प्रदान कर सकता है जिसे कलेक्टर उचित समझें।
- (2) इस घारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे हटाने का वर्तमान अधिकार बाकीदार को न हो, सम्पत्ति के कब्जे या अभिरक्षा से हटाने के लिये कलेक्टर को प्राधिकृत नहीं करेगी।
 - (3) कलेक्टर समय-सगय पर रिसीवर की नियुक्ति की कालाविध बढा सकता है।
- (4) उपधारा (1) यो उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि बाकीदार को कारण बताने का नोटिश न दें दिया जाय और ऐसे अभ्यावेदन पर जो ऐसे नोटिस के प्रत्यत्तर में कलेक्टर हारा प्राप्त हो. विचार न कर लिया जाय।

परन्तु उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कोई अंतरिंग आदेश, ऐसी सूचना कें जारी किये जाने के पहले था बाद में किसी भी समय किया जा राकता है।

परन्तु अग्रेतर यह कि जहां ऐसी सूचना जारी किये जाने के पूर्व कोई अंतरिंग आदेश किया जाता है तो अंतरिंग आदेश के दिनांक से दो सप्ताह के गीतर कोई सूचना जारी न किये जाने पर ऐसा आदेश निरस्त हो जायेगा।

- (5) सिविल प्रक्रिया संहिता. 1908 की प्रथम अनुराची में दिये गये आदेश 40 के नियम 2 से 4 के उपवन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सिहंत इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर के सम्बन्ध में लागू होंगे।
- (6) रिसीवर कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन रहते हुये कार्य करेग। और ऐसी सूचना, विवरणी या विवरण-पत्र प्रस्तृत करेगा, जिसे कलेक्टर उचित समझें।
- (7) कलेक्टर लिखित आदेश से और कोई कारण बताये बिना किसी रिसीवर को ऐसे रिसीचर का कार्यकाल संगाप्त होने के पूर्व हटा सकता है और उसके रूपान पर कोई अन्य रिसीवर नियुक्त कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अदक्षता. घोर उपेक्षा, जान-बूड़ाकर व्यतिक्रग अवज्ञा, किसी सम्पत्ति के संबंध में गम्शीर लोग, या दुर्विनियोग के आघार पर किसी रिशीवर का बना रहना वांछनीय या सभीचीन न होगा। इस धारा के अधीन रिशीवर के पद से हटाया गया व्यक्ति, हटाये जाने के कारण किसी क्षतिपूर्ति या प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
- (8) कलेक्टर को रिसीवर की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह आवधारण करने कि रिसीवर के जान-बुझकर व्यतिकम करने, अवचार या उसकी घोर उपेक्षा से या किसी द्विनियोग के कारण क्या और कितनी हानि, यदि कोई हो: हुई है और रिसीवर से हानि की धनराशि भु-राजरत की बकाया की तरह वसूल करने की शक्ति होगी।
- (9) सम्पत्ति का लगान लाभ या उससे प्राप्त कोई अन्य आय, प्रवन्ध व्यय को जिसमें रिसीवर का पारिश्रमिक भी सम्भिलित है, चुंकता करने के पश्चात बकाया को चुकता करने में रामायोजित किया जायमा और शेष धन, यदि कोई हो, बाकीदार को दे दिया जायमा। ---
- (10) जैसे ही उपधारा (9) के अधीन या अन्य प्रकार से बकाय। चुकता हो जाय कलेक्टर बाकीदार को सम्पत्ति वापस कर देगा।

179-इस अध्याय के अनुसार वकायों या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य भू-राजस्य था अन्य देयों को संग्रह. करने के प्रयोजनार्थ बसूली अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी विहित की जाय।

लागत और संग्रह प्रभारों की वसूली

180-(1) धारा 170 से 178 तक में उल्लिखित उपायों का व्यय जिसमें गिरफ्तारी और निरोध का व्यय भी सम्मिलित है, ऐसा होगा जैसा विहित किया जाय।

(2) राज्य रारकार देय धनराशि के दस प्रतिशत से अनिधक की दर पर संग्रहण प्रभार आरोपित कर सकती है, जैसा कि विहित किया जाय।

परन्तु कोई संग्रहण प्रभार देय नहीं होगा यदि देय धनराशि का भूगतान, यथारिथति व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी के पूर्व या कुर्क की गयी संपत्ति की विक्री के पूर्व कर दिया जाता

(3) ऐसी लागतों और संग्रहण प्रभारों को उसमें जोड़ा जा सकता है और वह भू-राजरव के बकाये की भांति उसी रीति में वसूली योग्य होगी।

181--(1) यदि इस अध्याय के अधीन वकाया की वसूली के लिए कोई कार्यवाही विधक มีถือโฉขั प्रारम्भ होने के पूर्व था पश्चात किसी समय बाकीदार की मृत्यु हो जाय तो वाकीदार के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाहियां (गिरफ्तारी और निरोध के रिावाय) प्रारम्भ की जा सकेगी या चालू रखी जा सकेगी मानो विधिक प्रतिनिधि स्वयं वाकीदार रहे हों।

इत्यादि के विरुद्ध वराली की कार्यवाही

वसूली की प्रक्रिया

परन्तु ऐरो विधिक प्रतिनिधि का दायित्व गुतक की संपत्ति की केवल उस सीमा तक होगा जो उसके हाथ लगी है और जिसका विधिवत निस्तारण नहीं हुआ है।

(2) जहां इस अध्याय के अधीन कोई व्यक्ति वाकीदार द्वारा देय धनराशि के लिए प्रतिभूत हुआ हो. वहां इस अध्याय के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है गानो वह रवयं बाकीदार रहा हो।

स्थावर सम्पत्तियों की कुर्की और विक्रय

ख्यावर सपत्ति की वुकी

- 182-(1) धारा 174 या धारा 177 के अधीन किसी स्थावर संपत्ति की कुर्की या धारा 175 के अधीन किसी भूमि को पट्टे पर देने की प्रत्येक प्रक्रिया कलेक्टर द्वारा जारी की जायगी।
- (2) ऐसी प्रत्येक कुर्की, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के नियम 54 आदेश इक्कीस में विहित रीति से कार्यान्धित की जायगी।

क्कीं के विरुद्ध आपत्ति

183-(1) जहां कोई दावा, इस अध्याय के अधीन कुर्क की गयी किसी भूमि के संबंध में व्यतिक्रमी से भिना किसी व्यक्ति द्वारा या उसके अधीन दावा कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है तो कलेक्टर जाँच के पश्चात् ऐसे दावा को समुचित सूचना के पश्चात् रवीकार या अरवीकार कर सकता है :

परन्तु ऐसे किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा

- (क) जहाँ दावा किये जाने के पूर्व कुर्क की गयी सम्पत्ति का पहले ही विक्रय किया जा चका हो : या
- (ख) जहाँ कलेक्टर का यह विचार हो कि दावे को सोच समझकर या अनावश्यक रुप से विलम्बित किया गया है, या
 - (ग) या जहाँ कुर्की के दिनांक से 30 दिनों के पश्चात दावा प्रस्तुत किया गया है।
- (2) वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश किया गया हो , आदश के दिनांक से तीन माह के भीतर ऐसे अधिकार, जिसका वह कुर्क की गयी सम्पत्ति के लिए दावा करता है को स्थापित करने के लिए आयुक्त के यहाँ अपील प्रस्तुत कर सकता है किन्तु ऐसी अपील, यदि कोई हो, के परिणाम के अध्यधीन कलेक्टर का आदेश अंतिम होगा।

विक्रय की चद्घोषणा

- 184-(1) जहाँ इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय किया जाना ईप्सित हो वहाँ उप कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई सहायक कलेक्टर विहित प्रपन्न में निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए आशयित विक्रय की उदघोषणा जारी. करेगा :-
 - ं(क) विक्रय किये जाने हेतु ईप्सित सम्पत्ति का विवरण
 - (ख) ऐसी सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य
 - (ग) तदनिमित्त संदेय भू-राजस्व, यदि कोई हो,
 - (घ) विल्लंगम, यदि कोई हो,
- (ड) बकायों की धनराशि जिसकी वसूली के लिए राम्पात्त का विक्रय किया जाना ईप्सित हो :
 - (च) आशयित विक्रय का दिनांक, रामय और स्थान ; और
 - (छ) ऐसे अन्य विवरण जैसा कि कलेक्टर आवश्यक समझे।
- (2) विक्रय किये जाने हेतु ईप्सित भूमि का क्षेत्रफल 5.04 हेक्टेअर हो वहाँ उपधारा (1) के अधीन एकल उदघोषणा जारी की जा सकती है किन्तु वास्तविक विक्रय 1.26 हेक्टेअर या उससे अधिक के समूहों में किया जाएगा।
- (3) ऐसा कोई विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे दिनांक, जिस पर इस घारा के अधीन उद्घोषणा जारी की जाती है, से इक्कीस दिन का समय समाप्त नहीं हो जाता है।
 - (4) उदघोषणा की एक प्रति व्यतिक्रमी को तामील कराई जाएगी।

उदघोषणा का चिषकाया जाना

- 185-धारा 184 में निर्दिष्ट विक्रय उदधोषणा की प्रति निम्नलिखित प्रत्येक स्थानों पर चिपकायी जाएगी।
 - (क) कलेक्टर का कार्यालय
 - (ख) तहसील, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, के तहसीलदार का कार्यालय
 - (ग) ग्राम या क्षेत्र जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, में कुछ अन्य सार्वजनिक भवन
 - (ध) व्यतिक्रमी का निवासगृह ।

विक्रय क्षत्र और किसके द्वारा किया

186-(1) ऐसा प्रत्येक विक्रय, कलेक्टर द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत राहाथक कलेक्टर द्वारा किया जाएगा

- (2) राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए अधिसूचित रविवार या अन्य अवकाश दिवस में कोई विक्रय नहीं किया जाएगा।
- (3) कलेक्टर या सहायक कलेक्टर किसी पर्याप्त कारण से सगय-समय पर विक्रय को स्थगित कर सकते हैं।
- (4) जहाँ किरी विक्रय का इक्कास दिन से अधिक अवधि के लिए रथगित किया गया हो या जहाँ क्रय धन के भूगतान में व्यतिक्रम के कारण सम्पत्ति का पुनः विक्रय किया जाता है तो मूल विकय के लिए विहित प्रपत्र में नयी उद्योषणा निर्मत की जायगी।

187—यदि व्यतिक्रमी ऐसी सम्पत्ति, जिसका विक्रय किया जाना है, के सम्बन्ध में विकय के लिए नियत दिशांक से पूर्व किसी भी राम्य प्रकिया की लागत सहित बकाये का भगतान कर देता है तो विक्रयं को संचालित करने वाला अधिकारी ऐसे विक्रय को रोक देगा।

188-(1) कोई अधिकारी जो ऐसे किसी विक्रय के संबंध में कोई कर्तव्य निणादित कर रहा है और ऐसे अधिकारी द्वारा नियोजित या अधीनस्थ कोई व्यक्ति ; प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विक्रय की गयी सम्पत्ति, के लिए बोली नहीं लगाएगा या को अर्जित नहीं करेगा या अंजित करने का प्रयास नहीं करेगा या उसमें कोई रुचि नहीं लेगा।

(2) जहाँ ऐसी धनराशि तक, जिसके लिए विक्रय का आदेश दिया गया हो, कोई बोली नहीं लगायी गयी है तो कलेक्टर ऐसी धनराशि के अवशेष तक की बोली लगाने के लिये आदेश दे सकता है।

189-(1) क्रेता धोषित किये गये व्यक्ति रो उसकी बोली की धनराशि का पचीस प्रतिशत तुरन्त जमा करने की अपेक्षा की जायेगी, और ऐसी धनराशि जमा करने में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति तत्काल पुनः विक्रय कर दी जायेगी और ऐसा व्यक्ति प्रथम विक्रय में उपगत व्ययों और पून: विक्रय में मूल्य में होने वाली किसी कमी या कमी का दायी होगा और कलेक्टर द्वारा इसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई जमा या तो नगद या डिमाण्ड द्वापट द्वारा (किसी अनुसूचित वैंक द्वारा निर्मत) या अंशतः नगद और अंशतः ऐसे ड्वापट द्वारा किया जा सकता 13

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "डिगाण्ड झाफ्ट " में बैंकर्स चेक भी है।

190-क्य धन की शेप धनराशि केता द्वारा विक्रय के दिनांक रो पन्द्रहवें दिन पर या क्रय धन का जना इसके पूर्व कलेक्टर के कार्यालय में या जिला कोषागार या उप कोषागार में जमा की जायेगी और व्यतिक्रम करने पर-

(क) राग्पत्ति को पूनः विकय करं दिया जायेगा ; और

(ख) धारा 189 के अधीन किया गया जमा राज्य सरकार को समपहत हो जायेगा :

191--जहाँ किसी अनुसचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के व्यवित का किसी भूगि में अधिकार, हक या हित इस संहिता के उपवन्धों के अधीन या के अनुसार सार्वजनिक नीलागी द्वारा विकय किया जाता है और ऐसी जाति या जन-जाति का कोई अन्य व्यक्ति ऐसी नीलागी के तीरा दिन के भीतर अधिकतम बोली की धनराशि के बरावर धनराशि का भुगतान करता है तो इस संहिता या तत्सगय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी अन्य उपवन्ध के होते हुए भी, ऐसी धनराशि देने वाला अधित विक्रय के भागले में ऐसे व्यक्ति से, जो ऐसी जाति या जन-जाति का न हो. अधिक वरीयता पाने का हकदार होगा :

परन्तु यह कि यदि ऐसा जगा करने के लिए एक से अधिक व्यक्ति है तो भौके पर ही उनमें से बीली लगवायी जायेगी और अधिकतम बोली लगाने वाला ऐसी वरीयता का हकदार होगा।

192-(1) कोई व्यक्ति, जिसकी जोत या रथावर सम्पत्ति इस अध्याय के अधीन विकय कर दी गयी हो, विकय के दिनांक से तीस दिन के भीतर किसी भी समय विक्रय को अपास्त करने के लिए कलेक्टर को कलेक्टर के कार्यालय में या जिला कोपागार या उप कोषागार में आवेदन कर सकता है-

़ (क) क्रेसा को क्रयं धन के पांच प्रतिशत के बरावर की धनराशि का भुगतान करने के लिए : और

विक्य को रोका

बोली लगाने का निषेघ

केता द्वारा जगा राशि और व्यतिक्रम पर पुनः विकथ

अनुसूचित जाति या अनुसूधित जन-जाति द्वारा धृंत भूमि का नीलामी

बकाये को जभा करने पर विक्रय को अपारत करने का आवेदन

- (ख) अवशेष के मद्दे गुगतान करने के लिए, विक्रय उद्घोषणा में विनिद्धिं इनराशि में से ऐसी किसी धनराशि को घटाकर जो ऐसी उद्घोषणा के दिनांक से उसी मद्दं भुगतान की गयी हो :
 - (ग) विक्रय की प्रक्रिया की लागत जिसमें राग्रहण प्रभार भी है, यदि कोई हो।
- (2) यदि उपधारा (1) के अनुसार धनराशि जमा की गयी है तो कलेक्टर विक्रय को अपारत कर देगा।
- (3) जहाँ किसी व्यक्ति ने इस धारा के अधीन विक्रय को अपारत करने के लिए आवेदन किया हो तो वह धारा 193 के अधीन आवेदन करने या आवेदन के संबंध में आगे कार्यवाही करने का हकदार नहीं होगा।

अनियगितता के लिए विद्याय की अपारत करने का आवेदन

- 193-(1) विकय दिनांक से तीस दिन के भीतर किसी भी समय, व्यतिक्रमी या-नीलामी क्रेता या अन्य कोई व्यक्ति जिसका हित ऐसे विकय से प्रभावित हो रहा हो, किसी तथ्यपरक अनियमितता या प्रकाशित करने या संचालित करने में किसी त्रुटि के आधार पर विक्रय को अपारत करने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकता है।
- (2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी विक्री तब तक अपस्ति नहीं की जायेगी जब तक कि आवेदक आयुक्त को रामाधानप्रद-रूप में सिद्ध नहीं कर देता है कि उसे ऐसी अनियमितता या त्रुटि के कारण सारवान क्षति हुई है।
- (3) राजरव परिषद में पुनर्विलोकन के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

विक्रय की पृष्टि.

- 194—(1) विक्रय के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति पर धारा 192 या 193 के अधीन कोई आवेदन नहीं किया जाता है या यदि ऐसां आवेदन किया गया हो और उसे यथास्थिति, आयुक्त या कलेक्टर द्वारा अरवीकार कर दिया गया हो तो कलेक्टर उपधास (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए विक्रय की पृष्टि कर देगा।
- (2) जहाँ इस अध्याय के अधीन स्थावर संपत्ति के किये गये विक्रय में, क्रय धन की धनराशि:--
 - (क) पचास लाख रुपये से अधिक हो सकती है_ं या
 - (ख) विक्रय उदघोषणा में विनिर्दिष्ट बकाया की धनराशि से कग,

तो कलेक्टर भागले को आयुक्त को रिपोर्ट करंगा जो विक्रय की पुष्टि कर सकता है या ऐसे आदेश दे सकता है जिन्हें वह ठीक रामझे।

(3) इस धारा के अधीन कलेक्टर या आयुक्त का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

195—धारा 192 धारा 193 या 194 में किसी बात के होते हुए भी, यथारिथित कलेक्टर या आयुक्त को विश्वास करने का कारण है कि इस अध्याय के अधीन किसी स्थावर सम्मित्त के विक्रय को अपास्त किया जा सकता है तो नीलामी क्रेता को कारण बताने, यदि कोई है, की नोटिस देते हुए वह विक्रय को लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों पर अपास्त कर सकता है।

196—यदि धारा 193 के अधीन विनिर्दिष्ट संगय के भीतर कोई आवेदन नहीं किया जाता है तो विक्रय को प्रकाशित करने या संयालित करने में अनियगितता या श्रुटि से संबंधित सभी दावे वर्जित हो जायेगें।

197—जहाँ धारा 192 या धारा 193 के अधीन कोई विक्रय अपास्त कर दिया जाता. है, केता धारा 192 में उल्लिखित भागले में व्यतिक्रमी द्वारा इस प्रयोजन के लिए जमा की गयी ऐसी धनराशि के पांच प्रतिशत के बरायर धनराशि सहित, अपने क्रय धन को वापस पाने का

हरूदार होगा।

198—(1) धारा 194 के अनुसार किसी विक्रय की पुष्टि के पश्चात कलेक्टर, विक्रय की गयी सम्पत्ति और ऐसे व्यक्ति का नाग, जिसे विक्रय के समय क्रेता घोषित किया गया

था, विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्रपन्न में क्रेता को एक प्रमाण पन्न प्रदान करेगा।

(2) कलेक्टर द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और मुहर लगाया गया प्रमाण-पन्न उसमें विनिर्दिष्ट सम्पत्ति का विधिक अंतरण समझा जायेगा और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 89 में उपबंधित के सिवाय इसको हस्तांतरण के रूप में रजिस्ट्रीकृत करना आक्श्यक नहीं होगा

कलेक्टर था आयुक्त द्वारा विक्रय को अपास्त किया जाना क

कतिपय भागलों के विरुद्ध दावों का वर्जनु

क्रय, धन का प्रतिदाय

विकय का प्रमाण

(3) प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति क्रेता में उस् दिनांक से, जब उसका विक्रय किया गया हो, निहित समझी जायेगी और ऐसे दिनांक से नहीं जब विक्रय की पुष्टि की गयी हो।

199—(1) कलेक्टर ऐसी राम्पत्ति का केता घोषित किये गये व्यक्ति को कब्जा दिलायेगा और इरा प्रयोजन के लिए ऐसे बल का जैसा आवश्यक समझी जायं उपभोग कर सकता है या करा सकता है।

प्रभाण-पंत्र प्राप्त क्रीता को कब्जा दिलाना

(2) इस धारा में कोई बात कलेक्टर को किसी व्यक्ति की, जिसको व्यतिकृमी को, प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व, हटाने का वर्तमान अधिकार नहीं था, किसी सम्पत्ति के कब्जे से हटाने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी।

200-जहाँ धारा 194 के अधीन किसी सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि कर दी गयी हो, वहाँ विकय का गूल्य निम्नलिखित क्रग में उपभोग किया जायेगा:-

विक्रय मूला का विनियोग

- (क) प्रक्रिया की लागत और संग्रह प्रभारी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए
- (ख) बकाया, जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति का विक्रय किया गया था का भुगतान करने के लिए
 - (ग) अतिशेष, यदि कोई हो, का भुगतान व्यतिक्रमी को किया जायेगा।

201—कोई व्यक्ति किसी भूमि का या इस अध्याय के अधीन किसी कुर्क, पट्टे पर दी गयी या विकय की गयी अन्य सम्पत्ति का, उक्त अध्याय के उपवंघों के अनुसार से अन्यथा कंच्जा करता है या रखता है तो कलेक्टर द्वारा सरसरी रूप से बेदखल कर दिया जायेगा जो ऐसा वल जैसा आवश्यक रामझा जाय का उपयोग कर राकता है या करा सकता है।

अप्राधिकृत अधिगोगी की सरसरी बेदखेली

202-धारा 203 के उपयन्धों के अधीन रहते हुए, भू-राजरव के किसी निर्धारण या संग्रह था भू-राजरव के वकाया के रूप में वसूली योग्य किसी धनराशि वसूली के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद था कार्यवाही संरिथत नहीं होगी।

धार का वर्जन

203—(1) जब कभी भू-राजरव के बकाया की वसूली के लिए किसी व्यवित के विरुद्ध इरा अध्याय के अधीन शुरु की जाय तो यह दावा की गयी धनराशि का भुगतान वसूली अधिकारी को करेगा और ऐसा भुगतान किये जाने पर कार्यवाही रोक दी जायेगी और ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही शुरु की गयी थी, इस संहिता के किन्ही अन्य उपवन्धों में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि की वसूली के लिए राज्य सरकार पर वाद कर सकता है.

याद के पूर्व भूगतान

204—इस अध्याय के अधीन कुर्क की गयी किसी भूमि के सबंध में लगान या अन्य देयों के गद्दे असामी या उसका कब्जा रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत राजस्व अधिकारी से मिना किसी अन्य व्यक्ति का ऐसी कुर्की के पश्चात् किया गया कोई गुगतान विधिमान्य परिशोध स होगा।

अन्य भुगतान विधिमान्य परिशोध नहीं है

205-इस अध्याय के उपयन्ध भू-राजरव के सभी वकाये और इस राहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चाल देय हुई भू-राजरव के बकाया के रूप में वसूली योग्य अन्य धनशशि पर लागू होंगे।

अध्याय का लागू होना

अध्याय तेरह

राजरव न्यायालयं की अधिकारिता और प्रक्रिया

208-(1)तरसम्य प्रवृत किसी विधि में किसी बात के होते हुए परन्तु इस संहिता के अपन्यां के अधीन रहते हुए कोई सिविल न्यायालय किसी मागले पर जिसमें राज्य सरकार, परिवद, कोई राजस्व न्यायालय या राजरव अधिकारी, इस संहिता द्वारा या के अधीन अवधारण करने निर्णय करने या निरतारित करने के लिए संशवत हैं निर्णय प्राप्त करने के लिए कोई बाद, प्रार्थनान्यत्र कार्यवाही वर विचार नहीं करेगा।

सिविल न्यायालय और राजस्य न्यायालय, की अधिकारिता

- (2) धारा (1) के उपयंचीं की सामान्यता पर प्रतिकृत प्रभाव डाले विना और अभिव्यक्त रूप से जैसा उपसंधित है उसके सिवाय या इस संहिता के अधीन:--
- (क) कोई न्यायालय द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले में अधिकारिता को प्रयोग नहीं करेगा, और

- (ख) तृतीय अनुसूची के रतम्भ-4 में विनिर्दिष्ट राजरव न्यायालय य। राजरव अधिकारी से भिन्न कोई न्यायालय इसी अनुसूची के स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट किसी वाद प्रार्थना-पत्र कार्यवाही पर विचार नहीं करेगा।
- (3) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी किसी अपीलीय, पुनरीक्षण या निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा किसी ऐसी आपिता पर, कि धारा (2)(ख) में उल्लिखित किसी न्यायालय या अधिकारी को किसी याद, प्रार्थना या कार्यवाही के संवध में अधिकारिता. थी या नहीं थी, तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी आपिता न्यायालय या में उल्लिखित अधिकारी के समक्ष स्वीकार की गयी हो और सभी मामलों में जहां विवादों का निपटारा हो गया है या ऐसे निपटारे रो पूर्व और जब तक कि न्याय पाने में लगातार विफल रहा हो।

प्रथम अपील

- 207—(1) तृतीय अनुसूची के स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट किसी बाद, प्रार्थनापत्र या कार्यवाही में पारित किसी अंतिम आदेश डिक्री से व्यथित कोई व्यक्ति स्तम्भ-5 विनिर्दिष्ट न्यायालय या अधिकारी को प्रथम अपील कर सकता है, जहां इस 'अनुसूची के स्तम्भ-4 के समक्ष विनिर्दिष्ट किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश या डिक्री पारित दिन्या गया हों।
 - (2) निम्नलिखित प्रकृति के आदेश में भी प्रथम अपील होगी:-
 - (क) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 47 में, या
 - (ख) उक्त राहिता की घारा 104 में, या
 - (ग) उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 43 नियम 1 मैं।
- (3) इस धारा के अधीन दाखिल किये जाने प्रथम अपील की अवधि की परिसीमा ऐसे आदेश या डिक्री, जिसके विरूद्ध अपील की गयी हो, के दिनांक से 30 दिन के भीतर होगी।

द्वितीय अपील

- 208—(1) जहां तृतीय अनुसूची के रंतंभ—3 में विनिर्दिष्ट किसी वाद, प्रार्थना-पत्र या कार्यवाही में धारा 207 के अधीन दाखिल प्रथम अपील में कोई अंतिम आदेश या डिकी पारित किया गया हो और ऐसी अपील का कोई पक्षकार इससे व्यथित हो तो ऐसा पक्षकार स्तम्भ-6 के समक्ष विनिर्दिष्ट न्यायालय में द्वितीय अपील कर सकता है।
- (2) अपीलीय न्यायालय द्वितीय अपील पर तब तक विवार नहीं करेगा जब तक कि उसका समाधान नहीं हो जाता है कि मामले में विधि का सारवान प्रश्न अर्न्तग्रस्त है।
- (3) इस धारा के अधीन दाखिल किये जाने के लिए द्वितीय अपील की अवधि की परिसीमा ऐसे आदेश या डिक्री, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, के दिनांक से 90 दिन के भीतर होगी।

कतिषय अपीलों के विरूद्ध वर्जन 209-धारा 207 और 208 में किसी बात के होते हुए किसी निम्नलिखित आदेश या डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं होगी जो :-

- ं (क) इस संहिता के अध्याय पांच के अधीन किया गया:
- (ख) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा पांच के अधीन विलग्ब की माफी के लिए किसी प्रार्थना-पन्न को स्वीकार करना या अरवीकार करना:
 - (ग) पुनरीक्षा के लिए किसी प्रार्थना-५ : को अस्वीकार करनाः
 - (घ) रोक के लिए किसी प्रार्थना-पन्न को स्वीकार करना या अरवीकार करनाः
 - (ङ) किसी अधीनस्थ न्यायालय को मागले को प्रतिप्रेषित करना 📑
 - (च) जहां ऐसा आदेश डिक्री अतरिम प्रकृति का है।

अभिलेख मंगाने की शक्ति 210—परिषद या आयुक्त किसी अधीनस्थ राजरच न्यायालय द्वारा निर्णित किसी वाद या कार्यवाही का, जिसमें कोई अपील नहीं हुयी जहां अपील होनी है परन्तु प्रस्तुत नहीं की गयी है, ऐसे वाद या कार्यवाही में पारित किसी आदेश की वैद्यता या औचित्स के प्रति अभना समाधान करने प्रयोजन के लिए, अभिलेख ममा सकता है और यदि यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने —

- ् (क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा संसमें निहित नहीं है. या
 - (ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का एयोग नहीं किया है। या

(ग) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग अविधितः किया है या तात्विक अनियमितता के साथ किया है.

तो यथारिथिति परिषद या आयुक्त ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे।

- (2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र या तो परिषद या आयुक्त को दिया गया है तो उसी व्यक्ति द्वारा अग्रेतर किसी प्रार्थना-पत्र पर उनमें से दूसरे द्वारा विधार नहीं किया जायेगा।
- (3) इस धारा के अधीन किसी प्रार्थना पर, पुनरीक्षित कराये जाने वाले आदेश के विनांक से या इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक से जो भी बाद में हो, 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चार विचार नहीं किया जायेगा।
- 211—(1) परिपद स्यप्रेरणा से या हितंबद्ध किसी पक्षकार के प्रार्थना-पुत्र पर अपने द्वारा या संबंधित अपने द्वारा प्रारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है और इस संबंध में ऐसा आदेश प्रारित कर सकता है जिसे वह टीक समझे।

परिषयं की पुर्गिवेलोकन की शक्ति

- (2) निभ्नलिखित आधारों के सिवाय, किसी आदेश की धारा (1) के अधीन पुनावलोक नहीं किया जायेगा:—
 - (क) किसी नयी और महत्वपूर्ण मामला या साक्ष्य की खोज
 - (ख) अगिलेखों को देखने रो ही प्रकट किसी गलती या त्रुटि
 - (ग)-कोई अन्य पर्यापा कारण ।
 - (3) पुनर्विलोकन पर पारित आदेश पुनर्विलोकित नहीं किया जायेगा।
- 212 (1) जहाँ परिषद को यह प्रतीतः हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रेसा करना राणीचीन होगा, वहाँ वह किसी भामले को एक राजस्व अधिकारी से समान या उच्चतर श्रेणी के उसी जिला या किसी अन्य जिला के दूसरे राजस्व अधिकारी को अंतरित करने का निदेश दे राकता है।

मामले को अंतरित करने की शक्ति

(2) आयुक्त या कलेक्टर या उप जिलाधिकारी इस संहिता के उपवन्धों या तत्समय प्रयूत किसी अन्य अधिनियमन के अधीन प्रोद्दभूत होने वाले किसी मामले या मामलों के वर्ग को अपनी पत्रावली में से निर्णय के लिए अपने से अधीनस्थ और ऐसा मामला या ऐसे मामलों के वर्ग को निर्णय करने में सक्षम किसी राजरव अधिकारी के हवाले कर सकता है या किसी मामले या मामलों के वर्ग को ऐसे राजरव अधिकारी से वापस ले सकता है और ऐसे मामले या मामलों के वर्ग को रवयं निपटा सकता है या 'इसे किसी अन्य राजरव अधिकारी को, जो ऐसे मामले या मामलों के वर्ग का निर्णय करने में सक्षम हो, निस्तारण के लिए निर्दिष्ट कर सकता है।

213--इस राहिता के उपवन्धों या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार को ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या के विरुद्ध इस संहिता के अधीन संस्थित किसी वाद में पक्षकार बनाया जायेगा।

214-जब तक इस संहिता द्वारा या अधीन अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो तब तक इस संहिता के अधीन प्रत्येक वाद, प्रार्थना-पत्र या कार्यवाही पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध लागू होंगे.।

215—किसी राजरव अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश अगील या अन्य कार्यवाही के पूर्व या दौरान सम्मन , नोटिस, उद्धोषणा, धारण्ट या आदेश या कार्यवाहियों में किसी गलती, लोप या अनियमिनता मात्र के कारण तब तक उल्टा या परिवर्तित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी गलती, लोप या अनियमितता से वास्तव में न्याय न हुआ हो।

216—इस संहिता के अधीन तामील कराये जाने के लिए अमेक्षित या प्राधिकृत किसी। गोटिस या अन्य अभिलेख को निम्नलिखित में से किसी शैति से तामील कराया जा सकता है:

(क) ऐसे थावित को ही देकर जिसको धामील कराया जाना है, या

राज्य सारकार कतिपय मागलों में आवश्यक प्रकाश होगा सिविध्त प्रक्षिया

सहिता, 1908 और परिशीमा अधिनियमं 1963 का लागू होना प्रक्रिया में अनियमितता कं कारण आदेश अविधिमान्य नहीं होमें

नोटिस को सामील करावा

- (ख) उस व्यक्ति के रामान्य या अंतिम झात निवास स्थान पर पता लिखें रिजस्टर्ड डाक द्वारा या
- (ग) किसी निगित कम्पनी था निकास के मागले में, कम्पनी या निकास के प्रधान कार्यालय पर देकर या इसके सविव या अन्य मुख्य कार्यकारी का पता लिखकर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर, या
- (घ) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में सम्मन की तागील के लिए दिये गये किसी अन्य रीति से।

राजरव न्यायालयों को विनियमन की विधिमान्यता को न्याय निर्णीता करने की शक्ति नहीं होगी 217—इस संहिता के उपयन्तां में किसी बात के होते हुए भी, परिषद या किसी अन्य राजरव न्यायालय को ऐसे मामलों के संबंध में, जिसमें इस संहिता का या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों या किसी नियम या तद्धीन बनायी गयी या जारी की गयी अधिसूचना की विधिमान्यतां का प्रश्न अन्तर्गस्त हो, कोई अधिकारिता नहीं होगी।

अध्याय—चौदह प्रकीर्ण

संहिता के उपबन्धों से छूट देने की शक्ति 218—राज्य सरकार अपने द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी रथानीय प्राधिकारी द्वारा स्वामित्व में रखे गये किसी भूमि को इस राहिता के सभी या किसी उपबन्ध के लागू होने से अधिसूचना द्वारा छूट प्रधान कर राकती है और इसी प्रकार किसी अधिसूचना को रदद या उपान्तरित कर सकती है।

प्रत्यायोजन

219-राज्य सरकार परिषद को या अपने से अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को नियगावली बनाने की शक्ति से भिन्न इस संहिता के अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को, अधिसूचना द्वारा, प्रत्यायोजित कर सकती है जिसका प्रयोग ऐसी निर्वन्धनों और शतौं, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, के अधीन किया जायेगा।

भूमि पर प्रवेश करने की शवित 220—इस सहिता के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी, ऐसी निर्बन्धनों और शर्ती, जैसी विहित की जाय, के अधीन रहते हुंगे ऐसे लोक सेवकों के साथ जिन्हें इस संहिता या तत्सगय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिये आवश्यक समझें किसी भी समय किसी को ग्रहण कर संकता है।

निशेक्षण करने और प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने का अधिकार 221—इस संहिता या तद्यीन बनायी गयी नियमातली के अधीन तैयार किये गये या रखे गये सभी यस्तावेज, विधरण, अभिलेख और रिजस्टर ऐसे समय और ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी फीस के भुगतान जैसी विहित की जाय, पर निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेंगे और कोई व्यक्ति विहित फीस का भुगतान करने पर ऐसे दस्तावेज, विधरण, अभिलेख या रिजस्टर की या ऐसे दस्तावेज के किसी भाग की प्रतिलिपि प्राप्त करने का हकदार होगा।

कतिपय जिलों में क्षेत्रों की समणना 222--इस संहिता के किन्हीं सपबन्धों के अधीन नियत क्षेत्र की संगणना करने के प्रयोजन से निन्नलिखित क्षेत्रों में डंढ हेद पर भूगि की गणना एक हैक्टेयर के रूप में की जायेगी:--

- (क) झाँसी मण्डल
- (खं) इलाहाबाद, इटावा, आगरा और मथुरा जिलों का जमुनापार हिस्सा
- (ग) जिला सोनभद
- (घ) जिला गिर्जापुर में तहशील रावर का टप्पा उपरोध और टप्पा धौरासी बलाई (पहाड़); और
- (ङ) मिर्जापुर जिला के .तहसील घुनार के परमना साकतगढ़ आर परमना अहरीरा और भगवत के पहाडी पट्टी में चौथी अनुसूची में उल्लिखित गाँव ।

जुपाया आदि की वसूली की रीति 223—इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार, गाम समा या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को येय या के द्वारा वसूली गोंग्य-किसी फीस, जुर्माना, लागत, व्यय, शास्ति या मुआवजा, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकृत प्रभाव छाले विना, इस प्रकार वसूल किया जायेगा मानी वह गूं-राजरा का चकाया हो। 224—(1) जहाँ कोई राजस्व अधिकारी इस राहित। के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिये यह आवश्यक समझे वहाँ वह किसी भू-धृति धारक या किसी भूमि के कब्जादार किसी व्यक्ति से, ऐसे समय के भीतर जैसा विहित किया जाय, उसके द्वारा और साथ ही साथ उसके प्रिवार के सदस्थों द्वारा धारित या कब्जे में रखी गयी भूमि में उसके हित की प्रकृति और विस्तार से युक्त विवरण माँग सकता है।

विधरण मॅगाने की शक्ति

- (2) भू-खातेदार या उपधारा (1) में उल्लिखित अन्य व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति का, जो ऐसी भूमि में, प्रकृति और विस्तार सहित, कोई रुचि रखता हो, नाम और पता प्रकट करने के लिये भी कहा जा सकता है।
- 225-(1) राज्य सरकार का कोई अधिकारी या संवक इस संहिता या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में किसी सिविल या आपराधिक कार्यवाही में दायी नहीं होगा यदि यह कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया है और इस संहिता द्वारा या के अधीन अधिरोपित कर्तव्य के निष्पादन या कृत्यों के निर्वहन के सगय किया गया है।

सद्भावनाभूर्वक की गयी कार्यवाही का परित्राण

(2) राज्य रारकार के विरुद्ध इस संहिता के उपयन्थों के फलस्वरूप हुयी या होने वाली किसी नुकसानी या उठायी गयी या उठायी जाने वाली किसी क्षति के लिये या इस संहिता के उपबन्धों या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किये गये था किये जाने वाले किसी कार्य के लिये कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी।

अध्याय-पन्द्रह शास्तियाँ

226-(1) कोई व्यक्ति जो,-

अधिक्रमण आदि के लिये शास्ति

रीम विन्हों की गुकरानी या नाक

- (क) गाँव की किसी सार्वजनिक सड़क (चक रोड सहित), पथ या सामान्य भूमि का अतिक्रमण करता है या उसके उपयोग में बाधा डालता है, या
- (ख) उप जिलाधिकारी द्वारा धारा 23 की उपधार। (1) के अधीन किये गये किसी आदेश या निदेश का पालन करने में विफल रहता है, या
- (ग) तहसीलदार द्वारा घारा 25 या घारा 26 के अधीन किये गये किसी आदेश या निदेश का पालन करने में विफल रहता, या
- (घ) धारा 42 या धारा 48 के अधीन किये गये किसी आदेश का पालन करने में विफल रहता है :

जुर्माना का दायी होगा जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले में पाँच सौ रुपये से कम नहीं होगा और दो हजार रुपये से अधिक नहीं होगा और किसी अन्य मामले में एक सौ रुपये से कम नहीं होगा और पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।

- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति से यथास्थिति उप जिलाधिकारी या तहसीलदार द्वारा अपेक्षा की जा सकती है कि वह पाँच हजार रूपये से अनिधक ऐसी धनराशि, जिसे संबंधित अधिकारी ऐसे कार्य या विफलता की पुनरावृत्ति से प्रविश्त रहने के लिये ठीक समझें का बन्धपत्र निष्पादित करें।
- 227—(1) यदि कोई व्यक्ति अध्याय-बार के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विधिपूर्वक परिनिर्मित किसी सीमा चिन्ह को जान बूझकर नष्ट करता है या क्षति पहुँचाता है या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना हटाता है तो उसे तहसीलदार द्वारा इस प्रकार नष्ट की गयी, क्षति पहुँचायी गयी या हटाये गये प्रत्येक सीमा चिन्ह के लिये एक शी रुपये से अनधिक की ऐसी धनराशि जो तहसीलदार की राय में इसे पुनःस्थापित करने के व्यय को पूरा करने और इतला करने वाले को पुरस्कार देने, यदि कोई हो के लिये आवश्यक हो, का भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है।
- (2) उपधारा (1) के अधीन नुकसानी की यसूली, भारतीय दण्ड राहिला के अधीन ऐसे नाश क्षति या हटाने के संबंध में किसे गये किसी अपराध के लिये अभियोजन से विवर्जित नहीं करेगी।

अविधिमान्य रूप रो वृक्षों को काटने और हटाने के लिये शास्ति

- 228—(1) कोई व्यक्ति, जो किसी वृक्ष या उसके किसी भाग को, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या ग्राम सभा की सम्पत्ति है, इसके लिये किसी प्राधिकार के विना काटता है. हटाता है या अन्यथा काम ले लाता है, इसके मूल्य का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा जो उससे किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त जिसका वह भूमि का अध्यासन करने के कारण या अन्यथा, इस संहिता के उपयन्धों के अधीन माँगी हो सकता है और किसी ऐसी दण्डात्मक कार्यवाही के होते हुये भी जो इस प्रकार काटने, हटाने या उपयोग करने के संबंध में उसके विरुद्ध संस्थित की जा सकती है, वसूल किया जा सकेगा।
- (2) कलेक्टर किसी भी समय उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वृक्ष या उसके भाग के अधिहरण का निर्देश दे सकता है।

अपेक्षित विवरण या सूचना आदि न प्रस्तुत करने पर शास्ति

- 229- प्रत्येक व्यक्ति जो.-
- (क) इस संहिता के उपभन्धों के अधीन विधिपूर्ण रूप से अपेक्षित कोई विवरण या सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहता है, था
- (ख) कोई ऐसा विवरण या सूचना प्रंस्तुत करता है जो गिथ्या है और जिसे गिथ्या मानने का उसके पास कारण हो ; या
- (ग) कलेक्टर या किसी स्थानीय प्राधिकारी या ग्राम सभा को किसी भूमि का कब्जा इस संहिता के उपवन्धों के अनुसार प्राप्त करने में बांधा डालता है, या
- (घ) किसी अधिकारी या लोक सेवक को धारा 220 में विनिर्दिष्ट किसी वी कार्य को करने में बाधा डालता है ;

दोप सिद्ध होने पर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकता है या जर्माना या दाना स दण्डनीय होगा,।

अध्याय सोलह निरंसन और अपवाद

निरसन

- 230-(1) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमन एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं
- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अधिनियमन के निरसन से निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा—
 - (क). ज़त्तरांचल राज्य में. ऐसे किसी अधिनियमन के लागू रहने पर
- (ख) किसी अधिनियमन के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गयी या सहन की गयी किसी बात पर : या
- (ग) कोई अन्य अंधिनियमन जिसमें ऐसा अधिनियमन उपयोजित, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया हो, या
- (घ) पहले से कुछ भी किये गये या सहन किये गये कार्य की विधिमान्यता. अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम या पहले से अर्जित, प्रोद्दभूत या उपमत कोई अधिकार, हक या बाध्यता या दायित्व जिसमें विशेष रूप से सभी परिसम्पत्तियों को राज्य में निहित करना और इसमें सभी मध्यवर्तियों के सभी अधिकार, हक और हित को सभाप्त करना समितित है; या इसके सम्बन्ध में कोई उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण का या से निर्माचन या उन्मोचन, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा था मांग, या पहले से खीकृत कोई क्षतिपूर्ति या विगत में किये गये किसी कार्य या वस्तु-का सबूत, या
- (ङ) विधि का कोई सिद्धान्त , नियम या स्थापित अधिकारिता अभिवचन का रूप या माध्यम, प्रथा या प्रक्रिया या विद्यमान उपयोग, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्वन्धन, छूटं, पद या नियुक्तिः

परन्तु किसी ऐसे अधिनियमन के अधीन किसी कृत कार्य या कार्यवाही को जिसमें बनाया गया कोई नियम नियम संग्रह निर्धारण नियुवितयाँ एवं अन्तरण जारी की गयी अधिसूचनाएं, सम्मन, नोटिस, वारन्ट और उद्घोषणा, प्रदत्त शक्ति, दिया गया प्रट्टा नियम सीमा चिन्ह, तैयार किया गया अधिकार अगिलेख और अन्य अभिलेख, अर्जित अधिकार और उपगढ़ दायित्व भी सिमालित हैं: जहाँ तक वे इस संहिता के उपग्रहों से असंगत न हो इस

संहिता के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझा जायगा और तदनुसार प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि इस संहिता के अधीन कृत किसी कार्य या कार्यवाही से अधिक्रमित न हो जाय।

231-(1) इस संहिता में जैसा अन्यथा रूप से उपबन्धित है. उसके सिवाय, इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व राज्य सरकार या किसी राजरव न्यायालय के समक्ष विचाराधीन समस्त मामलों का, चाहे वे अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या अन्य रूप में हो, का विनिश्चय समुचित विधि के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा जो उन पर लागू होते यदि यह सहिता पारित न ह्यी हो, तो -

विचाराधीन कार्यवाहियाँ पर रांहिता का लागू

(2) इस संहिता के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व सिविल न्यायांलय में विचाराधीन सभी ग्रामलों का; जिस पर इस संहिता के अधीन अनन्य रूप से किसी राजस्व न्यायालय द्वारा वैचारण किया जाता, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा निस्तारण किया जायगा।

232-(1) राज्य रारकार, किसी किवनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए विशेष लप से हरा राहिता द्वारा निरसित अधिनियमनों के उपबन्धों से इस सहिता के उपबन्धों के संक्रमण के सबंध में, अधिसूचित आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि इस संहिता के उपवन्ध, रेसी अवधि में जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों (चाहे वे उपान्तरों, गरिवर्तनों या लोप के रूप में हों) के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रभावी होंगें:

कठिनाइया दूर करने की शक्ति

परन्तु इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष पश्चात कोई ऐसा आदेश नही केयां जायगा।

- (2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, दिये जाने के पश्चात, म्थाशीच राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उक्त उपधारा में निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थीं या उसे दूर करना अपेक्षित नही था।
- 233—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित नियम बनाने की करने के लिए नियम बना सकती है।

- (2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की भी व्यवस्था की जा सकती है:-
 - (एक) परिषद के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की अवधि और शर्ते,
- (दो) परिषद के कार्य के वितरण का विनियमन और अपनी अधिकारिता के क्षेत्रीय गण्डलों को बनानाः
 - (तीन) राज़ंख क्षेत्रों के परिवर्तन, समाप्ति या सूजन के लिए दिशा निर्देश;
- (चार) सीमाओं के सीमांकन की प्रक्रिया, सीमा चिन्हों का विनिर्देश, निर्माण और अनुरक्षण, इसके लागत का उदग्रहण और वसूली;
- (पाँच) इस सहिता के अधीन नक्शों, दस्तावेजों, विवरणों, अभिलेखों और रजिस्टरों को तैयार करने और अनुरक्षण की प्रक्रिया, उनके निरीक्षण और उनकी प्रगाणित प्रतिलिपियां या उद्धरण देने की प्रक्रिया:
- (छ) जत्तराधिकार और अन्तरण के विषय में रिपोर्ट प्रस्तृत करने, रिजास्टीकरण प्राधिकारी द्वारा तहसीलदार को राघना देने और ग्रामीण अभिलेखों जिसमें नामान्तरण और ग्रामीण अभिलेखों को ठीक करना भी है, की प्रक्रिया;
- (सात) किसान बही और उससे जुड़े मामलो को तैयार करने आपूर्ति और अनुरक्षण की प्रकिया जिसमें इसके लिए प्रभारित की जाने वाली फीरा भी है.
- (आठ) सार्वजनिक सडक, पर्थों या नहरों के किनार वृक्षारापण से समिवत और आबादी और वंदखली भूमि में वृक्षों से सम्बन्धित बि्वार्ट के अवधारण की प्रक्रिया;

- ्रां) राज्य सरकार ग्राम सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की या उसमें निहित्त सम्पित्तियों के संरक्षण, परिरक्षण और निपटाने की प्रक्रिया जिसमें उसकी नुकसानी, दुर्विनियोग या सदोष दखल के लिए मुआवजा का अवधारण भी है;
- (दस) भू-राजस्व के सिद्धान्त जिसमें इसका फेरफार, परिहार, निलम्बन और नियुक्ति भी है;
- (ग्यारह) भू—राजस्व और अन्य सार्वजनिक धन के संग्रह की प्रक्रिया और उसकी विभिन्न प्रक्रियाओं के निष्पादन से सम्बंधित मामलें जिसमें लागत नियत करना और संग्रहण प्रभार भी है:
- (बारह) लगान नियत करने और संराशीकरण की प्रक्रिया जिसमें ऐसी परिस्थितियां जिनमें लगान का बकाया बट्टे खाता डालना भी है;
- (तेरह) किसी ग्राम सभा या किसी भूमि प्रवत्यक से सम्बन्धित मुकदमां में विधि व्यवसायों की नियुक्ति की प्रक्रिया और ऐसी नियुक्तियों की अवधि और शर्ते;
- (चौदह) वाद, अपील और अन्य कार्यवाहियों के संचालन और अभियोजन से सम्बन्धित प्रक्रिया जिसमें इस संहिता के अधीन विभिन्न जाँच करने की प्रक्रिया भी है;
- (पन्द्रह) कलेक्टर द्वारा पट्टा देने, ऐसे पट्टा का निरस्तीकरण और राज्य सरकार, ग्राम सभा और स्थानीय प्राधिकारी की भूमि से अप्राधिकृत अध्यासियों की वेदखली की प्रक्रिया;
- (सोलह) ग्राम सभा को सीयी गयी भूमि का आवटन आवटी को कब्जा वापस दिलाना और ऐसे आवटन के निरस्तीकरण से सम्बन्धित प्रक्रिया;
- (सन्नह) इस संहिता के अधीन अधिकारिता वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी के कर्तव्य और उनके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;
- (अठारहें) ऐसी सगय सीमा आरोपित करना जिसके भीतर इस संहिता के अधीन विनिर्दिष्ट कोई विशिष्ट कार्य किया जाना चाहिए;
- (उन्नीस) इस संहिता के अधीन वादों, अपीलों, प्रार्थना-पत्रों और अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में दी जाने वाली फीस :
- (बीस) किसी ग्राम सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को सौपी गयी नदियों, झीलों, पोखरों और तालाबों में मंछलियां पकड़ने के लिए विनियमित करना
- (इक्कीस) चरागाह, श्नृशान घाट या कब्रिस्तान और गाँवों में पशुओं और चिड़ियों को पकड़ना, शिकार करना या गोली मारने को विनियमित करना ;
- (बाइस) इस संहिता के अधीन कोई अन्य विषय जिरामें नियम बनाया जाना हो या बनाया जा सकता हो ।
- (3) इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व निरसित किन्ही अधिनियमन के अधीन राज्य सरकार या परिषद द्वारा बनाये गये और ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को प्रवृत्त नियम और आदेश, जहाँ तक वे इसके उपयन्धों से असंगत नहीं है, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि वे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार विखंडित, परिवर्तित या प्रतिस्थापित न कर दिये जाय।
- (4) इस धारा के अधीन नियम बनाने में राज्य सरकार के लिए यह विहित करना विधिपूर्ण होगा कि कोई व्यक्ति जो उसका उल्लंघन करें, ऐसे उल्लंघन से होने वाले अन्य परिणाम के अतिरिक्त एक हजार रूपये से अनाधिक ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जिसे इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी आरोपित करना उचिता सगझे।

विनियमायली बनाते की शक्ति

- 234-(1) इस अंहिता के उपयन्त्रों और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, परिषद, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित के लिए विनिधमावली बना सकती है।
- (क) इस संहिता के अधीन वाद, प्रार्थना पत्रों और कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सजस्क न्यायालय और राजस्व अधिकारियों को शासित करने की प्रक्रिया, और

- (ख) मू-अभिलेख और उससे सम्बन्धित भागलों को तैयार करने, अनुरक्षण और पूर्ववेक्षण के लिए दिशा निर्वेश
- (म) तहरीलियार और भागव सहरीलियार के कर्तव्य विहित करने और उनकी तैनाती. स्थानान्तरण और अस्थावी रिवितयों में उनकी नियुचित विनियमित करने के लिए।
 - (2) उपधारा (1) के अनुसार बनाये गये राभी विनियमों में विधि का वहा होगा।
- (3) इस संदिता के प्रारम होने के दिनांक को प्रवृत्त राजस्य न्याद्यालय नियम संग्रह और भू- अभिलेख नियम संग्रह तब तक प्रवृत्त वर्न रहेंगे जब तक कि इस धारा के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा विख्यियत, परिवर्तित या प्रतिस्थिति न कर दिसे जायं।

प्रथम अनुसूची (धारा 2 तथा 230 देखिये) सूची—क

सागान्य उपयोग के अधिनियमन

कम संख्या	निरसित अधिनियभनों का नाम			
1 ·	٤			
1.	द यूनाइटेड प्रोविरोंस रेवेन्यू आफिसर्स रेम्यूलेशन, 1803			
2.	द बंगाल इण्डिगों कॉन्ट्रैक्ट्स रेग्युलेशन, 1823			
	(बंगाल रेग्यूलेशन, वर्ष 1823 छ। ६)			
3.	द बंगाल इण्डिमो कॉन्ट्रैक्ट्श रेग्यूलेशन, ऐनट, 1830			
	(बंगाल रेग्यूलेशन, वर्ष 1830 का 5)			
4.	य बंगाल लैण्ड रेवेन्य्(रोटलगेट एण्ड डिग्टी कलक्टर्स) रेग्ग्लंशन, 1833 (बंगाल रेग्युलेशन, वर्ष 1833 का 9)			
5	द बंगाल इण्डिमों कॉन्ट्रेंबर्स ऐक्ट. 1836			
	(वर्ष 1836 का ऐक्ट संख्या-10)			
6.	व युंच्येलखण्ड एलीनेशन आफ लेण्ड ऐचट, 1903			
	(वर्ष 1903 का ऐक्ट संख्या-2)			
7.	बनाररा पारिवारिक भू-सम्मदा अधिनियम, 1904 (वर्ष 1904 का अधिनियम संख्याः तीन)			
8.	उत्तर प्रदेश विलीन राज्य विधियों को लागू क्रुरने का अधिनियम, 1950			
	(वर्ष 1950 का अधिनियम संख्या-8)			
8.	दुदधी राबर्टरागंज (जिला गिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार अधिनियम, 1951 (उत्तर प्रदेश का वर्ष 1951 का अधिनियम संख्या-32)			
10.	रांयुक्ता प्रान्ता लैण्ड रेघेन्यू ऐक्ट, 1901			
11.	द परगना आफ करावार राजा ऐवट, 1911			
12.	द परगना आफ कसवार राजा ऐक्ट. 1915			
13.	द गोरखपुर गोरेट्स ऐक्ट, 1919			
14.	ांयुक्त आन्त राज़रव परिषद अधिनियम, 1922			
15.	संयुक्त प्रान्त एवेटमेंट आफ रेन्ट सृद्स ऐक्ट. 1938			
16.	द यु०पी० हिन्दू बोगेन्स राइट टू प्रापर्टी (एक्सटेंशन टू एग्रीकल्यरल तैण्ड्स) एवट. 1942			
17.	संयुक्त प्रान्त का गाँव आबादी ऐक्ट. 1947			
18.	उत्तर प्रदेश काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान ऐक्ट. 1949			

1	2
19.	ज़त्तर प्रदेश जमींदारीविनाश और भूगि व्यवस्था अधिनियम, 1950
 20.	रागपुर में वेदखली के वाद और व्यवहार रोक्तने का अधिनियम, 1951
21.	उत्तर प्रदेश लगान का नकदी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) अधिनियम, 1952
22.	उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर) अधिनियम, 1952
 23.	उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपृष्क) अधिनियम, 1952
24.	रागपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, 1953
 25.	उत्तर प्रदेश नगर-क्षेत्र जगींदारी विचाश और गृमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956
26.	उत्तर प्रदेश मूमि व्यवस्था (निष्कृत्त भूमि) अधिनियम् १९५७
 27.	उत्तर प्रचेश रारकारी आरणान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, 1958
28.	उत्तर प्रदेश सरकार को देश धनसांशियों की वसूली (अज़ित आखान तथा अवस्ति पट्टा) अधिनियम, 1960
 20.	उत्तर प्रदेश गालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम, 1965
30.	उत्तर प्रदेश राजरव परिषद (प्रकिया का विनिधंगन) अधिनियम, 1966
31,	उत्तर प्रवेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी निवाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970
32.	उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संकामण विनियमन) (पुन. अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1972

त्तृती—ख

उत्तरांचल राज्य में अब समाविष्ट क्षेत्रों से विशिष्ट रूप से सम्बन्धित अधिनियमन

भग संख्या	निरसित अधिनियमी का मान				
1.	अल्गोड़ा आनरेरी अरिसटेंट कलक्टर्स डिक़ीज एण्ड आर्डर्स वैलिडेटिंग ऐक्ट. 1938				
2.	जीनसार बावर भौगिक अधिकार सुरक्षा तथा भौगिक अभिलेख अधिनियम, 1952				
3.	लुपार्यू कृषि भूगि (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियग, 1954				
4.	जीनसार बावर परगना (जिला देहरादून) राजरच पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958				
5.	जीनसार वाबर जगींदारी विनाश और गूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956				
б.	मुगार्यु तथा उल्तराखण्ड नमींदारी विनास तथा पूमि-न्यवस्था अधिनियम् १९६०				
7.	बुभायूं तथा गढ़वाल जल (रांग्रह, सचय तथा वितरण) अधिनियम, 1975				

दितीय अनुसूची

[घारा 206(2) (क) देखिये]

सिविल न्यायालय के होत्राधिकार रो बाहर के विभय

1-	सीमाओं के अञ्चलन या सीमा चिन्हों को नियत करने से संबंधित कोई प्रश्न ।
2-	आबादी के अवधारण के लिए कलक्टर हास लिये गये किसी निर्णय पर आक्षेप करने का कोई दावा ।
3-	किसी राजस्व अभिलेख में कोई प्रविष्टि किये जाने या किसी ऐसी प्रविष्टि को निकालने, उपान्तरित या प्रतिस्थापित किये जाने का कोई दावा ।
4	भू-राजस्य या लगान के निर्धारण, माफी या निलंबन से रांबंधित कोई प्रश्न।
5	राज्य सरकार द्वारा संग्रह या भू-राजस्य की वसूली के लिए ऐसी सरकार द्वारा किसी प्रक्रिया के प्रवर्तन या इस संहिता के अधीन भू-राजस्य के वकारों के रूप में वसूली योग्य किसी धनसांश का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से संबंधित या जससे जत्मना होने वाला कोई दावा ।
6	राज्य रारकार, साम समा या अन्य रुधानीय प्राधिकरण में इस संहिता के अधीन किसी सम्पत्ति। के निहित होने के विरुद्ध कोई दावा।
7	इस संहिता के अधीन कोई जुर्गाना, लगान, त्यम प्रभार, शास्ति या गुआवजा के उदाहण या अधिरोपण से संबंधित कोई प्रश्न।
8	किसी भृमि से सदोष बेदखल या वेकच्जा किये गये किसी भृमिधर या असामी के पुनःरथापन से सम्बन्धित कोई प्रश्न ।
y	इस संहिता के अधीन नियुक्त किसी राज़रव अधिकारी पर इस संहिता द्वारा अधिरोपित किसी कर्तव्य का अनुपालन करने के लिए विवश करने का कोई दावा ।
10-	अध्याय दो कं अधीन राजरव क्षेत्रों और लेखपाल सर्किल के विभाजन, सृजन, समामेलन, रामापि। या पुनः समायोजन से संबंधित कोई प्रश्न।
11	भारा-65 या धारा-130 में उल्लिखित भूमि के आवंटन या ऐसे आवंटन को रदय किये जाने से सम्बन्धित कोई प्रश्न ।
12	धारा-72 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किये गर्व निदेश पर आक्षप करने वाला कोई दावा।
13	धारा-129 में उल्लिखित किसी भूमि और उसके भाग पर कब्जा दिये जाने या धारा 139 या धारा 204 के अधीन किसी व्यवित को वेदखल किये जाने पर आक्षेप करने वाला कोई दावा।
14-	अध्याय म्यारह के अधीन राज्य रारकार द्वारा दिये गर्म किसी आदेश की विभि मान्यता पर आहेप करने बाला कोई दावा।
15.	किसी भूमि पर कव्या से सम्बन्धित कोई दावा।
16	किसी भूगि के सम्बन्ध में सह-भू-धृतिधारक के अधिकारों को सिद्ध करने विषयक कोई दावा।

जनर प्रदेश जसाधारण गजर, 12 दिशाचर, 2012 जुर्गाय अनुसूची. (६४९) 206, 207 और 208 देखिये)

धारा	वाद आयेदन या कार्यनाहिया का विवरण	अधिकारिता वन न्वायालय या अधिकारी	प्रथम अंपील	
24.	शीमा और शीमा किन्ह	जिल्ला <u>चिका</u> री	ગામુક્ત	
35	नामा-राष्ण्याद्	सस्तीनंदछ	लप जिलापिकारी	आंयुक्त
54,50,57	वृक्षो सम्बन्धी विवाद	कलेवटर	आयुक्त	
67	ग्राम समा भूषि से अवेध कच्चोदार की प्रेदरक्ती	ंखा जिलाधिकारी	आयुक्त	
.82 <u>(</u> 2)(ग)	किसी संविदा या पत्ते के आकार पर किसी भृषि पर पत्ता रखने वाले व्यवित के विरुद्ध किसी भृषिधर द्वारा वेदखनी-के लिए वाद		आक्षुक्त	राजस्य प्ररिषद
85(1)	अहरतावरणीय अधिकार रखने वाले किसी भृगिधर के विरुद्ध ग्राम सभा द्वारा वेदस्त्रती के लिए वाद्	तदैव	त्तवैव	तदेव
85(2)	किसी. असागी के विरुद्ध किसी भु-धारक द्वारा वेदखली के लिए वाद	तदैव	तदेव · .	तदैव ,
96(2)	किसी निःशक्त सह-अशघारा द्वारा विभाजन के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
116	किसी जोत के विभाजन के लिए वाद	सर्वेग	तदैव	त्रंच
131(1)	किसी असामी की वैदखली के लिए याद	तदैव	त्रदैव	तदैव
131(4)	किसी असामी के विरुद्ध वकायों या लगान की वसूली के लिए वाद	तहसीलदार	कॅलेक्टर	· शून्स
133	व्यादेश प्रतिकर आदि के लिए बाद	. सदैव	,तदैय	तदैय:
134	हक के विना भृषि का अगियोग रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बेदखली या नुकसानों या दोनों े के लिए वाद	उप जिलाधिकारी	आयुक्त	राजस्व परिषद
137(1)	कव्या, प्रतिकर या व्यादेश के 🧀	तदैव	तदेव	तदेव <i>ँ</i>
139(1)	लगान को निसत करने हेतुँ आवेदन	तस्सील दा र	उप जिलाधिकारी	शून्य

धाद आविदन या कार्यवाहियों का विवरण	पापिक - अधिकारिता का स्वीबंहर- या सविकारी	प्रथम अवील	हिसंग अपीर
लगाने के न्यूनीकरण के लिए आवेदन	स्व चित्रसाम्बद्धी	क्रामेचद्रंप	*સૃત્વ
भूमेत्र सा असाधी द्वारा धोषणा के हिए पाद	អង្គីប	आधुक्त	धरिफ़ेंद
ग्राम रामा ठाउँ घोषणा के लिए . बार	सदैत	<i>त्रवेद</i>	सर्वेच
बंदखली या नुकसानों या दोनों के लिए किसी संस्थारी पट्टेबार द्वारा गाद	गर्देव	ं अदेव इं	तदंबी
	तिवरणः लगान के न्यूनीकरण के लिए आवेदन भूमेन्र था असामी द्वान धोषणा के लिए धाद प्राम समा द्वान घोषणा के जिए बाद वेदखली था नुकसानों या दोनों के लिए किसी संस्कारी प्रदेटेबार	विवरण अधिकारिता का स्वीयोहरू या स्वीयोहरू या स्वीयोहरू या स्वीयोहरू या स्वीयोहरू या स्वीयोहरू या स्वीयोहरू अधिकार्थर अधिकार्थर या आवेदन प्रियं आयाणी हाना धोषणा सदीय विद्या या होता घोषणा के जिए साद याम ताना घोषणा के जिए सादीय वार वेद के लिए किशी संस्थारी प्रदेशेंगर	विवरण अधिकारिता का स्वीबंद्ध मा अधिकारी जा स्वीबंद्ध मा अधिकारी जा स्वीबंद्ध मा अधिकारी जा का स्वाचिकारी जा के स्वूचीकारण के लिए उस के सिम् मान के सिम् मान महिल के लिए साम मान कार्य चीमणा के लिए साम सिम् मान कार्य चीमणा के लिए साम वार चीमणा के लिए सिम् मान के सिम् मान

<u>"दिप्पणी :</u> प्राण 82 (2) (11) से भारा (131 (1)) घास 134, 137 (1) और भारा 139 (1) से घारा 151 (1) को सम्बन्धित प्रविद्धियों में वर्णित वांदों की सुनवाई एवं विनिश्चम किसी सहायक कलेग्टर, (उस जिलापिकारी से भि इं द्वारा भी, जिसे कलंबटर के सामान्य या विशेष आदेश प्राण स्थानस्तरित किया जायेगा, की जायेगी।"

> चतुर्थ अनुसूत्री (धारा ३२२ देखियं) े सुधी 'क" गुरमम्(अवसेस्) के मान्त्री हो सुद्री ા– સામસોહ ध-- गुतलुपूर 2- स्वार 12- लोहरा ३- वाघरी 13- नद्ध्पुर ar 4880 ाव - महाूई S-- पाट . १५- नुवारकपुर s- ગતામીપુર . 16- गानर हरेगा ७-- घोतवा -१७- (विही લ ં ઘુનહીં ' 18- शुक्रस्ट 18- तकिया⁽ ७- खगल्डरिया. . े १० -सान अस्तामार सुनी रखा। घरणुक्त सामग्रेत के अध्योजी सूची ्राम्य दम्भविसः उन निर्तिया 5- श्रमपुर प्रश्तु^{*} ए । जराहा वहल ... अंत्राना संस्था अन् सोन प्रशान

उददेश्य और कारण

प्रदेश जमान करा प्रदेश में गजरंग विधि से सम्बन्धित 39 अधिनियम प्रवृत्त हैं। इन अधिनियमों में से उत्तर प्रदेश जमान करने और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 और यू०पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 महत्वपूर्ण अधिनियम हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान अनेक अधिनियम अधिनियमित किये गये थें। उनमें से अधिकतम उपबंध अप्रचलित हो गये हैं। इन अधिनियमों के कुछ उपबंध एक दूसरे से असगत हो गये हैं। राजस्व विधि से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों में भिन्त-भिन्न उपबन्धों के कारण राजस्व—मुकदमों में अत्यधिक वृद्धि हो गयी है। परिणामस्वरूप राजस्ववाद लम्बी अविधे से निस्तारण के लिये लियत हैं। इन परिस्थितियों में इन सभी अधिनियमनों के सुसंगत उपबंधों को एकत अधिनियमनों में उपान्तरण सहित समेकित करना आवश्यक हो गया है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य में भू—खातदारों और भू—राजस्व से सम्बन्धित विधियों और उनसे संग्वन्धित तथा उनसे आनुपंगिक विषयों को सम्बन्धित करने और उनमें संशोधन करने की व्यवस्था की जाय। अतएव उपरिउल्लिखित अपेक्षाओं की पूर्वि के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 बनाया गया है।

तृद्गुसार उत्तर प्रदेश राजस्य संहिता विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, एस० के० पाण्डेय, प्रमुख सचिव।

No. 1044(2)/LXXIX-V-1-12-1(ka)33-06 Dated Lucknow, December 12, 2012

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajaswa Samhita, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 2012) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on November 29, 2012.

THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE, 2006

(U.P Act no. 8 of 2012)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to consolidate and amend the law relating to land tenures and land revenue in the State of Uttar Fradesh, and to provide for matters connected therewith and incidental thereto

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I

Preliminary

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Revenue code, 2006.
- (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint, and different dates may be appointed for different areas or for different provisions of this Code.
- 2. The provisions of this Code, except Chapters VIII and IX shall apply to the whole of Uttar Pradesh, and Chapters VIII and IX shall apply to the areas to which any of the enactments specified at serial numbers 19 and 25 of the First Schedule was applicable on the date immediately preceding their repeal by this Code.

Short title, extent and commencement

Applicability of the Code Extension of the Code to new areas

- 3. (1) Where after the commencement of this Code, any area is added to the territory of Uttar Pradesh, the State Government may, by notification, extend the whole or any provision of this Code, to such area.
- (2) Where any notification is issued under sub-section (1), the provisions of any Act, rule or regulation in force in the area referred to in the said sub-section, which are inconsistent with the provisions so applied, shall be deemed to have been repealed.
- (3) The State Government may, by a subsequent notification, amend, modify or alter any notification issued under sub-section (1)

Definitions

4. In this Code,-

- (1) 'abadi' or 'village abadi' means such area in a village which, on the date of commencement of this Code, is being used for the purposes of residence of its inhabitants or for purposes ancillary thereto such as sahan and green trees wells etc. or which may have been or be hereafter reserved for such use:
- (2) 'agriculture' includes horticulture, animal husbandry, pisciculture flower farming, bee keeping and poultry farming;
- (3) 'agricultural labourer' means a person whose main source of livelihood is manual labour on agricultural land;
- (4) 'bank' shall have the meaning assigned to it in the Uttar Pradesh Regulation of Money Lending Act, 1976;
- (5) 'Bhumi Prabandhak Samiti' means a Bhumi Prabandhak Samiti constituted under section 28-A of the U.P. Panchayat Raj Act, 1947;
- (6) 'Board' means the Board of Revenue constituted or deemed to be constituted under section 7;
- (7) 'charitable institution' means any establishment, undertaking, organization or association formed for a charitable purpose, and includes a specific endowment;
- (8) 'Collector' means an officer appointed as such by the State Government under sub-section (1) of section 12, and shall include-
 - (a) an Additional Collector appointed by the State Government under sub-section(2) of the said section; and
 - (b) an Assistant Collector of the first class empowered by the State Government by notification to discharge all or any of the functions of a Collector under this Code;
- (9) 'Consolidated Gaon Fund' means the Consolidated Gaon Fund constituted under section 69;
- (10) 'family', in relation to a tenure-holder, means himself or herself and his wife or her husband (as the case may be other than a judicially separated wife or husband), minor sons and minor daughters other than married daughters:

Provided that where the question relates to the transfer of any land and the transferee is a minor, the expression 'family' shall include the parents of such minor,

- trees (not including papaya, banana plants) planted thereon in such manner that they preclude, or when full grown will preclude, the land or any considerable portion thereof from being used primarily for any other purpose, and the trees on such land shall constitute a grove;
- (12) 'holding' means a parcel of lands held under one tenure or one lease, engagement or grant;

- (13) 'improvement', in relation to a holding, means any work which adds materially to the value of the holding which is suitable thereto and consistent with the purpose for which it is held and which, if not executed on the holding, is either executed directly for its benefit or is, after execution, made directly beneficial to it, and, subject to the foregoing provisions, includes-
 - (i) the construction of tanks, wells, water channels, embankments and other works for storage, supply or distribution of water for agricultural purposes;
 - (ii) the construction of works for the drainage of land or for the protection of land from floods, or from erosion or other damage from water:
 - (iii) the planting of trees and the reclaiming, clearing, enclosing, leveling or terracing of land;
 - (iv) the erection of buildings on, or in the vicinity of the holding elsewhere than in an abadi or urban area, required for the convenient or profitable use or occupation of the holding; and
 - (v) the renewal or reconstruction of any or the toregoing works, or alteration therein or additions thereto;
- (14) 'land', except in Chapters VII and VIII and sections 80; 81 and section 136, means land held or occupied for purposes connected with agriculture;
- (45) 'land holder' means the person to whom rent is or but for a contract, express or implied, would be payable:
- (16) "Revenue Court" means all or any of the following authorities (that is to same) the Board and all members thereof. Commissioners. Additional Commissioners. Collectors. Additional Collectors. Assistant Collectors. Settlement Officers. Assistant Settlement Officers. Record Officers. Assistant Record Officers. Tahsildar and Naib Tahsildar;
- (17) "Revenue Officer" means Commissioner, an Additional Commissioner, the Collector, an Additional Collector, the Sub-Divisional Officer, and Assistant Collector, Settlement Officer, an Assistant Settlement Officer, Record officer, an Assistant record Officer, the Tahsildar, Tahsildar (Judicial) the Naib Tahsildar or the Revenue Inspector;
- (18) 'Sub Divisional Officer' means the Assistant Collector in charge of the Tahsil:
- (19) 'taungya plantation' means the system of afforestation in which the plantation of trees is, in the earlier stages, done simultaneously with the cultivation of agricultural crops which ceases, when trees so planted begin to form a canopy, rendering the cultivation of agricultural crops impossible;
- (20) 'village' means any local area whether compact or otherwise, recorded as a village in the revenue records of the district concerned, and includes an area which the State Government may, by general or special notification, declare to be a village.

- (21) village artisan means a person whose main source of livelihood is manufacture or repair of traditional tools, implements and other articles or things used for agriculture of purposes ancillary thereto, and includes a carpenter, weaver, potter, blacksmith, silversmith, goldsmith, barber, washerman, cobbler or any other person who normally earns his livelihood by practicing a craft either by his own labour or by labour of any member of his family in any village;
- (22) words and expressions 'Gaon Fund' and 'Gram Sabha' shall have the meanings assigned to them in the U.P. Panchayat Raj Act, 1947:

CHAPTER-II

Revenue Divisions

Division of State into revenue areas

5. For the purposes of this Code, the State shall be divided into revenue areas comprising divisions which may consist of one or more districts, and each district may consist of one or more talisils and each talisil may consist of one or more pargana, and each pargana may consist of two or more villages:

Constitution of revenue areas

- 6.(1) The State Government may, by notification, specify
 - (i) the districts which constitute a division;

 - (ii) the talisis which constitute a district; (iii) the villages which constitute a tahsil.
- (2) The State Government may, by notification, after the limits of any revenue area referred to in sub-section (1) by amalgamation, re-adjustment, division or in any other manner whatsoever, or abolish any such revenue area and may name and after the name of any such revenue area, and in any case where any area is renamed, then all references in any law or instrument or other document to the area under its original name shall be deemed to be references to the areas as renamed unless expressly provided otherwise:

Provided that before passing any order under this sub-section on any proposal to alter the limits of any revenue area, the State Government shall publish, in the prescribed manner, such proposals for inviting objections, and shall take into consideration any objections to such proposals.

- (3) The Collector may, by an order, published in the prescribed manner, arrange the villages in a tabili into Lekhpal circles and the Lekhpal circles into Revenue Inspector circles and specify also the headquarters of each Revenue Inspector within his Circle.
- (4) The divisions, districts, tahsil, pargana, Revenue Inspector circles, Lekhpal circles and villages, as existing at the commencement of this Code shall, until altered under the preceding sub-sections, be deemed to be the revenue areas specified under this section.

CHAPTER-III

Board and the Revenue Officers

Board of Revenue

7. (1) There shall be a Board of Revenue for Uttar Pradesh consisting of a Chairman and such other members as the State Government may, from time to time. appoint:

Provided that the Board as constituted and functioning immediately before the commencement of this Code shall be deemed to be the Board constituted under this section.

- (2) The principal seat of business of the board shall be at Lucknow and the judicial member may hold their courts at Allahabad or Lucknow as the Chairman from time to time directs.
 - (3) No person shall be qualified for appointment as:-
 - (a) an Administrative Member of the Board, unless he has held an office not lower in rank than that of a Commissioner.
 - (b) as Judicial Member of the Board, unless he has been a revenue officer.
- (4) The State Government may, at the time of making the appointment or at any time subsequent thereto, designate any member, as Judicial Member of the Board, and any such member shall be allotted only judicial business.
 - 8. (1) The Board shall be the Chief Controlling Authority-
 - (a) in all matters relating to disposal of cases, appeals, references or revisions; and
 - (b) subject to the superintendence, direction and control of the State Government, in all other matters provided in this Code.
- (2) Subject to the provisions of sub-section(1), the Board shall exercise, perform and discharge powers, functions and duties conferred upon it by or under this Code or any other law for the time being in force.
- (3) The State Government may authorize any member of the Board to exercise, perform and discharge either generally of in respect of any particular locality or matter, all or any or the powers, functions and duties conferred or imposed on the Board
- 9. (1) Subject to such rules or orders as the State Government may make or issue, the Board may distribute its business amongst its member as the Board may deem fit. Chairman may constitute bench or benches consisting of more than one member for disposal of a particular case or class of cases.
- (2) All orders made or decrees passed by a member of the Board in accordance with such distribution shall be deemed to be orders or decrees, as the case may be, of the Board.
- 10. (1) Where any proceeding coming under the consideration of the Board on appeal or in revision is heard by a Bench composed of two or more members, the case shall be decided in accordance with the opinion of such members or of the majority, if any, of such members.
- (2) Where the members of the Board constituting the Bench are equally divided in opinion as to the decision of a case, it shall be heard by a larger Bench to be constituted by the Chairman, and the case shall be decided in accordance with the opinion of the members constituting such Bench or of the majority, if any, of such members.
- (3) All decisions given by a member sitting singly, or by a Division Bench comprising two members or a larger Bench constituted as aforesaid shall be decisions of the Board.
- 11. (1) The State Government shall appoint in each division a Commissioner, who shall, within his division, exercise the powers and discharge the duties conferred and imposed on a Commissioner by or under this code of any other law for the time being in force.
- (2) The State Government may appoint one or more Additional Commissioners in one of more Divisions.
- (3) An Additional Commissioner shall exercise such powers and discharge such duries of Commissioner in such cases or classes of cases as the State Government or, in the absence of any direction from the State Government, the Commissioner of the division may direct.

Jurisdiction of the Board

Power to distribute business

Decisions of the Board

Commissioners and Additional Commissioners

(4) The provisions of this Code and every other law for the time being applicable to a Commissioner shall apply to the Additional Commissioner when exercising powers or discharging any duties under this section, as if he were the Commissioner of the Division.

Collectors and Additional Collectors

- 12. (1) The State Government shall appoint, in each district, a Collector who shall be in charge of the revenue administration thereof and shall exercise all the powers and discharge all the duties conferred and imposed on a Collector by or under this Code or any other law for the time being in force.
- (2) The State Government may appoint one or more Additional Collectors in a district.
- (3) An Additional Collector shall, subject to the direction and control of the State Government or of the Collector, exercise all powers and discharge all duties of Collector.
- (4) The provisions of this Code and every other taw for the time being applicable to the Collector shall apply to the Ádditional Collector when exercising powers endischarging any duties under this section as if he were the Collector of the district

Sub-Divisional Officers and Additional Sub-Divisional Officers

- 13. (1) The State Government may appoint in each district as drawy persons as a thinks fit to be Assistant Collectors.
- (2) The State Government may place an Assistant Collector to charge of one or more sub-divisions of a district, and such an officer shall be willest the Assistant Collector in-charge of a sub-division or a Sub-Divisional Officer.
- (3) The officers referred to in sub-section (1) or sub-section (1) shall exercise after the powers and discharge all the duties conferred and imposed upon them by or under this Code or any other law for the time being in force, subject to the control of the Collector.
- (4) The State Government may designate an Assistant Collector, appointed to a district to be an Additional Sub- Divisional Officer for one or more tabulation the district.
- (5) Subject to the provisions of this Code, the Additional Sub-Divisional Officer shall exercise such powers and discharge such duties of a Sub-Divisional Officer in such cases or classes of cases as the State Government, or in the absence of any direction from the State Government, the Collector may direct.

Tahsildars and Tahsildars Judicail

- 14. (1) The State Government may appoint in each district as many persons as it thinks fit to be Tahsildars and Tahsildar Judicial.
- (2) Subject to the provisions of this Code, the Tahsildar and Tahsildar Judicial shall exercise such powers and discharge such duties as the State Government or the Board, and in the absence of any directions from the State Government or the Board, the Collector may direct.

Naib-Tahsildars

15. The State Government may appoint in each district as many persons as it thinks fit to be Naib-Tahsildars who shall exercise the power and perform the duties conferred or imposed on them by or under this Code or under any other law for the time being in force.

Revenue Inspectors and Lekhpals

- 16. (1) The Collector may appoint in each tabsil one or more Revenue Inspector for the proper supervision, maintenance and correction of the village records, and for such other duties as the State Government may, from time to time, by general or special order specify.
- (2) The Collector may appoint in each tabsil, as many Lekhpals for the preparation, maintenance and correction of the village records, and for such other duties as the State Government may from time to time by general or special order, specify.

17. It shall be lawful for the State Government or the authority competent to appoint, as the case may be, to appoint one and the same person, being otherwise competent according to law for any two or more of the offices provided for in this Chapter or to confer upon an officer of one denomination all or any of the powers or duties of any other officer or officers within certain local limits or otherwise, as it may deem expedient.

Combination of Offices

18. (1) The Collector may in cases in which there is claim outstanding on any revenue officer or on any person formerly employed as such in his district for public money or papers or other property of the State Government in his charge, by order, for reasons to be recorded, require the money, or the particular papers or property detained to be delivered either immediately to the bearer of the said order or to such person on such date and at such place as the order may specify.

Recovery of money, papers, and other Government property

(2) If the officer or other person aforesaid does not comply as directed, the Collector may cause him to be apprehended and may send him with a warrant in the prescribed form to be confined in the civil prison till he complies with the orders:

Provided that no person shall be detained in confinement by virtue of any suchwarrant for a period longer than thirty days.

19. (1) When any power is exercisable or any duty is dischargeable by any officer or authority under this Code, such power or duty may be exercised or discharged by any superior officer or authority as well.

Other power of Revenue Officers

(2) The revenue officers appointed under this Code shall, subject to the control of the state Government, exercise such other powers and discharge such other duties as the State Government may, by any general or special order, direct.

CHAPTER-IV

Boundaries and Boundary Marks

20. (1) Boundaries of all villages in the State and of all survey numbers in a village shall be fixed and demarcated by boundary marks.

Fixation and demarcation of boundaries

- (2) The boundary marks shall, subject to the provisions hereinafter contained in this Chapter, be of such specifications and shall be constructed and maintained in such manner as may be prescribed.
- 21. (1.) Every tenure-holder shall be responsible to maintain and repair at his cost the boundary marks lawfully erected in his holding or on the boundary thereof.
- (2) The Gram Sabha shall be responsible to maintain and repair at its cost the boundary marks, other than those mentioned in sub-section (1), lawfully erected in the villages situate within its jurisdiction.

Obligation regarding maintenance and repair of boundary marks

22. (1) If any boundary mark lawfully erected in a Lekhpal circle is destroyed, removed or damaged, then the concerned Lekhpal shall be bound promptly to report the matter to the Naib Tehsildar.

Destruction etc. of boundary marks

- (2) The Naib Tehsildar shall make an inquiry in respect of Such report and shall submit his recommendation to the Sub-Divisional Officer.
- 23. (1) The Sub-Divisional Officer may, on receipt of the recommendations of the Naib Tahsildar under section 22, or otherwise, require a Gram Sabha in relation to a village and a tenure holder in relation to his holding, to erect or restore proper boundary marks or to repair or replace the same in such manner as may be prescribed.

Power to require crection, repair of renewal of boundary infarks

(2) Where the Gram Sabha or a tenure holder fails to erect, restore, repair or replace the boundary marks as required under sub-section (1), the Sub-Divisional Officer may cause such boundary marks to be erected, restored; repaired or replaced, as the case may be, and recover the cost thereof from such Gram Sabha or the tenure-liotics in the manner prescribed.

Disputes regarding boundaries

- 24. (1) The Sub-Divisional Officer may, on his own motion or on an application made in this behalf by a person interested, decide, by summary inquiry, any dispute regarding boundaries on the basis of existing survey map or, where the same is not possible in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act 1953; on the basis of such map.
- (2) If in the course of an inquiry into a dispute under sub-section (1), the Sub-Divisional Officer is unable to satisfy himself as to which party is in possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupant, the Sub-Divisional Officer shall-
- (a) in the first case, ascertain by summary inquiry who is the person best entitled to the property, and shall put such person in possession:
- (b) in the second case, put the person so dispossessed in possession, and for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary and shall then fix the boundary accordingly.
- (3) Every proceeding under this section shall, as far as possible, be concluded by the Sub-Divisional Officer within six months from the date of the application.
- (4) Any person aggrieved by the order of the Sub-Divisional Officer may prefer an appeal before the Commissioner within 30 days of the date of such order. The order of the Commissioner shall be final.

Rights of way and other easements

25. In the event of any dispute arising as to the route by which a tenure holder or an agricultural labourer shall have access to his land or to the waste or pasture land of the village (other than by the public roads, paths or common land) or as to the source from or course by which he may avail himself of irrigational facilities, the Tahsildar may, after such local inquiry as may be considered necessary, decide the matter with reference to the prevailing custom and with due regard to the convenience of all the parties concerned. He may direct the removal of such obstacle and may, for that purpose, use or cause to be used such force as may be necessary and may recover the cost of such removal from the person concerned in the thanher prescribed.

Removal of obstacle 26. If the Tehsildar finds that any obstacle impedes the free use of a public road, path or common land of a village or obstructs the road or water course or source of water, he may direct the removal of such obstacle and may, for that purpose, use or cause to be used such force as may be necessary and may recover the cost of such removal from the person concerned in the manner prescribed.

Revisional powers of Sub-Divisional Officer 27. The Sub-Divisional Officer may call for the fecord of any case decided by the Tahsildar under section 25 or 26, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of such decision, and may, after affording opportunity of hearing to the parties concerned, pass such orders as he thinks fit

Order fiol to debar from establishing thy right of easement

28. No order made under this Chapter shall debar any person from establishing such right of easement or customary right as he may claim by a civil suit.

CHAPTER-V

Mälntenance of village records

List of villages

- 29. (1) The Collector shall prepare and maintain a register, in the form prescribed, containing list of all villages in his district and shall show therein-
 - (a) the areas which are liable to fluvial action.
 - (b) the areas which have precarious cultivation; and
 - (c) such other particular as may be prescribed.
- (2) The register shall be revised every five years of at such longer intervals as may be prescribed.

Maintenance of Map and Field Book 30. The Collector shall maintain, in the maintair prescribed, a map and a field book (khasra) for each such village and shall cause to be recorded therein, annually, or at such longer intervals as may be prescribed, all changes in the boundaries of the village or survey numbers, and shall also cause to be corrected, any errors or omissions which are, from time to time, detected in such map or field book (khasra).

- 31. The Collector shall maintain, in the form and manner prescribed, a record · Record of Rights of rights (Khataunl) for each village, which shall contain the following particulars: namely -
 - (a) the names of all tenure holders together with survey numbers or plot numbers held by them and their areas;
 - (b) the nature of extent of the respective interests of such persons and the conditions or liabilities, if any, attaching thereto;
 - (c) the rent or revenue, if ally, payable by or to any such person;
 - (d) particulars of all land (other than holdings) belonging to or vested in the State Government. Gram Sabha or a local authority.
 - (e) such other particulars as may be prescribed.
- 32. (1) Subject to the control of the Collector, the Sub-Divisional Officer the Tahsildar, or the Revenue Inspector shall record, in the manner hereinafter provided in this Chapter, all changes in the record of rights (Khatauni), the field book (Khasra) and the map that may take place, and all transactions that may affect any of the rights or interests recorded, and correct therein any error proved to have been made in the records previously prepared.

Correction of records

- (2) No application for correction of error under sub-section (1) where is claim is based solely on possession as well as involving intricate question of title shall be maintaihable.
- 33. (1) Every person obtaining possession of any land by succession shall submit report of such succession to the Revenue Inspector of the circle in which the land is situate in such form as may be prescribed.

Mutation in cases of succession

- (2) On receipt of a report under sub-section (1) or on-facts otherwise coming to his knowledge, the Revenue Inspector shall-
 - (a) if the case is not disputed, record such succession in the record of rights (Khatauni);
 - (b) in any other case, make such inquiry as may appear to him to be necessary and submit his report to the Tehsildar.
 - (c) Any person whose name has not been recorded by Revenue Inspector of is aggrieved by the order passed by the Revenue Thispectol under clause (a) of (b) may move an application before Tellsildar.
- (3) The provisions of this section shall mulatis mulandis apply to every person admitted as a Bhumidhar with hon-transferable rights of as an asami by the Bhumi Prabandhak Samili in accordance with the provisions of this Code or any enactment repealed by it.
- 34. Every person obtaining possession of any land by transfer, other than Duty to report in transfer referred to in sub-section (3) of section 33 shall report such transfer, in the manner prescribed, to the Tahisildal of the Tahisil in which the land is situate.

cases of transfer

Explanation :- For the purposes of this section, the word transfer includes a family settlement of an exchange of Holdings of paris thereof.

35. (1) On the teceipt of a report under section 33 or section 34, or upon facts otherwise coming to his knowledge, the Tahsildar shall issue a proclamation and make such inquiry as appears and-

Mutation in cases of succession or

- (a) if the case is not disputed, he shall direct the record of rights (Khatauni) to be amended accordingly; ...
- (b) if the case is disputed, he shall settle the same, as far as may be, by conciliation between the parties, and pass orders accordingly; and

- (c) if the dispute is not settled by conciliation, he shall decide the dispute and direct the record of rights (Khatauni) to be amended accordingly.
- (2) Any person aggrieved by an order of the Tahsildar under sub-section (1) may preter an appeal to the Sub-Divisional Officer within a period of thirty days from the date of such order, and any person aggrieved by the order of Sub-Divisional. Officer may prefer the second appeal before the Commissioner within thirty days from that order and the decision of the Commissioner shall be final.

Intimation of transfer and deposit of land revenue

- 36. (1) Notwithstanding anything contained in section 34, where any document purporting to create, assign or extinguish any title to or any charge on land or in respect of which a record of rights (Khatauni) is prepared, is registered under the Indian Registration Act 1908 the registering authority shall send intimation to the Tahsildar within whose jurisdiction such land is situate in such form and within such time, as may be proscribed
- (2) Notwithstanding anything contained in this Chapter, no order for correction of records under section 32 and no order for recording succession under section 33 and no amendment of record of rights (Khatauni) under section 35 and no correction under section 38 shall be recorded, unless the amount of land revenue due up-to-date in respect of the land to which such order relates has been deposited.

Bar against certain suits 37. No suit or other proceeding shall lie in any revenue court at the instance of any person obtaining possession of any land by succession or transfer, until he has made a report under section 33 or section 34, as the case may be

Correction of errors and omission

- 38. (1) An application for correction of any error or omission in the map, field-book (Khasra) or record of rights (Khatauni) shall be made to the Tahsildar in the mariner prescribed.
- (2) On receiving an application under sub-section (1) or on any error or omission otherwise coming to his knowledge, the Tahsildar shall make such inquiry as may appear to him to be necessary, and refer the case along with his report to the Sub-Divisional Officer.
- (3) The case shall be decided by the Sub Divisional Officer after considering any objection filed before him or before the Tahsildar.
- (4) Any person aggrieved by an order of Sub-Divisional Officer under sub-section (3) may prefer an appeal to the Commissioner within a period of thirty days from the date of such order, and the decision of the Commissioner shall be final.

Explanation- The power to correct any error or omission under this section shall not be construed to include the power to decide a dispute involving question of title.

Cenain orders of revenue officers not to debar a suit

39. No order passed by a Revenue Inspector under section 33, or by a Tahsildar under sub-section (1) of section 35 or by a Sub-Divisional Officer under sub-section (3) of section 38 or by a Commissioner under sub-section (2) of section 35 or sub-section (4) of section 38 shall debar any person from establishing his rights to the land by means of a suit under section 144.

Presumption as to

40. All entries in the village map field book (Khasra) and record of right (Khatauni) prepared in accordance with the provisions of this Code shall be presumed to be true, until the contrary is proved.

Kisan Bahi

- :41. (1) Every time when a record of rights (Khatauni) is prepared under this Chapter, the Collector shall as soon as may be cause to be supplied to every tenure-holder, a Kisan Bahi containing such particulars as may be prescribed.
- (2) The Kisan Bahi shall be a consolidated pass-book for all the holdings held by a tenure-holder in the district.
- (3) In the case of a joint holding, it shall be sufficient for the purpose of this section if Kisan Bahi is supplied only to such one or more of the recorded co-tenure holders as may apply for it.

- (4) The tenure holder shall be liable to pay such cost for the Kisan Bahi and in such manner as may be prescribed.
- (5) Every person holding Kisan Bahi shall, from time to time, be entitled, without any extra payment, to get the amendments made in the record of rights (Khatauni) incorporated in his Kisan Bahi.
- (6) Whenever a bank or other public financial institution advances loan to a tenure holder on the basis of a representation of the tenure holder that he is a holder of the holdings recorded in the Kisan Bahi, it shall endorse the details of the loan so advanced in the Kisan Bahi. Only the original Kisan Bahi and not a duplicate shall be produced by a tenure holder to such institution for the purpose.
- (7) The tenure holder shall also submit to such bank or other financial institution an affidavit declaring that he has not taken any other loan (which remains wholly or partly unpaid) on the security of the holdings comprised in the Kisan Bahi nor has he transferred the holding or any share therein to any person in any other manner whatsoever.
- (8) Any tenure holder who in such an affidavit makes any statement which is false and which he either knows or believes to be false or dose not believe to be true, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall, also be liable to fine.
- (9) Such bank or other financial institution shall also endorse the final repayment of the loan on the Kisan Bahi.
- 42. Every person whose rights, interests or obligations are required to be or have been entered in any record or register maintained under his Chapter shall be bound, on the requisition of any revenue officer engaged in compiling or revising such record or register, to furnish or produce for his inspection, within such time as may be specified, all such information or documents needed for the correct compilation or revision thereof as may be within his knowledge or in his possession or power.

Duty to produce information or documents

Chapter-VI

Revision of village records

43. (1) Whenever the State Government is of opinion that in any district or other local area, a revision of records or a re-survey, or both is necessary, it shall publish a notification to that effect, and thereupon such district or area shall be deemed to be under record operation or survey operation or both, as the case may be.

Notification of record and survey operations

- (2) The State Government may, by a subsequent notification, amend or cancel the notification issued under sub-section (1), or declare the operation to be closed.
- 44. (1) The State Government may appoint a Record Officer who shall be incharge of the record operation or the survey operation or both and may also appoint as many Assistant Record Officers as it may deem fit.

Record Officer and Assistant Record Officer

- (2) The Assistant Record Officer shall, for so long as the notification under sub-section (1) of section 43 is in force, exercise the powers conferred on him by this Code and shall discharge such other duties as may be entrusted to him by the Record Officer.
- 45. Where any district or other local area is under record or survey operation, the powers conferred by sections 23 to 26 shall be exercised by the Record Officer.

*Power of Record Officer during record or survey operation

46. When any district or other local area is under record operation, the Record Officer shall cause to be revised, for each village comprised therein, the field book (Khasra) and the record of rights (Khatauni).

Revision of records during record operation

Revision of records during survey operation 47. When any district or other local area is under survey operation, the Record Officer shall cause to be prepared for each village comprised therein, a map, and thereafter, proceed to revise the field book (khasra) and the record of rights (khatauni).

Powers of Record Officer as to erection of boundary marks 48. When any local area is under survey operation the Record Officer may issue a proclamation directing all Gram Sabha and Bhumidhars to erect, within fifteen days such boundary marks, as he may think necessary to defined the limits of the villages and fields and in default, he may cause such boundary marks to be erected and the Collector shall recover the cost of their erection from the Gram Sabhas of Bhumidhars concerned.

Procedure of revision of map and records

- 49. (1) For revising the map and records under sections 46 and 47, the Record Officer shall, subject to the provisions of sub-sections (2) to (8), cause to be carried out survey, map correction, field to field partal and test and verification of current record of rights (khatauni) in accordance with the procedure prescribed.
- (2) After the test and verification of the current record of rights, the Naib Fahsildar shall correct clerical mistakes and errors, if any, in such records, and shall cause to be issued to the concerned tenure holders and other persons interested, notices containing relevant extracts from the current record of rights and such other records as nay be prescribed showing their rights and liabilities in relation to land and mistakes and disputes discovered during the operations mentioned in sub-section (1).
- (3) Any person to whom notice under sub-section (2) has been issued may within twenty one days of the receipt of notice, file before the Naib- Tahsildar objections in respect thereof disputing the correctness or nature of the entries in such records or extracts.
- (4) Any person interested in the land may also file objection before the Naibl'ahsildar at any time before the dispute is settled in accordance with sub-section (5) or pefore the Assistant Record Officer, at any time before the objections are decided in accordance with sub-section (6).
 - (5) The Naib- Tahsildar shall-
 - (a) where objections are filed in accordance with sub-section (3) or subsection (4) after hearing the parties concerned; and
 - (b) in any other case, after making such inquiry as he may deem necessary, correct the mistake, and settle the dispute by conciliation between the parties appearing before him, and pass orders on the basis of such conciliation.
- (6) The record of all cases which cannot be disposed of by the Naib-Tahsildar by conciliation as required by sub-section (5), shall be forwarded to the Assistant Record Officer who shall dispose of the same, in accordance with the procedure laid down in section 24 and where the dispute involves a question of title, he shall decide the same after a summary inquiry.
- (7) Where after the summary inquiry under sub-section (6), the Assistant Record Officer is satisfied that the land in dispute belongs the State Government or a local authority, he shall cause the person in unauthorised occupation of such land to be evicted and may, for that purpose, use or cause to be used such force as may be necessary.
- (8) Any person aggrieved by an order of the Assistant Record Officer made under sub-section (6) or sub-section (7) may prefer an appeal to the Record Officer in the manner prescribed and every order of the Record Officer on such appeal shall, subject to the provisions of section 210, be final.

50. After the revision of map or records in accordance with section 49, the Assistant Record Officer shall confirm or amend the record of rights (Khatauni) under his dated signature.

Finalisation of record of rights

51. The assistant Record Officer shall thereafter prepare, for each village in the area under the record or survey operation, the records specified in sections 30 and 31 on the basis of the record of rights (Khatauni) referred to section 50 and the records so prepared shall be maintained by the Collector in place of the records previously existing.

Preparation of new record of rights

52. The provision of this Chapter shall, mutatis mutandis apply to a record operation or survey operation in respect of every such village or part thereof, where no map or other record referred to in section 46 or section 47 is available, and for this purpose, the Record Officer shall follow such procedure as may be prescribed.

Procedure for villages where no records are available

53. All entries in the record of rights (Khatauni) prepared in accordance with the provisions of this Chapter shall be presumed to be true until the contrary is proved.

Presumption as to the entries

Chapter VII

Ownership of Land and other Properties

54. All public roads, lanes and paths, bridges, ditches, dykes and fences on or beside them, the bed of rivers, streams, nallas, lakes, ponds and tanks and all canals and water channels, and all standing and flowing water, and all lands wherever situated, which are not owned by any person, and except in so far as any rights of any persons may be established in or over the same, and except as may be otherwise provided in any law for the time being in force, are hereby declared, with all rights in or over the same, or appertaining thereto, to be the property of the State Government:

Title of State in all lands etc.

Provided that nothing in this section shall be deemed to affect the rights of any person subsisting in any such property immediately before the date of commencement of this Code.

55. (1) Notwithstanding anything contained in this Code, the right to operate or work in any mine or to extract any mineral there from shall be governed by the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

Mines and minerals

- (2) Every lessee of building or land, leased or deemed to have been leased out by the State Government under any of the enactments repealed by this Code, for the purposes connected with the working or extraction of any mine or mineral, and operating on the date of commencement of this Code, shall continue to retain possession thereof on payment of such rent as was in force on the date of such commencement.
- 56. (1) All trees existing on any holding or grove shall, subject to the provisions of this Code or any other law for the time being in force, be deemed to belong to the person who holds such holding or grove.

Rights in trees

- (2) All trees existing on the boundary of any holdings shall be deemed to belong jointly to the persons who hold the holdings on either side of such boundary.
- (3) All trees in abadi or in any unoccupied land belonging to or held by any person immediately before the date of commencement of is Code shall continue to belong to such person and be held subject to any other law for the time being in force and to any rules made under this Code.
- (4) Subject to the provisions of section 57, all trees, brushwood, jungle or other natural product, wherever growing or planted, other than the trees referred to in sub-sections (1) to (3) shall, with effect from the date of commencement of this Code be deemed to be the property of the State Government.

Explanation- For the purposes of this section, and section 59, the expression 'unoccupied land' means the land in a village other than the land held by tenure-holders.

Fruit bearing trees

- 57. (1) Where before the commencement of this Code, any fruit bearing tree was planted by any person on either side of any public road or path or canal with the permission in writing of any revenue officer or an officer of the Forest or Public Works Department or Irrigation Department of the State Government; not below the rank of a Tahsildar or an Assistant Conservator of Forest or an Assistant Engineer, as the case may be, then, notwithstanding that such land vests in the State Government, such person and his legal representatives shall be entitled to the fruits of such trees without payment of any charges whatsoever.
- . (2) Any person desiring to plant a fruit bearing tree after the commencement of this Code, on either side of any public road or path or canal may do so with the permission in writing of the Collector or any other officer authorized by the State Government in this behalf, and the provisions of sub-section (1) shall apply to the trees so planted.
- (3) The right conferred under this section shall be heritable but the person planting the fruit bearing tree or his heirs shall have no right to the corpus of such tree or in the land on which it stands.

Disputes to be decided by Collector

- 58. (1) Where any dispute arises in respect of any property referred in section 54 or section 56 or section 57 or in respect of any right to such property, such dispute shall be decided by the Collector.
- (2) Any person aggrieved by any order passed under sub-section (1) may file an appeal before the Commissioner within 2 month from the date of order.

Chapter VIII

Management of Land and other Properties

by Gram Sabha or other Local Authority

Entrustment of land etc. to Gram Sabhas and other loal authorities

- 59. (1) The State Government may, by general or special order to be published in the manner prescribed, entrust all or any of the things specified in sub-section (2), which vest in the State Government, to a Gram Sabha or other local authority for the purposes of superintendence, preservation, management and control in accordance with the provisions of this code.
- (2) The following things may be entrusted to a Gram Sabha or other local authority under sub-section (1), namely-
 - (i) lands, whether cultivable or otherwise, except land for the time being comprised in any holding or grove;
 - (ii) grove standing on the Gram Sabha land, pasture land, graveyard, cremation ground, manure pits. Khaliyans, Chakroads, link roads, sector roads, land in river bed, road, Sadak Khanti, Sullage farm;
 - (iii) forests; and fisheries;
 - (iv) trees, other than trees in a holding or on the boundary of a holding or in a grove or abadi, or any trees on unoccupied land;
 - (y) hats, bazars, melas, tanks, ponds, water-channels, private ferries, pathways and abadi sites;
 - (vi) subject to the provision of the Treasure Trove Act. 1878, any properties specified in section 55 and belonging to the State Government.

(3) Every land or other thing-

- (a) vested in a Gram Sabha or any other local authority under the provisions of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953 or the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960;
- (b) placed under the charge of a Gram Sabha or any other local authority under any of the enactments repealed by this Code;
- (c) otherwise coming into possession of a Gram Sabha or other local authority, either before or after the commencement of this Code;

shall be deemed to be entrusted to such Gram Sabha or other local authority, as the case may be, with effect from the date of commencement of this Code or from the date of such coming into its possession, for the purpose of superintendence, preservation, management and control, in accordance with the provisions of this Code.

- (4) The State Government may, by a subsequent order to be published in the manner prescribed,-
 - (a) add to, amend, vary or rescind any earlier order issued udder subsection (1);
 - (b) transfer to any other Gram Sabha or other local authority, any land or other thing entrusted or deemed to be entrusted under sub-section(1) or sub-section (3) for superintendence, preservation, management and control;
 - (c) resume any land or other thing so entrusted, or deemed to be entrusted or transferred to any Gram Sabha or local authority on such terms and condition as prescribed;
 - (d) impose conditions and restrictions subject to which the powers of superintendence, preservation, management and control under this section shall be exercised.
- (5) Where any of the thing specified in sub-section (2) has been entrusted or deemed to have been entrusted to a Gram Sabha, and the village or any part thereof in which such things are situated lies outside the circle of the Gram Sabha, such Gram Sabha or its Bhumi Prabandhak Samiti shall, subject to any general or special order issued by the State Government in this behalf, perform, discharge and exercise the functions, duties and powers assigned, imposed or conferred by or under this Code or the U.P. Panchayat Raj Act, 1947 on a Gram Sabha or a Bhumi Prabandhak Samiti as if that village or part also lay within that circle.
- (6) Where any of the things specified under sub-section (2) has been entrusted or deemed to be entrusted to a local authority other than the Gram Sabha, the provisions of this Chapter shall mutaris mutandis apply to such local authority.
- 60. (1) Subject to the provisions of this Code, every Bhumi Prabandhak Samiti shall be charged, for and on behalf of the Gram Sabha, with the superintendence, preservation, management and control of all land and other things entrusted or deemed to be entrusted to that Gram Sabha under section 59 or over which such Gram Sabha is entitled to take possession under this Code or any other law for the time being in force.

Superintendence, management and control by Bhumi Prbandhak Samiti

- (2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the functions and duties of the Bhumi Prabandhak Samiti shall include: -
 - (a) the settlement and management of land;
 - (b) the preservation, maintenance and development of forests and trees;

- (c) the maintenance and development of abadi sites and village communications:
 - (d) the management of hats, bazars and melas:
 - (e) the maintenance and development of fisheries and tanks;
 - (f) the development of cottage industries;
 - (g) the development and improvement of agriculture;
- (h) the conduct and prosecution of suits and proceedings by or against the Gram Sabha; and
 - (i) such other matters as may be prescribed;

Management of village tanks

- 61. Where a tank in any village is entrusted or deemed to be entrusted to any Gram Sabha under section 59, then, notwithstanding anything contained in any contract or grant or any law for the time being in force, its management by such Gram Sabha shall be regulated by the following conditions, namely:
 - (a) where the area of the tank measures 0.5 acre or less, it shall be reserved for public use by the inhabitants of the village;
 - (b) where the area of the tank exceeds measures 0.5 acre, the Bhumi Prabandhak samiti shall, with the previous approval of the Sub-Divisional Officer, let it out in the manner prescribed.

Explanation- For the purpose of this section, the term 'tank', includes talab, pond, pokhar and other land covered perennially with water.

Conduct of suits and legal proceedings

- 62. (1) Subject to the provisions of sub-section (2) and such other conditions as may be prescribed, the Chairman or such members of the Bhumi Prabandhak Samiti as may be authorised in this behalf by such Samiti, may sign any document and do all other things for the proper conduct and prosecution of suits and other proceedings for and on behalf of the Gram Sabha.
- (2) No suit or other proceedings to which any Gram Sabha is a party shall be compromised or withdrawn on behalf of such Gram Sabha, unless such compromise or withdrawal is approved by a resolution of the Bhumi Prabandhak Samiti and prior sanction of the Sub-Divisional Officer is obtained.

Land which may be allotted for abadi sites

- 63. (1) The Sub-Divisional officer may of his own motion or on the resolution of the Bhumi Prabandhak Samiti earmark the following classes of land for the provision of abadi sites for allotment to persons specified in section 64:-
 - (a) all lands entrusted or deemed to be entrusted to a Gram Sabha under clause (i) of sub-section (2) of section 59;
 - (b) all lands coming into possession of Gram Sabha under any other provision of this Code;
- (2) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Code or in the U.P. Panchayat Raj Act, 1947, the Bhumi Prabandhak Samiti may, with the previous approval of the Sub-Divisional Officer, allot the following classes of land for the purposes of building houses:-
 - (a) any land referred to in sub-section (1):
 - (b) any land earmarked for abadi sites under the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act. 1953:

ct No. 1 of 1894

(c) any land acquired for abadi under the provisions of the Land. Acquisition Act, 1894.

64. (1) The following order of preference shall be observed in making allotment of land referred to section 63:-

Allotment of abadi sites

- (a) an agricultural labourer or a village artisan residing in the Gram Sabha and belonging to a scheduled caste or scheduled tribe or other Backward Classes or a person of general category living below poverty line as determined by the State Government.
- (b) any other agricultural labourer or a village artisan residing in the Gram Sabha.
- (c) any other person residing in the Gram Sabha and belonging to a scheduled caste or scheduled tribe or other Backward Classes or a person of general category living below poverty line as determined by the State Government:

Provided that preference will be given to widow and physically handicapped person within same category.

Explanation- For the purposes of this sub-section-

- (1) "other backward class" means the backward classes of citizens specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act, No. 4 of 1994);
- (2) "person of general category living below poverty line" means such persons as may be determined from time to time by the State Government.
- (2) In making an allotment under this section, preference shall be given to a person who either holds no house or has insufficient accommodation considering the requirement of his family.
- (3) Every land allotted under this section shall be held by the allottee on such terms and conditions as may be prescribed.
- 65. (1) Where any land referred in section 63 has been allotted for building a house under section 64, and any person other than an allottee is in occupation of such land in contravention of the provisions of this Code, the Sub-Divisional Officer may, of his own motion and shall, on the application of the allottee, put the allottee in possession of such land, and may, for that purpose, use or cause to be used such force as he may consider necessary.

Delivery of possession to allottee

(2) Where any person, after being evicted under this section, reoccupies the land or any part thereof, without lawful authority, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years but which shall not be less than three months and also with fine which may extend to three thousand rupees:

Provided that the court convicting the accused may, while passing the sentence, direct that the whole or such portion of the fine that may be recovered as the court considers proper be paid to the allottee as damages for use and occupation.

- (3) Where in any proceeding under sub-section (2), the court, at any stage after cognizance of the case has been taken, is satisfied by affidavit or otherwise that-
 - (a) the accused is in occupation of the land to which such proceeding relates, in contravention of the provisions of this Code, and
 - (b) the allottee is entitled to the possession of such land,

the court may, summarily, evict the accused from such land pending the final determination of the case, and may put the allottee in possession of such land.

- (4) Where in any proceeding under sub-section (2), the accused is convicted, the interim order passed under sub-section (3) shall be confirmed by the court.
- (5) Where, in any proceeding under sub-section (2), the accused is acquitted or discharged and the court is satisfied that the person so acquitted or discharged is entitled to be put back in possession over such land, the court shall, on the application of such person, direct that delivery of possession be made to him.
- (6) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, an offence under sub-section (2) may be tried summarily.
- (7) For the purpose of speedy trial of offences under this section, the State Government, may in consultation with the High Court, by notification constitute special courts each consisting of an officer not below the rank of sub-divisional magistrate, who shall, subject to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, exercise, in relation to such offence, the powers of a Judicial Magistrate of the First Class.

Act No. 2 of 1974

(8) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, every offence punishable under sub-section (2) shall be cognizable and non-bailable.

Inquiry into irregular allotment of abadi sites

- 66. (1) The Collector may, of his own motion and shall, on the application of any person aggrieved by an allotment of land made under section 64, inquire in the manner prescribed of such allotment and if he is satisfied that the allotment is irregular, he may cancel the allotment, and thereupon, the right, title and interest of the allottee and of every other person claiming through him in the land allotted shall cease.
- (2) No application under sub-section (1) shall be entertained, if it is made after the expiration of a period of three years from the date of allotment.
 - (3) Every order of the Collector made under this section shall be final.
- 67. (1) Where any property entrusted or deemed to be entrusted under the provisions of this Code to a Gram Sabha or other local authority is damaged or misappropriated, or where any Gram Sabha or other authority is entitled to take possession of any land under the provisions of this Code and such land is occupied otherwise than in accordance with the said provisions, the Bhumi Prabandhak Samiti or other authority or the Lekhpal concerned, as the case may be, shall inform the Sub-Divisional Officer concerned in the manner prescribed.
- (2) Where from the information received under sub-section (1) or otherwise, the Sub-Divisional Officer is satisfied that any property referred to in sub-section (1) has been damaged or misappropriated, or any person is in occupation of any land referred to in that sub-section in contravention of the provisions of this Code, he shall issue notice to the person concerned to show cause why compensation for damage, misappropriation or wrongful occupation not exceeding the amount specified in the notice be not recovered from him, or, as the case may be, why he should not be evicted from such land.
- (3) If the person to whom a notice has been issued under sub-section (2) fails to show cause within the time specified in the notice or within such extended time as the Sub-Divisional Officer may allow in this behalf, or if the cause shown is found to be insufficient, the Sub-Divisional Officer may direct that such person shall be evicted from the land, and may, for that purpose, use or cause to be used such force as may be necessary, and may direct that the amount of compensation for damage or misappropriation of the property or for wrongful occupation as the case may be, be recovered from such person as arrears of land revenue.

Power to prevent lamages, nisappropriation and wrongful occupation of Gram Sabha properties

- (4) If the Sub-Divisional Officer is of opinion that the person showing cause is not guilty of causing the damage or misappropriation or wrongful occupation referred to in the notice under sub-section (2), he shall discharge the notice.
- (5) Any person aggrieved by an order of the Sub-Divisional Officer under Sub-section (3) or Sub-section (4), may within thirty days from the date of such order, prefer an appeal to the Collector.
- (6) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Code, and subject to the provisions of this section every order of the Sub-Divisional Officer under this section shall, subject to the provisions of sub-sections (5) be final,
- (7) The procedure to be followed in any action taken under this section shall be such as may be prescribed.

Explanation- For the purposes of this section, the word "land" shall include the trees and buildings standing thereon.

68. (1) All sums received under this Code by a Gram Sabha, Gram Panchayat or a Bhumi Prabandhak Samiti shall be credited to the Gaon Fund:

Gaon Fund

Provided that the amount of damages or compensation recovered under section 67 shall be credited to the Consolidated Gaon Fund.

- (2) The Gaon Fund constituted under the enactments repealed by this Code and subsisting immediately before the commencement of such Code shall be deemed to have been constituted under this section.
- (3) The Gram Fund shall be operated in such manner and shall be applied for such purposes as may be prescribed.
- 69. (1) There shall be established for each district, a Consolidated Gaon Fund to which the following amounts shall be credited, namely-

Consolidated Gaon Fund

- (a) the amount referred to in the proviso to sub-section (1) of section 68;
- (b) all contributions received by the Collector under sub-section (2);
- (c) such other amounts as may be prescribed.
- (2) Every Gram Sabha in a district shall pay to the Collector annually such percentage, not exceeding twenty five, as the State Government may from time to time notify, of the total amount credited to the Gaon Fund under section 67, in the manner prescribed.
- (3) The Consolidated Gaon Fund shall be operated by the Collector and may be applied for the following purposes, namely-
 - (a) the payment of fees and allowances, if any, of the lawyers appointed -under section 72;
 - (b) the payment of expenses incurred in connection with the conduct and prosecution of suits, applications or other proceedings by or against the Gram Sabha or the Bhumi Prabandhak Samiti under this Code;
 - (c) the payment of expenses incurred on the development of lands of common utility, and
 - (d) the payment of any other sum which the State Government may, by general or special order, declare to be an appropriate charge on such fund.

(4) The Consolidated Gaon Funds constituted under any of the enactments repealed by this Code and subsisting immediately before its commencement shall be deemed to have been constituted under this section.

Orders and direction of the State Government and the Collector

- 70. (1) The State Government and, subject to its control, the Collector may issue such orders or directions to the Bhumi Prabandhak Samiti as may appear to be necessary for purposes of this Code.
- (2) It shall be the duty of the Bhumi Prabandhak Samiti and its office bearers to forthwith carry out the orders and comply with the directions issued under sub-section (1).

Alternative arrangement

- 71. If at any time the Collector is satisfied that-
- (a) the Bhumi Prabandhak Samiti has failed without reasonable cause or excuse to discharge its duties or to perform the function imposed or assigned to it by or under this Code; or
- (b) circumstances have so arisen that the Bhumi Prabandhak Samiti is or may be rendered unable to discharge the duties or perform the functions imposed or assigned by or under this Code; or
- (c) it is otherwise expedient or necessary to do so; he may, direct that the duties, powers and functions of such Bhumi Prabandhak Samiti under this Code, shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be discharged, exercised and performed by an officer not below the rank of a Naib-Tahsildar and for such period and subject to such restrictions as may be specified.

Standing counsel and other lawyers

- 72. (1) The State Government may, on such terms and conditions and in such manner as may be prescribed appoint -
 - (a) one Standing Counsel (Revenue) each at Allahabad High Court and Lucknow Bench thereof;
 - (b) one Standing Counsel (Revenue) each for Board of Revenue Allahabad and Lucknow;
 - (c) one Divisional Government, Counsel (Revenue) for the divisional head-quarters; and
 - (d) one District Government Counsel (Revenue) for the district headquarters.
- (2) The Collector may, on such terms and conditions and in such manner as may be prescribed, appoint not more than two Panel Lawyers (Revenue) for every tahsil.
- (3) Subject to the provisions of sub-section (2) of section 62, the legal practitioners appointed under sub-section (1) or sub-section (2) may plead or act, without any writen authority, on behalf of any Gram Sabha, Gram Panchayat or Bhumi Prabandhak Samiti in any court or authority for which he is so appointed,
- (4) No Gram Sabha, Panchayat or Bhumi Prabandhak Samiti shall engage any legal practitioner other than one appointed under this section without prior permission of the Collector.
- (5) Notwithstanding anything contained in the Court Fees Act. 1870, (Act no. 7 of 1870) no court fee shall be payable on any vakalatnama or memo of appearance filed by any legal practitioner appointed under this section.
- (6) The legal practitioners appointed under this section shall not be competent to plead or act against any Gram Sabha, Gram Panchayat or Bhumi Prabandhak Samiti before any court for which he is so appointed.

73. (1) In any suit or other proceedings under this Code, the Gram Sabha shall be represented-

Representation of Gram Sabha

- (a) in proceeding before the Collector or in a civil court, by the District Government Counsel (Revenue);
- (b) in proceeding before the commissioner, by the Divisional Government Counsel (Revenue); and
- (c) in proceeding before the Board or the High Court, by the separate Standing Counsels (Revenue) of Lucknow or Allahabad, as the case may be.
- (2) Nothing in this Chapter shall preclude the State Government or the collector from appointing special counsel for the conduct of any suit or proceeding to which any Gram Sabha is party on such terms and conditions as may be prescribed.

Chapter IX

Tenures

74. There shall be following classes of tenure holders, namely-

Classes of tenures

- (a) Bhumidhar with transferable rights;
- (b) Bhumidhar with non-transferable rights:
- (c) Asami, and
- (d) Government lessee.
- 75. Every person belonging to any of the following classes, shall be called bhumidhar with transferable rights and shall have all the rights and be subject to all the liabilities conferred or imposed upon such bhumidhar by or under this Code, namely.

Bhumidhar with transferable rights

- (a) every person who was a bhumidhar with transferable rights immediately before the date of commencement of this Code,
- (b) every person who in any other manner acquires, on or after the said date, the rights of such a bhumidhar under or, in accordance with the provisions of this Code or under any other law for the time being in force.
- 76. Every person belonging to any of the following classes shall be called a bhumidhar with non-transferable rights and shall have all the rights and be subject to all the liabilities conferred or imposed upon such bhumidhar by or under this Code, namely:-

Bhumidhar with non-transferable rights

- (a) every person who was a bhumidhar with non-transferable rights immediately before the date of commencement of this Code;
- (b) every person who is admitted as a bhumidhar with non-transferable rights on or after the said date by the Bhumi Prabandhan Samiti to any land under or in accordance with the provisions of this Code;
- (c) every person who is or has been allotted any land under the provision of the Uttar Pradesh Bhoodan Yajna Act, 1952;
- (d) every person who is or has been allotted any land under the provision of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960;
- (e) every person who in any other manner acquires on or after the said date, the rights of such a bhumidhar under or in accordance with the provisions of this Code, or any other law for the time being in force.
- (2) Every person who was a Bhumidhar with non-transferable rights immediately before the commencement of this Code and had been such Bhumidhar for a period of ten years or more, shall become Bhumidhar with transferable rights on such commencement.
- (3) Every person who was a Bhumidhar with non-transferable rights on the commencement referred to sections (1) and (2) or becomes Bhumidhar with non-transferable rights after such commencement shall become Bhumidhar with transferable rights after expiry of ten years from his becoming Bhumidhar with non-transferable rights.

(4) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Code, if any person transfers land by sale after becoming Bhumidhar with transferable rights under sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3), he shall not be eligible for lease of any land vested in the Gram Sabha or the State Government or the surplus land defined in the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960.

Bhumidhar rights not to accrue in certain lands

- 77. Notwithstanding anything contained in this Code or any other law for the time being in force; no person shall acquire the rights of a bhumidhar in the following land:-
 - (a) Khaliyan, manure pits, pasture land or land normally used as burial or cremation ground;
 - (b) land covered by water and used for the purpose of growing <u>singhara</u> or other produce;
 - (c) land situate in the bed of a river and used for casual or occasional cultivation;
 - (d) such tracts of shifting or unstable cultivation which the State Government may by notification specify;
 - (e) land declared by the Sate Government to be intended or set apart for taungya plantation and notified as such;
 - (f) grove land entrusted or deemed to be entrusted to a Gram Sabha or any other local authority under section 59;
 - (g) land included in sullage farm or trenching ground entrusted or deemed to be entrusted to a Gram Sabha or any other local authority under section 59;
 - (h) land acquired or held for a public purpose or a work of public utility;
 - (i) land covered by a pond, tank or lake, or forming part of an embankment, bandh or bhita; and
 - (j) any other land which the State Government may, by notification, specify in this behalf:

Explanation- The expression 'public purpose', in clause (h) shall include:

- (i) land set apart for military camping ground;
- (ii) land included within railway or canal boundaries:
- (iii) land acquired and held by a local authority for its own purposes;
- (iv) land referred to in section 29-C of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953; or
- (v) land reserved by a Gram Sabha for the purposes of public utility:

Provided that the land use of public utility land except the land of pond, grave-yard, cremation ground, Id-gah land covered by forest, religious-places or site of Holi, can be changed by the State Government for public interest in the manner as may be prescribed.

Asami

- 78. Every person belonging to any of the following classes, shall be called an asami, and shall have all the right and be subject to all the liabilities conferred or imposed upon such asami by or under this Code, namely:-
 - (a) every person who was an asami immediately before the date of commencement of this Code;
 - (b) every person who is admitted as an asami on or after the said date by the Bhumi Prabandhak Samiti to any land under or in accordance with the provisions of this Code:

- (c) every person who is admitted as lessee on or after the said date, by a bhumidhar of any land under or in accordance with the provisions of this Code;
- (d) every person who in any other manner acquires the rights of an asami under or in accordance with the provisions of this Code or any other law for the time being in force.
- 79. (1) A bhumidhar with transferable rights shall, subject to the provisions of this Code, have the right to exclusive possession of all land of which he is such a bhumidhar and to use it for any purpose whatsoever.

Right of bhumidhars to exclusive possession

(2) A bhumidhar with non-transferable right shall, subject to the provisions of this Code, have the right to exclusive possession of all land of which he is such a bhumidhar, and to use such land for any purpose connected with agriculture.

80. (1) Where a bhumidhar with transferable rights uses his holding or part thereof for a purpose not connected with agriculture, horticulture or animal husbandry which includes pisciculture and poultry farming, the Sub Divisional Officer may, suo motu or on an application moved by such bhumidhar, after making such enquiry as may be prescribed, make a declaration to that effect.

Use of bhumidhari land for nonagricultural purposes

- (2) The application for declaration under section (1) shall contain such particulars and shall be made in such manner as may be prescribed.
- (3) Where the application under sub-section (1) is made in respect of a part of the holding, the Sub-Divisional Officer may, in the manner prescribed, demarcate such part for purposes of such declaration.
- (4) No declaration under this section shall be issued by the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied that the land is to be used for a purpose which is likely to cause a public nuisance or to affect adversely public order, public health, safety or convenience or against uses proposed in the Master Plan.
- 81. Where a declaration has been made under section 80 the following consequences shall, in respect of such holding or part to which it relates ensue:

Consequences of declaration

- (a) all restrictions imposed by or under this Chapter in respect of transfer of land shall cease to apply to the bhumidhar with transferable rights.
- (b) notwithstanding anything contained in Chapter XI, the land shall, with effect from the commencement of the agricultural year following the date of declaration, be exempted from payment of land revenue;
- (c) the bhumidhar shall, in the matter of devolution be governed by the personal law to which he is subject.
- 82. (1) Whenever any holding or part thereof in respect of which a declaration has been made under section 80 is used for any purpose other than a purpose connected with agriculture, the Sub-Divisional Officer may, of his own motion or on an application made in that behalf and after making such inquiry as may be prescribed, cancel such declaration.

Cancellation of declaration

- (2) Where a declaration is cancelled under sub-section (1) the following consequences shall in respect of the holding or part to which it relates ensue namely:-
 - (a) the holding or part shall become subject to all restrictions imposed by or under this Chapter in matters of transfer and devolution;
 - (b) the holding or part shall become liable to payment of land revenue with effect from the commencement of the agricultural year in which the order for cancellation of the declaration is made:

Provided that until any land revenue is reassessed on such holding or part in accordance with the provisions of this Code, the land revenue payable or deemed to be payable in respect or such holding or part before the grant of declaration under section .80 shall be deemed to be the land revenue payable in respect of such holding or part,

(c) where the land is in possession of any person other than the bhumidhar thereof on the basis of a contract or lease, and the terms of such contract or lease are inconsistent with the provisions of this Code, such contract or lease shall to the extent of the inconsistency, become void and the person in possession shall be liable to ejectment on the suit of the bhumidhar:

Provided that a mortgage with possession existing on the date of the cancellation of the declaration shall, to the extent of the amount due and secured on such land, be deemed to be substituted by a simple mortgage carrying such rates of interest as may be prescribed;

Recording of declaration or cancellation

Right of an asami for exclusive possession of his holding

- 83. Every declaration under section 80 or cancellation under section 82 shall be recorded in Record of Rights in the manner as may be prescribed.
- 84. An asami shall, subject to the provision of this Code, have the right to exclusive possession of all land comprised in his holding and to use such land for any purpose connected with agriculture:

Provided that no asami shall be entitled to use any land declared by the State Government by notification to be intended or set apart for taungya plantation, for any purpose other than cultivation and raising of crops.

Consequences of using the land in contravention of the provisions of this Code

- 85. (1) Where a bhumidhar with non-transferable rights uses his holding or part thereof, in contravention of the provisions of section 79, he shall, notwithstanding anything contained in any other provision of this Code, be liable to ejectment from such holding or part on the suit of the Gram Sabha.
- (2) Where an asami uses his holding or part thereof for any purpose not permitted by section 84, he shall, notwithstanding anything contained in any other provision of this Code, be liable to ejectment from such holding or part, on the suit of the land holder.
- (3) A decree for ejectment under this section may direct payment of damages equivalent to the cost of works which may be required to restore the land to its original condition.

Extinction of interest of bhumidhar with non-transferable rights or asami

86. Where a bhumidhar with non-transferable rights or an asami has been ejected from any holding or part thereof in accordance with section 85, all rights and interest of such bhumidhar or asami in such holding or part together with any improvements made therein shall stand extinguished.

Improvement not to be removed

- 87. (1) It shall be lawful for a bhumidhar to make any improvement in the land of which he is bhumidhar, for cultivation of such land or for more convenient use thereof.
- (2) Where the right, title or interest of any tenure holder in any holding or part is extinguished under or in accordance with the provisions of this Code, he shall not be entitled to remove or appropriate any improvement made by him under subsection (1).

Transfers

Transferability of a bhumidhars interest

- 88. (1) The interest of a bhumidhar with transferable rights shall, subject to the provision of this Code, be transferable.
- (2) Save as otherwise expressly provided by this Code or any other law for the time being in force, the interest of a bhumidhar with non-transferable rights or an asami in any holding shall not be transferable.

89. (1) No bhumidhar shall have the right to transfer any holding or part thereof where such transfer contravenes or is likely to contravene the provisions of sub-section (2) or sub-section (3).

Restriction on transfer by bhumidhar

- (2) Subject to the provisions of sub-section (3), no person shall have the right to acquire by purchase or gift any holding or part thereof from a bhumidhar with transferable rights where the transferee shall as a result of such acquisition become entitled to land which together with land, if any, held by him and his family shall exceed 5.04 hectares in Uttar Pradesh.
- (3) The State Government may, by general or special order, authorise an acquisition in excess of the limits specified in sub-section (2) if such acquisition is for a charitable or industrial purpose and is in favour of a registered society or any company or other corporation or educational institution or a charitable institution and if it is of opinion that the acquisition would be in public interest, and in any such case, the provisions of the Uttar Prardesh Imposition of Ceiling on Land Höldings Act, 1960 shall not apply to such acquisition.
- 90. Notwithstanding anything contained in this Code or in any other law for the time being in force, no person, other than an Indian citizen, shall have the right to acquire any land, by sale or gift, or in any other manner involving transfer of possession in his favour, without prior permission in writing from the State Government.

Persons other than Indian nationals not to acquire land

Explanation- For the purposes of this section, the expression "an Indian citizen" includes any company or association or body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by Indian citizens.

91. No bhumidhar shall have the right to mortgage any holding or its part where possession of the mortgaged property is transferred or agreed to be transferred to the mortgagee as security for the amount of mortgage advanced or to be advanced or for interest thereon-

Restrictions on transfer by mortgage

92. Subject to the provisions of this Code, the interest of a bhumidhar with non-transferable rights in any holding or its part may be-

Mortgage and gift of land by bhumidhar with non-transferable rights

- (a) transferred by mortgage without possession as security for a loan taken or to be taken from the State Government or a bank or a co-operative society or the U.P. State Agro Industrial Corporation Ltd. or any other—financial institution owned and controlled by such Government;
- (b) sold in execution of a decree of any court regarding the matter referred to in clause (a) or in proceedings for collection of land revenue under Chapter XII.
- 93. If any bhumidhar transfers possession of any holding or part thereof for the purpose of securing any money advanced by way of loan or in lieu of interest on such loan, then, notwithstanding anything contained in any law or contract or document of transfer, the transaction shall be deemed at all times and for the purposes of this Code, to be a sale to the transferee, and to every such sale, the, provisions of section 89 shall apply.

Transfer of possession for securing money shall be deemed to be a sale

94. No blumidhar or asami shall let out his holding or any part thereof except :-

Restrictions on lease

- (a) in the cases provided for in section 95 or section 96, or;
- (b) to a recognised educational institution imparting instruction in agriculture.

Lease by a disabled person

- 95. (1) A bhumidhar, or an asami holding land from a Gram Sabha, may let out the whole or part of his holding for a period not exceeding three years at a time, if he is a disabled person, that is to say, he belongs to any one of the under mentioned classes:-
 - (a) a mentally ill or mentally retarded person, the letting in such a case being made by his guardian or by the manager of his property;
 - (b) a person incapable of cultivation by reason of any physical infirmity;
 - (c) a deity or a waqf;
 - (d) a widow or an unmarried woman;
 - (e) a married woman provided she is divorced or has been deserted by her husband or is judicially separated from her husband or is living separately on account of cruelty of her husband or her husband's relatives, or her husband belonge to class (a), class (b), class (g) or class(h);
 - (f) a minor whose father is either dead or belongs to class(a), class (b), class (g), class (h) or class (i) or class (j), the letting in such a case being made by guardian of his property;
 - (g) a person below 25 years in age who is prosecuting studies in any recognized educational institution and whose father is either dead or belongs to class (a), class (b)) class (h)) class (i) or class (j);
 - (h) a person serving in the Military, Naval or Air services of the Union of India or his wife or her husband living with him or with her;
 - (i) any other Government servant or his wife or her husband living with him or with her;
 - (j) any person under detention or undergoing imprisonment;
- (2) Where a bank acquires any land in proceedings under the Uttar Pradesh Agricultural Credit Act, 1973, it may let the whole or part of such land for a period not exceeding one year at a time, and after the expiry of the said period, the lessee shall cease to have any right, title or interest in the land so let.

Explanation: The expressions 'mentally ill' and 'mentally retarded' shall have the meanings assigned to them in the Mental Health Act, 1987. (Act No.14 of 1987).

Lease by a disabled co-shares

- . 96. (1) Where any holding is held jointly by more persons than one and all of them are not subject to the disabilities mentioned in sub-section (1) of section 95, then the disabled co-sharer may alone let out his share in the holding.
- (2) Where any share in any holding has been let out by a co-sharer in accordance with sub-section (1), the asami or co-sharer may sue for division of such share.
- (3) No other relief shall be combined in a suit for division under sub-section (2).

Lease how made

- 97. Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (Act no. 14 of 1882), or the Indian Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) a lease referred to in section 95 for a period exceeding one year shall be made either by a registered instrument or in the manner prescribed.
- Explanation. A lease which fails to comply with the provisions of this section shall not be deemed by reason thereof to be a transfer in contravention of the provisions of this Chapter.

98. (1) Without prejudice to the provisions of this Chapter, no bhumidhar belonging to a scheduled caste shall have the right to transfer, by way of sale, gift, mortgage or lease any land, situate outside the limits, of Development authorities constituted under Uttar Pradesh Urban Planning and development Act, 1973, to a person not belonging to a scheduled caste, except with the previous permission of the Collector in writing:

Restrictions on transfer by Bhumidhars belonging to a scheduled caste

Provided that no such permission shall be granted by the Collector if the transferor will come to hold less than 1.265 hectare of land in Uttar Pradesh as a result of such transfer.

- (2) For the purposes of granting permission under this section the Collector may make such inquiry as may be prescribed.
- 99. Without prejudice to the provisions of this Chapter, no bhumidhar belonging to a scheduled tribe shall have the right to transfer, by way of sale, gift, mortgage or lease any land to a person not belonging to a scheduled tribe.

100. A bhumidhar or an asami belonging to a scheduled caste or a scheduled tribe may, notwithstanding anything contained in any other provision of this Code, transfer his interest in any holding or part, by mortgage without possession as security for a loan taken or to be taken from the State Government or any institution referred to in clause (a) of section 92.

Restrictions on transfer by bhumidhars of scheduled tribes

Mortgage by members of scheduled caste and scheduled tribes

101. (1) No bhumidhar shall without prior permission in writing of the Sub-Divisional Officer exchange his land with the land - Exchange

- (a) held by another bhumidhar; or
- (b) entrusted or deemed to be entrusted to any Gram Sabha or a local authority under section 59.
- (2) The Sub-Divisional Officer shall refuse permission under sub-section (1) in the following cases, namely;-
 - (a) if the exchange is not necessary for the consolidation of holdings or securing convenience in cultivation;
 - (b) if the difference between the valuation determined in the manner prescribed, of the lands given and received in exchange exceeds ten percent-of the lower valuation.
 - (c) if the difference between the areas of the land given and received in exchange exceeds twenty five percent of the lesser area, or
 - (d) in the case of land referred to in clause (b) of sub-section (1), if it is reserved for planned use, or is land in which bhumidhari rights do not accrue.
 - (e) if the land is not located in same or adjacent village of the same tehsil.
- (3) Nothing in this section shall be deemed to empower any person to exchange his undivided interest in any holding, except where such exchange is in between two or more same co-sharers.
- (4) Nothing in the Indian Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) shall apply to an exchange in accordance with this section.
 - 102. Where an exchange is made in accordance with section 101

Consequences of exchange

(a) the parties to the exchange shall have the same rights in the land received in exchange as they had in the land given;

- (b) the Sub-Divisional Officer shall order the record of rights (Khatauni) to be corrected accordingly; and
- (c) the amount of land revenue assessed, payable or deemed to be payable for the land so exchanged shall not be affected thereby.

Effect of lease in contravention of this Code

Transfer in contravention of

void

this Code to be

Bhumidhar in

contravention of the Code

Consequences of transfer by

- 103. Where a bhumidhar has let out his holding or any part thereof in contravention of section 94, section 95, section 96 or section 99, the lessee shall, notwithstanding anything contained in any law or contract or document of lease, become and be deemed to be-
 - (a) where the total area of the land held by him, together with the land held by his family, including the land let out to him and any member of his family, does not exceed 5.04 hectares in Uttar Pradhesh, bhumidhar with nontransferable rights thereof; and
 - (b) where the total area as aforesaid exceeds 5.04 hectares, a purchaser. thereof, and the provision of section 89 shall, apply thereto.
- 104. Except as provided in section 103 every transfer of interest in any holding or part thereof made by a bhumidhar or an asami in contravention of the provisions of this Code shall be void.
- 105. (1) Where transfer of interest in any holding or part made by a bhumidhar is void under section 104, the following consequences shall, with effect from the date of such transfer, ensue, namely:-
 - (a) the subject matter of such transfer shall yest in the State Government free from all encumbrances;
 - (b) the tree; crops, wells and other improvements; existing on such holding or part shall vest in the State Government free from all encumbrances;
 - (c) the interests of the transferor and the transferee in the properties specified in clauses (a) and (b) shall stand extinguished;
 - (d) the extinction of interest of the transferor under clause (c) shall operate to extinguish the interest of any asami holding under him;
- (2) Where any land or other property has vested in the State Government under sub-section (1) it shall be lawful for the Collector to take over possession of such land and other property, and to direct that any person occupying such land or property be evicted there from, and for that purpose, the Collector may use or cause to be used such force as may be necessary and the provisions of section 59 mutatis. mutandis shall apply to such property.

Consequences of transfer made by contravention of this Code

106. Where transfer of interest in any holding or part made by an asami is void under section 104, such asami shall be liable to ejectment on the suit of the Gram-Sabha or other land holder, as the case may be, in accordance with the provisions of this Code.

Devolution

- 107. (1) Subject to the provisions of sub-section (2), a bhumidhar with transferable rights may bequeath his interest in any holding by will.
- (2) In relation to a bhumidhar with transferable rights belonging to a scheduled caste or scheduled tribe, the provisions of section 98 and 99 shall apply to the making of bequests as they apply to transfer Juring life time.
- (3) Every will made under this section shall, notwithstanding anything contained in any law, custom or usage, be in writing attested by two witnesses and registered.
- (4) No bhumidhar with non-transferable rights or asami shall have the right to bequeath his interest in any holding by will.
- (5) A bequest made in contravention of the provisions of this section shall be void.

Bequest by Bhumidhar or Asami

108. (1) Subject to the provisions of Section 107, where a bhumidhar or asami, being a male dies, his interest in his holding shall devolve upon his heirs being the relatives specified in sub-section (2) in accordance with the following principles, namely:-

General order of succession to male Bhumidhar or Asami

- (i) the heirs specified in any one clause of sub-section (2) shall take simultaneously in equal shares;
- (ii) the heirs specified in any preceding clause of sub-section (2) shall take to the exclusion of all heirs specified in succeeding clauses, that is to say, those in clause (a) shall be preferred to those in clause (b), those in clause (b), shall be preferred to those in clause (c) and so on, in succession;
- (iii) if there are more widows than one, of the bhumidhar or asami, or of any predeceased male lineal descendant who would have been an heir, if alive, all such widows together shall take one share;
- (iv) the widow or widowed mother or the father's widowed mother or the widow of any predeceased male lineal descendant who would have been an heir, if alive, shall inherit only if she has not remarried.
- (2) The following relatives of the male bhumidhar or asami are heirs, subject to the provision of sub-section (1)) namely: - .
 - (a) widow, and the male lineal descendants in the male line of descent per stirpes:

Provided that the widow and the son of a predeceased son how low-so-ever shall inherit per stirpes the share which would have devolved upon the predeceased son had he been alive;

- (b) mother and father;
- (c) unmarried daughter;
- (d) married daughter;
- (e) brother and unmarried sister being respectively the son and the daughter of the same father as the deceased; and son of a predeceased brother, the predeceased brother having been the son of the same father as the deceased;
 - (f) son's daughter;
 - (g) father's mother and father's father;
 - (h) daughter's son;
 - (i) married sister;
 - (i) half sister, being the daughter of the same father as the deceased;
 - (k) sister's son;
- (i) half sister's son, the sister having been the daughter of the same father as the deceased;
 - (m) brother's son's son;
 - (n) mother's mother's son
 - (o) father's father's son's son;

109. Where before or after the commencement of this Code, any woman Succession to inherits the interest of a male bhumidhar, asami or Government lessee in any holding, and such woman dies, marries or remarries after such commencement, then, her interest in the holding shall, subject to the provisions of section 107 and 112 devolve upon the nearest surviving heir of the last male bhumidhar, asami or Government lessee, as the case may be:

woman inheriting as a female heir

Explanation - The expression 'nearest surviving heir' in this section means the heir ascertained in accordance with section 108.

Succession to woman holding otherwise than as a female heir

- 110. Where any female bhumidhar or asami or a Government lessee dies, after the commencement of this Code, then her interest in any holding or its part shall subject to the provision of sections 107 to 109 devolve, in accordance with the order of succession given below:
 - (a) son, son's son, son's son's son, predeceased son's; widow, and predeceased son's predeceased son's widow, in equal shares per stirges.

Provided firstly that the nearer shall exclude the remoter in the same branch:

Provided secondly that a widow who has remarried, shall be excluded;

- (b) husband
- (c) unmarried daughter;
- (d) married daughter
- (e) daughter's son;
- (f) father;
- (g) widowed mother;
- (h) brother, being the son of the same father as the deceased and brother's son per stirpes;
 - (i) unmarried sister,
 - (j) married sister;
 - (k) Sister' son;
- 111. Nothing in this Chapter shall be construed to apply to the devolution of management of a Hindu devasthanam, math or debutter property or of a Muslim wakf comprising any holding, which shall continue to be governed by such personal or other law as may be applicable to it.
- 112. (1) Where before or after the commencement of this Code, two or more co-widows inherit the interest of a male tenure-holder, and any one of them dies or remarries after such commencement without leaving any heir entitled to succeed in accordance with section 108, the interest of such co-widow shall pass by survivorship to the surviving widow, and where there are two or more surviving co-widows, then to the surviving co-widows in equal shares.
- (2) Where any land is held by two or more co-tenure holders, and any one of them dies after the commencement of this Code without leaving any heir entitled to succeed under sections 108 to 110, the interest of such co-tenure holder shall pass to the surviving co-tenure holders in equal shares.
- 113. Notwithstanding anything contained in this Code or any other law for the time being in force, no person other than an Indian citizen and person of Indian origin who has acquired citizenship of any other country shall be entitled to acquire any land or any interest therein either by bequest or by inheritance,
- 114. The devolution of interest in any holding under this Chapter shall be subject to the following conditions:-
 - (a) If a bhumidhar or asami dies intestate, and at the time of his death; a child was in the womb who was subsequently born alive, then such child shall have the same right to inherit as if he or she had been born before the death of such bhumidhar or asami, and the inheritance shall be deemed to vest in such a case with effect from the date of death of such bhumidhar or asami;
 - (b) Where two persons have died in circumstances rendering it uncertain whether either of them and if so which survived the other, then for purposes of devolution of interest in any holding, it shall be presumed, untile the contrary is proved, that the younger survived the elder,
 - (c) A person who commits murder of a bhumidhar or asami, or abets the commission of such murder, shall be disqualified form inheriting the interest of the deceased in any holding;
 - (d) If any person is disqualified from inheriting the interest in the holding of any bhumidhar or asami under clause (c), such interest shall devolve as if the disqualified person had died before the death of such bhumnidhar or asami.

Savings as to religious endowments, etc.

interest of cotenure holders to pass by survivingship

Devolution of interest among surviving cotenure holders.

Persons othe than Indian citizens and persons of Indian origin not to inherit

Other conditions regarding devolution

Explanation. In this section, the expression 'murder' means any offence punishable under section 302, section 303, section 304, section 304-A, section 304-B, section 305 of section 306 of the Indian Penal Code

115 (1) Where a bhumidhar or an asami holding land from a Gram Sabha dies without known heir, the Sub-Divisional Officer may take possession of the land held by such bhumidhar or asami, and may lease it for a period of one agricultural year at a time, in the manner prescribed IV (1814 A MERCHER RES)

Escheat

- run (2). The terms and conditions for every, lease funder, sub-section (1) ishall be such as may be prescribed o milled for all suffice or notice dige in steady and remain
- (3) If within three years of the date on which the Sub Divisional Officer takes possession of the land any claimant applies for the land being restored to him, the Sub-Divisional Officer may, after such inquiry as he thinks fit, allow of reject his claim. 10,416 1184 (1) Any person aggrieved by all order rejecting his claim under sub-section (3) may, within one year from the date of communication of such order to him, file all suit for declaration of his rights under section 144,013 or and no issues on qui will ad him and and 5) The Sub Divisional Officer shall continue to lease out the land in
- accordance with sub-sections (1) and (2) till the suit referred to in sub-section (4) is accentiance with section 118 or section 119; finally decided.
- (6) If no claimant appears within three years from tile date of taking possession of the land by the Sub-Divisional Officer for if the colaimant whose claim has been rejected under sub-section; (3) does not file a suit thi accordance with sub ad section (4), or the suit, if filed is finally dismissed, then the land shall be deemed to have vested in the Gram Sabha or the local authority, under section, 59 with effect from 3 barrage of lians registron guiden had authority, under section, 59 with effect from 3 the following date, namelyhave been extraguished from the said date

(a) where no claimant appears, from the date of expiry of the three ro; and the borrow of the continuous substitution of (continuous library) of the case ro; and continuous to be claimed to red to insub-section (3); of the case ro; and continuous the case may seem the claimant does not file a suit for declaration, from the date of the continuous to the continuous rounding the claimant does not file a suit for declaration the claimant does not file a suit for declaration the claimant does not file a suit for declaration the claimant does not succeed us the claimant does not succeed the claimant under sub-section (4) is finally in the claimant under sub-section (5).

10) i edismissed, from the date or such final dismissal.

ni 2261(7) Where any claimant succeeds in any claim under sub-section (3) or in any suit filed under sub-section (4), he shall, not with standing anything contained in any law for the time being in force; be entitled to possession of the land and to the rent realised from the lessee after deducting all arrears of land revenue due in respect of such land and the expenses of its management consequency now

เวด์) าสเมียนด

DIVISION

- 116. (1) A bhumidhar may sue for the division of the holding of which he is a Suit for division of co-sharer. Suit for division of co-sharer. within a period of three years from the commencement of the agricultural year next
- 1,300 (2) Injeyery such suit, the court may also divide the drees, wells and other had improvements existing on such holdings, thus on this you'll said to mento of an end of
- (3) One suit may be instituted for the division of more holdings than one where all the parties to the suit other than the Gram Sabha are, jointly interested in each of the holdings it is before me new man the control of the holdings it is been dead been bed been been and the control of the holdings it is been and the control of the holdings it is the control of the holdings it is been also bee
- (4) To every suit under this section, the Gram Sabha concerned shall be made a party.

Duty of Court in suits for division of holding

- 117. (1) In every suit for division of holding under section 116 the Court of Assistant Collector shall-
 - (a) follow such procedure as may be prescribed;
 - (b) apportion the land revenue payable in respect of each such division.
- (2) A division of holding referred to in section 116 shall not affect the joint liability of the tenure-holders there of in respect of the land revenue payable before the date of the final decree.

SURRENDER AND ABONDONMENT

Surrender by bhumidhar

- 118. (1) A bhumidhar may surrender his interest in any holding or any part thereof by giving an application in writing to the Tahsildar intimating his intention to do so and by giving up possession thereof to him whether or not such holding is let.
- (2) Where only part of a holding has been surrendered, the Tahsildar shall apportion the land revenue payable by such bhumidhar.

Surrender by asami

119. An asami may surrender his interest in any holding (but not any part thereof) by giving notice in writing to the land holder intimating his intention to do so, and by giving up possession thereof to him.

Effect of surrender

- 120. (1) A bhumidhar or asami shall be deemed to have surrendered any land held by him, with effect from the date when possession over such land is given up in accordance with section 118 or section 119,
 - (2) Where any land is so surrendered-
- (a) by an asami, his right, title or interest in such land shall be deemed to have been extinguished from the date of such surrender,
- (b) by a bhumidhar, the right, title and interest of such bhumidhar and of every other person claiming through him in such holding or its part shall be deemed to have been extinguished from the said date.

Liability for rentrevenue in use of surrender

121. Notwithstanding the provisions of section 118 to 120, the bhumidhar, or asami shall continue to be liable to pay the land revenue or the rent, as the case may be, for the holding in respect of the agricultural year next following the date of surrender, unless the notice of surrender was given before the first day of April.

Abandonment by bhumidhar

- 122. (1) If a bhumidhar does not pay the land revenue and does not use it for agriculture for a continuous period of three agricultural years and has left the village in which he usually resides and whose where abouts are not known, then the Collector may, after such inquiry, as he may deem necessary, take possession of the land held by such bhumidhar.
- (2) Where the Collector has taken possession of any land under sub-section (1), he may let it out on behalf of the bhumidhar for a period of one agricultural year at a time in the manner prescribed.
- (3) If the bhumidhar or any other person lawfully entitled to the land claims it within a period of three years from the commencement of the agricultural year next following the date on which the Collector took possession thereof, it shall be restored to him on payment of dues, if any and on such terms and conditions as the Collector may think fit.
- (4) Where no claim is preferred under sub-section (3) or if any claim is preferred by t is disallowed, the Collector shall make an order declaring the holding abandoned.

- (5) Every order of the Collector under sub-section (4) shall be published in the manner prescribed, and shall, subject to the result of any Suit under section 144, be final.
- (6) Nothing in this section shall apply to any holding held by a bhumidhar in whose favour a declaration has been made under section 80 where such declaration continues to be in force.
- 123. Where any holding has been abandoned under section 122, the following Consequence of consequences shall ensue, namely-

abandonment.

- (a) the holding shall vest absolutely in the State Government free from all encumbrances;
- (b) the bhumidhar concerned Shall cease to have any right, title of interest in-such holding;
- (c) the bhumidhar concerned shall continue to be liable for land revenue due in respect of Such holding for the agricultural year during which the order referred to in sub-section (4) of the said section was made.
- 124. (1) When the interest of a bhumidhar in any land is extinguished under the provisions of this Code or any other law for the time being in force, the Sub-Divisional Officer may on the application of the Gram Sabha concerned evict any person in unauthorised occupation of such land and deliver possession thereof to the Gram Sabha in such manner as may be prescribed.

Delivery of possession to Gram Sabha

(2) The provisions of sub-section (1) shall mutatis mutandis apply to the eviction of an asami holding land from a Gram Sabha, or from a bank under subsection (2) of section 95.

LEASE OF LAND BY GRAM SABHA

125. The Bhumi Prabandhak Samiti may, with the previous approval of the Sub-Divisional Officer, admit any person as-

Bhumi Prabandhak Samiti to land entrusted to Gram Sabha

- (a) bhumidhar with non-transferable rights to any land entrusted or deemed to be entrusted to the Gram Sabha under section 59 other than land specified in section 77;
- (b) asami to any land specified in section 77 except in clause (a) or clause (h) or (i) thereof where such land is entrusted or deemed to be entrusted to the Gram Sabha under section 59 other than a tank specified in clause (a) of section 61.
- 126. (1) In the admission of any person to land as bhumidhar with nontransferable rights or as asami under section 125, hereinafter in this Chapter referred to as allotment of land, the Bhumi Prabandhak Samiti shall observe the following order of preference:-
- Order of preference in admission to land by Bhumi Prabandhak Samit
- (a) a landless widow, sons unmarried daughters or parents residing in the gram sabha of a person who has lost his life while in active service in the Armed Forces of the Union;
- (b) a landless person residing in the gram sabha who has become wholly disabled while in active service in the Armed Forces of the Union;
- (c) a landless agricultural labourer residing in the gram sabha and belonging to a scheduled caste or scheduled tribe, other backward class or a person of general category living below poverty line as determined by the State Government.

- (d) any other landless agricultural labourer residing in the gram sabhar
- (e) a landless person residing in the gram sabha who has retired or been released or discharged from service in the Armed Forces of the Union, otherwise than as an officer, ...
- (f) a landless freedom fighter residing in the gram sabha, who has not been granted political pension;
- (g) any bhumidhar or asami residing in the gram sabha and holding land less than 1,26 hectares;
- (h) any other landless agricultural labourer belonging to a scheduled caste or scheduled tribe, other backward class or a person of general category living below poverty line as determined by the State Government not residing in the gram sabha but residing in the Nyaya Panchayat circle referred to in section 42 of U.P. Panchayat Raj Act 1947.

Explanation For the purposes of this sub-section-

- (i) 'allotment', includes any allotment made under the corresponding provisions of any enactment repealed by this Code;
- Con (Aii), 'GramuSabha', means : GramuSabha as defined under the U.P. Panchayat Raj Act 1947;
- (iii) a person shall be deemed to be 'landless' if he or his spouse or their minor children, and Where the allottee is himself a minor, then his parents thold no land on the date of all of the within two years immediately preceding the said date;
- (iv) the expression /freedom fighter means a person so defined in the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of freedom fighters and Ex-Serviceman) Act, 1993 https://doi.org/10.100/
- (v) "other backward class" means the backward classes of citizens "specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act, No. 4 of 1994);
- 1 azuel(vi) "person of general category living below poverty line" means such persons as may be determined from time to time by the State Government.
- (2) The land that may be allotted under sub-section (1), shall not exceed such area as together with the land held by him as bhumidhar or asami immediately before to eithe allotment would aggregate to 1/26 hectares.

Consequences of 1040 1000 allotment"

127. (1) Where any land is allotted to a person in accordance with sections 125 and 126 and any tree of other improvement exists on such land, then unless the contrary rand a situation appears, such tree or improvement shall also be deemed to be allotted to the person concerned along with the land, population and work of the sections in the

(2) The allottee shall hold the land so allotted on such term and conditions as may be prescribed,

Cancellation of allotment and lease

- 128. (1) The Collector may, of his own motion and shall on the application of any person aggrieved, inquire in the manner prescribed into any allotment and if he is satisfied that the allotment is in contravention of the provisions of this Code or any of the enactments repealed by this Code or the rules made there under, he may cancel the allotment and the lease, if any.
 - (a) in the case of an allotment of land made before the commencement of this code, within five years from the date of such commencement;

- (b) in the case of an allotment of land made on or after the date of such commencement, within five years from the date of such allotment or lease.
- (2) Where the allotment of lease of any land is cancelled under sub-section (1), the following consequences shall ensue, namely-
 - (a) the right, title and interest of the allottee or lessee or any other person claiming through him in such land and in every tree or other improvement existing thereon shall cease, and the same shall revert to the Gram Sabha;
 - (b) the Collector may direct delivery of posse as ion over such land, tree or improvement forthwith to the Gram Sabha after ejectment of every person holding or retaining possession thereof and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary,
- (3) Where in proceedings for cancellation of allotment or lease referred to in Clause (b) of Sub-section (1) the Collector is satisfied that any land referred to in section 77 excepting clause (a) or clause (h) or (i) thereof has been allotted to any person as bhumidhar with non-transferable rights, he may instead of canceling the allotment or lease, direct that the allottee or lessee shall be treated as an asami under clause (b) of section 125.
- (4) Every order made by the Collector under this section shall, subject to the provisions of section 211, be final,
- (5) The provisions of sections 5 and 49 of the Uttar Pradesh consolidation of Holding Act, 1953 shall not apply to the proceeding under this section.
- 129. (1) Where any person is admitted to any land in accordance with section. Restoration of 125, or where any land is let out to any person by the State Government and any person, other than the allottee or lessee, is in occupation of such land in contravention of the provisions of this Code, the Assistant Collector may, of his own motion, and lessee shall, on the application of the allottee or the lessee, as the case may be, put him in possession of such land, and may for that purpose use or cause to be used such force as he considers necessary.

(2) The provisions of sub-sections (2) to (8) of section 65 shall mutatis mutandies apply in relation to reoccupation of any land or part thereof after possession has been delivered under sub-section (1)

Ejectment

130. No bhumidhar shall be liable to ejectment from the land held by him except as provided by or under this Code.

Bhumidhars not to be ejected'

allottee or the

Government

- 131. (1) No asami shall be liable to ejectment from the land held by him. except on a suit of the landholder or Gram Sabha, which may be filed on one or more of the following grounds, namely-
 - (a) that the interest of the asami in the land held by him has extinguished under the provisions of this Code;
 - (b) that the asami was holding land from year to year or for a period. which has already expired or will expire before the end of the current agricultural year, .
 - (c) that the asami is using the land for any purpose not permitted by section 84;
 - (d) that the land holder was suffering from any of the disabilities referred to in sub-section (1) of section 95 and either his disability has ceased or he wishes to bring the land under his personal cultivation.

Suit for ejectment etc.

against asami-

60 RPH-Vidhaika-Page 63 (eng) Data 2

- (e) that the asami was in arrears of rent for a period of more than one year and has failed to pay the same to the land holder within a period of thirty days despite service of a notice of demand;
- (f) that the asami has transferred the whole or part of the land held b_j him in contravention of the provisions of this Code;
- (2) No notice to quit to the asami shall be necessary before filing a suit unde this section.
 - (3) The land holder may in a suit for ejectment also claim arrears of rent
- (4) A land holder may, without suing for ejectment sue the assami for arrears of rent.

Right to crops and trees

- 132. (1) Where in execution of a decree passed in a suit under section 131, an asami is ejected, and the court is satisfied that any ungathered crops or trees belonging to the judgment debtor exist on the land, the court shall, not withstand anything contained in the Code of Civil Procedure, 1908, proceed in the following manner:
 - (a) if the amount due from the judgment debtor is equal to or greater than the value of such crops or trees, the court shall deliver the possession of the land with the crops and trees to the decree holder, and all rights of the judgment-debtor in or upon such crops or trees shall therefore pass to the decree-holder;
 - (b) if the amount due from the judgment-debtor is less than the value of such crops or trees, and-
 - (i) the decree-holder pays the difference between such amount and the value to the judgment-debtor, the court shall deliver possession of the land to the decree-holder and all rights of the judgment-debtor in such crops or trees shall therefore pass to the decree-holder,
 - (ii) the decree-holder does not pay such difference the judgment-debtor shall have the right of tending gathering or removing such crops or trees or fruits of such trees, until such crops or trees have been gathered or removed or die or are cut down, as the case may be, paying such compensation for the use and occupation of land as the court fix.
- (2) The court executing the decree may, on the application of any party, determine the value of the crops or three and the compensation payable by the judgment debtor under the provisions of sub-section (1).

Suit for injunction, compensation etc.

- 133. The Gram Sabha or the land-holder may, in lieu of suing for ejectment of an asami under section 131, file a suit in the Court of Sub Divisional Officer.
 - (a) for injunction restraining him from putting the land to any unauthorised use or causing any waste or damage to it;
 - (b) for compensation for such use, waste or damage; or
 - (c) for repair of the waste or damage caused to the land.

Ejectment of persons occupying land without title

- 134. (1). Where a person takes or retains possession of any land forming part of the holding of any bhumidhar or asami otherwise than in accordance with the provisions of the law for the time being in force and without the consent of such bhumidhar or asami, such person shall be liable to ejectment on the suit of the bhumidhar or asami concerned, and shall also be liable to pay damages at the rate prescribed.
- (2) To every suit relating to any land referred to in sub-section (1), the State Government and Gram Sabha shall be impleaded as necessary parties.

Consequences of failure to file suit under section 134

135. If a suit for ejectment from any land under sub-section(l) of section 134 is not instituted by a bhumidhar or asami, or if a decree for ejectment obtained in any such suit is not executed with in the period of limitation provided for the institution of

such decree, as the case may be, the following consequences shall ensue, with effect from the date of expiry of such period namely-

- (a) where the land forms part of the holding of a bhumidhar with transferable rights, the person taking or retaining possession shall become bhumidhar with non-transferable rights and shall be liable to pay land revenue therefor at double the pre-existing rates;
- (b) where the landforms part of the holding of a bhumidhar with non-transferable rights, the person taking or retaining possession shall become like bhumidhar with non-transferable right and shall be liable to pay land revernue therefor at double the pre-existing rates;
- 136. (1) The Sub-Divisional Officer may, of his own motion or the application of the Gram Sabha or other local authority, eject any person taking or retaining possession of any land specified in sub-section (2), if such possession is in contravention of the provisions of this Code and is without the consent of such Gram Sabha or the local authority and shall also be liable to pay damages at the rates prescribed.

Ejectment of trespassers of Gaon Sabha land.

- (2) The provisions of sub-section (1) shall apply to the following categories of land, namely -
 - (a) any land entrusted or deemed to be entrusted to any Gram Sabha or local authority under the provisions of this Code or any other law for the time being in force;
 - (b) any land over which a Gram Sabha or local authority is entitled to take possession under the provisions of this Code;
 - (c) any land which belongs to or is owned or held by a Gram Sabha or local authority;
 - (d) that the asami is holding land specified in clause (d) or clause (e) of section 77 and that the cultivation of crops in such land has become impossible;
 - (e) that the asami was admitted to the land under clause (b) of section 125 and the Gram Sabha proposes to use it for a public purpose.
- (3) No person shall be evicted from any land under this section unless adequate opportunity to show cause has been afforded to him.
- (4) In evicting a person under this section, the Sub- Divisional Officer may use or cause to be used such force as may be necessary.

Explanation- For the purposes of this section, the word 'land' includes trees and improvements existing on such land

137. (1) An asami ejected or apprehending ejectment from or prevented from obtaining possession of any land otherwise than in accordance with the provisions of any law for the time being in force, may sue the person so ejecting him, trying to eject him or keeping him out of possession-

Remedies for wrongful ejectment

- i) for possession of the land; .
- ii) for compensation for wrongful dispossession; or
- (2) When a decree is passed for compensation for wrongful dispossession but not for possession the compensation awarded shall be for the whole period during which the asami was entitled to remain in possession.

RENT

Rent payable by an asami 138. Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, an asami shall, on being admitted to the occupation of any land, be liable to pay such rent as may be agreed upon between him and his landholder or the Gram Sabha, as the case may be.

Application for fixation of rent

- 139. (1) Where any person is in occupation of any land as an asami, without the rent being agreed upon, the asami or his landholder may apply to the Tahsildar for fixation of rent.
- (2) On receipt of an application under sub-section (1), the Tahsildar shall make an inquiry in such manner as may be prescribed, and shall fix the rent in accordance with the rules made under this Code.
- (3) The rent fixed under sub-section (2) shall be payable by the asami with effect from the date when he occupied the land as such asami.
- (4) Any person aggrieved by an order of the Tehsildar under sub-section (2) may file an appeal to the Sub-Divisional Officer, and notwithstanding anything contained in other provisions of this Code, the order of the Sub-Divisional Officer shall be final.

Remission for calamity by court decreeing claim for arrears. 140. (1) Where the court hearing a suit for recovery of arrears of rent is satisfied that the holding was substantially decreased by diluvion or otherwise, or the produce thereof was substantially diminished by drought, hail, deposit of sand or other calamity during the period for which the arrear is claimed, it may allow such remission from the rent, as may appear to it to be just:

Provided that no such remission shall be deemed to vary the rent payable by the asami otherwise than for the period in respect of which it is made.

(2) Where a court allows remission under sub-section (I) the State Government or any authority empowered by it in this behalf, shall order consequential remission in the land revenue in accordance with such principles as may be prescribed.

Commutation of rent

Recovery of

arrears of rent

from asami of

arrears

Gaon Sabha, etc.
Power to write off

- 141. (1) Where the rent in respect of any holding is payable otherwise than in cash, the Assistant Collector may, of his own motion or on the application of the Gram Sabha or the person by or to whom the rent is payable, commute the rent in the manner prescribed.
- (2) The rent commuted under sub-section (1) shall be payable from the first day of July following the date of die order of commutation unless the order provides for some other date.
- 142. Arrears of rent due from an asami holding land from a Gram Sabha or other local authority either before or after the commencement of this Code, shall be recoverable as an arrear of land revenue.
- 143. The whole or any part of the arrears of rent, in respect of any land or other property entrusted or deemed to be entrusted to a Gram Sabha or other local authority under the provisions of this Code may, is such circumstances as may be prescribed, be written off as irrecoverable by the Bhumi Prabandhak Samiti or by the local authority, as the case may be, by resolution passed in that behalf:

Provided that no resolution passed by a Bhumi Prabandhak Samiti shall take effect until it is confirmed by the Sub-Divisional Officer.

Declaratory suits

Declaratory suits by tenure holders

- 144. (1) Any person claiming to be a bhumidhar or asami of any holding or part thereof, whether exclusively or jointly with any other person, may sue for a declaration of his rights in such holding or part.
 - (2) In every suit under sub-section (1) instituted by or on behalf of:-
 - (a) a bhumidhar, the State and the Gram Sabha shall be necessary parties;
 - (b) an asami, the land-holder shall be a necessary party.

145. Notwithstanding anything to the contrary contained in section 34 of the Specific Relief Act, 1963, the Gram Sabha may institute a suit against any person, claiming to be entitled to any right in any land for the declaration of the right of such person in such land, and the court may, in its discretion, make a declaration of the right of such person, and the Gram Sabha need not in such suit ask for any further relief:

Declaratory suit by Gram Sabha

146. If in the course of a suit under section 144 or 145, it is proved by affidavit or otherwise-

Provision for injunction

- (a) that any property, tree or crops standing on the land in dispute is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit; or .
- (b) that any property to the suit threatens or intends to remove or dispose of the said property, trees or crops in order to defeat the ends of justice, the court may grant a temporary injunction, and where necessary, also appoint a receiver.

CHAPTER X

Fovernment Lessess

147. Every person who hold; any land on lease from the State Government, Definition of whether such lease was granted before or after the commencement of this Code, shall Government lessee be called a Government lessee in respect of such land.

148. Notwithstanding anything contained in this Code, every Government lessee shall be entitled to hold such land in accordance with the terms and conditions of the lease:

Government lessees right to hold land

149. A Government lessee may be evicted from the land held by him on one or more of the following grounds, namelyEjectment of Government lessee

- (a) that he has failed to pay the rent or any other sum due under the lease within six months from the date on which it became due;
- (b) that he has used such land for any purpose other than that for which it was granted;
- · (c) that the term of his lease has expired or the lease has been cancelled;
 - (d) that he has contravened any terms or conditions of the lease.
- 150. The provisions of the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupations), Act, 1972 shall, mutatis mutandis, apply to the eviction of Government lessee as apply to the unauthorised occupants within the meaning of that Act, and the Sub-Divisional Officer shall be deemed to be the prescribed authority for the purposes of that Act.

Provision of U.P. Act no. 22 of 1972 to apply

151. (1) If a person takes or retains possession over any land, let out to a Government lessee, otherwise than in accordance with the terms and conditions of the lease and without the consent of such lessee, such person hall be liable to ejectment on the suit of the Government lessee concerned and shall also be liable to pay damages at the rates prescribed.

Trespass on land held by a Government lessee

- (2) The State Government shall be made a party, but the Gaon Sabha shall not be a necessary party to a suit instituted under sub-section (1).
- (3) If a suit for eviction referred to in sub-section (1) is not instituted by a Government lessee or a decree for eviction obtained in any such suit is not executed within the period of limitation provided therefor, then the following consequences shall, with effect from the expiry of such period ensue, namely -
 - (a) the person taking or retaining possession over the land let out to the Government lessee shall be liable to eviction in accordance with section 150;
 - (b) the right, title and interest of the Government lessee in such land shall stand extinguished and the term of his lease shall be deemed to have expired.

Dues recoverable as arrear of land revenue 152. Arrears of rent or any other sum due from a Government lessee may be recovered as an arrear of land revenue.

CHAPTER XI

Assessment of Land Revenue

Land held by bhumidhar liable to payment of land revenue 153. (1) All lands held by a bhumidhar, wherever situate and to whatever purpose applied; shall be liable to assessment (by such authority and in such manner as may be prescribed) and payment of land revenue to the State Government:

Provided that the State Government may by notification exempt any land, whether wholly or partially, from such liability on such terms and conditions as it may think fit.

- (2) Land revenue may be assessed on land, notwithstanding that it has been exempted under the proviso to sub-section (1).
- (3) No length of occupation shall release any land from the liability to payment of land revenue.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1); sub-section (2) or sub-section (3), the following lands shall be exempted from the payment of land revenue, namely-
 - (a) land occupied by buildings other than improvement;
 - (b) grave-yards and cremation grounds.

Land revenue payable by bhumidhar

- 154. (1) Every person, who held any land as a bhumidhar from before the date of commencement of this Code, shall pay and continue to pay to the State Government, the same amount of land revenue which he was liable to pay in respect of such land for the agricultural year preceding the year in which this Code comes into force.
- (2) Every person, who after such commencement, acquires bhumidhari rights in any land shall, subject to the provisions of this Code, pay to the State Government the same amount of land revenue which was payable in respect of such land, immediately before the date of such acquisition.
- (3) Every person who after such commencement, acquires bhumidhari rights in any land, where no land revenue was payable in respect of such land immediately before the date of such acquisition, shall be liable to pay land revenue determined by the Sub-Divisional Officer in accordance with such principles as may be prescribed.
- 155. Notwithstanding anything contained in this Chapter, the land revenue payable by a bhmnidhar may be varied in the manner prescribed on the ground of an increase or decrease in the area of his holding or in the productivity of the land comprised therein by fluvial action or other natural cause.
- 156. Notwithstanding anything contained in this code, every member of a family, the total area of land held by whose members as bhumibhar, does not exceed 1.26 hectares (3.125 acres) shall be exempted from the liability to pay land revenue to the State Government.
- 157. (1) Notwithstanding anything contained in this Code, the State Government may, on the occurrence of an agricultural calamity affecting the crops of any village, or part of a village, remit or suspend, for any period, the whole or any part of the land revenue of any holding affected by such calamity.
- (2) The State Government may likewise remit or suspend, for any period, the rent payable by an asami to the Gram Sabha, in a village or part where such calamity has occurred.
- 158. Whenever the land revenue is increased or decreased under section 155 or is remitted or suspended under section 157, the State Government may increase or decrease or as the case may be, remit or suspend the whole or part of any rent payable by an as asami, other than an asami of a Gram Sabha.

Variation of land revenue

Exemption of land revenue in certain cases

Remission or suspension of land revenue on the occurrence of agricultural calamity

Power of state Government to remit rent in certain cases 159. Where the payment of any rent has been suspended under section 157-

Consequences of suspension of rent

- (a) the period during which such suspension continues shall be excluded in computing the period of limitation allowed for a suit for recovery of the rent, and
- (b) no suit or application shall lie, for the period of such suspension, for its recovery.
- 160. Every order of the State Government under this Chapter shall be final and shall not be called in question in any court.

Finality of orders

161. Where the amount payable on account of land revenue or any instalment thereof involves a fraction of a rupee, the same shall be rounded off to the nearest rupee, and for this purpose, where such amount contains a part of a rupee, then if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee, and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

Rounding off the amount of land revenue

162. (1) The Collector shall inquire annually into the case of all lands exempted from the payment of land revenue.

Finality of orders

(2) If the exemption has been granted on any condition and the same has been broken, he shall report the matter to the Board for orders, and the orders of the Board thereon shall be final.

CHAPTER XII

Collection of Land Revenue

: 163. (1) The land revenue assessed on any holding shall be the first charge on such holding, and also on trees or buildings standing thereon or the rents, profits or produce thereof.

Land Revenue to be the first charge "

- (2) The claim of the State Government in respect of any other sum recoverable as arrears of land revenue shall have priority over all unsecured claims against any land and the holder thereof.
- 164. All co-bhumidhars of any holding shall be jointly and severally liable to the State Government for the payment of land revenue for the time being assessed thereon and all persons succeeding whether by devolution or otherwise to the interest of such bhumidhars shall be liable for all arrears of land revenue due in respect of such land.

Bhumidhars to be jointly and severally liable

165. The land revenue leviable in respect of an agricultural year shall become due on the first day of that year, and shall be payable at such times, in such installments, to such persons, at such places and in such manner as may be prescribed.

Land Revenue when becomes due and payable

166. The State Government may make such arrangements and employ such agency for the collection of land revenue as it may deem fit.

Arrangements for collection of land revenue

167. Any land revenue due and not paid on or before the date specified in section 165 becomes there from an arrear and the persons liable for its payment shall become defaulters.

Defaulters

168. A statement of account certified by the Tahsildar shall, for the purposes of this Chapter, be conclusive evidence of the existence of the arrear of land revenue, of its amount and of the person who is the defaulter.

Certified account to be evidence of arrears

169. As soon as an arrear of land revenue has become due, a writ of demand may be issued by the Tahsildar against the defaulter calling upon him to appear or to pay the amount within a time to be specified.

Writ demand

170. (1) An arrear of land revenue remaining unpaid within the time specified in the writ of demand, may be recovered by any one or more of the following processes, namely-

Process for recovery of arrears

- (a) by arrest and detention of the defaulter;
- (b) by attachment and sale of his movable property including agricultural produce;

- (c) by attachment of any bank account or locker of the defaulter,
- (d) by attachment of the land in respect of which the arrear is due;
- (e) by lease or sale of the land in respect of which the arrear is due;
- (f) by attachment and sale of other immovable property of the defaulter;
- (g) by appointing a receiver of any property, movable or immovable, of the defaulter;

Explanation- For the removal of doubts, it is hereby declared that two or more processes hereinbefore mentioned may be issued and enforced simultaneously or one after the other.

- (2) Sums of money recoverable as arrears of land revenue, but not due in respect of any specific land, may be recovered by processes under this section from any immovable property of the defaulter including any holding of which he is a bhumidhar or asami.
- 171. (1) Any person committing default in payment of an arrear of land revenue may be arrested and detained in custody in the Tahsil lock-up and if there is no such lock-up, at such other place as may be prescribed, for a period not exceeding fifteen days, unless the arrears are sopner paid.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no person shall be liable to arrest or detention for an arrear of land revenue, where and for so long as such person-
 - (a) is a woman or a minor, or a senior citizen of 65 years, or a person as referred in section 95 (1) (a);
 - (b) belongs to the Armed Forces of the Union;
 - (c) is exempt under section 133, 135 or 135-A of the Code of Civil Procedure, 1908.
- (3) No person shall be detained in custody under this section, unless the officer issuing the arrest warrant has reason to believe that the process of detention will compel the payment of the whole or a substantial portion of the arrears.
- (4) The officer issuing the arrest warrant may withdraw such warrant if the defaulter pays or undertakes to pay the whole or substantial portion of the arrears and furnishes adequate security therefore.
- 172. (1) The Sub-Divisional Officer may attach and sell movable properties of the defaulter including agricultural produce.
- (2) The following properties shall be exempted from attachment under sub-section (1) and sale under sub-section (5), namely-
 - (a) the necessary wearing apparel, cooking, vessels, beds and bedding of the defaulter, his wife and children and such personal ornaments as, in accordance with the religious usage, cannot be parted with by any woman;
 - (b) tools of a village artisan and, if the defaulter is an agriculturist, his implements of husbandry (except an implement driven by mechanical power) and such cattle and seed as may in the opinion of the attaching officer be necessary to enable him to earn his livelihood as such;
 - (c) articles set apart exclusively for the use of religious worship.

Explanation I- For the Purposes of this sub-section, the expression "agriculturist" means a person who cultivates land personally and who depends for his livelihood mainly on the income from agricultural land.

Explanation-II For the purposes of Explanation-I a person snau oe deemed to cultivate land personally, if he cultivates land-

- (a) by his own labour;
- (b) by the labour of any member of his family; or
- (c) by servants or labourers on wages payable in cash or in kind or both.
- (3) Where any movable property is attached by actual seizure and the defaulter furnishes security to the satisfaction of the attaching officer, the property so

Arrest and detention

Attachment and sale of movable property

attached shall be left in the custody of the defaulter. In case the defaulter is not, available at the time of the attachment or if he is available but fails to furnish security to the satisfaction of the attaching officer, the attached property may be left in the custody of any responsible person who is willing to undertake its custody:

Provided that in the case of live-stock, it may be removed to the nearest pound if neither the defaulter furnishes such security nor any responsible person is willing to undertake its custody.

- (4) The person who undertakes the custody of any movable property under sub-section (3) shall execute a bond (supurdnama) in the prescribed form (which shall be exempt from stamp duty) and shall preserve and maintain such property and produce it whenever required The supurdar shall be liable for all damages or loss caused to the property given in his custody or for failure to produce it when required. Such damages or loss shall be determined by the Sub Divisional Officer and shall be recoverable from the supurdar as arrears of revenue.
- (5) If the amount of arrears is not paid within a period of thirty days from the date of attachment of movable properties under this section, the Sub-Divisional Officer may sell the same in the manner prescribed.
- 173. The attachment of any bank account of the defaulter shall, so far as possible, be made by serving a garnishee order on the manager in charge of the branch of the bank concerned in the manner laid down in rules 46, 46-A and 46-B of Order 21 contained in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908, and in the case of a locker hired by the defaulter, the same shall be sealed in the presence of such manager who shall, thereafter, await further orders of the Sub-Divisional Officer regarding preparation of inventory of its contents and their ultimate disposal.

Attachment of bank account and locker of the defaulter

174. (1) The Sub-Divisional Officer may attach any land in respect of which any arrears of land revenue is due.

Attachment of holding

Lease of holding

- (2) Where the amount of arrears in respect of which attachment was made under sub-section (1) is paid, such attachment shall stand withdrawn.
- (3) If the amount of arrears is not paid within a period of thirty days from the date of such attachment, the Collector may proceed in accordance with the provisions of section 175 or section 176, as the case may be.
- . 175. (1) Where any land is attached under section 174 the Sub-Divisional officer may, notwithstanding anything contained in this code but subject to such conditions as may be prescribed, let out the same for such period not exceeding tenyears (commencing from the first day of July next following) as he deems fit, to any person other than the defaulter.
- (2) The person to whom any land is let out under sub-section (1) shall be bound to pay the whole of the arrears due in respect of such land and to pay the land revenue, during the period of lease, at the rate payable by defaulter in respect of such
- land immediately preceding its attachment. (3) If during the period of lease, the lessee commits default in payment of any amount due under the lease, and no other person is to take the land on lease for the remaining period thereof then such amount may be recovered from such lessee by anyone or more of the processes mentioned in section 170 and the lease shall be liable
- (4) Upon the expiry of the period of lease, the land shall be restored to the tenure holder concerned free of any claim on the part of the State Government for any arrear of revenue in respect of such land.

to be determined.

176. (1) Where a suitable person is not forthcoming to take on lease the land. Sale of holding attached under section 174, or where the lease of such land is determined under section 175, the Sub-Divisional Officer may sell the whole or any part of such land in such manner as may be prescribed appropriate the sale proceeds in accordance with

section 200. (2) The Sub Divisional Officer shall report to the Collector every sale of land under sub-section (1).

Attachment and sale of other immovable property 177. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Collector may realize any arrears of land revenue by attachment and sale of the interest of a defaulter in any other immovable property belonging to such defaulter:

Provided that the house or other building (with materials and sites thereof) and the land immediately appurtenant thereto belonging to agriculturist and occupied by him shall be exempted from attachment this section.

Explanation- For the purposes of this section, the expression 'agriculturist' shall have the meaning assigned to it in section 172.

Appointment of receiver

- 178. (1) Where any arrear of land revenue is due from any defaulter, the Collector may by order-
 - (a) appoint, for such period as he may deem fit, a receiver of any movable or immovable property of the defaulter.
 - (b) remove any person from the possession or custody of the property and commit the same to the possession, custody or management of the receiver.
 - (c) confer upon the receiver all such powers as to bringing and defending suits and for the realization, management, protection, preservation and improvement of the property, the collection of the rents and profits thereof, the application and disposal of such rents and profits and the execution of documents, as the defaulter himself has, or such those powers as the Collector thinks fit.
- (2) Nothing in this section shall authorise the Collector to remove from the possession or custody of property any person to whom the defaulter has not a present right to remove.
- (3) The Collector may, from time to time, extend the duration of appointment of the receiver.
- (4) No order under sub-section (1) or sub-section (3) shall be made except after giving notice to the defaulter to show cause, and after considering any representation that may be received by the Collector in response to such notice.

Provided that an interim order under sub-section (1) or sub-section (3) may be made at any time before or after the issue of such notice:

Provided further that where an interim order is made before the issue of such notice, the order shall stand vacated, if no notice is issued within two weeks from the date of the interim order.

- (5) The provision of rules 2 to 4 of order 40 contained in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 shall *mutatis mutandis* apply in relation to a receiver appointed under this section.
- (6) The receiver shall function subject to the control of Collector and furnish such information, returns or statements as the Collector may deem fit.
- (7) The Collector may by order passed in writing and without assigning any reason, remove any receiver at any time before the expiry of the term of such receiver and appoint any other person as receiver in his place, if he is satisfied that continuance of that receiver shall not be desirable or expedient on ground of inefficiency, gross negligence, willful default, disobedience, miscohduct serious omission, or misappropriation of any property. A person removed from the receivership under this section shall not be entitled to claim any damages or compensation on the ground of his removal.
- (8) The Collector shall have power to determine, after giving opportunity to the receiver, what loss, if any, has been caused by the willful default, disobedience misconduct, serious omission or gross negligence of, or on account of any misappropriation by the receiver and to recover the amount of loss from receiver as an arrear of land revenue.
- (9) The rent, profits or any other income from the property shall, after defraying the expenses of management including the remuneration of the receiver, be adjusted towards discharge of the arrears, and the balance, if any shall be paid to the defaulter.

- (10) As soon as the arrears are discharged under sub-section (9) or otherwise, the Collector shall restore the property to the defaulter.
- 179. For the purposes of collection of land revenue or other dues recoverable as arrears or land revenue, in accordance with this Chapter, the recovery officer shall follow such procedure as may be prescribed.

Procedure of

180. (1) The costs of any of the processes mentioned in section 170 to 178 including costs of arrest and detention shall be such as may be prescribed.

Recovery of costs and collection charges

(2) The State Government may impose collection charges at a rate, not exceeding ten percent of the amount due, as may be prescribed:

Provided that no collection Charges shall be payable if the amount due is paid before arrest of the defaulter or before sale of the attached property, as the case may be.

- (3) Such costs and collection charges may he added to and be recoverable in the same manner as an arrear of land revenue.
- 181. (1) If at any time before or after the commencement of any proceedings for the recovery of any arrears of land revenue under this Chapter, the defaulter dies, the proceedings (except arrest and detention) may be commenced or continued against the legal representatives of the defaulter as if the legal representatives were themselves the defaulter:

Recovery proceedings against legal representatives

Provided that such legal representative shall be liable only to the extent of the property of the deceased which has come to his or her hands.

(2) Where any person has become surety for the amount due from the defaulter, he may be proceeded against under this Chapter as if be were himself the defaulter.

Attachment and sale of immovable propertiers

.182. (1) Every process of attachment of any immovable property under section 174 or section 177, or for lease of any land under section 175 shall be issued by the Collector.

Attachment of immovable property

- (2) Every such attachment shall be effected in the manner prescribed in Order XXI Rule 54 of the First Schedule to the code of Civil Procedure, 1908.
- 183. (1) Where any claim is preferred by any person other than the defaulter or any person claiming under him in respect of any property attached under this Chapter, the Collector may, after an inquiry, held after reasonable notice, admit or reject such claim:

Objection against attachment

Provided that no such claim shall be entertained.

- (a) where, before the claim is preferred, the property attached has already been sold; or
- (b) where the Collector considers that the claim is designedly or unnecessarily delayed; or
- (c) where the claim is preferred after 30 days from the date of attachment.
- (2) The person against whom an order is made under sub-section (1) may, within three months from the date of the order, prefer an appeal before the commissioner to establish the right which he claims to the property attached but subject to the result of such appeal, if any the order of the Collector shall be final.
- 184. (1) Where any immovable property is sought to be sold under the provisions of this Chapter, the Collector or an Assistant Collector authorised by him, shall issue a proclamation of the intended sale in the form prescribed specifying therein-

Proclamation of sale

- (a) the details of the property sought to be sold:
- (b) the estimated value of such property;
- (c) the land revenue, if any, payable therefor,

- (d) the encumbrances, if any;
- (e) the amount of arrears for the recovery of which property is sought to be sold:
 - (f) the date, time and place of the intended sale; and.
- (2) Where the area of the Land sought to be sold exceeds 5.04 hectares, a single proclamation may be issued under sub-section (1), but the actual sale shall be made in lots of 1.26 hectares or more.
- (3) No sale shall take place until the expiry of twenty-one days from the date on which the proclamation is issued under this section.
 - (4) A copy of the proclamation shall be served on the defaulter.

Affixation of proclamation

- 185. A copy of the sale proclamation referred to in section 184 shall be affixed in each of the following places:-
 - (a) the office of the Collector; .
 - (b) the office of the Tahsildar of the tahsil in which the property situate;
 - (c) some other public building in the village or the area in which the property is situate;
 - (d) the dwelling house of the defaulter.

Sale when and by whom made

- 1.86. (1) Every such sale shall be made by the Collector or by the Assistant Collector authorised by him.
- (2) No sale shall take place on a Sunday or other holiday notified for State Government offices.
- (3) The Collector or the Assistant Collector may, from time to time, postpone the sale for any sufficient reason.
- (4) Where a sale is postponed for a period longer than twenty one days, or where the property is resold for default in payment of the purchase money, a fresh proclamation shall be issued in the from prescribed for the original sale.

Stoppage of the sale

187. If the defaulter pays the arrears in respect of which the property is to be sold together with the cost of the process at any time before the date fixed for the sale, the officer conducting the sale shall stop such sale.

Prohibition to bid

- 188. (1) No officer having any duty to perform in connection with any such sale and no person employed by or subordinate to such officer shall, directly or indirectly, bid for or acquire or attempt to acquire the property sold or any interest therein
- (2) Where no bid is offered up to the amount for which the sale has been ordered, the Collector may order for bid upto the amount of such arrears.

Deposit by purchaser and re-sale on default

- 189. (1) The person declared to be the purchaser shall be required to deposit immediately twenty five percent of the amount of his bid, and in default of such deposit, the property shall be forthwith re-sold, and such person shall be liable for the expenses incurred on the first sale and any deficiency in price occurring on re-sale, and the same may be recovered from him by the Collector as if the same were an arrear of land revenue.
- (2) A deposit under sub-section (1) may be made either in cash or by a demand draft (issued by a scheduled bank) or partly in cash and partly by such draft.

Explanation- For the purposes of this section, the expression 'demand draft' includes a banker's cheque.

Deposit of purchase money

- 190. The balance amount of the purchase money shall be paid by the purchaser on or before the fifteenth day from the date of the sale in the office of the Collector or at the district treasury or sub-treasury, and in case of default-
 - (a) the property shall be resold; and
 - (b) the deposit made under section 189 shall be forfeited to the State Government.

191. Where the right, title or interest of a person belonging to a scheduled caste or scheduled tribe in any land is sold by public auction under or in accordance with the provisions of this Code, and any other person belonging to such caste or tribe pays ar amount equal to the amount of the highest bid within a period of thirty days from the date of such auction, then, notwithstanding anything contained in any other provision of this Code or any other law for the time being in force, the person so offering the amount shall be entitled to preference in the matter of sale over and above any person not belonging to such caste or tribe:

Auction sale of land held by Scheduled Caste or Scheduled Tribe

Provided that if there are more persons than one making such deposit, bids shall be called from them on the spot, and the highest bidder shall be entitled to such preference.

192. (1) Any person whose holding or other immovable property has been sold under this Chapter-may, at any time within thirty days from the date of sale, apply to the Collector for setting aside the sale, on his depositing, in the office of the Collector or at the district treasury or sub-treasury-

Application to set aside sale on deposit of arrears

- (a) for payment to the purchaser, a sum equal to five percent of the purchase money; and
- (b) for payment on account of the arrear, the amount specified in the sale proclamation, less any amount which may, since the date of such proclamation, have been paid on account;
- (c) the cost of the processes of sale including the collection charges, if any.
- (2) If the amount has been deposited in accordance with sub-section (1) the Collector shall set aside the sale.
- (3) Where a person has applied for setting aside the sale under this section, he shall not be entitled to make or prosecute an application under section 193.
- 193. (1) At any time within thirty days from the date of sale, the defaulter or the auction purchaser or any other person whose interests are affected by such sale, may apply to the Commissioner to set aside the sale on the ground of any material irregularity or mistake in publishing or conducting it.

Application to set aside sale for irregularity

- (2) No sale shall be set aside under sub-section (1), unless the applicant proves to the satisfaction of the Commissioner that he has sustained substantial injury by reason of such irregularity or mistake.
 - (3) The order of the Commissioner under this section shall be final.
- 194. (1) On the expiration of thirty days from the date of sale, if no application is made under section 192 or section 193, or if such application has been made and rejected by the Collector or the Commissioner, as the case may be, the Collector shall, subject to the provisions of sub-section (2), confirm the sale.

Confirmation of sale

- (2) Where in a sale of immovable property made under this Chapter, the amount of purchase money-
 - (a) exceeds rupees fifty lakh; or
 - (b) is less than the amount of arrears specified in the sale proclamation, then the Collector shall report the matter to the Commissioner, who may confirm the sale or may pass such order as he thinks fit.
- (3) Every order of the Collector or the Commissioner under this section shall he final.
- 195. Notwithstanding anything contained in section 192, section 193 section 194, if the Collector or the Commissioner, as the case may be, has reason to believe that the sale of an immovable property made under this Chapter ought to be set aside he may, after notice to the auction purchaser to show cause, if any, set aside the sale for the reasons to be recorded in writing

196. If no application under section 193 is made within the time specified therein, all claims regarding irregularity or mistake in publishing or conducting the sale shall be barred.

Setting aside of sale by Collector or Commissioner

Bar of claims against in certain cases Refund of purchase money 197. Where the sale of any property is set aside under section 192 or section 193, the purchaser shall be entitled to receive back his purchase money, plus in the case mentioned in section 192, an amount equivalent to five percent of such money deposited for that purpose by the defaulter.

Certificate of sale

- 198. (1) After a sale has been confirmed in accordance with section 194, the Collector shall grant to the purchaser a certificate, in the form prescribed, specifying the property sold and the name of the person who at the time of sale was declared to be its purchaser.
- (2) The certificate, duly signed and sealed by the Collector shall be deemed to be a valid transfer of the property specified therein, and it need not be registered as a conveyance, except as provided in section 89 of the Indian Registration Act, 1908.
- (3) The property specified in the certificate shall be deemed to have vested in the purchaser on the date when it was sold, and not on the date when the sale was confirmed.

Certified purchaser to be put in possession

- 199. (1) The collector shall put the person declared to be the purchaser of such property into possession, and for that purpose, he may use or cause to be used such force as may be necessary.
- (2) Nothing in this section shall authorise the Collector to remove from the possession of any property any person whom the defaulter had, before the issue of process, no present right to remove.

Application of sale proceeds

- 200. Where the sale of a property has been confirmed under section 194, the proceeds of the sale shall be utilized in the following order-
 - (a) for meeting the cost of the process and the collection charges, if any;
 - (b) for payment of the arrears for the recovery whereof the property was sold;
 - (c) the balance, if any, shall be paid to the defaulter.

Summary ejectment of unauthorized occupants 201. Any person taking or retaining possession of any land or other property attached, leased or sold under this Chapter otherwise than in accordance with the provisions of the said Chapter may be summarily ejected by the Collector who may use or cause to be used such force as may be necessary.

Bar of suits

202. Subject to the provisions of section 203, no suit or other proceedings shall lie in any civil court in respect of any assessment or collection of land revenue or the recovery of any sum recoverable as an arrear of land revenue.

Payment before suit

203. (1) Whenever proceedings are taken under this Chapter against any person for the recovery of any arrear of land revenue, he may pay the amount claimed to the recovery officer, and upon such payment the proceedings shall be stayed, and the person against whom such proceeding were taken may, notwithstanding anything contained in any other provisions of this code, sue the State Government in the civil court for the recovery of amount so paid.

Other payments not to be a valid discharge 204. No payment on account of rent or other dues in respect of any land attached under this Chapter, made after such attachment, by the asami or any other person in possession thereof to any person other than the revenue officer anthorised in this behalf shall operate as a valid discharge.

Applicability of the Chapter 205. The provisions of this Chapter shall apply to the recovery of all arrears of land revenue and all other sums recoverable as an arrear of land revenue whether due before or after the commencement of this Code.

CHAPTER-XIII

Jurisdiction and Procedure of Revenue Courts

206. (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, but subject to the provisions of this Code, no civil court shall entertain any suit, application or proceeding to obtain a decision or order on any matter which the State. Government, the Board, any revenue court or revenue officer is, by or under this Code, empowered to determine, decide or dispose of.

Jurisdiction of civil court and revenue courts

- (2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), and save as otherwise expressly provided by or under this Code-
- (a) no civil court shall exercise jurisdiction over any of the matters specified in the Second Schedule; and
- (b) no court other than the revenue court or the revenue officer specified in column 4 of the Third Schedule shall entertain any Suit application or proceeding specified in column 3 thereof.
- (3) Notwithstanding anything contained in this Code, an objection that a court or officer mentioned in sub-section (2)(b) had or had no jurisdiction with respect to any suit, application or proceeding, shall not be entertained by any appellate, revisional or executing court, unless the objection was taken before the court or officer of the first instance, at the earliest opportunity, and in all cases where issues are settled at or before such settlement, and unless there has been a consequent failure of justice.
- 207. (!) Any party aggrieved by a final order or decree passed in any suit, application or proceeding specified in column 3 of the Third Schedule, may prefer a first appeal to the court or officer specified against it in column 5, where such order or decree was passed by a court or officer specified against it in column.4 thereof

First appeal

- (2) A first appeal shall also lie against an order of the nature specified-
 - (a) in section 47 of the Code of Civil Procedure, 1908; or
 - (b) in section 104 of the said Code; or
 - (c) in Order 43 Rule 1 of the First Schedule to the said Code.
- (3) The period of limitation for filing a first appeal under this section shall be thirty days from the date of the order or decree appealed against.
- 208. (1) Where in any suit, application or proceeding specified in column 3 of the Third Schedule, any final order or decree is passed in any first appeal filed under section 207, and any party to such appeal is aggrieved by it, such party may prefer a second appeal to the court specified against it in column 6.

Second appeal

- (2) The appellate court shall not entertain a second appeal unless it is satisfied that the case involves a substantial question of law.
- (3) The period of limitation for filing a second appeal under this section shall be ninety days from the date of the order or decree appealed against.
- 209. Notwithstanding anything contained in sections 207 and 208, no appeal. Bar against certain shall lie against any order or decree-

appeals

- (a) made under Chapter V of this Code;
- (b) granting or rejecting an application for condonation of delay under. section 5 of the Limitation Act, 1963;
 - (c) rejecting an application for review;
 - (d) granting or rejecting an application for stay;
 - (e) remanding the case to any subordinate court; or
 - (f) where such order or decree is of an interim nature.

Power to call for the records

- 210. The Board or the Commissioner may call for the record of any suit or proceeding decided by any subordinate revenue court in which no appeal lies, or where an appeal lies but has not been preferred, for the purpose of satisfying itself or himself as to the legality or propriety of any order passed in such suit or proceeding; and if such subordinate court appears to have-
 - (a) exercised a jurisdiction not vested in it by law; or
 - (b) failed to exercise a jurisdiction so-vested; or
 - (c) acted in the exercise of such jurisdiction illegally or with material irregularity;

the Board, or the Commissioner, as the case may be, may pass such order in the case as it or he thinks fit.

- (2) If an application under this section has been moved by any person either to the Board or to the Commissioner, no further application by the same person shall be entertained by the other of them.
- (3) No application under this section shall be entertained after the expiry of a period of thirty days from the date of the order sought to be revised or from the date of commencement of this Code, whichever is later.

Board's power of review

- 211. (1) The Board may, of its own motion or on the application of any party interested, review any order passed by itself and pass such orders in reference thereto as it thinks fit.
- (2) No order shall be reviewed under sub-section (1), except on the following grounds-
 - (a) discovery of any new and important matter or evidence;
 - (b) some mistake or error apparent on the face of record;
 - (c) any other sufficient reason.
 - (3) Orders passed on review shall not be reviewed.

Power to transfer cases

- 212. (1) Where it appears to the Board that it will be expedient for the ends of justice to do so, it may direct that any case be transferred from one revenue officer to another revenue officer of an equal or superior rank in same district or any other district.
- (2) The Commissioner, the Collector or the Sub-Divisional Officer may make over any case or class of cases arising under the provisions of this Code or any other enactment for the time being in force, for decision from his own file to any revenue officer subordinate to him and competent to decide such case or class of cases, or may withdraw any case or class of cases from any such revenue officer and may deal with such case or class of case himself or refer the same for disposal to any other revenue officer competent to decide such case or class of cases.
- 213. Subject to the provisions of this Code or the rules made there under, the State Government shall be made a party to any suit instituted by or against the Gram Sabha or local authority under this Code.
- 214. Unless other wise expressly provided by or under this Code, the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 and the Limitation Act, 1963 shall apply to every suit, application or proceedings under this Code.
- 215. No order passed by a revenue officer shall be reversed or altered in appeal or revision on account merely of any error, omission or irregularity in the summons, notice, proclamation, warrant or order or other proceedings before or during any inquiry or other proceedings under this Code. unless such error, omission or irregularity has in fact occasioned a failure of justice.

State Government to be necessary party in certain

Applicability of Code of Civil Procedure, 1908 and Limitation Act, 1963

Orders not to be invalid on account of irregularity in procedure

216. Any notice or other document required or authorised to be served under Service of notice this Code may be served either,-

- (a) by delivering it to person on whom it is to be served; or
- (b) by registered post addressed to that person at his usual or last known place of abode; or
- (c) in case of an incorporated company or body, by delivering it or sending it by registered post addressed to the secretary or other principal functionary of the company or body at its principal office; or
- (d) in any other manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 for service of summons.
- 217. Notwithstanding anything contained in the provisions of this Code, the Board or any other revenue court shall have no jurisdiction in respect of a matter which involves a question as to the validity of the provisions of this Code or any other law for the time being in force or any rule or notification made or issued there under.

Revenue Courts to have no power to adjudicate upon the validity of enactment

CHAPTER XIV

Miscellaneous

218. The State Government may by notification, exempt any land owned by it or by the Central Government or by any local authority from the application of all or any of the provisions of this Code, and may likewise cancel or modify any such notification.

Power to exempt from the provisions of the Code

219. The State Government may, by notification, delegate to the Board or any other officer or authority subordinate to it any of the powers conferred on it by this Code, other than the power to make rules, to be exercised subject to such restrictions and conditions as may be specified in the notification.

Delegation

220. Subject to such conditions or restrictions that may be prescribed, any officer appointed under this Code may enter at any time upon any land with such public servants as he considers necessary, for carrying out any of his duties under this Code, or any other law for the time being in force.

Power to enter upon land etc.

221. All documents, statements, records and registers prepared or maintained under this Code or the rules framed there under shall be open to inspection during such hours and subject to such conditions and on payment of such fees as may be prescribed, and any person shall on payment of the prescribed fee, be entitled to obtain the certified copy of such document or any portion of any such document, statement record or register.

Right to inspect and obtain copies

222. For the purposes of computing the area fixed under any of the provisions of this Code, one and a half hectares of land shall count as one hectare in the following areas :-

Computation of areas in certain districts

- (a) Jhansi division;
- (b) trans-Jamuna portions of Allahabad, Etawah, Agra and Mathura districts:
 - (c) District Sonbhadra;
- (d) Tappa Upraudh and Tappa Chaurasi Balai (Pahar) of tehsil Sadar in district Mirzapur, and
- (e) Pargana Sakteshgarh and the villages mentioned in the Fourth Schedule in hilly pattis of parganas Ahraura and Bhagwat of tehsil Chunar of Mirzapur district.

Mode of recovery of fines etc.

223. Any fee, fine, cost, expense, penalty or compensation payable to or recoverable by the State Government, a Gram Sabha or other local authority under this Code or any other law for the time being in force may, Without prejudice to any other mode of recovery, be realised as if it were an arrear of land revenue.

Power to call for statement

- 224. (1) Where any revenue officer considers it necessary for the enforcement of the provisions of this Code, it may call upon any tenure holder or any person in possession of any land to furnish within such time as may be specified, a statement containing the nature and extent of his interest in the land held or possessed by him as well as by members of his family.
- · (2) The tenure holder or other person referred to in sub-section (1) may also be called upon to disclose the name and address of 'any other person possessing any interest in such land including the nature and extent of such interest.

Protection of action taken in good faith

- 225. (1) No officer or servant of the State Government shall be liable in any civil or criminal proceeding in respect of any act done or purporting to be done under this Code or any rules made there under, if the act was done in good faith and in the course of execution of the duties or the discharge of functions imposed by or under this Code.
- (2) No suit or other proceeding shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused or any injury suffered or likely to be suffered by virtue of any provisions of this Code or by anything in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Code or any rules made there under:

CHAPTER- XV

Penalties .

226. (1) Any person who,-

- (a) encroaches upon or causes any obstruction to the use of any public road (including chak road), path or common land of a village; or
- (b) fails to comply with any order or direction made by the Sub-Divisional Officer under sub-section (1) of section 23; or
- (c) fails to comply with any order or direction made by the Tahsildar under section 25 or section 26; or
 - (d) fails to comply with any order made under section 42 or section 48;

shall be liable to a fine which in a case referred to in clause (a) shall not be less than five hundred rupecs and not exceed two thousand rupees and in any other case shall not be less than one hundred rupees and not exceed five hundred rupees.

- Divisional Officer or the Tahsildar, as the case may be to execute a personal bond for such sum not exceeding five thousand rupees as the officer concerned may deem fit for abstaining from the repetition of such act or failure.
- (2) Every person referred to in sub-section (1) may be required by the Sub-
- 227. (1) If any person willfully destroys or injures or without lawful authority removes any boundary marks lawfully erected under Chapter IV or under any other law for the time being in force, he may be ordered by the Tahsildar to pay such amount not exceeding one hundred rupées for each mark so destroyed, injured or removed, as may in the option of the Tahsildar be necessary to defray the expense of restoring the same and of rewarding the informant, if any,
- (2) The recovery of damages under sub-section (1) shall not debar prosecution for any offence under the Indian Penal Code in respect of such destruction, injury or removal.

Penalty for encroachment etc.

Damages or destruction etc. of boundary marks

228. (1) Every person who cuts, removes or otherwise appropriates any tree or any portion thereof which is the property of the State Government or any local authority or a Gram Sabha, without any authority there for shall be liable to pay the value there of, which shall be recoverable from him in addition to any penalty to which he may be liable under the provisions of this Code for the occupation of the land or otherwise, and notwithstanding any criminal proceedings which may be instituted against him in respect of such cutting, removal or appropriation.

Penalty for cutting or removing tress illegally

Penalty for not

furnishing

statement or information etc.

required

- (2). The Collector may, at any time, direct the confiscation of any tree or portion thereof referred to in sub-section (1).
 - 229. Every person who:-
 - (a) fails to furnish any statement or information lawfully required under the provisions of this Code; or
 - (b) furnishes any statement or information which is false and which he has reasons to believe to be false; or
 - (c) obstructs the Collector or any other revenue officer or Gram Sabha in taking possession of any land in accordance with the provisions of this Code or
 - (d) obstructs any officer or public servant in doing any of the acts specified in section 220.

shall, on conviction, be liable to imprisonment which may extent to two years or with fine or with both.

CHAPTER- XVI

Repeal and savings

230. (1) The enactments specified in the First Schedule are hereby repealed.

Repeal

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the repeal of such encuments shall not affect-
 - (a) the continuance in force of any such enactment in the State of Uttaranchal;
 - (b) the previous operation of any such enactment or anything duly done or suffered there under: or
 - (c) any other enactment in which such enactment has been applied, incorporated or referred to: or
 - done or suffered, or any right, title or obligation or liability already acquired, accrued or incurred (including, in particular, the vesting in tile State of all estates and the cessation of all rights, title and interest of all the intermediaries therein), or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted or the proof of any past act or thing; or
 - (e) any principle or rule of law or established jurisdiction, form or course of pleading practice or procedure or existing usage, custom privilege, restriction, exemption, office or appointment

Provided that anything done or any action taken (including any rules, manuals, assessments, appointments and transfers made, notifications, summonses, notices, warrants, proclamations issued, powers conferred leases granted, boundary marks fixed, records of rights and other records prepared or maintained, rights acquired or liabilities incurred) under any such enactment shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Code, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Code, and shall continue to be in force accordingly, unless and until they are superseded by anything done or action taken under this Code.

Applicability of the Code to pending proceedings

- 231. (1) Save as otherwise expressly provided in this Code, all cases pending before the State Government or any revenue court immediately before the commencement of this Code, whether in appeal, revision, review or otherwise, shall be decided in accordance with the provisions of the appropriate law, which would have been applicable to them had this Code not been passed.
- (2) All cases pending in any civil court immediately before the, commencement of this Code which would under this Code be exclusively triable by a revenue court; shall be disposed of by such civil court according to the law in force prior to the date of such commencement.

Power to remove difficulties

232. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty, particularly in relation to the transition from the provisions of the enactments repealed by this Code to the provisions of this Code, by a notified order, direct that the provisions of this Code shall during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Code.

- (2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature, as soon as may be after it is made.
- (3) No order made under sub-section(l) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in that sub-section existed or was required to be removed.
- 233. (1) The State Government may by notification make rules for carrying out the purposes of this Code.
- (2) With out prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may also provide for-
 - (i) The terms and conditions of service of the Chairman and other members of the Board;
 - (ii) Regulating the distribution of business of the Board and making territorial division of its jurisdiction;
 - (iii) Guide lines for alteration, abolition or creation of revenue areas;
 - (iv) The procedure for demarcation of boundaries, the specification, construction and maintenance of boundary marks, levy and recovery of cost thereof;
 - (v) The procedure of preparation and maintenance of maps, documents, statements, records and registers under this Code, procedure for their inspection and supply of certified copies or extracts thereof;
 - (vi) The procedure for submission of reports about succession and transfer, by the registering authority to the Tahsildar and for revision of village records, including proceedings for mutation and correction of village records;
 - (vii) The procedure for preparation, supply and maintenance of Kisan Bahi and matters connected therewith, including fees to be charged therefore;
 - (viii) The procedure regarding plantation of trees on the sides of public roads, paths or canals, and determination of disputes regarding trees in abadi and unoccupied land;
 - (ix) The protection, preservation and disposal of properties belonging to or vested in the State Government, Gram Sabha or other local authority, including determination of compensation for damages misappropriation or wrongful occupation there of;

Rules

- (x) The principles for assessment of land revenue, including its variation, remission, suspension, and apportionment;
- (xi) The procedure for collection of land revenue and other public moneys, and the matters connected with the execution of various, processes there for, including the fixation of costs and collection charges;
- (xii) The procedure regarding fixation and commutation of rent, including circumstances in which the arrears of rent could be written off;
- (xiii) The procedure for appointment of legal practitioners in litigation relating to a Gram Sabha or a Bhumi Prabandhak Samiti, and the terms and conditions of such appointment;
- (xiv) The procedure relating to the conduct and prosecution of suits, appeals and other proceedings, including the procedure of conducting various inquiries under the provisions of this Code;
- (xv) The procedure for granting lease by the Collector; cancellation of such lease and eviction of unauthorised occupants from the land belonging to the State Government, Gram Sabha and local authority;
- (xvi) The procedure regarding allotment of land entrusted to the Gram Sabha, restoration of possession to the allottee and cancellation of such allotment:
- (xvii) The duties of any officer authority having jurisdiction under this Code and the procedure to be followed by him;
- (xvii) Imposition of limits of time with in which any act specified under this Code has to be performed;
- (xix) The fees to be paid in respect of suits, appeals, applications and other proceedings under this Code;
- (xx) The regulation of fishing in rivers, lakes, ponds and tanks entrusted to a Gram Sabha or other local authority;
- (xxi) The regulation of pasture lands, cremation or burial grounds, and catching, hunting and shooting of animals and birds in villages;
- (xxii) Any other matter for which rules are required to be or may be made under this Code.
- (3) The rules and orders made by the State Government or the Board before the commencement of this Code, under any of the enactments repealed and in force on the date of such commencement, shall, except to the extent of inconsistency with the provisions thereof, continue be in force, until they are rescinded altered or substituted in accordance with the provisions of this Code.
- (4) It shall be lawful for the State Government in making rules under this section, to prescribe that any person committing a breach of the same shall in addition to any other consequences that would ensue from such breach, be punishable with such fine not exceeding one thousand rupees as the officer or authority specified for the purpose may deem fit to impose.

234. (1) Subject to the provisions of this Code and the rules made there under, the Board may, with the previous approval of the State Government, make regulations—

- (a) governing the procedure of the revenue courts and the revenue officers in respect of suits, applications and proceedings under this Code;
- (b) containing directions for the preparation, maintenance and supervision of land records and matters connected therewith;
- (c) prescribing the duties of Tehsildars and Naib-Tehsildars and regulating their posting, transfers and their appointment in temporary vacancies.
- (2) All regulations made in accordance with sub-section (1) shall have the force of law.
- (3) The Revenue Court Manual and the Land Records Manual in force on the date of commencement of this Code, shall continue to remain in force until amended rescinded or replaced by any regulations made under this section.

Regulations

FIRST SCHEDULE

(See Sections 2 and 230)

· LIST-A

Enactments of general application

Enactments of general application				
Serial Name of the enactments repealed				
No.				
1 2				
1. The United Provinces Revenue Officers Regulation, 1803				
The Bengal Indigo Contracts Regulation 1823 (Bengal Regulation No 6 of 1823)				
The Bengal Indigo Contracts Regulation Act 1830 (Bengal Regulation No.5 of 1830)				
The Bengal Land Revenue (Settlement and Deputy Collectors) Regulation, 1833 (Bengal Regulation, 1833) No.9 of 1833)				
5. The Bengal Indigo Contracts Act, 1836 (Act No. 10 of 1836)				
6. The Bundelkhand Alienation of Land Act 1903 (Act No.2 of 1903)				
7. Benares Family Domains Act, 1904 (Act No. iii of 1904)				
8. Uttar Pradesh Merged States (Application of Law) Act, 1950 (Act No. 8 of 1950)				
9. Dudhi Robertsgani (District Mirzapur) Agriculturists Debts Relief Act, 1951 (U.P. Act 32 of 1951)				
10. The United Provinces Land Revenue Act, 1901				
11. The Pargana of Kaswar Raja Act, 1911				
12. The Pargana of Kaswar Raja Act, 1915				
13. The Gorakhpur Goraits Act, 1919				
14. The United Provinces Board of Revenue Act, 1922				
15. The U.P. Abatement of Rent Suits Act, 1938				
16. The U.P. Hindu Women's Right to Property (Extension to Agricultural Lands) Act. 1942				
17. The U.P. Village Abadi Act, 1947				
18. The U.P. Agricultural Tenants (Acquisition of Privileges) Act, 1949				
19. The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950				
20. The Rampur Stay of Ejectment Suits and Proceeding Act, 1951				
21. The U.P. Commutation of Rent (Regulation of Proceedings) Act, 1952				
22. The U.P. Stay of Suits and Proceedings (Mirzapur) Act, 1952				
23. The Uttar Pradesh Land Reforms (Supplementary) Act, 1952				
24. The Rampur Thekedari and Pattedari Abolition Act, 1953				
25. The Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956				
26. The Uttar Pradesh Land Reforms (Evacuee Land) Act, 1957				
27. The Uttar Pradesh Government Estates Thekedari Abolition Act, 1958				
28. The U.P. Recovery of Government Dues (Acquired Estates and Determined Leases) Act, 1960				
29. The U.P. Malguzari Tatha Lagan Par Apatik Adhibhar Adhiniyam, 1965				
CD 1 1 CD 1 1066				

30. The Ultar Pradesh Board of Revenue (Regulation of Procedure) Act, 1966

31. The Uttar Pradesh Government Estates Thekedari Abolition (Re-enactment and Validation) Act, 1970
32. The Uttar Pradesh Land Tenures (Regulation of transfer) (Re-enactment and Validation) Act, 1972

LIST-B

Enactments having special reference to territories now comprised in the State of Uttaranchal

- 1. Almora Honorary Assistant Collector's Decrees, and Orders Validating Act, 1938
- 2. Jaunsar Bawar Security of Tenure and Land Records Act, 1952
- 3. Kumaun Agricultural Lands(Miscellaneous Provision) Act,1954
- 4. Jaunsar-Bawar Pargana (District Dehradun) Revenue Officials (Special Powers) Act, 1958
- 5. Jaunsar Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956
- 6. Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolution and Land Reform Act, 1960
- 7. Kumaun and Garhwal Water (Collection, Retention and Distribution) Act, 1975

SECOND SCHEDULE

[See Sections 206 (2) (a)]

Matters excluded from the jurisdiction of the Civil Court

- 1. Any question regarding the demarcation of boundaries of fixing of boundary marks.
- 2. Any claim to question a decision determining abadi made by the Collector.
- 3. Any claim to have any entry made in any revenue records or to have any such entry omitted, amended or substituted.
- 4. Any question regarding the assessment, remission or suspension of land revenue or rent
- 5. Any claim connected with or arising out of the collection by the state Government or the enforcement by such Government of any process for the recovery of land revenue or any sum recoverable as an arrear of land revenue under this Code or any other law for the time being in force.
- 6. Any claim against the vesting of any property in the State Government, Gram Sabha or other local authority under this Code.
- 7. Any question relating to the levy or imposition of a fine, cost, expense, charge, penalty or compensation under this Code.
- Any question regarding re-instatement of a bhumidhar or asami wrongfully ejected or dispossessed from any land.
- Any claim to compel the performance of any duty imposed by this Code on any revenue officer appointed under this Code.
- 10. Any question, relating to division, creation amalgamation, abolition or re-adjustment of revenue areas and Lekhpal's circles under Chapter II.
- 11. Any question relating to the allotment of land referred to in section 65 or section 130 or cancellation of such allotment.
- 12. Any claim to question a direction issued by the Collector under section 72.
- 13. Any claim to question the delivery of possession over any land and part thereof referred to ir section 129, or the eviction of any person under section 139 or section 204.
- 14. Any claim to question the validity of any order made by the State Government under Chapter XI.
- 15. Any claim regarding possession over any land.
- 16. Any claim to establish the rights of a co-tenure-holder in respect of any land.

THIRD SCHEDULE

(See Sections 206, 207 and 208)

Section	Description of suit application or proceedings	Court or Officer of original jurisdiction	First Appeal	Second Appeal
1	2	3	4 .	. 5
24.	Boundary and boundary marks	Sub-Divisional Officer	Commissioner	-
35 .	Mutation cases	Tehsildar	Sub-Divisional Officer	Commissioner
54,56,57	Disputes relating to trees	Collector .	Commissioner	-
67	Eviction of illegal occupier from land of Gram Sabha	Sub-Divisional Officer	Commissioner	-
82(2)(c)	Suit for ejectment by a burnidhar against the person in possession of any land on the basis of a contract or lease	Sub-Divisional Officer	Commissioner	Board
85(1)	Suit for ejectment by Gram Sabha against a bhumidhar with non-transferable rights	Do	Do	Do
85(2)	Suit for ejectment by a land holder against an asami	Do .	Do .	Do
96(2)	Suit for partition by a disabled co-sharer	Do	Do	Ðо
116	Suit for division of a holding	Do	Do	Do
131(1)	Suit for ejectment of an asami	Do	Do	Do .
131(4)	Suit for recovery of arrears or rent against an asami	Tahsildar	Collector	Nil ·
133	Suit for injunction, compensation etc.	Tahsildar	Collector	Nil
134	Suit for ejectment against a person occupying land without title or for damages or for both	Sub-Divisional Officer	Commissioner	Board
137(1)	Suit for possession, compensation or injunction	Do	Do	Do
139(1)	Application for fixation of rent	Tahsildar	Sub-Divisional Officer	Nil
141(1)	Application for commutation of rent	Sub-Divisional Officer	Collector	Nil
144	Suit for declaration by bhumidhar or asami	Do	Commissioner	Board
145	Suit for declaration by Gram Sabha	Do	Do	Do
151(1)	Suit by a Government lessee for ejectment or for damages or both	Do :	Do	Do

NOTE- The suits appearing in the entries relating section 82(2) (c) to section 131 (1) sections, 134, 137(1) and section 139(1) to Section 151(1) may be heard and decided also by any Assistant Collector, First Class (other than the Sub-Divisional Officer) to whom the case may be transferred by general or special order of the Collector.

FOURTH SCHEDULE

(See Section 222)

List-"A"

List of villages of Pargana Ahraura

1. Amqin	11. Kutlupur	
2. Baghor	12. Lohra	
3. Baghri	13. Maddhupur	
4. Bantara 14. Majhui		
5. Bat 15. Mubarak		
6. Bhawanipur	nipur 16. Magnar Haraiy	
7. Dhotwa	17. Pavahi	
8. Ghurahi	18. Sukrut	
9. Khamalhria	19. Takia	
10. Khan Arzampur		

List-"B" List of villages of Pargana Bhagwat

1. Ban Imlis	4. Nibia		
2. Jargal Mahal	5. Rampur Barno		
3. Semra Barho	6. Sonbarsa		

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present as many as 39 Acts relating to revenue law are enforced in the State of Uttar Pradesh. Out of these Acts, Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and U.P. Land Revenue Act, 1901 are the important Acts. Several enactments were enacted during the British regime. Most of the provisions of those have become absolete. Some of the provisions of those enactments are inconsistent with each other. On account of different provisions in different enactments relating to revenue law, the revenue litigations have considerably increased. Consequently the revenue cases are pending for disposal for a very long period. Under these circumstances it has become necessary to consolidate with modifications of relivent provisions of all these enactments into single enactment. It has, therefore, been decided to provide for consolidating and amending the laws relating to land-tenures and land revenue in the State and for matters connected therewith and incidental thereto. The U.P. Revenue Code Bill, 2006 has, therefore, been prepared to fulfil the above mentioned requirements.

The Uttar Pradesh Revenue Code Bill, 2006, is introduced accordingly.

By order, S.K. PANDEY, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 660 राजपत्र(हि०)-2012-(3034)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 70 सा० विधायी-2012-(3035)-500 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट माग—2, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 2015

अग्रहायण २७, १९३७ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1662 / 79-वि0-1—15-1(क)-33-06 ज़खनक, 18 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना शुद्धि-पत्र

विधायी अनुभाग—1 की दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या—1044/79—वि—1—12—1(क)—33/06 तथा अधिसूचना संख्या—1044(2)/LXXIX—V-1—12—1(क)— 33/06 द्वारा उसी दिनांक के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग—1, खण्ड (क) में हिन्दी एवं अंग्रेजी में साथ—साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) के अंग्रेजी पाठ में निम्नलिखित शुद्धियाँ की जाती हैं :—

1-धारा 4 में.-

- (क) खण्ड (10) की द्वितीय तथा तृतीय पंक्ति में शब्द तथा कोष्ठक "husband, (as the case may be other than a judicially separated wife or husband)" के स्थान पर शब्द तथा कोष्ठक "husband, as the case may be, (other than a judicially separated wife or husband)" पढ़ा जाय।
- (ख) खण्ड (11) की द्वितीय पंक्ति में शब्द एवं विराम चिन्ह "papaya, banana" के स्थान पर शब्द "papaya or banana" पढ़ा जाय।
- (ग) खण्ड (16) की द्वितीय पंक्ति के आरम्भ में शब्द ''same'' के स्थान पर शब्द ''say'' पढ़ा ज़ाय।

- (घ) खण्ड (२१) की तृतीय पंक्ति में शब्द "agriculture of purposes" के स्थान पर शब्द "agriculture or purposes" पढ़ा जाय।
- 2—धारा 6 की उपधारा (4) की प्रथम पंक्ति में शब्द "tahsil" के स्थान पर शब्द "tahsils" पढ़ा जाया. 3—घारा 7 की उपधारा (3) में,—
- (क) खण्ड (a) की द्वितीय पंक्ति के अन्त में विराम चिन्ह "." के स्थान पर विराम चिन्ह ";" पढ़ा जाय।
- (खं) खण्ड (b) के आरम्भ में शब्द "as" के स्थान पर शब्द "a" पढ़ा जाय।
- 4—धारा 8 की उपधारा (3) की तृतीय पंक्ति में शब्द "all or any or the powers" के स्थान पर शब्द "all or any of the powers" पढ़ा जाय।
- 5—धारा 9 की उपधारा (1) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "member" के स्थान पर शब्द "members "पढ़ा जाय।
- 6—धारा 12 की उपधारा (4) की तृतीय पंक्ति में शब्द "section as" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "section, as" पढ़ा जाय।
- 7—धारा 16 की उपधारा (1) की प्रथम पंक्ति में शब्द "Revenue Inspector" के स्थान पर शब्द "Revenue Inspectors" पढ़ा जाय।
- 8—धारा 24 की उपधारा (1) की तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम पंक्ति में शब्द एवं विराम चिन्ह "survey map or, where the same is not possible in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Consolidation of Holding Act 1953, on the basis of such map." के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह"survey maps or, where they have been revised in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953, on the basis of such maps, but if this is not possible, the boundaries shall be fixed on the basis of actual possession."पढ़ा जाय।
- 9—धारा 29 की उपधारा (1) के खण्ड (c) में शब्द "particular" के स्थान पर शब्द "particulars" पढ़ा जाय।

10-धारा 32 में,-

- (क) उपधारा (1) की प्रथम पंक्ति में शब्द "Sub-Divisional Officer" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "Sub-Divisional Officer," पढ़ा जाय।
- (ख) उपधारा (2) की प्रथम पंक्ति के अन्त में शब्द "where is claim" के स्थान पर शब्द "where the claim" पढ़ा जाय।
- 11—धारा 33 की उपधारा (3) की प्रथम तथा द्वितीय पंक्ति में शब्द "Revenue Inspector or is" के स्थान पर शब्द "Revenue Inspector or who is" पढ़ा जाय।
- 12—धारा 35 की उपधारा (1) की द्वितीय तथा तृतीय पंक्ति में शब्द "make such inquiry as appears" के स्थान पर शब्द "make such inquiry as appears to be necessary" पढ़ा जाय।
- 13—धारा 36 की उपधारा (1) की चतुर्थ पंक्ति में शब्द एवं अंक "Indian Registration Act 1908" के स्थान पर शब्द, विराम चिन्ह एवं अंक "Registration Act, 1908" पढ़ा जाय।
 - 14—धारा 38 के पार्श्व शीर्षक में शब्द "errors" के स्थान पर शब्द "error" पढ़ा जाय!
 - 15—धारा 41 की उपधारा (8) की द्वितीय पंक्ति में शब्द ''dose'' के स्थान पर शब्द ''does''पढ़ा जाय।
 - 16—धारा 48 की तृतीय पंक्ति में शब्द "defined" के स्थान पर शब्द "define" पढ़ा जाय।

17-धारा 49 में ,-

- (क) उपधारा (5) के खण्डं (b) की तृतीय तथा चतुर्थ पंक्ति में शब्द "pass orders on the basis of such conciliation" के स्थान पर शब्द "pass order on the basis of such conciliation" पढ़ा जाय।
- (ख) उपधारा (७) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "belongs the State Government" के स्थान पर शब्द "belongs to the State Government" पढ़ा जाय।
- 18—धारा 51 की द्वितीय पंक्ति में शब्द व अंक "referred to section 50" के स्थान पर शब्द व अंक "referred to in section 50" पढ़ा जाय।

19—धारा 56 की उपधारा (3) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "is Code" के स्थान पर शब्द "this Code" पढ़ा जाय।

20—धारा 58 की उपधारा (1) की प्रथम तथा द्वितीय पंक्ति में शब्द व अंक "referred in section 54" के स्थान पर शब्द व अंक "referred to in section 54" पढ़ा जाय।

21-धारा 59 में,-

- (क) उपधारा (2) के खण्ड (vi) की प्रथम पंक्ति में शब्द "provision" के स्थान पर शब्द "provisions" पढ़ा जाय।
- (ख) उपधारा (4) के खण्ड (c) की द्वितीय तथा तृतीय पंक्ति में शब्द "terms and condition" के स्थान पर शब्द "terms and conditions" पढ़ा जाय।
- (ग) उपधारा (5) की प्रथम पंक्ति में शब्द "any of the thing specified" के स्थान पर शब्द "any of the things specified" पढ़ा जाय।

22-धारा 61 में --

- (क) खण्ड (b) की प्रथम पंक्ति में शब्द "measures" का लोप करके पढ़ा जाय।
- (ख) स्पष्टीकरण की द्वितीय पंक्ति में शब्द "perennially" का लोप करके पढ़ा जाय। 23–धारा 64 में.–
- (क) उपधारा (1) की द्वितीय पंक्ति के अन्त में शब्द व अंक "referred to section 63:--" के स्थान पर शब्द व अंक "referred to in section 63" पढ़ा जाय।
- (ख) उपधारा (2) की तृतीय पंक्ति के प्रारम्भ में शब्द "requirement" के स्थान पर शब्द "requirements" पढ़ा जाय।

24-धारा 65 में,-

- (क) उपधारा (1) की प्रथम पंक्ति में शब्द और अंक "referred in section 63" के स्थान पर शब्द और अंक "referred to in section 63" पढ़ा जाय।
- (ख) उपधारा (७) की तृतीय और चतुर्थ पंक्ति में शब्द "sub-divisional magistrate" के स्थान पर शब्द "Sub-Divisional Magistrate" पढ़ा जाय।

25—धारा 66 की उपधारा (1) की तृतीय पंक्ति में शब्द "of such allotment" के स्थान पर शब्द "into such allotment" पढ़ा जाय!

26—धारा 67 के पार्श्व शीर्षक में शब्द "damages" के स्थान पर शब्द "damage" और शब्द "properties" के स्थान पर शब्द "property" पढ़ा जाय।

27—धारा 70 के पार्श्व शीर्षक में शब्द "direction" के स्थान पर शब्द "directions" पढ़ा जाय।

28—धारा 71 क़े खण्ड (a) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "function" के स्थान पर शब्द "functions" पढ़ा जाय।

29—धारा 72 की उपधारा (3) की तृतीय पंक्ति में शब्द "writen" के स्थान पर शब्द "written" पढ़ा जाय।

30-धारा 76 में,-

- (क) धारा के संख्यांकन में अंक "76" के स्थान पर धारा, अंक तथा कोष्ठक "76 (1)" पढ़ा जाय।
 - (ख) उक्त खण्ड (क) में यथा संख्यांकित उपधारा (1) के,-
 - (एक) खण्ड (b) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "Bhumi Prabandhan Samiti" के स्थान पर शब्द "Bhumi Prabandhak Samiti" पढ़ा जाय।
 - (दो) खण्ड (c) और खण्ड (d) में शब्द "provision" के स्थान पर शब्द "provisions" पढ़ा जाय।
- (ग) उपधारा (३) की द्वितीय पंक्ति में शब्द व अंक "sections (1) and (2)" के स्थान पर शब्द व अंक "sub-sections (1) and (2)" और चतुर्थ पंक्ति में शब्द "ten years" के स्थान पर शब्द "five years" पढ़ा जाय।

- 31—धारा 77 के स्पष्टीकरण के खण्ड (i) में शब्द "camping" के स्थान पर शब्द "encamping" पढ़ा जाय।
 - 32-धारा 78 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "right" के स्थान पर शब्द "rights" पढ़ा जाय।
- 33—धारा 79 की उपधारा (2) की प्रथम पंक्ति तथा द्वितीय पंक्ति में शब्द "right" के स्थान पर शब्द "rights" पढ़ा जाय।
- 34—धारा 80 की उपधारा (2) की प्रथम पंक्ति में शब्द व अंक "under section (1)" के स्थान पर शब्द व अंक "under sub-section (1)" पढ़ा जाय।
- 35—धारा 82 की उपधारा (2) के खण्ड (b) के परन्तुक की तृतीय पंक्ति तथा चतुर्थ पंक्ति में शब्द "in respect or such holding" के स्थान पर शब्द "in respect of such holding" पढ़ा जाय।
 - 36—धारा 84 की प्रथम पंक्ति में शब्द "provision" के स्थान पर शब्द "provisions" पढ़ा जाय। 37— घारा 88 में.—
 - (क) पार्श्व शीर्षक में शब्द "bhumidhars" के स्थान पर शब्द "bhumidhar's" पढ़ा जाय।
 - (ख) उपधारा (1) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "provision" के स्थान पर शब्द "provisions" पढ़ा जाय।
- 38—धारा 91 की चतुर्थ पंक्ति के अन्त में शब्द एवं विराम चिन्ह "thereon-" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "thereon." पढ़ा जाय।
- 39—धारा 94 के खण्ड (a) के अन्त में अक, विराम चिन्ह व शब्द "96, or" के स्थान पर अंक, विराम चिन्ह व शब्द "96; or" पढ़ा जाय!
- 40—धारा 97 की द्वितीय पंक्ति में शब्द, विराम चिन्ह एवं अंक "or the Indian Registration Act, 1908" के स्थान पर शब्द, विराम चिन्ह एवं अंक "or the Registration Act, 1908" पढ़ा जाय।
- 41—धारा 105 की उपधारा (1) के खण्ड (b) की प्रथम पंक्ति के प्रारम्भ में शब्द "the tree" के स्थान पर शब्द "the trees" पढ़ा जाय।
- 42—धारा 109 के पार्श्व शीर्षक में शब्द ''inheriting'' के स्थान पर शब्द ''inheriting interest'' पढ़ा जाय।
 - 43-धारा 110 की तृतीय पंक्ति में शब्द "provision" के स्थान पर शब्द "provisions" पढ़ा जाय।
 - 44-धारा 111 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "devasthanam" के स्थान पर शब्द "devasthan" पढ़ा जाय।
- **45**—धारा 112 के पार्श्व शीर्षक में शब्द "survivingship" के स्थान पर शब्द "survivorship" पढ़ा जाय।
 - 46—धारा 113 के पार्श्व शीर्षक में शब्द "othe" के स्थान पर शब्द "other" पढ़ा जाय। 47—धारा 114 में ,—
 - (क) खण्ड (b) की तृतीय पंक्ति के अन्त में शब्द "untile" के स्थान पर शब्द "until" पढ़ा जाय।
 - (ख) खण्ड (c) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "form" के स्थान पर शब्द "from" पढ़ा जाय। 48—घारा 115 में,—
 - (क) उपधारा (4) की प्रथम पंक्ति में शब्द "all order" के स्थान पर शब्द "an order" पढ़ा जाय।
 - (ख) उपधारा (6) की प्रथम पंक्ति में शब्द ''tile date'' के स्थान पर शब्द '' the date'' पढ़ा जाय।
- 49—धारा 120 की उपधारा (1) की तृतीय पंक्ति के अन्त में विराम चिन्ह "," के स्थान पर विराम चिन्ह "," पढ़ा जाय।
 - 50—धारा 121 की प्रथम पंक्ति में शब्द "section" के स्थान पर शब्द "sections" पढ़ा जाय।
- 51—धारा 123 के खण्ड (b) की प्रथम पंक्ति के अन्त में शब्द "title of" के स्थान पर शब्द "title or पढ़ा जाय।

52-धारा 126 की उपधारा (1) में,-

- (क) खण्ड (a), खण्ड (b), खण्ड (c), खण्ड (d), खण्ड (e), खण्ड (f), खण्ड (g) और खण्ड (h) में शब्द "gram sabha" के स्थान पर शब्द "Gram Sabha" पढ़ा जाय।
- (ख) खण्ड (a) की प्रथम पंक्ति में शब्द "sons unmarried daughters" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "sons, unmarried daughters" पढ़ा जाय।
- (ग) खण्ड (c) की चतुर्थ पंक्ति के अन्त में शब्द एवं विराम चिन्ह "Government." के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "Government;" पढ़ा जाय।
- (घ) खण्ड (e) के अन्त में शब्द एवं विराम चिन्ह "officer," के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "officer;" पढ़ा जाय।
- 53—धारा 127 की उपधारा (2) की प्रथम पंक्ति में शब्द "term" के स्थान पर शब्द "terms" पढ़ा जाय। 54—धारा 128 में,—
- (क) उपधारा (2) की प्रथम पंक्ति में शब्द "of lease" के स्थान पर शब्द "or ' lease" पढ़ा जाय।
- (ख) उपधारा (2) के खण्ड (b) की प्रथम पंक्ति में शब्द "posse as ion" के स्थान पर शब्द "possession" पढ़ा जाय तथा चतुर्थ पंक्ति में शब्द व विराम चिन्ह "necessary," के स्थान पर शब्द व विराम चिन्ह "necessary," पढ़ा जाय।
- (ग) उपधारा (4) की द्वितीय पंक्ति में शब्द, अंक एवं विराम चिन्ह "section 211" के स्थान पर शब्द, अंक एवं विराम चिन्ह "section 210" पढ़ा जाय।
- (घ) उपधारा (5) की द्वितीय पंक्ति में शब्द, विराम चिन्ह एवं अंक "Holding Act, 1953" के स्थान पर शब्द, विराम चिन्ह एवं अंक" Holdings Act, 1953" पढ़ा जाय।
- 55—धारा 129 की उपधारा (2) की द्वितीय पंक्ति के प्रारम्भ में शब्द "mutandies" के स्थान पर शब्द "mutandis" पढ़ा जाय।

56--धारा 132 में,--

- (क) उपधारा (1) की तृतीय पंक्ति में शब्द "not withstand" के स्थान पर शब्द "notwithstanding" पढ़ा जाय।
- (ख) उपधारा (1) के खण्ड (b) के उपखण्ड (ii) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "tending gathering" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "tending, gathering" तथा पंचम पंक्ति के अन्त में शब्द "Court fix" के स्थान पर शब्द "Court may fix" पढ़ा जाय।
- 57—धारा 137 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) में शब्द एवं विराम चिन्ह "dispossession; or" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "dispossession." पढ़ा जाय।
- 58—धारा 141 की उपधारा (2) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "die order" के स्थान पर शब्द "the order" पढ़ा जाय।

'59—धारा 143 की तृतीय पक्ति में शब्द ''is such'' के स्थान पर शब्द ''in such'' पढ़ा जाय। 60—धारा 146 में.—

- (क) खण्ड (a) की प्रथम पंक्ति में शब्द "tree" के स्थान पर शब्द "trees" पढ़ा जाय।
- (ख) खण्ड (b) की प्रथम पंक्ति में शब्द "property" के स्थान पर शब्द "party" पढ़ा जाय। 61—अध्याय दस के शीर्ष शीर्षक में शब्द "Lessess" के स्थान पर शब्द "Lessees" पढ़ा जाय।
- 62—धारा 147 की प्रथम पंक्ति में शब्द व विराम चिन्ह "hold;" के स्थान पर शब्द "holds" पढ़ा जाय। 63—धारा 148 के पार्श्व शीर्षक में शब्द "lessees" के स्थान पर शब्द "lessee's" पढ़ा जाय।
- 64—धारा 150 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "Occupations" के स्थान पर शब्द "Occupants" तथा तृतीय पंक्ति में शब्द "as apply" के स्थान पर शब्द "as they apply" पढ़ा जाय।
- 65—धारा 151 की उपधारा (2) की प्रथम पंक्ति में शब्द "Gaon Sabha" के स्थान पर शब्द "Gram Panchayat" पढ़ा जाय।

66-धारा 153 में.-

- (क) उपधारा (1) की द्वितीय में शब्द व विराम चिन्ह "applied;" के स्थान पर शब्द व विराम चिन्ह "applied," पढ़ा जाय।
- (ख) उपधारा (4) की प्रथम पंक्ति में शब्द, अंक व विराम चिन्ह "sub-section (1);" के स्थान पर शब्द, अंक व विराम चिन्ह "sub-section (1)," पढ़ा जाय।
- 67—धारा 155 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "bhmnidhar" के स्थान पर शब्द "bhumidhar" पढ़ां जाय।
- 68—धारा 158 में की चतुर्थ पंक्ति में शब्द एवं विराम चिन्ह "an as asami," के स्थान पर शब्द व विराम चिन्ह "an asami," पढ़ा जाय।

69-धारा 160 में.-

- (क) पार्श्व शीर्षक में शब्द "Finality of orders" के स्थान पर शब्द " Annual enquiry of revenue free land" पढ़ा जाय।
- (ख) शब्द "Every order of the State Government under this Chapter shall be final and shall not be called in question in any Court." के स्थान पर निम्नलिखित अंक तथा शब्द-
- (1) The Collector shall inquire annually into the case of all lands exempted from the payment of land revenue.
- (2) If the exemption has been granted on any condition and the same has been broken, he shall report the matter to the Board for orders, and the orders of the Board thereon shall be final.'' ঘৱা জায়।''

70-धारा 162 में अंक तथा शब्द -

- "(1) The Collector shall inquire annually into the case of all lands exempted from the payment of land revenue.
 - (2) If the exemption has been granted on any condition and the same has been broken, he shall report the matter to the Board for orders, and the orders of the Board thereon shall be final." के स्थान पर निम्नलिखित शब्द "Every order of the State Government under this Chapter shall be final and shall not be called in question in any Court." पढ़ी जाय।"

71—धारा 163 की उपधारा (2) की तृतीय पंक्ति में शब्द "against any land and the holder thereof" के स्थान पर शब्द "on any land against the holder thereof" पढ़ा जाय।

72—धारा 169 के पार्श्व शीर्षक "Writ demand" के स्थान पर पार्श्व शीर्षक "Writ of demand" पढ़ा जाय।

73—धारा 170 की उपधारा (1) के खण्ड (g) की द्वितीय पंक्ति में शब्द व विराम चिन्ह "defaulter;" के स्थान पर शब्द व विराम चिन्ह "defaulter." पढ़ा जाय।

74—धारा 171 की उपधारा (4) की तृतीय पंक्ति के अन्त में शब्द "therefore" के रथान पर शब्द "therefor" पढ़ा जाय।

75-धारा 172 में,-

- (क) उपधारा (2) के खण्ड (a) की प्रथम पंक्ति में शब्द एवं विराम चिन्ह "cooking, vessels," के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "cooking vessels," पढ़ा जाय।
- (ख) उपधारा (4) की सप्तम पंक्ति में शब्द "arrears of revenue" के स्थान पर शब्द "arrears of land revenue" पढ़ा जाय।

76—धारा 176 की उपधारा (1) की चतुर्थ पंक्ति में शब्द "prescribed appropriate" के स्थान पर शब्द "prescribed and appropriate"पढ़ा जाय।

77—धारा 177 के परन्तुक की तृतीय पुक्ति के अन्त में शब्द "attachment this section" के स्थान पर शब्द "attachment under this section" पढ़ा जाय।

78--धारा 178 में.-

(क) उपधारा (7) की पंचम पंक्ति में शब्द एवं विराम चिन्ह "misconduct" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "misconduct," पढ़ा जाय।

(ख) उपधारा (8) की द्वितीय पंक्ति के अन्त में शब्द "disobedience" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "disobedience," पढ़ा जाय।

79—धारा 179 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "or" के स्थान पर शब्द "of" पढ़ा जाय। 80—धारा 180 में.—

- (क) उपधारा (1) की प्रथम पंक्ति में शब्द एवं अंक "section 170 to 178" के स्थान पर शब्द एवं अंक "sections 170 to 178" पढ़ा जाय।
- (ख) उपधारा (3) की प्रथम पंक्ति में शब्द "may he added" के स्थान पर शब्द "may be added" पढ़ा जाय।
- 81—धारा 181 की उपधारा (2) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "if be were" के स्थान पर शब्द "if he were" पढ़ा जाय।

82-धारा 184 की उपधारा (1) में खण्ड (f) के पश्चात निम्नवत खण्ड पढ़ा जाय :--

"(g) such other particulars as the Collector may think necessary."

83—धारा 185 के खण्ड (b) के अन्त में शब्द "property situate" के स्थान पर शब्द "property is situate" पढ़ा जाय।

84—धारा 186 की उपधारा (4) की तृतीय पंक्ति में शब्द "from" के स्थान पर शब्द "form" पढ़ा जाय!

85—धारा 192 की उपधारा (1) के खण्ड (b) की तृतीय पंक्ति के अन्त में शब्द "paid on account" के स्थान पर शब्द "paid on that account" पढ़ा जाय।

86—धारा 193 की उपधारा (3) की प्रथम पंक्ति में शब्द "The order of the Commissioner under this section shall be final" के स्थान पर शब्द "Subject to revision in the Revenue Board, the order of the Commissioner under this section shall be final" पढ़ा जाए।

87—धारा 194 की उपधारा (3) की द्वितीय तथा तृतीय पंक्ति में शब्द "he fina!" के स्थान पर शब्द "be fina!" पढ़ा जाय।

88-धारा 195 की प्रथम पंक्ति के अन्त एवं द्वितीय पंक्ति के प्रारम्भ में शब्द व अंक "section 193 section 194," के स्थान पर शब्द व अंक "section 193 or section 194," पढ़ा जाय।

89—धारा 196 के पार्श्व शीर्षक 'Bar of claims against in certain cases' के स्थान पर पार्श्व शीर्षक 'Bar of claims against certain cases' पढ़ा जाय।

90—धारा 198 की उपधारा (2) की तृतीय पंक्ति के अन्त में शब्द, विराम चिन्ह एवं अंक "Indian Registration Act, 1908" के स्थान पर शब्द, विराम चिन्ह एवं अंक "Registration Act, 1908" पढ़ा जाय।

91—धारा 206 की उपधारा (2) के खण्ड (b) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "Suit application" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह"suit, application" पढ़ा जाय।

92—धारा 209 के खण्ड (e) के अन्त में शब्द एवं विराम चिन्ह "court; or" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "court;" पढ़ा जीय।

93—धारा 212 की उपधारा (2) की छठी पंक्ति में शब्द "class of case" के स्थान पर शब्द "class of cases" पढ़ा जाय।

94-धारा 216 के खण्ड (a) में शब्द "person" के स्थान पर शब्द "the person" पढ़ा जाय।

95—धारा 220 के पार्श्व शीर्षक "Power to enter upon land etc" के स्थान पर पार्श्व शीर्षक "Power to enter upon land" पढ़ा जाय।

96—धारा 221 की द्वितीय पंक्ति में शब्द ''there under'' के स्थान पर शब्द ''thereunder'' पढ़ा जाय।

97—धारा 225 की उपधारा (2) की तृतीय एवं चतुर्थ पंक्ति में शब्द "by anything in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Code" के स्थान पर शब्द "by anything done or intended to be done in good faith in pursuance of the provisions of this Code" पढ़ा जाय।

98—धारा 227 की उपधारा (1) पंचम पंक्ति में शब्द ''option'' के स्थान पर शब्द ''opinion'' पढ़ा जाय। 99-धारा 228 की उपधारा (1) की तृतीय पंक्ति में शब्द "there for" के स्थान पर शब्द "therefor" पढ़ा जाय।

100-धारा 229 के खण्ड (d) में विराम चिन्ह "•" के स्थान पर विराम चिन्ह ";" पढ़ा जाय।

- 101—धारा 230 की उपधारा (2) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "enctments" के स्थान पर शब्द "enactments" पढ़ा जाय, तथा उपधारा (2) के,—
 - (i) खण्ड (d) की तृतीय पक्ति में शब्द "tile" के स्थान पर शब्द "the" तथा छठी पंक्ति में शब्द एवं विराम चिन्ह "debt penalty," के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "debt, penalty," पढ़ा जाय।
 - (ii) खण्ड (e) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "pleading practice" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "pleading, practice" तथा शब्द "custom privilege," के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "custom, privilege," पढ़ा जाय।
 - (iii) परन्तुक की तृतीय पंक्ति में शब्द "powers conferred," के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "powers conferred," पढ़ा जाय।

102—धारा 231 की उपधारा (2) की तृतीय पंक्ति में शब्द एवं विराम चिन्ह "revenue court;" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "revenue court," पढ़ा जाय।

103-धारा 233 में,--

- (क) उपधारा (1) की प्रथम पंक्ति में शब्द "may by" के स्थान पर शब्द विराम चिन्ह "may, by" पढ़ा जाय।
- (ख) उपधारा (2) की प्रथम पंक्ति में शब्द "With out" के स्थान पर शब्द " Without" पढ़ा जाय, तथा उपधारा (2) के,—
 - (i) खण्ड (iii) में शब्द "Guide lines" के स्थान पर शब्द "Guidelines" पढ़ा जाय।
 - (ii) खण्ड (vii) के अन्त में शब्द "therefore," के स्थान पर शब्द "therefor;" पढ़ा जाय।
 - (iii) खण्ड (xi) में शब्द "there for," के स्थान पर शब्द "therefor," पढ़ा जाय।
 - (iv) खण्ड (xvii) में शब्द "officer authority" के स्थान पर शब्द "officer or authority" पढ़ा जाय।
 - (v) खण्ड (xvii) के बाद अंक और शब्द ''(xvii) Imposition of limits of time with in'' के स्थान पर अंक और शब्द ''(xviii) Imposition of limits of time within'' पढ़ा जाय।
 - (ग) उपधारा (3) की चतुर्थ पंक्ति में शब्द "continue be in force, until they are rescinded altered" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "continue to be in force, until they are rescinded, altered" पढ़ा जाय।

104—संहिता की तृतीय अनुसूची के नोट में शब्द, अंक एवं विराम चिन्ह "relating section 82(2)(c) to section 131 (1) sections 134, 137(1) and section 139(1) to section 151(1)" के स्थान पर शब्द, अंक एवं विराम चिन्ह "relating to section 82(2)(c) to section 131(1), sections 134, 137(1) and section 139(1) to section 151(1)" पढ़ा जाय।

. आज्ञा से, अब्दुल शाहिद प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० ७०१ राजपत्र—(हिन्दी)—२०१५—(१६२०)—५९९ प्रतियां—(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०—ए०पी० ६९ सा० विधायी—२०१५—(१६२१)—५०० प्रतियां—(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।